सप्तम माला, 24 मार्च, 1981/ चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पांचवां सत्र)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : आठ रुपए

विषय सूची

अंक 27 मंगलवार, 24 मार्च, 1981/3 चैत्र, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	495, 498 से 501 और 503 से 505	1—29
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	496, 502, 506, 507, 509 से 515 और 598	29—39
अतारांकित प्रश्न संख्या	4743 से 4789, 4791 से 4849, 4851 से 4869, 4871 से 4887 और 4889 से 4915	39 - 181
विशेषाधिकार प्रस्ताव आदि के बारे में		181—183
सभा पटल पर रखे गये पत्र		183—184
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		184—201
जम्मू के निकट धरना दे रहे पश्चिमी पंजाब से आये शरणार्थियों की दशा		184—185
श्री आर० के० महालगी		185—187
श्री भागवत झा आजाद		187—188
श्री हरिकेश बहादुर		188—192
श्री बापू साहिब परूलेकर		192—197
डा० कर्ण सिंह		197—200
भारत द्वारा उच्च शक्ति के रेल इंजनों के आयात के बारे में विश्व बैंक के दल द्वारा चर्चा के सम्बन्ध में वक्तव्य ।		201

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
श्री मल्लिकार्जुन	201
नियम 377 के अधीन मामले	202—205
(एक) पीलीभीत और शाहजहांपुर के बीच पर्याप्त रेल सेवायें उपलब्ध कराने के उपाय श्री जितेन्द्र प्रसाद	202
(दो) क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता श्री पी० राजगोपाल नायडू	202—203
(तीन) गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के उपाय श्री जैनुल बशर	203
(चार) तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए कार्यवाही श्री के० मायातेवर	203
(पांच) तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता श्रीमती गीता मुखर्जी	204
(छः) हाल के चीनी मानचित्रों में भारत की सीमा को तोड मरोड़ कर दिखाये जाने का समाचार श्री बापू साहिब परूलेकर	204—205
(सात) हरियाणा और राजस्थान से पानी छोड़े जाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक नये नाले के खोदे जाने का समाचार तथा उस पर किसानों की प्रतिक्रिया श्री राम विलास पासवान	205
अनुदानों की मांगें, 1981-82 वाणिज्य मंत्रालय	205
श्री कृष्ण कुमार गोयल	205—210
श्री चिन्तामणि पाणिग्राही	210—215
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	215—219

विषय	पृष्ठ
श्री बी० के० नायर	219—223
श्री कमल नाथ	224—228
श्री प्रो० पी० जी० कुरियन	229—233
श्री चन्द्रशेखर सिंह	233—237
श्री के० ए० राजन	237—240
श्री गिरधारी लाल व्यास	240—243
श्री जार्ज जोसफ मुण्डाकल	243—244
श्री अशफ़ाक हुसैन	244—247
श्री आर० वाई० घोरपाडे	247—249
श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर	249—257
श्री प्रणव मुखर्जी	257—263

लोक-सभा

मंगलवार, 24 मार्च, 1981/3 चैत्र, 1903 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : आज बिना घंटी के ही सब लोग हाजिर हैं ।

पालामऊ जिले में हरलोंग स्थान पर पाया गया कोयले का भंडार

* 495 **श्री चिन्तामणि पणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पलामु जिले में हरलोंग नामक स्थान पर 2 करोड़ टन कोयले का भंडार पाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस कोयले के मिलाये जा सकने की संभावना का अध्ययन कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) बिहार में पलामु जिले में हुटार कोयला क्षेत्र के हरलोंग सेक्टर में कोयले के कुल 104 मिलियन टन भण्डार होने का अनुमान है ।

(ख) यह कोयला बहुत नमी वाला अकोककर टाइप का है और धात्विक मिश्रणों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : दो करोड़ टन के कोयले के इस रक्षित भडार में नमी वाला कोयला है । इसमें राख की मात्रा कम है । क्या केन्द्रिय खान (आयोजना) रांची ने इस बारें में कोई अध्ययन किया है ? उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री विक्रम महाजन : अब तक किए गए अध्ययन से पता चलता है कि इस कोयले का उपयोग बिजली के उत्पादन के लिए किया जा सकता है । खुदाई कार्य अब भी चल रहा है । यह कार्य सितम्बर, 1981 तक समाप्त होगा । उसके बाद ही हम यह फैसला कर पायेंगे कि इस कोयले का

उपयोग किस लिए किया जा सकता है तथा क्या इसके लिए बिजलीघर की स्थापना की जा सकती है। निर्णय खुदाई कार्य समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या यह सच है कि उस क्षेत्र के आसपास जहां केन्द्रीय कोयला क्षेत्र का कार्य चल रहा है। लगभग 1200 करोड़ टन कोयले के रक्षित भंडार पाये जाने का अनुमान है ? इस बात को देखते हुए कि हमें बिजली का अधिक उत्पादन चाहिये क्या सरकार की योजना इस क्षेत्र में 1200 करोड़ टन कोयले के संपूर्ण रक्षित भडार का उपयोग करने की है ताकि हम विश्व बाजार डीजल पर निर्भर न रह कर बिजली की अधिक रेलगाड़ियां चला सकें।

श्री विक्रम महाजन : उत्तर करमपुरा क्षेत्र के आसपास कोयले के भारी रक्षित भंडार हैं कौर इस समय हम बिजली उत्पादन के लिये उस विशेष क्षेत्र का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं तथा हम 1984-85 सक 50 लाख टन और 1989-90 तक लगभग एक करोड़ 50 लाख टन का इस प्रयोजन के लिए उपयोग कर पायेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, सब से पहले मेरा विरोध यह है कि वास्तव में इनको मालूम ही नहीं है कि बिहार में पलामु एक जिला है। इन्होंने अपने उत्तर में हिन्दी में 'पालामऊ' में लिखा है। यह आश्चर्य की बात है कि सरकार को जानकारी ही नही है कि देश में कौन-कौन से जिले हैं और कहां कहां है ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक वोलेन्ट्री क्लास ही लगा दीजिए,

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : यह हम नहीं कर सकते हैं, वही कर सकते हैं और उनको करना भी चाहिए। (व्यवधान)

दूसरी बात, अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार, जो कि एक बदकिस्मत सूबा है क्योंकि वहां कोयले की बहुतायत है लेकिन बिजली की कमी है, वहां जो 104 मिलियन टन आपको कोयला मिला है, जिसको आपने मोइस्चर वाला कहा है, क्या आप इसको सुखा कर के इसको बिजली के उत्पादन के काम में लायेंगे ? क्या ऐसा किया सकता है ?

ऊर्जा मंत्री श्री ए०बी० गनी खान चौधरी : कोयला निकालने के लिए आधारभूत सुविधाओं का होना जरूरी है। इस मामले में ऐसी सुविधायें उपलब्ध नही हैं। यदि हमें वे सब सुविधायें मुहाया करनी पड़ें तो उस पर बहुत धन व्यय होगा। हम तो केवल बिजली घर बनाने की बात सोच सकते है। हमने कहलगांव के बारे में सोचा है तथा उसके बाद टेंडूगार आदि। आप तो वित्तीय कठिनाई से पूर्णतः अवगत है तथा एक ही समय सब बातों के बारे में नहीं सोचा जा सकता। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे।

श्री शिव कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें यह तय किया गया था कि मांग से 10 प्रतिशत अधिक बिजली का उत्पादन किया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं

कि 104 मिल्यन टन जो कोयला मिला है इससे कितनी मात्रा में बिजली उत्पादित की जा सकती है?

श्री० ए० बी० ए० खान चौधरी : मैं इसका पहले ही उत्तर दे चुका हूं।

श्री रामगोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई प्रश्न नहीं करना है मुझे तो सिर्फ इतना कहना है कि बिहार के लोग बहुत खुश किस्मत हैं जहां इतना कोयला निकल रहा है।

किसान रैली

* 498. श्री राम विलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 फरवरी, 1981 को किसान रैली को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए दिल्ली में टेलीविजन सैट लगाए गए थे ;

(ख) यदि हां तो लगाए गए टेलीविजन सेटों की संख्या क्या थी ;

(ग) क्या यह सच है कि विदेशों में उपग्रह के माध्यम से किसान रैली को दूरदर्शन पर दिखाया गया था ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदनी एम० जोशी : (क) किसान रैली के स्थान पर सरकार द्वारा कोई टेलिविजन सैट नहीं लगाए गए थे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन ने विदेशों को उपग्रह के माध्यम से किसान रैली का कोई कवरेज उपलब्ध नहीं किया था। तथापि, इसने अन्तर्राष्ट्रीय टी० वी० न्यूज एजेंसी "विसन्यूज" को, इसके अपने एक ग्राहक "यूरोविजन" के लिए 10 मिनट के एक "फीड" के लिए उसके अनुरोध पर, भुगतान आधार पर, प्रेषक सुविधाएं उपलब्ध की थी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि क्या 16 फरवरी 1981 को किसान रैली को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए टेलीविजन सैट्स लगाए गए थे। अगर लगाए गए थे तो जवाब आना चाहिए हाँ। तब आगे प्रश्न मैं करता।

अध्यक्ष महोदय : ये सरकार की बात कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मेरा प्रश्न सरकार के बारे में नहीं है। मेरा प्रश्न है कि 16 फरवरी, 1981 को किसान रैली को तथाकथित पर दिखाने के लिए टेलिविजन सेट्स लगाए गए थे या नहीं ? सरकार पहले इसका जवाब दे।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) जब किसान रैली के लिए सरकार द्वारा कोई टेलिविजन सेट्स नहीं लगाए गए तो जवाब भी नहीं में ही देंगे, हाँ कैसे कहेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी मंत्री महोदय ने कहा है किनहीं लगाए गए थे, जवाब में कहा था—सरकार ने कोई टी० वी० सेट नहीं लगाए थे। इसका मतलब यह है कि लगाए ही नहीं गए थे।

श्री बसंत साठे : बाई दी गवर्नमेंट, फार दी गवनमेंट और आफ दी गवर्नमेंट, ये तीनों चीजे वहां नहीं थीं, इसलिए जवाव यही दिया गया है। किसके द्वारा लगाए गए थे, यदि इसकी जानकारी आप चाहते हैं तो मैं दे सकता हूं।

श्री राम विलास पासवान : मंत्री महोदय के अनुसार सरकार के द्वारा वहां पर टी० वी० सेट्स नहीं लगाए गए थे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वे टी० वी० सैट्स द्वारा किसके लगाए गए थे, उस पर कितना खर्चा हुआ, क्या कोई सौदे-बाजी थी, यदि नही तो जिसने इंतजाम कराया था वह पार्टी कितना पेमेंट करने जा रही है ?

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष जी, किसान रैली को कवर करने के लिए जिन्होंने रैली का आयोजन किया था, उन्होंने एक टेलीविजन कम्पनी, जिसका नाम "वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स" है, से संबंध स्थापित करके क्लोज सर्किट टेलीविजन सेट्स लगवाए थे। जिन्होंने रैली आयोजित की थी, उनका और वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स का आपस में क्या समझौता हुआ था, यह हमें मालूम नहीं है। वहां टैलिविजन वैस्टन इलैक्ट्रोनिक्स कम्पनी ने लगाए थे।

श्री राम विलास पासवान : मैंने पूछा था कि कितना खर्च हुआ, कौन देगा ? हिसाब इनके पास नहीं है और न इनको कोई जानकारी है :

प्रश्न के उत्तर में दूसरे इन्होंने यह कहा है।

इसने अन्तर्राष्ट्रीय टी० वी० न्यूज एजेंसी "विसन्यूज" को इसके अपने एक ग्राहक "यूरोविजन" के लिए 10 मिनट के एक "फीड" के लिए उसके अनुरोध पर भुगतान आधार पर, प्रेषण सुविधायें उपलब्ध की थीं। इनके दूरदर्शन का विन्सयूज के साथ क्या अरेंजमेंट है ? क्या जो अरेंजमेंट है वह टैम्पोरेरी है या परमानेंट है और क्या उसी अरेंजमेंट के तहत यह सारी घपलेबाजी हुई है ?

श्री बसंत साठे : घपलेबाजी तो प्रश्नकर्ता के दिमाग में है। विसन्यूज या ऐसी दूसरी टेलिविजन की जो कम्पनियां है, कोई भी सैटेलाइट की मार्फत जो फिल्म होती है वह बता सकती है और बताती है पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ्ज डिपार्टमेंट की मार्फत और जो अरैंजमेंट है उसको वे युटिलाईज करती हैं और उससे वे यह टेलीकास्ट करती है जिसे ओवरसीज कम्युनिकेशन सर्विस कहते हैं। वह पी० एन्ड टी० की मार्फत होता है। हमारे से जो वे उपयोग करना चाहती हैं टैलीसिने सिस्टम का टैली कास्ट करने के लिए तो हमारा रेट हैं लेंस देन वन आवर का 1500 डालर जो हम उनसे चार्ज करते हैं। विसन्यूज का हैडक्वार्टर लन्दन में है और उनकी ब्रांच यहां भी हैं। उन्होंने परदेश में कवर करने के लिए जो फिल्म बनाई उसका हमें पेमैंट दिया हमारे रेट के मुताबिक और उसके मुताबिक उन्होंने टैली कास्ट किया।

राजेश कुमार सिंह : आपने पेमैंट की बात कह दी है। फ्री प्रेस जरनल का मैं रेफ्रेंस दे रहा हूं जिसमें यह छपा था :

अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो और टेलीविजन समाचार एजेन्सियां जो भारतीय समाचार देने में प्राय: तंगहित है उन्होंने अपने प्रसारण में इस समाचार को अग्र रूप दिया।

किसान रैली के सम्बन्ध में यू० एस० एस० आर० पाकिस्तान, वायस आफ अमरीका, बी० बी० सी० इन सबने हैडलाइज् में न्यूज बहुत लम्बे समय तक दी। चालीसवें अमरीकी राष्ट्रपति का टेलीविजन पर जो समारोह था उसको कवर किया था और आपने उसका पैसा भी लिया था। क्या इंटरनेशनल एजंसीज को आपकी सरकार के द्वारा जो न्यूज वहां रिले हुई या दूर दर्शन पर जो कार्यक्रम दिखाया गया, उसमें आपका कोई सहयोग था, क्या आपने उसका कोई पेमैंट किया या किसी रेसीप्रोवल बेसिस पर दूरदर्शन की फिल्म या न्यूज भेजी ?

टैलीविजन सैट जो यहां वैस्टन इलेक्ट्रोनिक्स ने लगाए क्या आपके विभाग का उसके ऊपर कोई सुपरविजन था ?

श्री बंसत साठे : जहां तक दूरदर्शन पर दिखाए जाने का सवाल है वह दूरदर्शन ने खुद किया था और विसन्यूज से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। विसन्यूज ने जैसे...

श्री राजेश कुमार सिंह : इन देशों में न्यूज दूर दर्शन पर जो गई और बहुत लम्बे अर्से तक जो वहां दिखायी गई उसके लिए सरकार खजाने से पैसे दिया गया ?

श्री बसत साठे : परदेश में जो बताया गया उसमे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं था, दूर दर्शन का कोई सम्बन्ध नहीं था। अभी मैंने कहा कि विसन्यूज ने जो कवरेज किया उसका हमने चार्ज किया और किस बेसिस पर किया। वह मैंने बता दिया है। उन्होंने हमें पेमैंट दिया। हमारा पेमैंट देने का कोई सवाल नहीं है। किसी को कोई पेमैंट दर दर्शन ने नहीं दिया। हमारा पेमैंट देने का कोई सवाल नहीं है। किसी को कोई पेमैंट दूरदर्शन ने नहीं किया। यहां दूरदर्शन पर जो बताया गया था दिखाया गया उसको हमने कवर किया था। मैं यह भी बता दूं कि इस तरह का कवरेज इसके पहले भी 1978 में जो किसान रैली हुई थी, उसका भी दूरदर्शन पर हुआ था।

श्री रामावतार शास्त्री : फिर परसों होने जा रही है रैली उसका भी होना चाहिये ?

श्री बंसत साठे : वह न्यूज वर्दी होगी तो होगा।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : स्पीकर साहब, हिन्दुस्तान का किसान जो नेशन का ग्रास प्रोडक्ट है उसका 45 परसेन्ट हिस्सा देता है, वह किसान जब दिल्ली आये और 50 लाख की तादाद में आये तो अपोजिशन का इस तरह से कहना ठीक नहीं है। जब माननीय चरण सिंह ने किसान रैली बुलायी थी तो उस वक्त हमारी प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्री भीष्म

नारायण सिंह की मार्फत उनको फूल भेजा था और हमें खुशी हुई थी कि वह किसानों की इज्जत कर रही हैं। फिर मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों पार्टियों में अब इतना अन्तर क्यों है, कैसे है ? इसको निकालने के लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं ?

श्री बंसत साठे : अध्यक्ष जी, जहां तक हमारा सवाल है कोई अन्तर नहीं है। और किसी में अन्तर हो तो वह दूर कर ले।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने उन किसानों की सहायता हेतु, जो प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी को देखने एवं उनका भाषण सुनने दिल्ली आये थे, टेलीविजन क्यों नहीं लगाये ? क्या किसान रैली को, जो अब तक की रैलियों में सबसे बड़ी थी, अत्यधिक महत्व देना जरुरी नहीं था ?

श्री बंसत साठे : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण रैली थी और इसी लिए ही हमने सारी रैली को कवर किया था यह विश्व की किसानों की रैलियों में सब से बड़ी रैलियों में से एक थी। जहां तक दूर दर्शन द्वारा वहां व्यवस्था करने का सम्बन्ध है वह प्रश्न ही नहीं उठा क्योंकि रैली के आयोजकों ने पहले ही वैस्टर्न इलेक्ट्रानिक्स के साथ व्यवस्था कर रखी थी।

दक्षिणी क्षेत्र में ऊर्जा मन्त्रियों का हैदराबाद में सम्मेलन

*499. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्री ने 10 फरवरी, 1981 को दक्षिणी क्षेत्र के ऊर्जा मन्त्रियों का सम्मेलन हैदराबाद में बुलाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मन्त्री पूरे देश में एक समान ऊर्जा नीति और ऊर्जा कर्मचारियों के लिए वेतनमानों और सेवा की शर्तों का एकसा पैट्रन होने की आवश्यकता की बात कही थी ; और

(ग) वहां लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ग) दक्षिणी राज्यों के विद्युत मन्त्रियों का सम्मेलन हैदराबाद में 10 फरवरी, 1981 को हुआ था।

उपर्युक्त सम्मेलन में मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था :—

1. प्रत्येक राज्य तथा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति और विद्युत उत्पादन को अधिकतम करने के उपाय।

2. क्षेत्र में निर्माणाधीन परियोजनाओं को चालू करने की दिशा में हुई प्रगति।

3. विद्युत कटौतियां तथा इनके प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए किए गए प्रयास।

4. ग्राम विद्युतीकरण ।

ऊर्जा मन्त्री इस बात को समर्थन देते रहे हैं कि राज्य बिजली बोर्डों के इंजीनियरों और तकनीशयनों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में उसी प्रकार एकरूपता होनी चाहिए जिस प्रकार की एकरूपता सुव्यवस्थित सेवाओं के अधिकारियों के वेतनमानों में है । इंजिनियरों और तकनीशियनों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारें/राज्य बिजली बोर्ड पूर्णतः सक्षम हैं परन्तु जब कभी आवश्यकता होती है तब वे केन्द्र सरकार से मार्ग दर्शन प्राप्त करते हैं ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, हमारे विद्युत संयंत्र अनुमानित उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक उत्पादन नहीं कर रहे हैं । 20 प्रतिशत विद्युत तो रास्ते में और वितरण करते हुए, बेकार चली जाती है जो कि विश्व भर में सबसे अधिक है । इसे ध्यान में रखते हुए, क्या मन्त्री जी बताएगें कि सरकार ने उत्पादन को अधिकतम करने तथा रास्ते में और वितरण के कारण बेकार जाने वाली विद्युत में कमी करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : राज्यों में क्षमता के उपयोग में मिलता है । बात तो यह है कि क्षमता का अधिकाधिक उपयोग हो और जहां कहीं कोई कठिनाईयां होती हैं, राज्य बिजली बोर्ड हमें बताते हैं और दोषों का पता लगाने और उन्हें दूर करने के लिए तकनीशियनों और विशेषज्ञों को भेजा जाता है ।

पारेषण सम्बन्धी हानियों के बारे में अभी कुछ नहीं बताया जा सकता क्योंकि जब तक राष्ट्रीय बिजली वितरण केन्द्र काम नहीं करने लगता, तब तक इन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता ।

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : केरल और कर्नाटक के बीच हुए करार के अनुसार कर्नाटक राज्य को प्रतिदिन 32 लाख यूनिट विद्युत की सप्लाई होनी चाहिए । परन्तु कासरगोड को लेकर राजनैतिक अनबन के कारण कर्नाटक को 32 लाख के बजाए 15 लाख यूनिट विद्युत की सप्लाई हो रही है ।

इसे ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इस संकट को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कोई बीच बचाव किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह तो राज्यों के बीच आपसी करार हैं । इससे केन्द्र का कोई सम्बन्ध नहीं है । ... (व्यवधान) यदि दोनों राज्य हमारे पास आयेंगे, तो हम उनके बीच कोई समझौता करने के लिए प्रयत्न कर सकेंगे ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मन्त्री महोदय, इस प्रश्न का विशेष रूप से उत्तर दें कि क्या कासरगोड को लेकर जो गलतफहमी हो गयी है उसके कारण कर्नाटक दी जाने वाली विद्युत की मात्रा में कमी हुई है। यह बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें इसका उत्तर देना चाहिये।

श्री बी० बी० देसाई : जी, हां, यह सच है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह तो एक द्विपक्षीय करार है और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और जब कोई राज्य कोई करार करता है तब उसे केन्द्र से कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ती। यह तो दो राज्यों के बीच का मामला है। इसमें केन्द्र ने कुछ नहीं करना होता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आप, ऐसा क्यों कह रहें है ? या तो आप ...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता। जब आपकी बारी आयेगी तब आप पूछ लीजियेगा।

श्री बी० बी० देसाई : वास्तव में माननीय मन्त्री कह रहे थे कि जहां तक दो राज्यों का सम्बन्ध है कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार ने कुछ नहीं करना होता। माननीय सदस्य को उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केरल सरकार ही राजनैतिक अनबन को बीच में ले आई है और उसने दर बढ़ा दी है। जो भी हो, मैं अपना प्रश्न पूछूंगा।... (व्यवधान) यह सच है।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह उत्तेजित होकर अपना स्वास्थ्य सुधार सकते है, तो वे ऐसा क्यों न करें ?

श्री बी० वी देसाई : मैं कर्नाटक मे निर्माणाधीन काली नदी परियोजना के बारे में पूछना चाहता हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है परन्तु धनराशी की कमी है और कुछ अन्य बाते भी हैं। क्या दक्षिणी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में इस बारे में चर्चा हुई थी और इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार राज्य सरकार की मदद करने के लिए क्या उपाय करने जा रही है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अधिकांशतया हम स्पात और सीमेंट तथा इस बारे में विचार करते है कि क्या इस मामले में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड ने कोई विलम्ब तो नहीं किया। धनराशी जुटाने की बात पर सामान्यता कोई चर्चा नहीं होती क्योंकि यह काम योजना आयोग द्वारा किया जाता है।

श्री के० मालन्ना : अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण कई जल विद्युत परियोजनाओं का काम रुका पड़ा है। इनमें से एक होनेगल परियोजना है जो कावेरी घाटी में स्थित है। क्या उक्त सम्मेलन में किसी मन्त्री ने कहा था कि इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जल विद्युत

परियोजना निर्माण निगम की एजेंसी के माध्यम से स्वयं अपने हाथ में ले ले ? इस संदर्भ में मैं यह पूछना चाहूंगा हूं कि ऐसी कितनी परियोजनाएं हैं जो अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण रुकी पड़ी हैं, इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और क्या सरकार इस विवाद को निपटाने जा रही है और इन परियोजनाओं को केन्द्रीय एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वित कराने जा रही है ?

श्री विक्रम महाजन : हम तो राज्य सरकारों को इस बात के लिए राजी करने का प्रयत्न करते रहे हैं कि वे हमें इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने दें, जिनके बारे में अन्तर्राज्यीय विवाद है, क्योंकि जब तक वे झगड़ते रहेंगे तब तक इस बीच हम उनका यह निर्माण कार्य पूरा कर लेंगे। इसलिए हमने तमिलनाडू और कर्नाटक सरकार को सुझाव दिया है कि वे इस परियोजना के बारे में बातचीत करें। विचार-विमर्श हो रहा है। इस बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कभी केरल सरकार ने सीपा सम्बन्धी विवाद के आधार पर किसी अन्य राज्य को विद्युत की सप्लाई में कटौती की है ? यदि कोई कटौती की गई है तो वह इस कारण की गई कि सम्बन्धित राज्य ने विद्युत प्रभारों का तुरन्त भुगतान नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कैसे मालूम हो सकता है ?

श्री के० ए० राजन : अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं की विद्युत कर्मचारियों की मजदूरी ढांचे के मामले और सेवाएं की शर्तें सम्बन्धित बिजली बोर्ड ही शासित करते हैं। परन्तु मजदूरी के बारे में इस प्रश्न विशेष के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि विषमता को दूर करने और इंजीनियरों तथा तकनीशियनों के बारे में एकरूपता लाने के लिए हिदायतें दी गई हैं। क्या यह काम स्वयं बोर्ड के अधिकारिता में है या यह अखिल भारतीय स्तर का है ?

श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कई स्थानों पर हड़तालें हो रही हैं। हम चाहते हैं कि विद्युत के क्षेत्र में शान्ति बनी रहे। इसलीये हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में उपलब्धियों और अन्य चीजों के बारे में आम सहमति बनाई जाये। इस क्षेत्र में एक अखिल भारतीय सेवा भी होनी चाहिये।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले के उत्पादन में गतिरोध

*500 **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स में कोयले के उत्पादन में गतिरोध है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) इस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में 1977-78 से कोयले के उत्पादन में कमी आई। सितम्बर, 1970 के अन्त में अनेक खानों में बाढ़ आ गई थी। यद्यपि खानों से पानी निकाल दिया गया था किन्तु उत्पादन ठीक से शुरू नहीं हो सका। उत्पादन में अन्य बड़ी बाधाएं यह आईं थीं—बिजली की उपलब्धी में कमी, कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ना और भूमि पर कब्जा देने में राज्य सरकार की असमर्थता।

बिजली की सप्लाई में सुधार होने तक पिछले वर्ष की तुलना में 1980-81 में उत्पादन में लगभग 9% वृद्धि हुई है।

कोयला कम्पनी राज्य सरकार से सम्पर्क रखे हुए है ताकि कानूनी और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो सके और नई परियोजनाओं तथा पुनर्गठन परियोजनाओं के लिए अपेक्षित भूमि भी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को मिल सके।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, उत्तर में गतिरोध के जो कारण बताये गये हैं वे अतिरिक्त सहायक कारण हैं। क्या माननीय मंत्री यह बताएंगे कि क्या यह सच है कि मांग की कमी हो जाने और कोयला इकट्ठा हो जाने के फलस्वरूप कोयला क्षेत्रों का विकास करने के लिए लगाये जाने वाले धन में कमी कर दी गई है। इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

श्री विक्रम महाजन : जहां तक लगाये जाने वाले धन का सम्बन्ध है, इसमें कोई कमी नहीं हुई है। वास्तव में इसमें वृद्धि की जा रही है। गत वर्ष की तुलना में इस कोयले के उत्पादन में एक करोड़ टन की वृद्धि हुई है। पहले कभी इतना उत्पादन नहीं हुआ। जमा हुए कोयले के बावजूद हम उत्पाद बढ़ाने के लिए अब भी प्रयत्नशील हैं और हमें आशा है कि इस कम्पनी विशेष में, हालांकि कुछ बाधाएं हैं क्योंकि राज्य सरकार उतना सहयोग नहीं दे रही है जितना देना चाहिये, इस क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि करते रहेंगे।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, कोल इण्डिया लि० को अब तक 700 करोड़ रुपये की हानि हुई है। क्या प्रबन्ध को अधिक अच्छा बना कर इस हानि को कम किया जा सकता था? कोल इण्डिया लि० को समाप्त करने और चार सहायकों को स्वतंत्र संस्थाओं में बदलने के बारे में फजल समिति की सिफारिशों की स्थिति क्या है? कोल इण्डिया लि० को कब सुव्यवस्थित किया जायेगा?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : फजल समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : क्या यह बात सही है कि गिरिडीह क्षेत्र में एक सर्वेक्षण के अनुसार सवा अरब टन कोयले की खान है, ऐसी सूचना मिली है? यदि हां तो उसके विकास और

आधुनीकरण के लिए सरकार के पास कौन सी योजना है ताकि कोयले के उत्पादन में जो ह्रास हुआ है इसको पूरा किया जाये और इससे आर्थिक लाभ उठाया जाये ?

श्री विक्रम महाजन : मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि कोयले का उत्पादन वास्तव में बढ़ गया है। 1980-81 में इस में लगभग एक करोड़ टन की वृद्धि हुई है। वास्तव में कोयले के उत्पादन ने पिछले चार वर्षों में स्थिर था। 1978 में लगभग 1020 लाख टन और 1979 में लगभग 1030 लाख टन और 1980 में लगभग 1040 लाख टन उत्पादन हुआ जबकि इस वर्ष 1130 लाख टन उत्पादन होने जा रहा है। इस प्रकार उत्पादन में लगभग एक करोड़ टन की वृद्धि हुई है यह भी बता दूं कि देश मे इतना पहले कभी उत्पादन नहीं हुआ। अतः उत्पादन में ह्रास होने या ऐसी किसी चीज़ का प्रश्न ही नहीं है। वास्तव में यह कुछ क्षेत्रों में से एकक्षेत्र है। जिसमें पर्याप्त सुधार हुआ है। जहां तक गिरिडीह का सम्बन्ध है, उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है और वास्तव में अन्य कम्पनियों की तुलना में कोल इंडिया लि०, जिसकी अधिकारिता में यह क्षेत्र है, इस बारे में सबसे अधिक अच्छा कार्य कर रहा है।

श्री निरेन घोष : क्या यह सच है कि उत्पादन रजिस्टरों में नहीं दिखाया जाता है ? वास्तव में कम्पनी रजिस्टरों में कम उत्पादन दिखाती है। अन्तर बहुत ही अधिक है .। लाखों टन कोयला चोरी हो जाता है पश्चिम बंगाल के एक विधेयक ने श्री गनी खान चौधरी को इस बारे में लिखा है। परन्तु उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। कोयला एक निर्बाध वस्तु है। प्रबन्धकों ने कर्मकारों को दिये गये अपने वायदे पूरे नहीं किये हैं और प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच सम्बन्ध बिगड़ गये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रबन्धकों की ऐसी चोरी करने वालों के साथ सांठगांठ है। क्या यह सच है कि या नहीं ? उत्पादन बढाने के लिए कोई उपाय नहीं किये जाते। क्या उत्पादन में ह्रास इन्हीं कारणों से हुआ है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने सलाहकार समिति के संसद् सदस्यों से अनुरोध करने का निर्णय किया है कि वे सत्र के पश्चात् वहां पर जायें और स्वयं देखें और हमें रिपोर्ट दें। वे स्थिति को अच्छी तरह से जान सकेंगे। जहां तक श्रमिक कठिनाई का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कोल इण्डिया लिमिटेड़ में श्रमिक कठिनाई रही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है प्रबंधक अभी भूमि का कब्जा नहीं ले सके हैं। जब तक वे नई भूमि का कब्जा नहीं ले लेते तब तक वे नई खानों में कार्य आरम्भ नहीं कर सकते। जब तक नई खानों में कार्य आरम्भ नहीं हो जाता तब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। जहां तक भ्रष्टाचार और अन्य बातों का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया, जब संसद् सदस्य वहां जायेंगे और अपनी रिपोर्ट देंगे तभी हमें सही स्थिति का पता लग सकेगा। उनसे मेरा अनुरोध है कि वह कुछ धीरज रखें।

श्री नीरेन घोष : पश्चिमी बंगाल के विधायक ने आपको लिखा है।

छटी योजना में आकाशवाणी और दूरदर्शन का विकास

*501. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के राज्यवार विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी राशि निर्धारित की गई है तथा खर्च की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद सेन एम० जोशी) : छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों के विकास के लिए निर्धारित की गई राशि और उस पर खर्च होने वाली संभाव्य राशि का राज्यवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखे गए विवरण में दिया गया है ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)
परिव्यय का राज्य-वार आवंटन

1. आकाशवाणी योजनाएं	(लाख रुपयों में) राशि
असम	480.01
आन्ध्र प्रदेश	308.60
बिहार	593.70
गुजरात	255.52
हरियाणा	शून्य
हिमाचल प्रदेश	18.00
जम्मू व कश्मीर	44.00
कर्नाटक	448.14
केरल	शून्य
मध्य प्रदेश	196.33
महाराष्ट्र	294.00
मणिपुर	शून्य
मेघालय	458.62
नागालैंड	शून्य
उड़ीसा	74.00
पंजाब	शून्य
राजस्थान	392.24
तमिलनाडु	575.43
त्रिपुरा	शून्य

उत्तर प्रदेश	626.05
पश्चिम बंगाल	266.67
सिक्किम	202.58
संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	37.00
संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी	शून्य
संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़	100.00
संघ शासित क्षेत्र गोवा	2.20
संघ शासित क्षेत्र मिजोरम	30.00
संघ शासित क्षेत्र अरूणाचल प्रदेश	100.00
संघ शासित क्षेत्र अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	शून्य
संघ शासित क्षेत्र दादर और नागर हवेली	शून्य
संघ शासित क्षेत्र लक्ष द्वीप और मिनिकाय द्वीप समूह	शून्य
कुल :	5503.09
	6735.41

उन योजनाओं के लिए आवंटन जिनकी राशि राज्य-वार सूची में नहीं दी जा सकी ।

2. दूर दर्शन योजनाएं

(लाख रूपयों में)

	राशि
आन्ध्र प्रदेश	296.00
असम	500.00
बिहार	205.50
गुजरात	502.42
हिमाचल प्रदेश	79.28
जम्मू व कश्मीर	2.50
कर्नाटक	626.92
केरल	481.42
महाराष्ट्र	18.50
मध्य प्रदेश	195.30
उड़ीसा	180.00

पंजाब	501.84
राजस्थान	97.48
तमिलनाडु	251.23
उत्तर प्रदेश	974.40
पश्चिम बंगाल	1071.71
संघ शासित क्षेत्र	
दिल्ली	468.00
गोवा	184.42
इनसैट के माध्यम से दूरदर्शन	1250.00
	7886.92

श्री चिरंजीलाल शर्मा : सभा पटल पर रखी गई जानकारी को देखकर मेरा दिल बैठ गया गया है।

मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ है कि आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन योजनाओं के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में हरियाणा और पंजाब के लिए एक पैसे की भी व्यवस्था नहीं की गई है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : महोदय, जहां तक हरियाणा का सम्बन्ध है, यह दिल्ली के इतना निकट है कि इसका अधिकांश क्षेत्र दिल्ली के आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र के अन्तर्गत आ जाता है। जहां तक पंजाब का सम्बन्ध है, दूरदर्शन के लिए 5 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। यह राशि जालंधर और और अमृतसर दूरदर्शन केन्द्रों के लिए आवंटित की गई है। इस से हरियाणा को भी लाभ होगा। अतः हरियाणा दिल्ली और पंजाब दोनों की परिधि में आ जाता है। इस प्रकार हरियाणा को दोहरा लाभ प्राप्त है। इसलिए हरियाणा के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की गई है। अध्यक्ष महोदय, हमें हरियाणा के बारे में आपकी और माननीय सदस्य की उत्सुकता की जानकारी है तथा छठी पंचवर्षीय योजना के वर्तमान उपबन्धों के बावजूद हम हरियाणा के बारे में जो कुछ भी सम्भव होगा, करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : तभी सवाल का जवाब कुमुद जी से दिलवाया है ताकि चोट हलकी पड़े।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : महोदय, माननीय मन्त्री ने जिस ढंग से उत्तर दिया है, उससे स्पष्ट प्रतीत होता है, जैसे हरियाणा दो पाठों के बीच है। मुझे ज्ञात हुआ है कि हरियाणा में

आकाशवाणी के विकास के लिए केवल 5300/- रुपये नियत किये गये हैं। महोदय, एक सप्ताह पूर्व माननीय मन्त्री ने मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हरियाणा में रोहतक स्थित आकाशवाणी केन्द्र का विकास किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई धन खर्च किये बिना भी विकास हो सकता है? उन्होंने 'विकास' शब्द का प्रयोग कैसे किया था, जबकि पंचवर्षीय योजना में किसी राशि का उपबन्ध ही नहीं किया गया है?

श्री बसन्त साठे : हम यह चमत्कार करेंगे।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : श्रीमन्, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। महोदय, इस प्रकार के उत्तर से हमारा मनोरंजन नहीं हो सकता।

महोदय, मैंने हाल में टाइम्स ऑफ इण्डिया में देश में चार नये दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के बारे में समाचार पढ़ा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार, यदि रोहतक में नहीं तो हरियाणा में किसी अन्य स्थान पर, दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी?

श्री बसन्त साठे : महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में हरियाणा में दूरदर्शन केन्द्र का कोई उपबन्ध नहीं है। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है पंजाब तथा दिल्ली के लिए जो कुछ किया जा रहा है, उससे हरियाणा को भी लाभ होगा। इसलिए हरियाणा को उपेक्षित महसूस नहीं करना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, हाल की घटनाओं को देखते हुए मैं मन्त्री महोदय से कोई आश्वासन प्राप्त करना नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या वह इस योजना को कार्यरूप देने के लिए रहेंगे भी।

अध्यक्ष महोदय : आप ज्योतिषी कब से बन गये?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, मेरा नाम स्वामी है। मुझे ज्योतिष सीखने की जरुरत नहीं। मुझे वैसे ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है?

दिल्ली के लिए पांच वर्ष की समूची अवधि के लिए केवल 4.68 करोड़ रुपये का नियतन किया गया है। क्या मन्त्री महोदय को पता है कि दिल्ली का वर्तमान दूरदर्शन केन्द्र मन्डी हाऊस में एक खस्ता हाल इमारत में स्थित है, जो गिरने वाली है। कलाकार रोज शिकायत करते हैं। हर व्यक्ति शिकायत कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या 4.68 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त है? महोदय, दिल्ली देश की राजधानी है और हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि दिल्ली दूरदर्शन के स्टुडियो विश्व के अन्य दूरदर्शन स्टुडियो के समान होने चाहिएं।

श्री बसन्त साठे : महोदय, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं और इस बारे में पहले ही

एक प्रस्ताव है। परन्तु उनके प्रश्न का उत्तर देने से पहले में उनकी भविष्यवाणी के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश में विभिन्न प्रकार के स्वामी हैं और मैं नहीं जानता कि वह किस प्रकार के स्वामी हैं। यदि यह उनकी कल्पना है, तो मुझे कुछ नहीं कहना, फिर भी मैं नहीं जानता कि वह कैसे स्वामी हैं। शायद वह एक अन्तर्राष्ट्रीय स्वामी हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : दूसरे स्वामियों के साथ मेरी तुलना करने का मैं विरोध करता हूं। मैं अपनी योग्यता के आधार पर स्वामी हूं।

अध्यक्ष महोदय : एक विशेष प्रकार के स्वामी, संसद् सदस्य।

एक माननीय सदस्य : वह जन्म से ही स्वामी हैं।

श्री वसन्त साठे : जहां तक दिल्ली केन्द्र का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि मंडी हाऊस परिसर और इमारत खस्ता हालत में है और वस्तुतः उसकी हाल दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। मंडी हाऊस परिसर में एक पूर्णतया नया स्टूडियों बनाने का प्रस्ताव बहुत पहले से है और हमें आशा है कि वह निकट भविष्य पूरा हो जायेगा।

छठी योजनावधि के दौरान बिजली के उत्पादन में वृद्धि करना

*503. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में बिजली के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई (राज्यवार) योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) वर्ष 1981-82 के लिए विभिन्न राज्यों में कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना में 1980-85 की योजना अवधि के दौरान युटिलिटीज में 19666 मेगावाट की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की परिकल्पना है। इसमें 4765 मेगावाट जल विद्युत, 14,208 मेगावाट ताप विद्युत तथा 690 मेगावाट न्यूक्लीय विद्युत क्षमता शामिल है। इन परियोजनाओं के नाम, जिन राज्यों में ये परियोजनाएं स्थित हैं अथवा इन परियोजनाओं पर जिन राज्यों का स्वामित्व है उनके नाम और 1980-85 की अवधि के दौरान प्रत्येक परियोजना से उपलब्ध होने वाले सम्भावित अतिरिक्त लाभ विवरण-1 में दिए गए हैं ;

(ग) 1981-82 के दौरान जिन स्कीमों से अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है उनकी सूची विवरण-2 में दी गई है।

विवरण—1

1980-85 की अवधि के दौरान लाभ हेतु छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 में शामिल की गई विद्युत परियोजनाएं।

क्र० सं०	क्षेत्र/राज्य	परियोजना	1980-85 के दौरान लाभ (मेगावाट)
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
1.	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान (संयुक्त परियोजनाएं)	ब्यास जल विद्युत स्कीम (पोंग) विस्तार युनिट 1 (देहर)	330
2.	पंजाब, हरियाणा, राजस्थान (संयुक्त परियोजनाएं)	ब्यास जल विद्युत स्कीम (विस्तार) युनिट-2 (पोंग)	120
3.	हरियाणा	पानीपत ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट-1	220
4.	हरियाणा	फरीदाबाद ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट-3	60
5.	हरियाणा	पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत स्कीम	48
6.	पंजाब	शानन जल विद्युत स्कीम विस्तार	50
7.	पंजाब	रोपड़ ताप विद्युत केन्द्र	210
8.	पंजाब	नई जल विद्युत स्कीमें	224
9.	हिमाचल प्रदेश	बस्सी जल विद्युत स्कीम विस्तार	15
10.	हिमाचल प्रदेश	बिन्वा जल विद्युत स्कीम	6
11.	हिमाचल प्रदेश	आन्ध्रा जल विद्युत स्कीम	15
12.	हिमाचल प्रदेश	रोंगटोंग जल विद्युत स्कीम	2
13.	राजस्थान	कोटा ताप विद्युत केन्द्र	220
14.	—वही—	माही बजाजसागर जल विद्युत स्कीम	140
15.	उत्तर प्रदेश	ओबरा ताप विद्युत केन्द विस्तार 2 और 3	400

1	2	3	4
16.	—वही—	परिचा ताप विद्युत केन्द	220
17.	—वही—	गढ़वाल-ऋषिकेश जल विद्युत स्कीम	72
18.	—वही—	खोडरी जल विद्युत स्कीम	120
19.	—वही—	मानेरी भाली जल विद्युत स्कीम	90
20.	—वही—	टाण्डा ताप विद्युत केन्द्र	440
21.	—वही—	अनपारा ताप विद्युत केन्द्र	630
22.	केन्द्रीय सेक्टर	बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 5	210
23.	—वही—	बैरा स्यूल जल विद्युत स्कीम	60
24.	—वही—	सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र सोपान-1	630
25.	—वही—	—वही— सोपान-ii	420
26.	—वही—	राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-ii	220
पश्चिमी क्षेत्र			
27.	गुजरात	वानकबोरी ताप विद्युत केन्द्र	630
28.	—वही—	डकई बायों तट नहर जल विद्युत घर	5
29.	—वही—	डकई ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट-5	210
30.	—वही—	कडाना जल विद्युत स्कीम	120
31.	—वही—	वानकबोरी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
32.	मध्य प्रदेश	कोरबा पूर्वी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	120
33.	मध्य प्रदेश	कोरबा पश्चिमी ताप विद्युत केन्द्र	420
34.	—वही—	—वही— विस्तार	420
35.	—वही—	सतपुडा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-2	420
36.	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र	पेंच जल विद्युत स्कीम विस्तार-3	160
37.	महाराष्ट्र	कोराडी ताप विद्युत केन्द्र चरण-3	420
38.	—वही—	भुसावल ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210

1	2	3	4
39.	—वही—	नासिक ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
40.	—वही—	पारली ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
41.	—वही—	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र	420
42.	—वही—	ट्राम्बे ताप विद्युत केन्द्र	500
43.	—वही—	गैस टर्बाइन संयंत्र	240
44.	—वही—	कोयना बांध जल विद्युत घर	20
45.	—वही—	तिल्लारी जल विद्युत स्कीम	60
46.	—वही—	पैथान जल विद्युत स्कीम	12
47.	—वही—	भीरा टेल रेस जल विद्युत स्कीम	80
48.	—वही—	चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
49.	केन्द्रीय सेक्टर	कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र	630
दक्षिणी क्षेत्र			
50.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा ताप विद्युत केन्द्र	210
51.	—वही—	नागार्जुनसागर दायां तट केनाल जल विद्युत स्कीम	60
52.	—वही—	नागार्जुनसागर पम्पड स्टोरेज स्कीम	300
53.	—वही—	डोंकारा ई नहर जल विद्युत स्कीम	25
54.	—वही—	बाली मेला बांध जल विद्युत घर	60
55.	—वही—	श्री सैलम जल विद्युत परियोजना	440
56.	कर्नाटक	काली नदी जल विद्युत स्कीम	775
57.	—वही—	रायचुर ताप विद्युत स्कीम	420
58.	केरल	इदामलायार जल विद्युत स्कीम	75
59.	—वही—	ककाड जल विद्युत स्कीम	50
60.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र	210
61.	—वही—	सरवालार जल विद्युत स्कीम	20
62.	—वही—	कदमपराई पम्पड स्टोरेज स्कीम	400
63.	केन्द्रीय सेक्टर	रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र	630

1	2	3	4
64.	—वही—	नेवेली ताप विद्युत केन्द्र	420
65.	—वही—	कलपक्कम परमाणु विद्युत परियोजना	470
पूर्वी क्षेत्र			
66.	बिहार	स्वर्णरेखा जल विद्युत स्कीम	65
67.	—वही—	पतरातू ताप विद्युत केन्द्र विस्तार-4	220
68.	—वही—	बरौनी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट 6 और 7	220
69.	—वही—	मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र	221
70.	उड़ीसा	तलचेर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	220
71.	—वही—	रेंगाली जल विद्युत स्कीम	100
72.	—वही—	अपर कोलाब जल विद्युत स्कीम	240
73.	पश्चिमी बंगाल	संथालडीह ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-4	120
74.	—वही—	जलढाका जल विद्युत स्कीम चरण-ii	8
75.	—वही—	बन्डेल ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	210
76.	—वही—	कोलाघाट ताप विद्युत केन्द्र	630
77.	—वही—	रम्मन जल विद्युत स्कीम	50
78.	—वही—	दुर्गापुर परियोजना लि० ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	110
79.	—वही—	क० ई० स० कं० ताप विद्युत केन्द्र	240
80.	दामोदर घाटी निगम	दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र यूनिट-4	210
81.	—वही—	बोकारो "ख" ताप विद्युत केन्द्र	210
82.	—वही—	पंचेत हिल जल विद्युत स्कीम	40
83.	केन्द्रीय सेक्टर	फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र	210
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
84.	असम	बोंगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र	120
85.	—वही—	लकवा गैस टर्बाइन परियोजना	45
86.	—वही—	नामरूप में अपशिष्ट ऊष्मा संयंत्र	45

1	2	3	4
87.	—वही—	लोअर बोरपानी जल विद्युत स्कीम	50
88.	—वही—	बोंगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	120
89.	—वही—	चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार	30
90.	—वही—	मोबाईल गैस टर्बाइन यूनिट	21
91.	नागालैण्ड	डिखु जल विद्युत स्कीम	1
92.	त्रिपुरा	गुमटी जल विद्युत स्कीम यूनिट-iii	5
93.	केन्द्रीय सेक्टर	लोकतक जल विद्युत स्कीम	105
94.	उत्तर-पूर्वी परिषद	कोपीली जल विद्युत स्कीम	150
		जोड़ (युटिलिटी)	19666

वे विद्युत परियोजनाएं जिनसे 1981-82 के दौरान लाभ प्राप्त होने की आशा है ।

क्षेत्र/राज्य/स्कीम	1981-82 के दौरान लाभ (मेगावाट)
1	2
1. उत्तरी क्षेत्र	
पंजाब	
शानन विस्तार (ज० वि०)	50
उत्तर प्रदेश	
ओबरा विस्तार (ता० वि०)	200
केन्द्रीय क्षेत्र	
बैरा स्यूल (च० वि०)	60
चदरपुर विस्तार (ता० वि०)	210
सिंगरौली-1 (ता० वि०)	210
उप-जोड़ (1)	730

1		2
2. दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश		
नागार्जुन सागर (ज० वि०)		100
श्रीशैलम (ज० वि०)		220
डोंकराई (ज० वि०)		25
तमिलनाडु		
तूतीकोरिन यूनिट 3 (ता० वि०)		210
कर्नाटक		
कालीनदी-1 (ज० वि०)		270
केन्द्रीय क्षेत्र		
कलपक्कम (न्यूक्लीय)		235
	उप-जोड़ (2)	1060
3. पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात		
बानकबोरी (ता० वि०)		420
महाराष्ट्र		
कोराडी चरण तीन यूनिट 6		210
उरण गैस (ता० वि०)		120
	उप-जोड़ (3)	750
4. पूर्वी क्षेत्र		
दा० घा० नि०		
दुर्गापुर (ता० वि०) यूनिट 4		210
उड़ीसा		
तलचेर विस्तार (ता० वि०) यूनिट 5		110
पश्चिमी बंगाल		
बंडेल विस्तार (ता० वि०)		210
	उप-जोड़ (4)	530

5. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र

असम

बोंगाईगांव विस्तार (ता० वि०)	60
नामरूप वेस्ट (ता० वि०)	22
लकवा गैस (ता० वि०)	15
मोबाइल गैस (ता० वि०)	12
उप-जोड़ (5)	109
कुल जोड़ अखिल भारत	3179 मेगावाट

टिप्पणी : ज० वि० —जल विद्युत
ता० वि० —ताप विद्युत

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, छठी पंचवर्षीय योजना काल में जल विद्युत, ताप विद्युत और न्युक्लियर विद्युत से 19,666 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है, सरकार परिकल्पना कर रही है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पीरियड में ...

प्रो० मधु दंडवते : "परिकल्पना" यानी "परी" के बारे में 'कल्पना"।

अध्यक्ष महोदय : कभी-कभी तो उड़ान लेने दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : इसके बारे में मैं यह जानना हूं कि इस पंचवर्षीय योजना के काल में हमारे देश में विद्युत की, बिजली की कितनी आवश्यकता होगी ? क्या इसकी भी परिकल्पना आपने की है ? अगर की है, तो उसके बारे में राज्यवार ब्योरा दें, जो भी स्थिति हो, वह देने की कृपा करें ?

श्री विक्रम महाजन : मैं ब्योरा दूंगा। हमारे पास कुछ आकड़े है किन्तु शायद वह अधिक व्यापक ब्योरा चाहते हैं। मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, योजना बनाने वाले आवश्यकता को भी आकते हैं, इन्होंने भी जरूर आंका होगा कि पांच साल में हमारे देश मे बिजली की कितनी आवश्यकता होगी ?

अध्यक्ष महोदय : एकार्डिंग टू-दि एक्सपैक्टेड डिमांड होता है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह पूछना चाहता हूं कि बताने की स्थिति में क्यों नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि मैं पूरा विवरण बाद में दूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मोटा-मोटा ही बता दें कि इतनी आवश्यकता होगी। इन्होंने बताया कि पैदा करेंगे, लेकिन इसका आधार क्या होगा, क्या आवश्यकता है और आपकी क्षमता कितनी हो सकती है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न में उत्तर देने लायक कुछ अधिक बात नहीं है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : कुछ बातों पर असहमति है। योजना आयोग का सोचने का तरीका और है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का सोचने का तरीका कुछ और है तथा विभिन्न राज्य विद्युत बोर्ड कुछ और तरीके से ही सोचते है। अतः पूर्ण आकड़े आज ही प्रस्तुत करना हमारे लिए सम्भव नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : दूसरा प्रश्न—इन्होंने बिहार की भी चर्चा की है। इन्होंने चार योजनाओं का—स्वर्ण रेखा जल विद्युत स्कीम, पतरातू विद्युत केन्द्र विस्तार-4, बरौनी ताप विद्युत केन्द्र विस्तार, यूनिट 7 तथा 6, तथा मुजफ्फरपुर ताप विद्युत केन्द्र, उल्लेख किया है, इन चारों को मिला कर इनकी योजना 725 मेगावाट बिजली तैयार करने की है।

अध्यक्ष जी, बिहार में बिजली सबसे कम हैं, वहां की स्थिति को आप स्वयं भी जानते हैं। लेकिन इससे भी दुख की बात यह है कि 1981-82 में जो लाभ हो सकता है, उसके लिए अन्य राज्यों के बारे में कहा गया है कि अमुक-अमुक लाभ होगा, लेकिन बिहार के बारे में इसमें कोई कोई लाभ अंकित नहीं किया गया है—इसका क्या कारण है ? क्या बिहार में एक साल में, 1981-82 मे, कोई लाभ होने की सम्भावना नही देखी है, यदि नहीं देखी है तो उसका कोई कारण तो होगा, उन कारणों को ही बतला दीजिये ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं—आप ने देश में सौर्य-ऊर्जा, सूरज से बिजली पैदा करने के बारे में कहीं जिक्र नही किया हैं। क्या भारत सरकार इसके बारे में कुछ सोच रही है, यदि सोच रही है तो कहां तक पहुंची है ?

श्री ए० बी ए० गनी खान चौधरी : सौर ऊर्जा और ज्वार ऊर्जा पर अभी परिक्षण चल रहा है। अतःऐसी स्थिति में हम नहीं समझते कि इनसे हमारे देश की विद्युत् की मांग काफी हद तक पूरी की जा सकती है। यह कारण है कि ताप विद्युत और जल विद्युत पर ज्यादा जोर से रहे है। इसीलिए हमने केवल ताप् और जल विद्युत की बात की है।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमने केवल यह कहा है कि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हमें अमुक अमुक लाभ होने जा रहे हैं। वास्तविकता यह है कि हमने दस वर्षीय योजन बनाई है। अतः हमने आपको यहां जो बताया है वह यह है कि छठी पंचवर्षीय योजना की स्कीमों के अन्तर्गत हमें अमुक अमुक लाभ होने जा रहे हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : 1981-82 के आंकड़े तो आप दे ही चुके हैं। किन्तु बिहार की क्या स्थिति है ? आपने उसके बारे में कुछ नहीं कहा है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : छठी पंचवर्षीय योजना के लिए हमें फरक्का में से भी हिस्सा मिलेगा। हम कहलगांव में भी एक केन्द्र बना रहे हैं। हम उसे बहुत राशि खर्च कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं पूछ कुछ रहा हूं, बता कुछ रहे हैं। 1981-82 के बारे में इन्होंने सब राशियों का बतलाया है, बिहार के लिए क्यों नहीं बतला रहे हैं?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधर : 1981-82 के लिए कुछ नहीं है। 1982-83 के लिए कुछ है।

श्री कमल नाथ : गत सप्ताह, पिछले मंगलवार, सभा पटल पर एक विवरण रखा गया था। वैसा ही विवरण इस बार भी प्रस्तुत किया है। मैंने पिछली बार बताया था कि विवरण में किसी तरह से छिन्दवाडा जिले की पेंच ताप परियोजना का नाम रह गया है विवरण या तो अपूर्ण है या अशुद्ध। मंत्री महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा था कि परियोजना कार्यालय खोल दिया गया है तथा परियोजना का काम प्रगति पर है मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय वैसा ही आश्वासन अब भी दे क्योंकि इस बार भी जो विवरण प्रस्तुत किया गया है उसमें उस विशेष परियोजना का नाम नही हैं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य भ्रान्ति में पड़ गए हैं यह सूची उन लाभों के बारे में है जो छठी पंचवर्षीय योजना में होने वाले हैं जहां तक उन की स्कीम के सम्बन्ध से सातवीं पंचवर्षीय योजना में लाभ होगा। (व्यवधान)

श्री कमल नाथ : यह तथ्य गत मंगलवार दिये गये ब्यान से बिल्कुल भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : उम्मीद-बर-जहां-कायम-अस्व...

श्री कमल नाथ : सात दिनों में, यह सातवीं योजना में चली गई है।

श्री विक्रम महाजन : मानीय सदस्य उलझ गये है। उन्होंने लाभ के बारे में कहा है। (व्यवधान) निर्माण-छठी योजना में आरम्भ होगा। मंत्री महोदय ने भी यही कहा है। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री : यदि आप उत्तर दें तो अच्छा है। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। रेलवे में बिजली की कमी होने के कारण वह लगातार यह मांग करती है कि उसे कैप्टिव बिजली घर स्थापित करने और दर्जा बढ़ाने की अनुमति दी जाए। मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि क्या योजना आयोग नेकैपटिव बिजली घरों की अनुमति दे दी है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे इसकी जानकारी हमारे पास नहीं पहुंची है। (व्यवधान)

प्रो० श्री मधु दण्डवते : क्या यह आम उत्तर है कि 'उन्हें कोई जानकारी नहीं है'। मैं विशेष रूप से कैपिटिल बिजली घरों क बारे में प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह मेरे पास नहीं आई है। मैं नहीं जानता कि क्या वे योजना आयोग से बातचीत कर रहे हैं या नहीं।

दिल्ली दूरदर्शन पर मनोरंजन की नई आइटमें

*504. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा**
श्री एच० एन० गौडा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली दूरदर्शन को कम उबाऊ बनाने के लिए कोई प्रयत्न किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो मनोरंजन की कौन-सी नई आइटमें आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) अधिक रोचक कार्यक्रम शुरू करने और दूरदर्शन प्रस्तुतीकरणों के समूचे स्तर में सुधार करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) दर्शकों की रुचि को पूरा करने के लिए दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली ने हाल ही में निम्नलिखित मनोरंजनोन्मुखी कार्यक्रम शुरू किए हैं :—

(1) **त्रिवेणी** : एक पाक्षिक संगीत विविध शो जिसमें युवा प्रतिभा उदाहरणत: गायक, नृतक, इत्यादि भाग लेते हैं।

(2) **व्यंग रूपक** : देश के कुछ सामयिक सामाजिक/आर्थिक मुद्दों पर एक पाक्षिक हिन्दी व्यंग रूपक।

(3) **मनोरंजन** : एक फिल्म आधारित पाक्षिक कार्यक्रम।

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में सुप्रशिक्षित और गुणी व्यक्ति नहीं है जो शिक्षात्मक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करने के साथ साथ मनोरंजन भी कर सकें; यदि हां, तो क्या सरकार इसे और अधिक दर्शनीय बनाने के लिए ऐसे कर्मचारी रखने की बात पर विचारकर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : हम दूरदर्शन कार्यक्रम को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सुधार सदा आवश्यक होता है और सुधार करने के लिए सदा

आवश्यकता बनी रहती है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, हमने टेलीविजन क्लब स्थापित करने की प्रणाली आरम्भ की है। इस समय दिल्ली में 15 टी०वी० क्लब पहले ही हैं। दर्शकों की प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक रही है मैं दूरदर्शन में रुचि रखने वाले संसद सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे हमें सुझाव दें कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। कार्यक्रम में सुधार करने के लिए हम इन सभी चीजों का ध्यान रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : जिनके पास नहीं है, वे कैसे देखेंगे ?

श्री वसंत साठे : वे ले लें ।

श्री डी० एम० पुत्ते गौड : बहु-चैनल टेलीविजन कब चालू किया जायेगा जिससे भारत के किसी भी अन्य केन्द्र का कार्यक्रम देखा जा सके ?

श्री वसंत साठे : अतिरिक्त चैनल का प्रश्न अभी विचाराधीन है । सरकार इस पर विचार कर रही है । जब यह हो जायेगा तो मेरे विचार में, दर्शक दूरदर्शन पर अधिक कार्यक्रम देख सकेंगे ?

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री से इस सभा में योग्यता और मनोरंजन के के बारे मे जानना चाहता हूं । वह कैसे उपयोग करेंगे ?

श्री वसंत साठे : मैं जानता हूं कि कई संसद सदस्य प्रतिभा सम्पन्न हैं, यदि वे आगे आयेंगे और अपनी सेवायें अर्पित करेंगे, तो उनके गुणों का भी अवश्य उपयोग किया जायेगा ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन

*505. **श्री जेवियर अराकल** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार न्यायिक सेवा की अखिल भारतीय सेवा संवर्ग बनाने का है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की निम्न न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने का अनुदेश दिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) सरकार इस संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श करके यथा सम्भव शीघ्र कोई निर्णय करेगी ।

(ख) राज्यों में कार्य कर रहे निम्न न्यायिक अधिकारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने का काम राज्य सरकारों का है ।

श्री जेवियर अराकल : मेरा तारांकित प्रश्न संख्या 296 भी एक ऐसे ही मामले के बारे में था इस देश में न्याय खरीदा और बेचा जाता है। मैंने यह भी कहा था कि आप लोग न्याय नहीं पा सकते : 1,40,000 में से मोटे रूप से 79,000 कैदी विचारण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसी से इन न्यायिक अधिकारियों की समस्या की जटिलता का पता चल जायेगा। इस प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है वह उसी प्रकार का है जैसा कि एक अन्य प्रश्न के उत्तर में दिया गया था इसे ध्यान में न रखते हुए, क्या सरकार इस मामले में कुछ कर सकती है जिससे निम्न न्यायिक अधिकारियों को अधिक सुविधाएं देकर और उनकी संख्या बढ़ाकर मामलों को तेजी से निपटाया जा सके ?

श्री पी० शिव शंकर : जो प्रश्न पूछा गया है वह केवल अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के संदर्भ में है और उसका दूसरा भाग निम्न न्यायिक अधिकारियों की सेवाशर्तों के सम्बन्ध में है जिससे केवल राज्य सरकारें ही सम्बन्धित हैं। परन्तु मेरे मित्र कैदियों की बुरी दशा के पहलू को भी बीच में ले आये हैं और इसे मामलों को तेजी से निपटाने के साथ जोड़ दिया है। जहां तक तेजी से मामले निपटाने का प्रश्न है, मै कई बार कह चुका हूं कि जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, वह इस मामले में पूरा प्रयत्न कर रही है। समय समय पर विभिन्न सिफारिशें की जाती रही हैं। इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जा रहा है और जैसा कि मैं एक अन्य प्रश्न के उत्तर में पहले कह चुका हूं कि मामले की तेजी से निपटाने के लिए उपाय और साधनों का पता लगाने तथा इस प्रश्न पर विचार करने के प्रयोजन के लिए एक न्यायिक सुधार समिति भी बनाई जा रही है।

श्री जेवियर अराकल : उत्तर है : "राज्य सरकारों से परामर्श करके" संघ राज्यक्षेत्रों का भी हवाला है। यह कहा जाता है कि नियति बड़े को बड़ा बनाती है और छोटे को छोटा। न्यायिक सेवा के निम्न संवर्ग के वेतन और अन्य सेवाशर्तों को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस देश में कम से कम संघ राज्य क्षेत्रों में अखिल भारतीय सरूप प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, निम्न स्तर पर न्यायिक ढांचे के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं। जहां तक दिल्ली में ऐसे अधिकारियों का सम्बन्ध है, इस मामले की ओर ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली में निम्न न्यायिक सेवा के कुछ अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करके उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया गया है। यह एक प्रक्रिया है जो आरम्भ कर दी गई है। यद्यपि संघ राज्यक्षेत्रों के सम्बन्ध में निम्न न्यायपालिका स्थानीय प्रशासन से सम्बन्धित है तथापि जहां तक मंत्रालय का सम्बन्ध है, वह उनकी शर्तों को अधिक अच्छा बनाने का समय समय पर प्रयत्न करता रहा है।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है कि इस सेवा की शर्तों में सुधार करने का काम राज्य सरकारों का है। यह ठीक है। परन्तु माननीय विधि मंत्री ने निम्न

न्यायपालिका के बारे में अथवा मत व्यक्त किया है और आपके माध्यम से मैं उनका ध्यान उनकी उस कथन की ओर दिलाना चाहता हूं जो दिल्ली के श्री डी० आर० खन्ना के एक लेख में दिया गया है। यह कहा गया है कि माननीय मंत्री ने कहा था :

"जिस तंगी में उन्हें रहना पड़ रहा है उसके बावजूद, विधि मंत्री ने अधीनस्थ न्यायपालिका को भ्रष्ट बता कर उसकी खुलेआम घोर निन्दा की। उन्होंने बिना किसी तर्क-वितर्क यह भी कहा कि यदि वे समझते हैं कि अन्यत्र चपरासियों को अच्छा वेतन मिलता है, तो वे पदत्याग कर वहां जा सकते हैं।"

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा—क्योंकि इससे कई न्यायिक अधिकारियों को ठेस पहुंची है—क्या यह उनका अपना मत है या यह सरकार का मत है? दिल्ली उच्च न्यायालय के श्री डी०आर० खन्ना का यह लेख ए० आई० आर० में प्रकाशित हुआ है। यह एक गम्भीर बात है।

श्री पी० शिवशंकर : मेरे मित्र ने इस समूची धारणा को समझने में कुछ भूल की है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, परन्तु यह तो मेरे से पहले जो मंत्री थे उन्होंने कहा था। शायद उन्हें पता नहीं है कि यह किसने कहा था। यह तो एक दुःख की बात है कि·····(व्यवधान)

श्री बापूसाहिब परूलकर : सितम्बर 1980 में आप ही विधि मंत्री थे?

श्री पी० शिव शंकर : जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने यह कभी नहीं कहा। यह वक्तव्य तो मेरे से पहले किसी मंत्री ने दिया था और जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैंने पटना में सितम्बर, 1980 को कहा था कि अपना काम निकलवाने में लोगों के लिए निम्न न्यायपालिका के कर्मचारी बड़े बाधक हैं। मैंने यही कहा था और उसमें सुधार भी किया गया था। न्यायिक अधिकारियों द्वारा पदत्याग कर चपरासी का काम सम्भालने की जिस बात का हवाला दिया गया है, वह तो मेरे से पहले के मंत्री से सम्बन्धित हैं। मुझे इस वक्तव्य पर खेद है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रानीगंज टाउन का असुरक्षित घोषित किया जाना

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर)
श्री सकर मुखर्जी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खनन प्राधिकरण ने रानीगंज टाउन को दिनांक 19/22 जून, 1979 के अध्यादेश के द्वारा घोषित किया हैं;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि अध्यादेश के कारण ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ई० सी० एल०) द्वारा रानीगंज क्षेत्र में एक लाख नए शरणार्थी बना दिये जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो भूमि के संभावित धसाव को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) (क) जी हां, । हमें खान सुरक्षा महानिदेशक ने सूचित किया है कि उन्होंने आसनसोल कोयला क्षेत्र के कुछ इलाकों में व्याप्त असुरक्षित दशाओं को ओर पश्चिमी बंगाल सरकार के स्थानीय प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। पश्चिमी बंगाल सरकार'ने ऐसे 25 इलाकी को असुरक्षित घोषित कर दिया है और रानीगंज नगर इनमें से एक है।

(ख) इह घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिमी बंगाल असुरक्षिम इलाकों में निर्माण पर प्रतिबंध अधिनियम, 1979 बनाया है। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल में खानों में काम होने या अन्य कारणों से असुरक्षित पाए गये इलावों में नये निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाने के लिए है। इस अधिनियम में संबद्ध इलाके की खाली करने की व्यवस्था नहीं है बल्कि नये निर्माण पर प्रतिबंध ही लगाया गया है।

(ग) आबादी वाले शहरों के नीचे से कोयला निकालने की पद्धति कुछ विदेशों में भी अपनाई गई है। हमने इस समस्या का अध्ययन करने और इस संबंध में उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए पोलेंड से एक विशेषज्ञ को सेवाएं मांगी है।

फास्फेट तथा सम्बद्ध उत्पादनों के उत्पादन के लिये विदेशी सहयोग

*502. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(च) क्या राज्य सरकारों के मुख्य उपक्रमों ने, फास्फेट और उससे सम्बद्ध उत्पादनों के लिए देश में ही तत्संबंधी प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने के बावजूद विदेशी सहयोग प्राप्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) फास्फेटिक उर्वरक के निर्माण के क्षेत्र में किसी भी राज्य सरकार की उपक्रम ने विदेशी सहयोग का प्रस्ताव पेश नहीं किया है ;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय फिल्मों का विदेशों में प्रदर्शन

*506. श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी)
श्री एन०ई० होरो) : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशों में भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन के मामले में कोई नियत्रण अथवा पर्यवेक्षण है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी फिल्में भारत में बनाई गई जिनको 1980-81 में विदेशों में प्रदर्शित किए जाने की अनुमति दी गई थी; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी फिल्मों पर प्रतिबन्ध लगाया गया और ऐसी फिल्मों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) : विदेशों में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन उस देश के कानूनों द्वारा विनियमित होता है जिसमें ये फिल्में दिखाई जाती है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीददारों के बीच फिल्म निर्यात संविदाओं को स्वीकृत किए जाने तथा स्वीकृत संविदाओं के आधार पर निर्यात कैनेलाइजिशन के अन्तर्गत पोत लदान दस्तावेज पास किये जाने के अलावा, भारतीय फिल्मों के विदेशों में निर्यात या प्रदर्शन पर कोई अन्य नियंत्रण या पर्यवेक्षण नहीं है।

2. विदेश मंत्रालय भी विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के माध्यम से गैर-वाणिज्यिक प्रचार के लिए डाकुमैंट्री/फीचर फिल्मों खरीदता है। विदेश मंत्रालय द्वारा उन डाकुमैंट्री फिल्मों, जो विदेशों में स्थित मिशनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है, का चयन मोटे तौर पर सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हुई प्रगति पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भारत और इसकी समृद्ध विरासत की तथा भारत में हो रहे विभिन्न घटनाक्रमों की बहतर समझबूझ और मूल्यांकन को बढ़ावा देने के विचार से किया जाता है।

3. वर्ष 1980-81 के दौरान, निर्यात कैनेलाइजेशन के अन्तर्गत देश-बार 1515 भारतीय फीचर फिल्मों को पोत लदान के लिए पास किया गया। इस अवधि के दौरान, विदेश मंत्रालय ने विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के माध्यम से गैर-वाणिज्यिक प्रचार के लिए फिल्म प्रभाग द्वारा बनाई गई 83 डाकुमेंट्री फिल्मों की 320 प्रिण्टें और 13 फीचर फिल्में खरीदी। विदेशों में निर्यात या प्रदर्शन के लिए सरकार द्वारा किसी भी फिल्म (फीचर या डाकूमेंट्र) पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। तथापि, विदेश मंत्रालय ने विदेशों में स्थित अपने मिशनों द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए "दे काल मी चमार", "अराइवल", इनसल्ट टु सिविलाइजेशन" और "विवकसैंड" नामक चार डाकुमेंट्री फिल्मों की प्रिण्टें न खरीदने का निर्णय लिया, क्योंकि उनका विचार था कि ये फिल्में भारत की अप्रतिष्ठाजनक, नकारात्मक और अत्यधिक आलोचनात्मक रूप में प्रतिबिम्बित करती।

"हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट" का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन

*507. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने डा० ताराचन्द लिखित पुस्तक "हिस्ट्री आफ दि फ्रीडम मूवमेंट" को अंग्रेजी में प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे किसी अन्य भारतीय भाषा में भी प्रकाशित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसे किन-किन भाषाओं में प्रकाशित किया गया है और ऐसी प्रत्येक भाषा में इसका प्रकाशन किस-किस वर्ष में हुआ है;

(घ) शेष भारतीय भाषाओं जिन्हें आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है, में इसका प्रकाशन किस तारीख तक किया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) उक्त पुस्तक को प्रत्येक मान्यता प्राप्त भारतीय भाषा में प्रकाशित करने के प्रबन्ध कितनी जल्दी किए जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उक्त पुस्तक हिन्दी में दो खंडों में प्रकाशित की गई है। पहला खंड 1965 में प्रकाशित किया गया था और दूसरा 1969 में।

(घ) से (च) फिलहाल इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मध्य प्रदेश में नये पेट्रोल पम्प

*509. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 में मध्य प्रदेश में कितने नये पेट्रोल पम्प स्थापित किए जायेंगे और वे कहां-कहां होंगे; और

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण के अधीन मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर बनाये गये जाने वाले पम्पों का आबंटन कर दिया गया है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 1980-81 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा मध्य प्रदेश में 18 नए फुटकर बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल पम्पों) की स्थापना के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। यह स्थान हैं :—

रतलाम (2)	जौरा	नरसिंह गढ़
छुरी	मन्दा	
मल्यान	सिलबनी	

बेकुठपुर	लसुदिया
छिलपी	दतिया
अमानाधा	ग्वालियर
दर्री	मिसरोद
इसागढ़	रायपुर (रिंग रोड)

(ख) उपर्युक्त स्थानों में से मिसोर्ड स्थान अनुसूचित जाति, माल्थान, नरसिंह गढ़ और नग्दा अनुसूचित जन जातियों तथा लसुदिया और दतिया युद्ध में अपंग हुए सुरक्षा कार्मिकों और युद्ध मे मारे गये सैनिकों की विधवाओं (डी० डी० पी०) के लिए आरक्षित किए गए हैं। वर्तमान नीति में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

भारतीय तेल निगम द्वारा अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के यात्रा पर आए शिष्टमंडल से अपनी सेवाएं देने की पेशकश

*510. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के यात्रा पर आए शिष्टमंडल से तकनीकी और वाणिज्यिक क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके प्रति शिष्ट मंडल का क्या रवैया रहा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पेट्रोलियम के क्षेत्र में इन्डियन आयल कारपोरेशन की सामर्थ्य के बारे में ओ० ए० पी० ई० सी० प्रतिनिधि मंडल को सूचना दे दी गई थी।

(ख) प्रतिनिधिमंडल ने इन्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा प्राप्त की गई प्रगति पर प्रसन्नता प्रकट की।

आकाशवाणी के भोपाल और इन्दौर केन्द्रों से धीमी आवाज में प्रसारण

*511. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में शिकायतें मिली हैं कि आकाशवाणी के भोपाल और इन्दौर केन्द्रों से प्रसारित कार्यक्रम तथा विविध भारतीय कार्यक्रम धीमी आवाज में सुनाई देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) इन केन्द्रों की वर्तमान प्रसारण क्षमता कितनी है; और

(घ) क्या सरकार इनकी प्रसारण क्षमता में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) : सरकार को इस स्वरूप की कोई शिकायत हाल ही में प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती।

(ग) आकाशवाणी, भोपाल में प्राथमिक चैनल के लिए 1 किलोवाट मीडियम वेव का एक ट्रांसमीटर और 10 किलोवाट शार्टवेव का एक ट्रांसमीटर तथा विविध भारती सेवा के लिए 1 किलोवाट मीडियम वेव का एक ट्रांसमीटर है। आकाशवाणी, इन्दौर प्राथमिक चैनल के कार्यक्रमों को 10 किलोवाट मीडियम वेव के ट्रांसमीटर पर और विविध भारती सेवा को 1 किलोवाट मीडियम वेव के ट्रांसमीटर पर प्रसारित करता है।

(घ) आकाशवाणी के इन्दौर केन्द्र की प्रेषण शक्ति बढ़ाने का इस समय कोई विचाराधीन प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भोपाल के ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने के लिए एक अधिशेष ट्रांसमीटर का पुनः उपयोग करने की 1980–85 की "योजना" में एक स्कीम शामिल की गई है।

अखबारी कागज की कमी

*512. श्रीमती कृष्णा साही : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कमी पूरी करने के लिए अखबारी कागज की राशनिंग पद्धति लागू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) देश में अखबारी कागज के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जबकि नेपा मिल्ज की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, केरल अखबारी कागज परियोजना और मैसूर पेपर मिल्स द्वारा क्रमशः 1981-82 और 1982-83 में वाणिज्यिक निर्माण शुरू किए जाने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश और तमिल नाडु में अखबारी कागज परियोजनाओं की स्थापना के लिए आशय पत्र भी जारी किए जा चुके हैं।

नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन का चेयरमैन-सह-मैनेजिंग डायरेक्टर

*513. श्री मनोरंजन भक्त : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व भर में ऊर्जा की कमी को देखते हुए सरकार देश में पन-बिजली ऊर्जा उत्पादन को अत्यधिक प्राथमिकता दे रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पन-बिजली ऊर्जा का विकास करने वाली मुख्य एजेन्सी नेशनल हाईड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन-सह-मैनेजिंग डायरेक्टर गत वर्ष जून में सेवानिवृत्त हुए थे और उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति हेतु सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड ने गत वर्ष अक्तूबर में किसी समय साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की थी; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस निगम में एक कार्यपालिक चेयरमैन-सह-मैनेजिंग डायरेक्टर ही पदभार क्यों संभाले हुए हैं और सरकार का विचार वहां एक स्थायी चेयरमैन-सह-मैनेजिंग डायरेक्टर कब नियुक्त करने का है ?

ऊर्जा मन्त्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : उपयुक्त पूर्णकालिक अध्यक्ष का चयन करने का प्रश्न सक्रिय रूप से विचाराधीन है ताकि मामले में शीघ्र निर्णय लिया जा सके।

चुनावों पर काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग के सुझाव

*514 श्री नरसिंह मकवाणा : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनावों में "काले धन" के इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं ;

(ख) इनमें से कितने सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है और कितने सुझाव विचाराधीन हैं और उन पर कब तक निर्णय लिया जाएगा ;

(ग) क्या चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार द्वारा इसके अलावा कोई अन्य उपायों पर विचार किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) निर्वाचनों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग ने जो विभिन्न सुझाव दिए थे उनकी ओर उसने ध्यान दिलाया है। निर्वाचनों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए निर्वाचन आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(1) राजनैतिक दलों का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए और उनसे विधि द्वारा अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपने लेखाओं का निर्वाचन आयोग के प्राधिकार के अधीन नियतकालिक रूप से निरीक्षण कराएं तथा उनकी लेखा परीक्षा कराएं और उन्हें चाहिए कि वे अपने लेखे का एक विवरण निर्वाचन प्राधिकारियों के पास नियतकालिक रूप से फाइल करें। इस विवरण में उनकी आय और व्यय के ब्यौरे दिए जाने चाहिए।

(2) राजनैतिक दलों की कम्पनियों द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाले सभी संदानों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

(3) यह प्रतिषेध होना चाहिए कि (अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को छोड़कर) कोई व्यक्ति या कोई क्लब, संगठन, सोसायटी आदि निर्वाचन व्यय न करे। किन्तु राजनैतिक दल ऐसा व्यय कर सकते हैं।

(4) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 में लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1974 और निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा किए गए संशोधन निकाल दिए जाने चाहिए और कंवर लाल गुप्त बनाम अमर नाथ चावला (ए० आई० आर० 975 एल० सी० 308) के मामले में दिए गए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पूर्व विधि की जो स्थिति थी वह पुनः कायम की जाये।

(5) निर्वाचन विधि के अधीन "निर्वाचन व्यय" की परिभाषा में ऐसे सभी व्यय सम्मिलित किए जाने चाहिए जो निर्वाचन से पूर्व, उसके दौरान या उसके पश्चात किए हों या प्राधिकृत किए गए हों।

(6) अभ्यर्थियों द्वारा विनिर्दिष्ट संख्या से अधिक संख्या में यानों के उपयोग पर रोक लगा दी जानी चाहिए।

(7) मतदाताओं को लाने, ले जाने के लिए यानों के अवैध रूप से भाड़े पर लेने या प्राप्त करने के संशेय अपराध बनाया जाना चाहिए। मतदान के दिन यानों के आने जाने को विनियमित किया जाना चाहिए।

(8) अभ्यर्थियों द्वारा राजनैतिक दलों, व्यक्तियों, अभ्यर्थियों द्वारा या संगठनों द्वारा अंधाधुंध पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर रोक लगाई जानी चाहिए और प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी अभ्यर्थिता के बारे में केवल एक पोस्टर जारी करने की अनुज्ञा दी जाए।

(9) मतदान के दिन और उससे 24 घंटे पूर्व मदिरा, स्वापक औषधियों आदि के विक्रय पर रोक लगाई जानी चाहिए।

(10) मतदाताओं को पहचान पर्चियां जारी करने के लिए मतदान केन्द्रों के निकट अभ्यार्थियों के बूथ स्थापित करने के लिए रोक लगाई जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का धीरे-धीरे राज्य पर डाला जाना चाहिए और आरम्भ में अभ्यर्थियों को सरकारी खर्च पर कुछ सुविधाएं दी जानी चाहिए जैसे कि (1) निर्वाचक नामावलियों की कुछ प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना, (2) मतदाताओं की पहचान पर्चियों का वितरण करने के लिए मतदान केन्द्रों के निकट अभ्यर्थियों के उपयोग के लिए सरकारी खर्च पर बूथ स्थापित करना, (3) अभ्यर्थियों के निर्वाचक अभिकर्ताओं को कुछ दैनिक भत्तों का दिया जाना, (4) मान्यता प्राप्त प्रत्येक राजनैतिक दल के लिए कुछ पोस्टरों का सरकारी खर्च पर मुद्रण।

आयोग ने राजनैतिक दलों को विधि द्वारा विहित कतिपय शर्तों और अपेक्षाओं के पूरा करने पर आर्थिक सहायता के अनुदान की सिफारिश भी की है।

(ख) आयोग के सुझाव निर्वाचन संबंधी उन व्यापक प्रस्तावों के भाग हैं जिन पर सरकार इस समय विचार कर रही है। इस दृष्टि से कि प्रस्तावों पर न केवल सावधानी पूर्वक विचार किया जाना है बल्कि राज्य सरकारों तथा राजनैतिक दलों से भी परामर्श किया जाना है, यह बताना संभव नहीं है कि इस विषय में कब तक निश्चय किया जाएगा।

(ग) और (घ) निर्वाचन सहित किसी भी प्रयोजन के लिए काले धन के इस्तेमाल पर अंकुश केवल उन उपायों से लगाया जा सकता है जिसका लक्ष्य काले धन की वृद्धि और प्रसार को रोकना हो। निर्वाचन आयोग की जन सिफारिशों के अतिरिक्त जिनका उल्लेख प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में किया गया है और जिनका लक्ष्य निर्वाचन धन शक्ति के प्रयोग पर अंकुश लगाना है, इस दिशा में किए गए कतिपय अन्य उपायों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। जैसे कि आर्थिक अपराधों के विरुद्ध अभियान के रूप में और अधिक तलाशियां और अभिग्रहण करना, प्रत्यक्ष जांच कर समिति (वांचू समिति) की सिफारिशों के अनुसार आय-कर अधिनियम और अन्य प्रत्यक्ष कर विधियों में शास्ति संबंधी उपबंधों को कठोर बनाना और ऐसे अध्युपाय अधिनियमित करना जैसे कि विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 तस्कर और विदेशी मुद्रा छतसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 तथा चोर बजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980।

गुजरात के सूरत जिले में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

*515. श्री छीतूभाई गामित : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के सूरत जिले में वर्ष 1975 से 1980 तक की अवधि में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन हेतु कितने व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीकृत कराये और उनमें से वर्षवार कितने

व्यक्तियों को कनेक्शन दिए गए तथा शेष व्यक्तियों को कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

(ख) शेष व्यक्तियों को कब तक गैस कनेक्शन दे दिए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) इन लोगों को शीघ्र ही कनेक्शन देने के लिये सरकार द्वारा जो कदम उठाये जा रहे हैं उनका ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) गैस कनेक्शनों के रिलीज के लिए आवेदन पत्र गैस एजेन्सियों के पास दर्ज किए जाते हैं। उनके पास दर्ज आवेदन-पत्रों की संख्या और दर्ज किए गये आवेदन-पत्रों के प्रति रिलीज किये गये गैस कनेक्शनों सम्बन्धी वर्ष वार आंकड़ों की सूचना 7, 1980 के अन्त तक गैस कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है। तथापि/सूरत जिले में 1975-80 की पूर्ण अवधि के दौरान तथा रिलीज किये गये गैस कनेक्शनों की कुल सख्या क्रमश: करीब 62, 400 और 2190 है। इस अवधि में देश में खाना पकाने की गैस की मांग उपलब्धता से अधिक थी, को ध्यान में रखते हुऐ, उस अवधि के दौरान, बड़े पैमाने पर गैस कनेक्शन रिलीज करना सम्भव न हो सका।

(ख) और (ग) देश में, गुजरात सहित, तरल पेट्रोलियम गैस के नये कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची पर आवेदकों को बम्बई हाई तथा मथुरा और कोयाली शोधनशालाओं से खाना पकाने की गैस बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाने को ध्यान में रखते हुए, इस मास से आगे क्रमिक तरीके से गैस कनेक्शन दिये जायेंगे।

धनबाद कोयला क्षेत्र में कोयला खानों के साथ राष्ट्रीयकृत उद्योगों और प्रतिष्ठानों के नाम

* 98. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उद्योगों और प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जिनका धनबाद कोयला क्षेत्र में कोयला खानों के साथ राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था परन्तु बाद में न्यायालय के आदेश से नियोजकों को लौटा दिये गये थे;

(ख) न्यायालय के आदेशों की तारीखें और ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कोल इन्डिया लिमिटेड इन मामलों में अपना पक्ष गम्भीरता से प्रस्तुत नहीं कर रहा है, ऐसा करने में अनावश्यक रूप से अधिक समय लेकर नियोजकों को प्रतिष्ठानों से पूंजी और आस्तियां निकालने दे रहा है;

(घ) क्या भौरा कोक प्लांट के बारे में मन्त्री महोदय को भेजा गया 20.2.81 का इस आशय का एक ज्ञापन प्राप्त हो गया है;

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) क्या सरकार इस मामले में जांच करायेगी, यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) वेस्ट गोधर कोलियरी का 72 बी-हाइव हार्ड कोक भट्टियों (जो कोलियरी परिसर में थीं), भवरा कोक संयंत्र तथा न्यू सुदामडीह कोक संयंत्र के साथ कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 के अधीन राष्ट्रीयकरण किया गया था। उच्चत्तम न्यायालय के 2 नवम्बर, 1978 के निर्णय के आधार पर 72 बी-हाइव कोक भट्टियों का स्वामित्व अभी भी पी० के० अग्रवाल के पास है यद्यपि इन कोक भट्टियों पर अधिकार भारत कोकिंग कोल लि० का है। अब इनका स्वामी इन भट्टियों को बेचने के सम्बन्ध में भारत कोकिंग कोल लि० से बातचीत कर रहा है। भवरा कोक संयंत्र और न्यू सुदामडीह कोक संयंत्र का स्वामित्व कोककर कोयला खान (राष्ट्रीयकरण), अधिनियम, 1972 की द्वितीय अनुसूची के अधीन पहले ही सरकार के पास आ गया है। परन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा रिसिवरों की नियुक्ति के कारण भारत कोकिंग कोल लि० ने इनका कब्जा नहीं लिया है। यह मामले अब, मुकदमों को अन्तिम रूप देने के लिहाज से, भारत कोकिंग कोल लि० और केन्द्र सरकार के अनुरोध पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 के अधीन उच्चत्तम न्यायालय को स्थानांतरित कर दिए गए हैं। यह मामले अब न्यायालय के विचाराधीन हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में बताया गया है, यह मामले भारत के उच्चत्तम न्यायालय के विचाराधीन हैं और इस सम्बन्ध में कोई जांच आवश्यक नहीं है।

पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर बनाने के लिए आशय-पत्र

4743. **श्री बी० एन० गाडगिल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर बनाने के लिए सह प्रवर्तक के रूप में मैसर्स नेसलेन कैमिकल्स के साथ संयुक्त क्षेत्र के आशय-पत्र के लिए आवेदन किया था;

(ख) क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के राज्य औद्योगिक विकास नियमों को इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिए आशय-पत्र जारी किये गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र को यह आशय-पत्र जारी न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अभी हाल में उड़ीसा की औद्योगिक विकास तथा निवेश कार्पोरेशन लिमि० को 15,000 मी० टन/प्रति वर्ष की दर से पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर के उत्पादन के लिए एक संयंत्र की स्थापना हेतु एक आशय पत्र जारी किया गया है । महाराष्ट्र की राज्य औद्योगिक तथा निवेश कार्पोरेशन सहित अन्य कुछ आवेदन पत्रों पर अभी निर्णय लिया जाना है ।

भारत और श्री लंका के बीच मन्त्री स्तर पर वार्ता

4744. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के बारे में भारत तथा श्री लंका के बीच मन्त्री-स्तर पर कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्णय किस-किस आधार पर किये गये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : श्री लंका के सूचना, प्रसारण और पर्यटन मन्त्री के साथ 27-1-81 को नई दिल्ली में बातचीत हुई थी । बातचीत के निम्नलिखित मुद्दे कवर किए गए थे :—

(1) भारतीय निर्यातकों के लिए श्री ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन के विज्ञापन प्रसारण पर लगाई गई 10.5 लाख रुपये की सीमा को बढ़ाने की वांछनीयता ;

(2) शास्त्रीय संगीतज्ञों और शास्त्रीय संगीत अध्यापकों को भारत से श्री लंका भेजने की वांछनीयता;

(3) श्री लंका ब्राडकास्टिंग कार्पोरेशन के टी० वी० कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण भारतीय घटनाओं को कवर करने वाली न्यूजरीलें भेजने की वांछनीयता ताकि श्रीलंका में भारत और भारतीय घटनाओं के प्रति अधिक प्रभावी जागरूकता हो ।

इन आदान प्रदानों की व्यवस्था एक प्रोतोकाल, जिस पर भारत और श्रीलंका के बीच हस्ताक्षर किए जा सकते हैं, के माध्यम से की जानी है ।

उड़ीसा में विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु मंजूरी के लिए लंबित पड़े प्रस्ताव

4745. **श्री राम चन्द्र रथ** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में विद्युत संयत्रों की स्थापना हेतु कितने प्रस्ताव उनके यहां मंजूरी के लिए लम्बित पड़े हैं;

(ख) वर्ष 1981-82 में ऐसे कितने संयंत्रों को मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) उड़ीसा की निम्नलिखित परियोजनाओं से सम्बन्धित परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक जांच की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में हैं :—

	परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता	वर्तमान स्थिति
ताप विद्युत	तलचेर सुपर ता० वि० केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	2800 मेगावाट	राष्ट्रीय ता० वि० निगम ने परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1980 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दी है। परियोजना से, सातवीं योजना अवधि के दौरान और इसके बाद लाभ प्राप्त होने की आशा है । परियोजना की स्थापना केन्द्रीय क्षेत्र में करने का प्रस्ताव है।
जल विद्युत	भीमकुंड बहुद्देश्यीय परियोजना	738 मेगवाट	बहुद्देश्यीय परियोजनाओं की स्वीकृति की वर्तमान पद्धति के अनुसार, पहले इस परियोजना को, योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति दी जानी है। तत्पश्चात् परियोजना के विद्युत उत्पादन सम्बन्धी पहलुओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं तथा उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

रेंगाली विस्तार	150 मेगावाट	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर की प्रतीक्षा परियोजना प्राधिकारियों से है।
बलिमेला चरण-दो	120 मेगावाट	केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर की प्रतीक्षा परियोजना प्राधिकारियों से है।

पश्चिमी बंगाल के पोर्ट केनिंग क्षेत्र में तेल की खोज

4746. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पश्चिम बंगाल के पोर्ट केनिंग क्षेत्र (सुन्दरबन) में तेल की खोज सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में तेल की खोज के लिए और आगे कोई खुदाई कार्य किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) क्षेत्र के प्रतिपादन एवं मूल्यांकन के लिये भूकम्पीय आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सालनपुर और कालिदासपुर में ताप बिजली घरों की स्थापना

4747. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सालनपुर और कालिदासपुर में ताप बिजली घरों की स्थापना करने के बारे में प्रगति क्या है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) सालनपुर और कालिदासपुर में ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 7072 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर सालमपुर में 2×110 मेगावाट का कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए रेल मन्त्रालय ने

1974 में एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। रेल मन्त्रालय से संशोधित रिपोर्ट भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

थाणे महाराष्ट्र में घरेलू गैस के सिलण्डरों के लिए अनिर्णीत आवेदन पत्र

*4748. श्री आर०के० महालगी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला थाणे (महाराष्ट्र) में घरेलू गैस सिलेण्डरों के लिए लगभग 90 हजार आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1981 में इन बाकी पड़े आवेदन-पत्रों को प्राथमिकता देने का सरकार ने आश्वासन दिया है;

(ग) यदि हां, तो चरणवार क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(घ) क्या जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई विशेष व्यवस्था की गई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या 31 दिसम्बर, 1980 को अनिर्णीत पड़े सभी आवेदन-पत्रों पर विचार किए जाने की आशा है तथा 31 दिसम्बर, 1981 से पूर्व सिलेण्डर दे दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां,।

(ख) और (ग) : महाराष्ट्र के थाणे जिले सहित देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के नए कनैक्शन देने के लिए प्रतीक्षा-सूची में जो आवेदक हैं उन्हें बम्बई हाई और मथुरा तथा कोयाली शोधनशालाओं से खाना पकाने की अतिरिक्त गैस उपलब्ध हो जाने से इस मास से आगे क्रमिक ढंग से कनैक्शन दिए जायेंगे। प्रतीक्षा सूचियों में उपभोक्ताओं सहित लगभग 30 लाख नए उपभोक्ताओं को 1983-84 के लगभग नामांकित किए जाने की प्रत्याशा है।

(घ) खाना पकाने की प्रत्याशित अतिरिक्त उपलब्धता होने से तेल उद्योग की अगले वर्ष के बीच सभी जिला मुख्यालय स्थलों को गैस कनैक्शन देने की और इसके बाद 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों को कनैक्शन देने की योजना है।

(ङ) प्रतीक्षा सूचियों के लोगों को गैस कनैक्शन दिए जाने के कार्यक्रम को चरणबद्ध तथा क्रमिक ढंग से कार्यान्वित किया जाएगा। इस व्यवस्था में यह बताना कि किसी विशेष स्थल पर प्रतीक्षा सूची कितने समय में समाप्त होगी सम्भव नहीं है।

दिल्ली दूरदर्शन पर "चित्रहार" तथा "प्रादेशिक चित्रहार" में दिखाये जाने वाले गानों तथा प्रसंगों के स्तर में सुधार करने के लिए कदम

*4 49. श्री एस०एम० कृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन प्रति सप्ताह दिखाये जाने वाले "चित्रहार" तथा "प्रादेशिक चित्रहार" के लिए पहले कितनी राशि अदा किया करता था;

(ख) इस साप्ताहिक कार्यक्रम चित्रहार के लिए दिल्ली दूरदर्शन तथा "टोपाज" ब्लेड के निर्माताओं के बीच इस समय क्या करार है और उक्त प्रसंगों संयोजन कौन करता है तथा फिल्म-निर्माताओं को रायल्टी देने की व्यवस्था कौन करता है; और

(ग) इन कार्यक्रम में दिखाये जाने वाली गीतों तथा प्रसंगों के स्तर में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमबेन के०एम० जोशी) : (क) दिल्ली दूरदर्शन किसी विशिष्ट फिल्म से अधिकतम 15 मिनट की अवधि के लघु प्रसंगों के टेलीकास्ट के लिए 250 रुपये की रायल्टी अदा करता है।

पूरे 30 मिनट के चित्रहार/प्रादेशिक चित्रहार के औसत निर्माण के लिए रायल्टी का भुगतान 1500 रुपये से 2250 रुपये तक भिन्न-भिन्न होता है।

(ख) चित्रहार कार्यक्रम इस समय "टोपाज" ब्लेड के निर्माताओं द्वारा प्रायोजित किया जा रहा है और तदनुसार उक्त कम्पनी दूरदर्शन को उस विज्ञापन-लाभ, जो इसे दूरदर्शन से प्राप्त होता है, के निमित्त 10,000 रुपए प्रति कार्यक्रम का भुगतान करती है। गीतों/नृत्य प्रसंगों का चयन दिल्ली दूरदर्शन द्वारा किया जाता है। वितरकों/प्रोड्यूसरों को रायल्टी का भुगतान दूरदर्शन केन्द्र द्वारा सीधे किया जाता है।

(ग) इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दूरदर्शन निरन्तर प्रयास करता रहता है जो प्रिण्टों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। दर्शकों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के लिए विविध फिल्मों से अच्छे स्तर के गीतों/नृत्य प्रसंगों को प्राप्त करने के लिए निरन्तर किए जाते हैं।

मंत्रालय में कर्मचारियों की संख्या

4750. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित कार्यालयों में कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है और उनकी श्रेणी-वार प्रतिशतता क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सभा की मेज पर रख दिया जायेगा।

नियमित न किये गये कार्य-प्रभारित कर्मचारी

4751. श्री अनादि चरण दास : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दंडकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को पन्द्रह से बाईस वर्षों की सेवा के बाद भी नियमित नहीं किया गया है और उनका संघ इसकी लम्बे समय से मांग कर रहा है ;

(ख) क्या दंडकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को वे सभी लाभ नहीं मिल रहे हैं जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को मिल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों तथा दंडकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ पृथक पृथक दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) दण्डकारण्य के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को अभी तक नियमित स्थापना के अन्तर्गत नहीं लाया गया है।

(ख) और (ग) : दण्डकाण्य परियोजना तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन काम करने वाले कार्य प्रभारित कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों का एक तुलनात्मक विवरण संलग्न है।

विवरण

दण्डकारण्य परियोजना के कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को मिलने वाले मुख्य लाभों का तुलनात्मक विवरण

क्रम संख्या	लाभों का स्वरूप	क्या दण्डकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को प्राप्त हैं।	क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को प्राप्त है।	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि	हां।	हां।	
2.	सेवा निवृत्ति/मृत्यु उपदान	हां।	हां।	

1	2	3	4	5
3.	स्थायित्व	नहीं*	हां	*वे निर्माण कार्य, जिन पर दण्डकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को लगाया जाता है, वे अस्थायी स्वरूप के हैं।
4.	केन्द्रीय सरकार बीमा योजना	हां।	हां।	
5.	बच्चों को शिक्षा भत्ता	नहीं	हां।	
6.	अर्जित छुट्टी/प्रसूति छुट्टी/आकस्मिक छुट्टी	हां	हां	
7.	छुट्टियाँ	हां	हां	
8.	चिकित्सा सुविधाएं	हां	हां	
9.	छुट्टी यात्रा रियायत	हां	हां	

प्राकृतिक गैस के तरल रसायन गैस तैयार करने के लिए

आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्रस्ताव

4752. श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड ने आसाम में प्राकृतिक गैस से तरल रसायन गैस (एल० पी० जी०) तैयार करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी राशि खर्च होनी है और घरेलू तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को कितनी मात्रा में गैस मिलने की आशा है तथा उक्त योजना संभवतः कब तक पूरी हो जायेगी।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) तरल पेट्रोलियम गैस के उत्पादन तथा उसकी बाटलिंग के लिए आयल इण्डिया की प्रायोजना के लिए स्वीकृत धनराशि 13,50 करोड़ रुपये की है। अप्रैल 1982 से 30,000 मी० टन/वर्ष की दर से उत्पादन होने की आशा है जो धीरे-धीरे वर्ष 1984-85 तक 60,000 मी०

टन/वर्ष तक बढ़ जायेगा समस्त उत्पान को घरेलू वाणिज्यिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं को बेंचा जाएगा।

मध्य प्रदेश द्वारा मिट्टी के तेल की मांग

4753. श्री शिव कुमार सिंह : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 के दौरान मध्य प्रदेश की मिट्टी के तेल की मांग, आबंटन तथा सप्लाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की मांगों की उपेक्षा कर दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हाल ही के महीनों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि उनके राज्य के लिए मिट्टी के तेल की आवश्यकता प्रतिमास 20,000 मी टन है। जनवरी दिसम्बर 1980 के दौरान मध्य प्रदेश को मिट्टी के तेल का कुल आबंटन 192766 मी टन और बिक्री 176907 मी टन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में काली नदी परियोजना

4754. श्री टी० आर० शमन्ना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली नदी परियोजना (कर्नाटक) को विद्युत उत्पादन के लिए आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) क्या परियोजना का कार्य समयावलि के अनुरूप चल रहा है; और

(ग) परियोजना के कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) से (ग) : कालीनदी जल-विद्युत परियोजना के चरण एक में नागझारी बिजली घर में 135-135 मेगावाट की छः यूनिटों तथा सूपा बांध बिजली पर 50–50 मेगावाट के दो यूनिटों (6×135 मेगावाट $+ 2 \times 50$ मेगावाट) के प्रतिष्ठापन की परिकल्पना है। इनमें से, नागझारी बिजली घर में 135-135 मेगावाट की यूनिट सं० 1 तथा क्रमशः 2 दिसम्बर, 1979 तथा अगस्त, 1980 में चालू कर दी गई है नागझारी बिजली घर की शेष यूनिटों में से यूनिट सं० 3 व 4 का उत्थापन किया जा रहा है तथा इन्हें 1981-82 के दौरान चालू किये जाने की आशा है तथा यूनिट सं० 5 व 6 को 1983-84 के

दौरान चालू करने करने का कार्यक्रम है। इसी प्रकार सूपा बांध बिजली घर में यूनिट सं० 1 व 2 को 1984-85 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है।

2. मई, 1980 में स्वीकृत किए गए कालीनदी जल-विद्युत परियोजना के चरण-दो में 278 मेगावाट (2×25+4×32+4×25 मेगावाट) के प्रतिष्ठापन की परिकल्पना है। इस स्कीम को 1987-88 के दौरान चालू करने की परिकल्पना की गई है।

असम के उद्यमियों को फिल्म वित्त निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

4755. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म वित्त निगम ने असम के कितने और किन-किन उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) भूतपूर्व फिल्म वित्त निगम ने श्री जाह्नु बरूआ, जो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे के स्नातक है, को एक असमिया फिल्म "अपरूपा" के निर्माण के लिए 3.50 लाख रुपये का ऋण दिया।

गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत गांव

4756. **श्री जैनुल बशर :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अधीन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में कितने गांव हैं;

(ख) अगले वर्ष कितने गांवों का विद्युतीकरण करने का विचार है और क्या इन गांवों की एक सूची सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकरण के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दिसम्बर, 1980 के अन्त तक, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 847 गॉव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं।

(ख) अगले वर्ष के दौरान विद्युतीकृत किये जाने वाले गाँवों की संख्या का निर्णय समय-समय पर राज्य बिजली बोर्ड द्वारा किया जाता है, अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी. नहीं।

(घ) राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों में संभावी उपभोक्ताओं से कम सहयोग प्राप्त होने के कारण, लक्ष्य प्राप्त में कमी रही है।

ग्लुकोनेट लि० का राष्ट्रीयकरण

4757. **श्री राम विलास पासवान :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लुकोनेट लि० का उद्योग (विकास और विनियन) अधिनियम की धारा 18 एए के अधीन अधिग्रहण किया गया था और क्या उक्त कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में निर्णय केवल केन्द्रीय सरकार ही ले सकती है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय की अनुमति के बिना जीवन रक्षक औषधि पेथीडाइन हाइड्रोक्लोराइड पाउडर का उत्पादन अचानक रोक दिया गया था, जिसके परिणाम-स्वरूप उक्त आवश्यक औषधि की कमी के कारण विदेशी मुद्रा की हानि हुई; और

(घ) क्या कम्पनी लाभ में चल रही हैं और क्या सरकार का तथ्यों का पता लगाने के लिए किसी समिति का गठन करने का विचार है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 18 ए ए के अन्तर्गत ग्लुकोनेट लि०, कलकत्ता का अधिग्रहण किया गया था और पश्चिम बंगाल सरकार को प्रबन्ध सौंपा गया है। कम्पनी के भविष्य के बारे में निर्णय पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट पर आश्रित है जिसके मामले में सूचना मांगी गई है जिनके संभाव्य विकल्पों में चालू रूप में उपक्रम की बिक्री, स्वस्थ्य कम्पनी के साथ मिला दिया जाना, कम्पनी की भूतकालिक देवताओं और पूंजी का पुर्नगठन या भारत सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण।

(ग) ग्लुकोनेट लि० ने अपने बोर्ड के अनुमोदन से 15 अक्तूबर, 1980 से इस औषध का उत्पादन निलम्बित कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसकी अभिपुष्टि कर दी। वर्ष 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) के दौरान इस औषध पर लगभग 139.79 किलोग्राम आयात किया गया था। ग्लुकोनेट लि० ने अप्रैल, 1981 तक 200 किलोग्राम आयात की मांग की है।

(घ) पश्चिम बंगाल द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी को वर्ष 1976 और 1977 में लाभ हुआ और वर्ष 1978 तथा 1979 में हानि हुई। चूंकि वे तथ्य ज्ञात है इसलिए कोई समिति गठित करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

कोचीन तेल और कारखाने में भर्ती

4758. **श्री धर्म बीर सिंह** : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन तेल शोध कारखाने के प्रबन्धकों ने हाल ही में पर्यवेक्षण सवर्ग में सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्तियां की है; और

(ख) क्या यह सच है कि उसमें से अधिकांश व्यक्ति सरकार और तेलशोध कारखाने के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्बन्धी है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) कोचीन शोधनशाला द्वारा अब की गयी पूछताछ से पता चला है कि तीन व्यक्तियों की राज्य सरकार के व्यक्तियों से रिश्तेदारी है। इसमें से किसी भी व्यक्ति की कोचीन शोधनशाला के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से रिश्तेदारी नहीं है। तथापि, इनकी नियुक्ति योग्यता एवं गुणावगुण के आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा हुई।

नागालैंड में दोयांग पनबिजली परियोजना

4759. **श्री चिंगवांक कोनयक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागालैंड दोयांग पनबिजली परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) दोयांग जल विद्युत परियोजना (3 × 35 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में दिसम्बर, 1980 में प्राप्त हुई थी। परियोजना रिपोर्ट की तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचार हेतु शीघ्र प्रस्तुत की जायेगी।

राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों की पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय में कार्यान्वित करने के लिए उपाय

4760. **केशव राव पारधी** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में हिन्दी कार्य के लिए कोई यूनिट बनाया गया है ;

(ख) यदि हां तो उसमें कितने कर्मचारी हैं और क्या उनकी यह संख्या पर्याप्त है;

(ग) क्या राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में सभी कार्य अंग्रेजी के साथ हिन्दी में किया जाता है और क्या इस विभाग में सभी प्रोफार्मा, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि हिन्दी में भी जारी किये जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए महानिदेशालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) जी, हां।

(ख) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के हिन्दी यूनिट में एक हिन्दी अधिकारी, दो अनुवादक, एक आशुलिपिक ग्रेड "डी" और एक अवर श्रेणी लिपिक हैं। पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में हिन्दी यूनिट के कर्मचारियों की संख्या पर्याप्त है।

(ग) और (घ) ठेकों से संबंधित कागजात को छोड़कर शेष सभी सरकारी कागजात, जैसे प्रोफार्मा, परिपत्र, कार्यालय आदेश आदि, जिन्हें द्विभाषी रूप में जारी करना आवश्यक है, उन्हें दोनों भाषाओं में जारी किया जाता है। जहां तक ठेकों से संबंधित कार्य का संबंध है, खरीद की शर्तें इस प्रकार की होती हैं कि उनकी कानूनी व्याख्या अपेक्षित होती है। इस कागजात को भी यथासम्भव शीघ्र हिन्दी में भी जारी करने का यत्न किया जा रहा है।

आकाशवाणी की विज्ञापन सेवा में कार्य कर रहे स्टेशन डाइरेक्टर

4761. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री आकाशवाणी की विज्ञापन सेवा के कार्यकरण के बारे में जांच के बारे में 2 दिसम्बर, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी की विज्ञापन सेवा में कार्य कर रहे स्टेशन डायरेक्टरों के बारे में एस० आई० यू० की सिफारिश स्वीकार न करने के कारण क्या हैं ;

(ख) कार्यक्रम प्रशासन की देख-रेख के लिए, जिसके लिए वे प्रारंभ में चुने गये थे, इन व्यक्तियों को प्रमुख केन्द्रों पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) उन यूनिटों में, जहां मुख्य केन्द्र और विज्ञापन केन्द्र कार्य कर रहे है, कम से कम विज्ञापन प्रसारण सेवा के प्रभारी को मुख्य केन्द्र का स्टेशन डायरेक्टर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि विज्ञापन के स्टेशन डायरेक्टरों को इस संवर्ग में अधिक पद बनाने के लिए नियुक्त किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) विज्ञापन प्रसारण सेवा और इसके स्टाफ ढांचे का अध्ययन इस समय भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर द्वारा किया जा रहा है। स्टाफ निरीक्षण एकक की सिफारिशों पर निर्णय सरकार को इस रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद लिया जायेगा।

(घ) : जी, नहीं।

कावरी नदी बेसिन में सर्वेक्षण

4762. **श्री थाभाई एम० करुणानिधि** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तमिलनाडु में कावेरी नदी बेसिन में कोई सर्वेक्षण किया है; यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ख) उक्त सर्वेक्षण से क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या उक्त निष्कर्ष वाणिज्यिक दृष्टि से देश के लिए लाभप्रद होंगे; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। कावेरी बेसिन में हाइड्रोकार्बन्स की खोज के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य 1958 में आरम्भ किया गया था और लगातार किया जा रहा है। 1964 से तमिल नाडु राज्य के साथ वाले अपतटीय क्षेत्र में भूकम्पीय सर्वेक्षण किये गये थे।

(ख) से (घ) भूगर्भीय और भूभौतिकीय सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, प्रथम तटीय कूप कराइकल संरचना में खोदा गया था जिसमें तेल के संकेत मिले थे। इसके बाद तटीय क्षेत्र में 17 गहरे कुओं और 10 संरचनात्मक कुओं और अपतटीय क्षेत्र में 7 कुओं की खुदाई की गई है। तट-पर एक और कूप (कराइकल 10) जो 1977 में पूरा किया गया था और जिसमें गैर-व्यापारिक जल मिश्रण तेल पाया गया था और अपतटीय क्षेत्र में दो कुओं (पी० वाई०-1-1 और पी० वाई० 3-1) जिसमें गैस मिली थी को छोड़कर सभी कुएं शुष्क पाये गये थे। तटीय और अपतटीय संपूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण किया गया था और 1980 में तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खुदाई करने के लिए एक नई पद्धति अपनाई गई थी। अपतटीय संरचनाएं पी० वाई०-1 और पी० वाई०-3 जिन्होंने खुदाई समय गैस का संकेत दिया था, इस पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप खुदाई शुरू की गई थी। अपतटीय क्षेत्र में एक और स्थान (पी० वाई० 1-3) खुदाई के लिए रिलीज किया गया है। तटीय खुदाई के लिए एक स्थान (को-विलकलाप्पल-1) भी रिलीज किया गया है। तथापि; तटीय क्षेत्र में से एक क्षेत्र है जो सरकार द्वारा विदेशी पार्टियों द्वारा अन्वेषण के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

चूंकि पोर्टो नोवो अपतटीय संरचना में खुदाई किए गए कूप में अभी तक केवल गैस थोड़ी मात्रा में मिली है, इस समय इस प्राप्ति के पूरी तरह व्याणिज्यिक प्रयोग के सम्बन्ध में टिप्पणी करना सम्भव नहीं है। आगे और अन्वेषणी प्रयास जारी है।

मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु रोस्टर बनाना

4763. श्री के० बी० एस० मणि : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के मामलों में सीधी भरती तथा पदोन्नति/पदों का दर्जा बढ़ाने हेतु कोई रोस्टर नहीं बनाया गया है;

(ख) यदि नहीं, रखा जा रहा है तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि रखा जा रहा है तो सरकारी आदेश जारी होने की तारीख से विभागवार वर्ष-वार, तथा ग्रेड-वार ब्योरा क्या है;

(घ) यदि कोई पिछली रिक्तियां हैं तो उनको कब तक भरा जायेगा और यदि भरा जा चुका है तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ङ) कम्पनी की स्थापना से वर्ष-वार, विभाग-वार, ग्रेड-वार भरती/पदोन्नतियों/पदों के दर्जे बढ़ाये जाने सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं; और

(च) उनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग कितने हैं।

पेट्रोलियम, और रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मध्य प्रदेश द्वारा डीजल और मिट्टी के तेल की मांग

4764. श्री सुभाष यादव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश ने 1978, 1979 और 1980 के दौरान डीजल और मिट्टी के तेल की कितनी मांग की है;

(ख) इस मांग को कहां तक पूरा किया गया है; और

(ग) सरकार का विचार मध्य प्रदेश को डीजल और मिट्टी के तेल का अधिक आबंटन करने के लिए क्या उपाय करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) 1978 1979 तथा 1980 के वर्षों के लिए मध्य प्रदेश के लिए हाई स्पीड डीजल तेल (एच० एस० डी०)

तथा मिट्टी के तेल की माँग के बारे में बताना संभव नहीं है। तथापि, हाल के महीनों में मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में इस उत्पादों की आवश्यकता क्रमश: 40,000 मी० टन तथा 20,000 मी० टन प्रति माह होगी। जबकि मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को एच० एस० डी० का मासिक आबंटन करने की प्रणाली अक्तूबर, 1979 से शुरू की गयी, मिट्टी के तेल के सम्बन्ध में यह प्रणाली पहले कुछ समय से प्रचलन में है। अक्तूबर, 79 से दिसम्बर, 79 तक तथा जनवरी से दिसम्बर, 80 तक एच० एस० डी० के और मिट्टी के तेल के 1978, 1979 तथा 1980 के कैलण्डर वर्षों के आबंटन तथा विक्रय के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

(आंकड़े मीट्रिक टनों में)

वर्ष	एच० एस० डी०		मिट्टी का तेल	
	आबंटन	विक्रय	आबंटन	विक्रय
1978	—	—	193599	186332
1979	117875	100535	191231	185005
	(अक्तूबर से दिसम्बर, 79)		(अक्तूबर से दिसम्बर 79)	
1980	445160	409930	192766	176907

(ग) उत्पाद की कुल उपलब्धता तथा परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेश के डीजल आबंटन को अधिकतम कर दिया गया है। मार्च, 1981 के लिए डीजल का आबंटन मार्च, 80 में हुई बिक्री से 15 प्रतिशत अधिक के आधार पर किया गया है। मिट्टी के तेल के मामले में, मासिक आबंटन पिछले वर्ष के तदनरूपी महीनों में हुई वास्तविक बिक्री से 5 प्रतिशत अधिक के आधार पर किये जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा निदेशित की गयी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश को इन दो उत्पादों के आबंटन में तदर्थ आधार पर भी वृद्धि की गयी।

तेल क्षेत्र के लिए रुसी सहायता

4765. श्री एन० के० शजवलकर : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जनवरी, 1981 के (बिजनेस स्टैण्डर्ड) में प्रकाशित "तेल क्षेत्र के लिए रुसी सहायता" (सोवियत एंड फार आइल सेक्टर) शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) फरवरी, 1981 के शुरू में जो भारतीय प्रतिनिधि मण्डल सोवियत संघ के दौरे पर गया था उसके नेता और अन्य सदस्यों के नाम पदनाम, क्या हैं वे वहां कितने समय तक रहे, उन्होंने भारत को रुसी ऋण के विशेष संदर्भ में रुस में अपने समक्ष अधिकारियों के साथ क्या विचार विमर्श किया; और

(ग) क्या रुसी विशेषज्ञों की देखरेख में किया जा रहा छिद्रण कार्य संतोष-जनक है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) गुजरात तेल क्षेत्रों में सोवियत वर्क ओवर टीमों द्वारा कार्य किये जाने के सम्बन्ध में एक करार के मसौदे को अन्तिम रूप से तय किये जाने के लिए सोवियत प्राधिकारियों के साथ विचार विमर्श के लिए श्री एच० जी० टी० वुड वर्ड, सदस्य (तटीय), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के नेतृत्व में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक शिष्ट मण्डल को फरवरी, 1981 में सोवियत संघ जाना था । शिष्ट मण्डल ने बसकेरिया तथा युकरेना तेल क्षेत्रों का दौरा भी किया था । टीम के अन्य सदस्य श्री ए० के० गुप्ता, उप-महा प्रबन्धक, पश्चिम क्षेत्र, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा श्री के० दामोदरन, मूख्य अभियता (उत्पादन), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग थे । तथापि शिष्ट मण्डल ने केवल 16 मार्च, 1981 को सोवियत संघ के लिए प्रस्थान किया था ।

सी० बी० एस० आकाशवाणी के पदाधिकारियों के विरुद्ध जांच

(ग) जी, हां ।

4766. **श्री रसीद मसूद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० बी० एस० आकाशवाणी के पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कोई जांच की गई है; और

(ख) उसका क्या परिणाम निकला ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) : विज्ञापन प्रसारण सेवा, दिल्ली और कलकत्ता के कतिपय कर्मचारियों से सम्बन्धित दो जांच-पड़तालों में, भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं । तथापि, विज्ञापन प्रसारण सेवा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के कर्मचारियों के विरुद्ध चार शिकायतों की छानबीन की जा रही है ।

कलकत्ता में मेट्रो कैमिकल इन्डस्ट्रीज में तालाबन्दी

4767. **श्री जार्ज फार्नान्डीज** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक कान्टीजेन्सीज के सहायक निदेशक ने वर्ष 1978 में कलकत्ता में मैट्रोकैमिकल्स इन्डस्ट्रीज में तालाबन्दी तथा तत्सम्बन्धी मामलों के बारे में कतिपय शिकायतों की जांच की थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के क्या परिणाम निकले;

पेट्रोलियम, और रसायन उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) जनवरी 1979 में मैट्रोकैमिकल कर्मचारी यूनियन द्वारा उद्योग मन्त्री को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मैट्रोकैमिकल्स उद्योग को गैर-कानूनी रुप से और जानबूझकर दिनांक 7-7-1978 को बन्द किया गया था और कारखाने के बन्द होने के बाद भी कम्पनी नियमित रूप से सोडा ऐश और कोयले का उठान कर रही थी और इस इस प्रकार उठाई गई सामग्री का दुरुपयोग किया जा रहा है और कारखाने को पुनः चालू करने के लिए कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई है। जांच पड़ताल करने से वह रिपोर्ट मिली थी कि (1) तालाबन्दी पूर्ण रूप से अनुचित नहीं थी, (2) तालाबन्दी की तारीख को सोडा ऐश और कोयले का पर्याप्त स्टाक पड़ा हुआ था, (3) कारखाना बन्द होने के बाद भी कम्पनी को सोडा ऐश और कोयले की सप्लाई की जाती रही है (4) यद्यपि इस वक्तव्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि सोडा ऐश की कुछ मात्रा बाढ में बह गई थी लेकिन इस तथ्य का भी कोई प्रमाण नहीं है कि एकक द्वारा सोडा ऐश को काले बाजार में बेचा गया था और (5) प्रबन्ध मन्डल एकक को पुनः चालू करने का प्रयास कर रहा था लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकी।

न्यायालय फीस स्टम्प का पंच किया जाना

4768. श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय न्यायालय फीस अधिनियम की धारा 30 में न्यायालय फीस स्टाम्पों के रद्द किए जाने के तरीके का उपबंध है और वह यह है कि (अशोक चक्र स्तम्भ पर तीन शेरों के राष्ट्रीय संप्रतीक के) चित्र शीर्ष को पंच कर दिया जाएगा और पंच करने से निकला भाग जला दिया जाएगा या अन्यथा नष्ट कर दिया जाएगा,

(ख) क्या भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने गत अक्तूबर में उनको यह लिखा था कि उक्त अधिनियम को उपयुक्तरूप से संशोधित किया जाए जिससे कि राष्ट्रीय संप्रतीक को इस प्रकार विकृत किए जाने, जलाए जाने और अपमानित किए जाने से बचाया जा सके; और

(ग) यदि हां तो इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 30 इस प्रकार है :

'कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन स्टाम्प अपेक्षित है किसी भी न्यायालय या कार्यालय में जब तक स्टाम्प रद्द नहीं कर दिया जाए तब तक न तो फाइल की जायेगी और न उस पर कार्यवाई की जाएगी।

ऐसा अधिकारी जिसे न्यायालय या कार्यालय का प्रधान समय-समय पर नियुक्त करे ऐसी किसी दस्तावेज की प्राप्ति पर तुरन्त उसका रद्दकरण उसके चित्र को ऐसे पंच करेगा कि स्टाम्प पर अभिहित उसका मूल्य अछूता रहे और पंच करने से निकला भाग जला दिया जाएगा अन्यथा नष्ट कर दिया जाएगा।"

(ख) भारत के मुख्यन्यायाधिपति के प्रधान निजी सचिव ने कानपुर के एक निवासी का तारीख 17.10.80 का एक पत्र जो भार के मुख्य न्यायाधिपति के कार्यालय में हुआ था और जो इस विषय के संबध में है, ऐसी कार्रवाई के लिए भेजा जो यह मंत्रालय ठीक समझे।

(ग) जिस संशोधन का सुझाव दिया गया है वह आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि उक्त अधिनियम की धारा 30 के संपूर्ण उपबन्ध से यह दर्शित होता है कि ऐसा उपबंध करने के पीछे विधान मंडल का आशय केवल यह सुनिश्यत करना था कि न्यायालय फीस स्टाम्प प्रभावी रूप से रद्द कर दिया जाए जिससे कि न्यायालय की किसी पश्चाद्वर्ती कार्यवाही में उसका फिर से उपयोग न किया जाए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा चलते-फिरते मतदान केन्द्रों के लिए सिफारिश

4769 श्री रेणुपद दास : क्या विधि न्याय और कार्य कम्पनी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयुक्त द्वारा चलते फिरते मतदान केन्द्र के बारे में इस दृष्टि से की गई सिफारिश पर ध्यान दिया है कि छितरे हुए छोटे-छोटे गांवों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अन्य कमजोर वर्गों के मतदाता अपने मताधिकार का सार्थक रीति से प्रयोग कर सकें ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा किया गया निर्णय क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से(ग) मतदान केन्द्रों की, जिनमें चलते फिरते मतदान केन्द्र भी सम्मिलित हैं, स्थापना, संसद् और प्रत्येक राज्य के विधान मंडलों के निर्वाचनों के संचालन में विभिन्न चरणों में से एक चरण है निर्वाचन आयोग, जिसमें उक्त निर्वाचनों के अधिक्षण, निदेशन और नियंत्रण की शक्ति निहित है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित

जनजाति की इस निमित्त की गई सिफारिश पर विचार कर रहा है। तथापि यह समझा जाता है कि निर्वाचन आयोग का विचार है कि यह सम्भव है कि इन सिफारिश को क्रियान्वित करना प्रशासनिक दृष्टि से साध्य न हो। इसके अतिरिक्त आयोग यह समझता है कि कमजोर वर्गों को किसी भय या अभित्रास के बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देने के लिए आयोग द्वारा जो कदम उठाए जा चुके हैं वे पर्याप्त हैं : आयोग ने संबधित मुख्य निर्वाचन अफिसरों को लोक सभा के 1980 के साधारण निर्वाचन के समय ये निदेश भी जारी किए थे कि वे अपने जिला अफिसरों को यह निदेश दें कि वे उन क्षेत्रों का पता लगाए जहां मुख्य रूप से कमजोर वर्ग रहते हैं और समाज के कमजोर वर्ग के लिए जहां भी आवश्यक हो उनके गांवों में मतदान केन्द्र स्थापित करें चाहे ऐसे इलाकों/गांवों में मतदाताओं की संख्या 500 से भी कम हो। जबकि आमतौर पर प्रत्येक केन्द्र के लिए मतदाताओं की सर्वोत्तम संख्या 750 होती हैं। इसके अतिरिक्त रिटर्निंग आफिसरों को निदेश दिया गया था कि यदि उन इलाकों में जहां मुख्य रूप से कमजोर वर्ग रहते हैं, मतदान केन्द्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त भवन उपलब्ध न हों तो इस काम के लिए अस्थायी संरचनाएं स्थापित की जाएं। आयोग ने मुख्य निर्वाचन आफिसरों को ये निदेश भी दिए हैं कि वे विशेष रूप से ऐसे नाजुक क्षेत्रों में जहां उन्हें इस बात की आशंका है कि समाज के कमजोर वर्गो को अभित्रस्त किया जाएगा, पर्याप्त सशस्त्र पुलिस की व्यवस्था करें

फार्टिलाइजर प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट आफ इंडिया लि०

4770. **श्री के० मालन्ना** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फर्टिलाइजर प्लानिंग एण्ड डेवलमेंट आफ इंडिया लि० ने निर्माण सामग्री के रूप में लाये जा सकने वाले फोस्फोयसम के लिए एक प्रक्रिया का विकास किया है तथा उसको पेटण्ट कराया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आवश्यक परीक्षण कर लिए गये हैं और यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलवीर सिंह) : जी हां।

(ख) केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान द्वारा अब तक किए गए परीक्षण दर्शाते हैं कि एडिटिव के साथ फास्फोजिस्यसम (ए नहाइड्राइट प्लास्टर) को हल्के भार वाले ब्लाक और चिनाई सामग्रियों के लिए आन्तरिक प्लास्टरिंग के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है ? बिना एडिटिव के इस सामग्री को सुपर सल्फेन्टैड सिमेन्ट के उत्पादन में प्रयुक्त किया जा सकता है ?

सिंचाई के लिए नलकूपों को बिजली की सप्लाई

4771. **श्री चतुर्भुज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूख रही फसलों को

पानी देने के लिए इस समय नलकूपों को बिजली सप्लाई न किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयां दूर करने के लिए किये जा रहे तात्कालिक उपायों का पूरा ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : विद्युत् की कमी की परिस्थितियों के दौरान विद्युत सप्लाई किये जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मई, 1974 में जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कृषि को विद्युत की सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर की जाती है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री ने भी विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रीयों को यह सुनिश्चत करने के लिए है कि ग्रामिण क्षेत्रों/कृषि को कम से कम 6 से 8 घंटे विद्युत सप्लाई की जाय। अधिकांश राज्य इस समय ग्रामीण क्षेत्रों को कम से कम 9 घंटे प्रतिदिन विद्युत की सप्लाई दे रहे हैं।

सीरे के आयात के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुरोध

4772. श्री मुकुन्द मंडल : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्र सरकार से पश्चिमी बंगाल की डिस्टिलिरीज की आवश्यकता के अनुसार सीरा आयात करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) दिनांक 11-11-1980 को हुई केन्द्रीय सीरा बोर्ड की बैठक में पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा एक सुझाव दिया गया था कि बगला देश से सीरा आयात करने की सम्भावना का पता लगाया जाना चाहिए और इस प्रकार आयात किया गया सीरा पश्चिम बंगाल को उपलब्ध कराया जा सकता है। सरकार ऐसे आयात की आवश्यकता और सम्भावना की जांच पड़ताल कर रही है।

तरल उर्वरकों का विपणन

4773. श्री कृष्ण कुमार गोयल
श्री सुभाष यादव : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेशनल फर्टिलाइजर लि० का विचार शीघ्र ही तरल उर्वरक का विपणन करने का है,

(ख) यदि हां, तो उसका सम्भवत कितना उत्पादन होगा, इसके मूल्य क्या तुलनात्मक क्या लाभ होंगे, और होंगे तथा उर्वरक की इस नयी किस्म के।

(ग) इस उर्वरक के उत्पादन हेतु नये संयंत्र की स्थापना पर कितना खर्च होगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिह) : (क) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन० एफ० एल०) ने 32 प्रतिशत नाइट्रोजन के साथ तरल के रुप में एक उर्वरक का विकास किया है। इस नये उर्वरक पर अनुसंधान और क्षेत्रीय परीक्षण किये जा रहे हैं।

(ख) तरल उर्वरक को बनाने, इसके मूल्य, इसके तुलनात्मक लाभ आदि के प्रश्न पर निर्णय प्रयोगों और क्षेत्रीय परीक्षणों के परिणाम मालूम पड़ने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(ग) इस उर्वरक के उत्पादन के लिए कोई नया प्लांट नहीं लगाया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को भोजन पकाने की गैस के कनैक्शन दिए जाना

4774. श्री भीखा भाडे : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज तक भोजन पकाने की गैस के कितने कनैक्शन दिए जा चुके हैं;

(ख) देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को भोजन पकाने की गैस के दिए गए कनैक्शनों की प्रतिशतता कितनी-कितनी है;

(ग) उनके अस्वीकृत किए गए आवेदनों की प्रतिशतता कितनी है ;

(घ) उनकी प्रतिशतता कम होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके लिए आधिक कारण कहां तक जिम्मेदार हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) दिनांक 31-3-1980 तक देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) के जारी किये गये गैस कनैक्शनों की कुल संख्या लगभग 31.5 लाख है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (खाना पकाने की गैस) के अलग से गैस कनैक्शन आवंटित करने की कोई व्यवस्था नहीं है तथा ऐसे लोगों को जारी किए गये कनैक्शनों का अलग से कोई लेखा नहीं रखा जाता है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृति के लिए विचाराधीन जल विद्युत योजनाएं

4775. श्री एम० एम० लारेंस : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और योजना आयोग के समक्ष स्वीकृति के लिए कोई जल विद्युत योजनाएं विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं और प्रत्येक कब प्रस्तुत की गई थीं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जिन बहुद्देश्यीय/जल विद्युत परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया है तथा जिनके लिये योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है उन परियोजनाओं का ब्योरा विवरण में दिया गया है। इसी प्रकार जो जल विद्युत स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई हैं और जिनकी इस समय जांच की जा रही है वे स्कीमें विवरण में दी गई हैं।

विवरण

वे स्कीमें, जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं और जिनके लिए योजना आयोग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

क्रम सं०	स्कीम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	के०वि०प्रा० द्वारा अनुमोदन की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	थीन बांध और अपर बारी दोआब नहर चरण-2	पंजाब	525	26316.00	7.2.79	लाभों के बटवारे के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हुआ है।
2.	दुलहस्ती	जम्मू और कश्मीर	390	18345.00 (निवल)	14.5.79	रा० ता० वि० निगम के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए स्कीम सार्वजनिक

1	2	3	4	5	6	7
						निवेश बोर्ड ने स्वीकृत कर दी है । मंत्रिमंडल के अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।
3.	नेपथा झाकड़ी	हिमाचल प्रदेश	1020	53388.00	फरवरी 80	कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्था तथा लाभों के बंटवारे के सम्बन्ध में योजना आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।
4.	ऊरी	जम्मू और कश्मीर	480	26605.00	मार्च 80	सिन्धु जल सन्धि के दृष्टिकोण से सिंचाई विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।
5.	पाला मानेरी	उत्तर प्रदेश	142.5	12616.00	अगस्त, 80	परियोजना की सिफारिश योजना आयोग को 16.2.1981 को कर दी गई है तथा योजना आयोग की निवेश संबंधी स्वीकृति की प्रतीक्षा है ।
6.	मुकेरियन	पंजाब	207	11558.00	दिसम्बर 80	लाभों के बंटवारे के सम्बन्ध में निर्णय नहीं हुआ है ।
7.	साईलेन्ट वैली	केरल	120	5800.00	फरवरी, 79	समस्त संसार के पर्यावरण विज्ञानियों तथा परिस्थिति विज्ञानियों द्वारा व्यक्त की गई गम्भीर आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए, मामले की पुनः जांच की जा रही है ।

1	2	3	4	5	6	7
8.	पोचमपाद	आन्ध्र प्रदेश	27	1349.00	मार्च, 80	परियोजना की सिफारिश योजना आयोग को 16.7.80 को कर दी गई है और योजना आयोग की निवेश सम्बन्धी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
9.	घटाप्रभा	कर्नाटक	32	1882.00	अगस्त, 80	परियोजना की सिफारिश योजना आयोग को 18.11.80 को कर दी गई है और योजना आयोग की निवेश सम्बन्धों स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
10.	अपर कोलाब	उड़ीसा	80	1861.73	दिसम्बर, 80	पर्यावरण के दृष्टिकोण से विज्ञान तथा प्राद्योगिकी विभाग की स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
11.	हीराकुंड चरण-3	उड़ीसा	37.5	1596.88	दिसम्बर, 80	—वही—
12.	धनसीरी	असम	19.95	1053.39	दिसम्बर, 80	परियोजना की सिफारिश योजना आयोग को 25.2.1981 को कर दी गई है और योजना आयोग की निवेश सम्बन्धी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

विवरण 2

वे स्कीमें जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की जा रही है

स्कीम	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1. शाहपुर कंडी ×	पंजाब	2 × 4[illegible] = 94	122.[illegible]0	दिसम्बर, 80
2. किशाऊ × ×	उत्तर प्रदेश	4 × 150 = 600	459.84	1978
3. आनन्दपुर साहिब × ×	पंजाब	4 × 33·5 = 134	96.12	अक्तूबर, 76
4. कारमिल	जम्मू व कश्मीर	3 × 1.25 = 3.75	6.47	फरवरी, 81
5. बानेर	हिमाचल प्रदेश	2 × 3 = 6	4.11	नवम्बर, 78
6. दुमखार	जम्मू व कश्मीर	4 × 0.5 = 2.00	1.90	दिसम्बर, 78
7. अपर सिंध चरण-2	जम्मू व कश्मीर	3 × 35 = 105	71.38	दिसम्बर, 80
8. लखवार व्यासी	उत्तर प्रदेश	3 × 100 + 2 × 60 = 420	228.48	सितम्बर, 79
9. होली	हिमाचल प्रदेश	3 × 1.5 = 4.5	3.425	सितम्बर, 79
10. माऊंट आबू	राजस्थान	2 × 1.25 = 4.5	5.16	अक्तूबर, 79
11. राजस्थान मुख्य नहर	राजस्थान	4 × 2 = 8	5.26	फरवरी, 80
12. लोहारी नागपाता	उत्तर प्रदेश	3 × 94 = 28[illegible]	126.92	फरवरी, 80
13. थिरोट	हिमाचल प्रदेश	3 × 1 = 3	4.16	मार्च, 80
14. वग्गी	पंजाब	2 × 20 = 40	41.19	अप्रैल, 80
15. सलाल चरण-2	जम्मू व कश्मीर	3 × 115 = 345	62.23	जुलाई, 80

1	2	3	4	5
16. लोअर झेलम यूनिट 4	जम्मु व कश्मीर	1 × 35 = 35	12.43	फरवरी, 81
17. दादपुर माइक्रो	हरियाणा	4 × 1.5 = 6	8.72	सितम्बर, 80
पश्चिमी क्षेत्र				
18. सिंघxx	मध्य प्रदेश	3 × 25 = 75	39.31	जून, 78
19. ओरछाxx	मध्य प्रदेश	2 × 30 + 2 × 15 = 90	73.48	सितम्बर, 78
20. सरदार सरोवरxx	गुजरात/ म० प्र०/महाराष्ट्र	5 × 150 +	524.00	फरवरी, 80
21. हसदेव	मध्य प्रदेश	3 × 40 = 120	40.08	मई, 80
22. कुतरू-1	मध्य प्रदेश	3 + 0 = 1 0	72.58	जून, 80
23. बासागर	मध्य प्रदेश	3X105+2X15 +3 × 15=390	195.82	जून, 80
24. खाडकवासला चरण-2	महाराष्ट्र	1×8+1×8=16	10.48	अक्तूबर, 80
25. भतसा	—वही—	1 × 15 = 15	8.96	अक्तूबर, 80
दक्षिणी क्षेत्र				
26. करपारा कुरियारकुवटीxx	केरल	1 × 15 + 1 × 20 + 2 × 30 = 95	32.1	जनवरी, 79
27. पंडियार पुन्नापुझाx	तमिलनाडु	2 × 50 = 100	73.90	दिसम्बर, 76
28. कुटियाडी विस्तार	केरल	—	13.05	दिसम्बर, 76
29. शानमुखानदी	तमिलनाडु	1 × 30 = 30	20.51	जनवरी, 7
30. चोलाटीपुझाx	तमिलनाडु/ केरल	1 × 60 = 60	21.68	मार्च, 77
31. लोअर पैरितार	केरल	3 × 60 = 180	59.76	फरवरी, 78
32. अपर अमरावतीx	तमिलनाडु	1 × 30 = 30	15.78	जुलाई, 78
33. कुन्दाह बिजली घर-6	—वही—	1 × 30 = 30	11.56	सितम्बर, 78

1	2	3	4	5
34. गान्नार-चित्तेर वापरिवर्तन स्कीम	—वही—	—	1.07	अगस्त, 78
35. काबिनी बाध बिजली घर	कर्नाटक	1 × 20 = 20	9.32	सितम्बर 79
36. लोअर भवानी	तमिलनाडु	4 × 2 = 8	5.78	दिसम्बर, 79
37. वैगाई	—वही—	2 × 3 = 6	3.76	फरवरी, 80
38. पिकारा बाध बिजली घर	—वही—	1 × 2 = 2	1.45	मई, 80
39. मानानथावादीxx	केरल	4 × 60 = 240	69.12	मई, 80
40. नागार्जुनसागर एल० बी० सी०	आन्ध्र प्रदेश	2 × 30 = 60	22.58	मई, 80
41. पन्ना अहोबिलाम	आन्ध्र प्रदेश	2 × 10 = 20	8.86	अक्तूबर, 80
42. काल्लाडा	केरल	2×7.5 = 15	13.90	नवम्बर, 80
43. जालपुट बांध बिजली घर	आन्ध्र प्रदेश	3 × 6 = 18	8.88	फरवरी, 81
44. पंडियार पन्नापुझाx	केरल	2 × 35 = 70	21.95	दिसम्बर, 72
पूर्वी क्षेत्र				
45. भी कुंडXX	उडीसा	6X115+3X16 738	158.95 =	अगस्त, 80
56. बलिमेला चर5-2	—वही	2 × 60 = 120	20.21	फरवरी, 78
47. रामन चरण-1	पश्चिम बंगाल	2 × 15 = 30	16.21	मार्च, 78
48. तीसता नहर प्रपात-1	—वही—	3 × 7.2 = 28.5	14.47	मार्च, 79
49. रेंगली चरण-2	उड़ीसा	3 × 50 = 150	21.73	दिसम्बर, 79
50. तीस्ता नहर प्रपात (2,3 और)	पश्चिम बंगाल	3 × 7.5+ 3 × 8.5 = 45	33.39	फरवरी, 80
51. उत्तरी कोयल	बिहार	2 × 12 = 24	11.24	अगस्त, 80

1	2	3	4	5
52. संख	बिहार	1X24+3X100 +3X90 = 594	298.40	नवम्बर, 78
53. पूर्वी मंडक नहर	—वही—	3X7.5+ 5X7.5 = 60	60.79	मार्च, 81
उत्तरी-पूर्वी				
54. धाउबल	मणिपुर	3X3.5 = 7.5	3.2	जुलाई, 80
55. तायपुकी	नागालैंड	2 × 1.5+ 1 × 1 = 4	3.52	सितम्बर, 80
56. डोयांग	नागालैंड	3 × 35 = 105	88.03	दिसम्बर, 80
57. बोडकराई	असम	3.25	1.93	अगस्त, 76

Xपरियोजन में अन्तर्राज्यीय पहलू शामिल हैं।

Xबहुद्देशीय परियोजनाएं।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सोहागपुर क्षेत्र में कोयले का उत्पादन

4776. श्री दलबीर सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 19 7 से दिसम्बर, 1980 तक की अवधि के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सोहागपुर क्षेत्र में कोयले का कुल उत्पादन कितना है;

(ख) इस अवधि के दौरान ट्रकों और रेलवे द्वारा अलग-अलग यहां से ढुलाई किये गये कोयले की मात्रा क्या है ;

(ग) जनवरी, 1977 तथा 1 जनवरी, 1981 को उपलब्ध शेष स्टाक कितना है ; और

(घ) क्या शेष स्टाक की वास्तविक रूप से जांच की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) सोहागपुर एरिया में जनवरी, 1977, से दिसम्बर, 1980 (दोनों महीनों को मिलाते हुए) तक की अवधि में कोयले का उत्पादन 133.08 लाख टन हुआ था।

(ख) उक्त अवधि में रेल द्वारा तथा अन्य साधनों द्वारा कोयले का परिवहन इस प्रकार रहा : —

रेल—81.74 लाख टन।

सड़क और अन्य साधन—54.42 लाख टन।

(ग) सोहागपुर एरिया में पहली जनवरी, 1977 को कोयले का स्टाक 4.1 लाख टन और पहली जनवरी, 1981 को 7.34 लाख टन था।

(घ) कोयले के स्टाक का भौतिक सत्यापन हर महीने कोलियरी द्वारा, हर तिमाही एरिया मन्त्रालय द्वारा और हर वर्ष कम्पनी मुख्यालय द्वारा किया जाता है।

रतलाम से प्रकाशित होने वाले पाक्षिक साप्ताहिक और दैनिक पत्र

4777. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला रतलाम (मध्य प्रदेश) से ऐसे कितने पाक्षिक, साप्ताहिक और दैनिक पत्र प्रकाशित किये जा रहे हैं, जिनके नाम (टाईटल्स) स्वीकृत नही करवाए गये हैं, जैसा कि नियमों में अपेक्षित है;

(ख) क्या इस प्रकार के पत्रों का प्रकाशन नियम-निष्ठ है;

(ग) क्या उनमें से कुछ पत्रों को सरकारी कोटे से अखबारी-कागज दिया जाता है; और

(घ) उनकी परिचालन संख्या किन भिन्न-भिन्न तारीखों को सत्यापित की गई थी और किसने उनका सत्यापन किया था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन ए० जोशी) : (क) सरकार के पास रतलाम से प्रकाशित हो रहे ऐसे-नियतकालिक पत्र के बारे में कोई सूचना नहीं है, जिसका नाम प्रकाशक द्वारा नियमों के अनुसार स्वीकृत नहीं करवाया गया हो।

(ख) इस प्रकार के पत्र का प्रकाशन, यदि हों, अनियमित है।

(ग) और (घ) इस प्रकार के पत्रों को अखबारी कागज देने या उनकी प्रसार संख्या की जांच पड़ताल करने का प्रश्न नहीं उठता।

तेल शोधक कारखानों की स्थापना हेतु भारतीय तकनीकी जानकारी खरीदने के लिए अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के शिष्टमन्डल की भारत यात्रा

4778. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1981 के दौरान अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के साथ दस सदस्यीय शिष्ट मन्डल ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस शिष्टमंडल के साथ हुई वार्ता का ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या शिष्टमंडल ने आशा की है कि उनके अपने देशों में तेलशोधक कारखानों तथा अन्य परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय तकनीकी जानकारी खरीदने के लिए अरब देशों के तेल उत्पादकों के लिए अच्छी संभावनाएं थी ;

(घ) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी परियोजनायें हैं जिसके लिए अरब देश भारत से तकनीकी जानकारी खरीदने के लिए सहमत हो गये है ; और

(ङ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) फरवरी, 1981 के दौरान ओ० ए० पी० ई० सी० के एक छः-सदस्यीय शिष्टमंडल भारत का दौरा किया था।

(ख) विचार-विमर्श किये गये विषयों में मोटे तौर से हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भारत की क्षमताओं तथा भारत और ओ० ए० पी० ई० सी० के सदस्य देशों के बीच सहयोग के लिए अवसरों की खोज से सम्बन्धित थे।

(ग) शिष्टमंडल के साथ विचार-विमर्श के दौरान अन्य विषयों के साथ सामान्य रूप से ओ० ए० पी० ई० सी० के सदस्य क्षेत्र में शोधन शालाओं और अन्य हाइड्रोकार्बन प्रायोजनाओं की स्थापना के लिए भारतीय तकनीकी जानकारी और अनुभव के विस्तार पर विचार किया गया था।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में किसी औपचारिक करार हस्ताक्षर नहीं किये गए थे।

राऊरकेला उर्वरक संयंत्र से कैल्शियम का उत्पादन

4779. श्री के० प्रधानी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखाने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1980-81 में राऊरकेला उर्वरक संयंत्र में कैल्शियम आमेनियम नाइट्रेट का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) राऊरकेला उर्वरक संयंत्र के कुल उत्पादन में से उपरोक्त अवधि के दौरान उड़ीसा राज्य को कुल कितनी मात्रा दी गई;

(ग) क्या सरकार का विचार उड़ीसा में विभिन्न उर्वरक संयंत्रों से इस राज्य को उर्वरक की ज्यादा मात्रा का आवंटन करने का है; और

(घ) यह विचार कब क्रियान्वित किया जायेगा।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलवीर सिंह) : (क)

राऊरकेला फर्टिलाइजर प्लांट द्वारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का वर्ष-वार उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वर्ष	उत्पादन (टन)
1977-78	2,87,997
1978-79	2,76,306
1979-80	1,96,076

(ग) उक्त वर्षों के दौरान राऊरकेला फर्टिलाइजर प्लांट के उत्पादन में से उड़ीसा को सप्लाई किए गए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की कुल मात्रा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सप्लाई की गई मात्रा (टनों में)
1977-78	99,909
1978-79	87,232
1980-81	47,060

(ग) और (घ) प्रत्येक राज्य के लिए उर्वरकों की आवश्यकता का मूल्यांकन, प्रत्येक फसल मौसम से पहले, सम्बन्धित राज्य सरकार के परामर्श से किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक राज्य की आवश्यकता को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए आयात और देश से प्राप्त उत्पादन से सप्लाई की एक समन्वित और सुव्य स्थित योजना तैयार की जाती है। उड़ीसा की आवश्यकताओं को उड़ीसा के बाहर के उर्वरक सयंत्रों और, यदि आवश्यक हो, तो आयात में से उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा का आवटन करके पूरा किया जाता है।

प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में बसाए गए विस्थापित व्यक्ति

4780. **श्री चित्त महाटो :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता के बाद से प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कितने-कितने विस्थापित व्यक्तियों को बसाया गया तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रति वर्ष कितनी-कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : एक विवरण, जिसमें स्वतन्त्रता के बाद से प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में बसाए गए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या दर्शाई गई है, संलग्न है।

2. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रति वर्ष के आधार पर न दी जाकर विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए तैयार की गई विशिष्ट योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वय के लिए उनके द्वारा किए गए/किए जाने वाले व्यय के आधार पर दी जाती है। 31 जनवरी,

1981 तक भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगलादेश), पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) तथा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर क्षेत्र से आए विस्थापित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास पर 998.02 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जिसका ब्यौरा निम्न है :—

विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणी	किया गया व्यय (रुपये करोड़ में)
1. भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) से आये विस्थापित व्यक्ति	574.61
2. भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से आये विस्थापित व्यक्ति ।	399.21
3. भारत-पाक संघर्ष, 1971 में राजस्थान औप गुजरात में आए विस्थापित व्यक्ति ।	19.43
4. पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर क्षेत्री से आए शरणार्थी ।	4.77

विवरण

राज्य का नाम	विस्थापित व्यक्तियों की श्रेणी			
	पश्चिमी (भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान	भारत-पाक संघर्ष 1971 के दौरान विस्थापित हुए व्यक्ति	पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर क्षेत्र	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश
1	2	3	4	5
1. आध्र प्रदेश	4,000	—	—	8,600
2. आसाम	—	—	—	4,75,000
3. बिहार	—	—	—	74,200
4. गुजरात	(ये आंकड़े महाराष्ट्र में शामिल हैं)	—	—	—
5. हिमाचल प्रदेश	5 000	—	—	—
6. हरियाणा	(ये आंकड़े पंजाब में शमिल हैं)	—	—	—
		—	—	—

1	2	3	4	5
7. जम्मू और कश्मीर	—	—	1,35,000	—
8. कर्नाटक	7,000	—	—	2,900
9. महाराष्ट्र	4,15,000	—	—	27,700
10. मध्य प्रदेश	2,09,000	—	—	41,500
11. मणिपुर	—	—	—	2,900
12. मेघालय	—	—	—	9,700
13. उड़ीसा	—	—	—	14,200
14. पंजाब	27,37,000	—	—	15
15. तमिलनाडु	9,000	—	—	—
16. त्रिपुरा	—	—	—	3,49,·00
17. राजस्थान	3,7१,000	—	—	5,500
18. उत्तर प्रदेश	4,80,000	—	—	28,850
19. पश्चिमी बंगाल	—	—	—	20,95,000
योग :	42,39,000	28,000	1,35,465	31,35,465
संघ शासित क्षेत्र				
1. अण्डमान और नीकोबार द्वीप	—	—	—	15,300
2. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	13,000
3. दिल्ली	5,01,000	—	—	—
योग :	5,01,000	—	—	28,300
दण्डकारण्य	—	—	—	1,03,700
कुल योग :	47,40,000	28,000	1,35,000	32,67,465

भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड से खरीदे गए उपकरणों द्वारा नए ताप बिजली घरों से बिजल उत्पादन में परिहार्य संकट उत्पन्न होना

4781. श्रीमती माधुरी सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि भारत हैवी इलैक्टीकल्स लिमिटेड से उपकरणों की खरीद के आग्रह ने नए ताप विद्युत केन्द्रों के स्तर में सुधार और प्रभावी उपयोगिता में परिहार्य संकट उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों में उन्नत टेकनालाजी वाले स्रोतों विशेषकर अमरीका और जापान से बिजली के उपकरणों की अधिक खरीद संबंधी नीति में क्या परिवर्तन किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा सप्लाई किए गए उपस्करों से प्रथम उत्पादन में यूनिटों की स्थिरीकरण अवधि के प्रारंभिक चरणों के दौरान प्रारंभिक कठिनाइयां आ रही हैं । तथापि, विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों, निर्माताओं, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा कठोर मानीटरिंग किये जाने और निर्माण, उत्पादन और चालू करने के दौरान गुणवत्ता आश्वासन संबंधी योजनाएं होने तथा निर्माताओं तथा विद्युत केन्द्र प्राधिकारियों के बीच निरन्तर फीड बैक होने से इनके कार्यनिष्पादन में सुधार हो रहा है। इसके अलावा, नए ताप विद्युत केन्द्रों का कार्यनिष्पादन केवल भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० द्वारा सप्लाई किए गए उपस्करों पर ही निर्भर नहीं करता अपितु समन्वित रूप से, नियंत्रण, इन्स्टमेन्टेशन कोयला और राख हैंडलिंग प्रणाली, विद्युत उपस्कर तथा उपस्कर के अन्य हिस्सों जैसे आनुषंगिक उपस्करों पर भी निर्भर करता है ।

(ख) नीति में ऐसा कोई परिवर्तन करने का विचार इस समय नहीं है ।

राज्याध्यक्ष समिति की सिफारिश

4782. श्री इन्द्रजीत गुप्त)
श्री के० ए० राजन) : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्याध्यक्ष समिति की रिपोर्ट पर विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों में परिचालित श्रमिक-संघों का सहयोग प्राप्त करने हेतु उनके विचार न जानने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : राज्याध्यक्ष समिति ने कई सिफारिशें की हैं, जिनकी जांच राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके की जानी है । प्रत्येक राज्य के मुख्य मन्त्री को, विद्युत मन्त्री को तथा राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों की इस रिपोर्ट की प्रतियां भेजी जा चुकी हैं । आशा की जाती है कि अपने विचार बनाते समय राज्य सरकारें जहां भी आवश्यक होगा, संबन्धित संस्थाओं और संगठनों के साथ आवश्यक परामर्श करेंगी ।

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन उत्तर कर्मपुर कोयले क्षेत्र में रा कोयला के भारी निक्षेपों का पता चलना

4783. श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन उत्तर कर्मपुरा कोयला क्षेत्र में रा कोयले के भारी निक्षेपों का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो पता लगे कोयले के निक्षेपों की मात्रा कितनी है और इस क्षेत्र का आगे विदोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) नार्थ करणपुरा के पीपरवार ब्लाक में कोयले के लगभग 295 मिलियन टन के भण्डार का पता चला है जिसमें से 250 मिलियन टन का ओपनकास्ट खनन हो सकता है। यह कोयला घटिया किस्म का है और केवल बिजली उत्पादन के लिए ही उपयुक्त है। इस ब्लाक में अन्वेषण कार्य चल रहा है जिसके मार्च, 1982 तक पूरा हो जाने की आशा है। इसके बाद इन भण्डारों के दोहन उपयोग की तकनीकी-आर्थिक साध्यता का निर्धारण किया जाएगा। संभावना है कि इस ब्लाक में 1985-86 में उत्पादन शुरू हो जायेगा।

कुछ राज्यों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण की आबंटन राशि का उपयोग न किया जाना

4784. श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान कुछ ऐसे राज्य हैं जो गीतों में बिजली लगाये जाने के वार्षिक लक्ष्य के बारे में उन्हें दी गई आबंटन राशि का उचित लाभ नहीं उठा सके हैं ;

(क) यदि हां, तो इन राज्यों का ब्यौरा क्या है ; और

ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य पूरे न करने के क्या कारण हैं और ये लक्ष्य पूरे करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में लक्ष्य तथा प्राप्तियां विवरण में दी गई है। परिव्यय तथा व्यय सम्बन्ध राज्य-वार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) ग्राम विद्युतीकरण में लक्ष्य प्राप्त न हो पाने के कई कारण हैं। ये कारण हैं वित्तीय बाधाएं, कुछ राज्य बिजली बोर्डों बिजली विभागों में संगठनात्मक क्षमता सम्बन्धी सीमायें, सत्युपि-नियम, इस्पात, सीमेंट आदि जैसी निर्माण सामग्री की कमी, विद्युत की कमी तथा कुछ अवधियों में देश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा तथा बाद जैसी प्राकृतिक आपदाएं।

इस स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कदम कई उठाए जा रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं, ग्राम विद्युतीकरण के लिए वार्षिक योजना परिव्यय में बढोत्तरी, जहां पर आवश्यक हो वहां दुर्लभ सामग्री का आयात, ग्राम विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य में विद्युत इन्जीनियरों/तकनीशयनों को प्रशिक्षण देना। वित्तीय रूप से जीवन क्षम तथा तकनीकी तौर पर व्यवहार्य स्कीमों को तैयार करने और कार्यान्वित करने में बिजली बोर्डों को सलाह देने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न राज्यों में कई क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए हैं।

विवरण-1

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1977-80 के दौरान गांवों के विद्युतीकरण के संबंध में लक्ष्य तथा प्राप्तियां ।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	गांवों का विद्युतीकरण					
		1977-78		1978-79		1979-80	
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	690	1157	2000	826	1520	1014
2.	असम	500	179	1150	825	1165	1225
3.	बिहार	1600	537	2000	499	1310	742
4.	गुजरात	880	1013	1350	1343	1400	1403
5.	हरियाणा	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
6.	हिमाचल प्रदेश	800	507	750	576	900	592
7.	जम्मू और कश्मीर	500	1185	700	414	415	124x
8.	कर्नाटक	600	457	600	560	1104	546
9.	केरल	24	12	32	24	20	20
10.	मध्य प्रदेश	1600	2521	2650	3000	2120	2700
11.	महाराष्ट्र	1500	1274	1800	1904	1800	2073
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	22	39	100	48
13.	मेघालय	100	58	110	78	199	72
14.	नागालैण्ड	30	37	46	34	70	50
15.	उड़ीसा	1500	1100	1750	1407	2200	1663
16.	पंजाब	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)
17.	राजस्थान	1515	1638	1600	2312	2000	1531
18.	सिक्किम	20	20	35	शून्य	25	5
19.	तमिलनाडु	31	6	15	3	(+)	25
							75

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	त्रिपुरा	140	120	120	1:6	200	200
21.	उत्तर प्रदेश	5000	1928	700	1272	3945	2279
22.	पश्चिम बंगाल	1800	688	2000	494	1950	700
	जोड़ (राज्य)	18630	14437	23430	15766	22443	17012
1.	अण्डेमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह	4		2		18	
2.	अरुणाचल प्रदेश	47		120		33	
3.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
4.	दादर और नगर हवेली	14		3		शून्य	
5.	दिल्ली	—	40 —	—	100 —	—	250 —
6.	गोवा, दमन और दीव	6		5		4	
7.	लक्ष द्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	मिजोरम	5		11		5	
9.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—
	जोड़(संघ शासित क्षेत्र)	40	76	100	141	250	60
	जोड़ (अखिल भारत)	18670	14513	23530	15907	22693	17072

(*) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं रखा गया था।

(*) शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पहले ही किया जा चुका है।

× 31-12-1979 तक हुई प्रगति।

विवरण-2

पिछले तीन वर्षों अर्थात 1978-80 के दौरन ग्राम विद्युतीकरण के लिये, योजना संसाधनों के अन्तर्गत परिव्ययों का आबंटन तथा उसकी तुलना में हुए व्यय को दिखाने वाला विवरण

(करोड़ रु० में)

क्रम	राज्य/संघ राज्य	1977-78		1978-79		1979-80	
स०	क्षेत्र	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	12.95	28.96	28.50	35.68	14.00	उ०न०
2.	असम	4.70	4.70	7.10	3.05 ×	8.00	उ०न०
3.	बिहार	17.55	12.33	22.00	5.46	15.60	उ०न०
4.	गुजरात	3.50	11.92	6.50	15.97	10.00	20.64 ×
5.	हरियाणा	5.00	8.99	10.50	9.16	8.11	उ०न०
6.	हिमाचल प्रदेश	3.60	2.48	4.00	3.24	4.20	3.18 ×
7.	जम्मू व कश्मीर	3.57	5.23	4.00	4.00	4.30	उ०न०
8.	कर्नाटक	4.65	7.65	10.00	9.25	9.25	उ०न०
9.	केरल	5.15	0.80	5.25	0.87	2.00	उ०न०
10.	मध्य प्रदेश	20.91	30.65	32.70	38.57	27.67	उ०न०
11.	महाराष्ट्र	9.62	33.15	11.66	37.84	26.00	53.16 ×
12.	मणिपुर	0.10	0.002	0. 5	0.33	1.10	उ०न०
13.	मेघालय	1.54	1.72	2.31	1.17	6.96	उ०न०
14.	नागालैण्ड	0.45	0.51	0.75	0.67	0.85	00.95
15.	उडीसा	9.70	9.27	13.30	10.50	14.67	उ०न०
16.	पंजाब	12.10	15.07	17.20	19.41	14.55	उ०न०
17.	राजस्थान	12.25	1 .09	14.80	29.48	14.67	उ०न०
18.	सिक्किम	0.15	0.15	0.25	0.35	0.25	0.22
19.	तमिलनाडु	11.20	17.85	11.50	18.00	17.80	उ०न०
20.	त्रिपुरा	1.00	0.96	2.41	1.42	2.60	1-51
21.	उत्तर प्रदेश	20.97	22.59	37.80	24.85	33.60	उ०न०
22.	पश्चिम बंगाल	11.70	11.70	14.00	4.15 ×	13.50	उ०न०
	जोड़ (राज्य)	172.15	244.67	266.98 ×	273.42	275.92 ×	

1	2	3	4	5	6	7	8
1. अंडमान और निको-							
बार द्वीप समूह		0.05	0.25	0.14	0.23	0.14	038
2. अरुणाचल प्रदेश		0.30	0.29	1.76	0.66	1.00	उ०नि०
3. चण्डीगढ़		—	शून्य	0.30	0.02	0.30	उ०नि०
4. दादर और नागर							
हवेली		0.03	0,17	0.01	0.18	0.20	0.07
5. दिल्ली		0.60	0.65	0.75	0.71	0.75	उ०नि०
6. गोवा, दमन और							
दीव		0.25	0.40	0.22	0.26	0 40	उ०नि०
7. लक्षद्वीप		0.17	0.60	0.24	0.14	0.30	0.14
8. मिजोरम		0.60	0.45	1.38	0.30	1.20	0.58
9. पाण्डिचेरी		0.37	0.34	0.20	0.36	0.20	0.38
जोड़ (संघक्षेत्र) राज्य		2.37	2.61	5.00	2.86	4.49	
जोड़ (अखिल भारत)		174.52	247.28	271.98	276.28	280.41	

*वाणिज्यक बैंकों के साथ ग्राम विद्युतीकरण निगम की संयुक्त भागीदार स्कीमों के लिए 10.00 करोड़ रुपये का आबंटन इसमें शामिल है।

*विशिष्ट कार्यक्रम-कृषि, हरिजन बस्तियों तथा ग्राम विद्युतीकरण सहकारिताओं के ग्राम विद्युतीकरण निगम के भाग के लिए 29.00 करोड़ रुपयों का आबंटन इसमें शामिल है।

× ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

× स्वीकृत परिव्यय

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अमरीका से वर्किंग ड्रेगलाइन्स का आयात करने की योजना

4785, डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम हेतु एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी से 500 करोड़ रुपए मूल्य का एक बहु-प्रयोगिय उपकरण वार्किंग ड्रेगलाइन्स का आयात करने की योजना बना रहा है;

(ख) क्या उक्त मशीन का निर्यात सरकारी उपक्रम भारत हैवी इंजीनियरिंग निगम द्वारा नहीं किया जा सकता जिसने इसके लिये आवेदन भी किया है ;

(ग) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय के विशेषज्ञ का मत कोल इंडिया लिमिटेड की उक्त आयात-योजना के विरुद्ध है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की वर्ष 1980-85 की आयात योजना पर पुनः विचार किया था और उस पर अंतिम रूप से क्या निर्णय किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) कोल इंडिया लि० ने सुझाव दिया था कि मैसर्स मैरियन (संयुक्त राज्य अमरीका) से दो वर्किंग ड्रेग लाइनों का आयात किया जाए जिनकी लागत लगभग 9.60 करोड़ रुपए होगी।

(ख) और (ग) हैवी इंजीनियरी निगम ने विदेशी सहयोग से हाल ही में पहली बार इस उपकरण के निर्माण का काम शुरू किया है। यद्यपि तकनीकी विकास महाविदेशक ने शुरू में दो ड्रेग लाइनें संयुक्त राज्य अमरीका से आयात करने की मंजूरी दे दी थी लेकिन बाद में उन्होंने यह सुझाव दिया कि इनके लिए क्रय आदेश हैवी इंजीनियरी कारपोरेशन को दिया जाए। इस समय इस सुझाव पर विचार हो रहा है।

(घ) किसी उपकरण के आयात का निर्णय अन्य बातों के साथ साथ देश में इसकी उपलब्धि का भी ध्यान रखकर किया जाता है।

कोयला खनन क्षेत्र में धसाव

4786. श्री नीरेन घोष : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खनन क्षेत्र में भारी पैमाने पर धसाव हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये है ;

(ग) क्या रानीगंज, बूडारपुर और कुल्टी के धंस जाने की आशंका है ;

(घ) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ङ) किन-किन क्षेत्रों एवं खानों में रेत की भराई की गई है ; और

(च) क्या यह अनिवार्य है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार की एक एजेन्सी आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण ने

रानीगंज शहर के नीचे परित्यक्त खानों में खाली जगहों को रेत और पानी के घोल से भरने के संबंध में एक पाइलट अध्ययन करने का प्रस्ताव रखा है।

(ङ) और (च) कोयला खनन विनियमावली (1957) के अधीन यह आवश्यक है कि रेत की भराई उस हालत में अनिवार्यतः की जाए जबकि कोयला सार्वजनिक सम्पत्ति, जलाशयों, जल मार्गों आदि के नीचे से निकालना हो। रेत भराई संरक्षण की दृष्टि से भी अनिवार्य है। इस समय ई० को० लि० की 112 खानों में से 46 खानों में रेत भराई की जा रही है।

कोयले की की ढुलाई के लिये स्लरी पाईप लाइनों का निर्माण

4787. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले की ढुलाई के लिये स्लरी पाईप लाईनों का निर्माण करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने अभी हाल में ही एक कार्यकारी दल की स्थापना की है जिसे ऐसी एजेन्सी का नाम बताने का काम दिया गया है जो कोयले के परिवहन की इस नई पद्धति के संबध में एक तकनीकी-आर्थिक साध्यता अध्ययन कर सके। इस कार्यकारी दय ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

ऊर्जा मन्त्रालय में कार्यरत आई० ए० एस० अधिकारियों की संख्या

4788. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को सरकार के इस प्रस्ताव की आई० ए० एस० अधिकारियों को सामान्यतः केन्द्र में एक साथ तीन वर्ष से अधिक समय तक न रखने के नियम का पालन किए जाने के बारे में जानकारी हैं;

(ख) उनके मन्त्रालय में कितने आई० ए० एस० अधिकारी कार्यरत हैं, उनके पदों के साथ ब्योरा दीजिए ;

(ग) इनमें से कितने अधिकारियों ने उनके मन्त्रालय में तीन वर्ष से ज्यादा की अवधि पूरी कर ली है ;

(घ) इस सेवा की नैतिक स्तर बनाए रखने तथा कुशल प्रशासन के हित में उन अधिकारियों का जिन्होंने एक स्थान पर तीन वर्ष से ज्यादा की अवधि पूरी कर ली है, इन सभी अधिकारियों के स्थानान्तरण का प्रस्ताव न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि के अधिकारी केन्द्र में नीचे बताये गये कार्यकाल की विशिष्ट अवधियों के लिए नियुक्त किए जाते हैं : —

अवर सचिव के स्तर के पदों के लिए	3 वर्ष
उप सचिव के स्तर के पदों के लिए	4 वर्ष
निदेशक तथा इससे ऊपर के स्तर के पदों के लिए	5 वर्ष

अपने कार्यकाल की समाप्ति पर सम्बन्धित अधिकारी सामान्यतः अपने अपने राज्यों/संवर्गों को लौट जाते हैं। तथापि, सरकारी कार्यों की आवश्यकताओं की स्थिति में तथा सार्वजनिक हित में प्रशासनिक दृष्टि से उनके कार्य-काल में कमी की जा सकती है अथवा उसमें वृद्धि की जा सकती है।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जैसा कि उपरोक्त विवरण में बताया गया है, तीन अधिकारियों ने विद्युत विभाग में, दो अधिकारियों ने तथा कोयला विभाग में एक अधिकारी ने तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	केन्द्र में नियुक्ति की तारीख	ऊर्जा मंत्रालय में नियुक्ति की तारीख	आयुक्ति
1	2	3	4	5
(क) ऊर्जा मन्त्रालय (विद्युत विभाग)				
		संयुक्त सचिव		
1.	श्रीमती ओतिमा बोर्दिया	31.7.1975	31.7.1975	सक्षम प्राधिकारी
2.	श्री पी० एम० बेलिअप्पा	9.10.1975	1.8.1977 (अपरान्ह)	के अनुमोदन से अवधि 30.4.81 तक बढ़ा दी गई है।
3.	श्री एस० रमेश	17.7.1978	17.7.1978	

1	2	3	4	5
4.	श्री के० मिश्रा	1.2.1978	26.6.1980	
		निदेशक		
1.	श्री के० इम्ब सागरन	16.6.1979	16.6.1979	
2.	श्री के० धर्मराजन	23.7.1979	4.9.1980	
3.	श्री ई० ए० एस० शर्मा	3.4.1979	3.4.1979	पूल फाइडेशन स्कीम के अन्तर्गत विदेश में प्रतिनियुक्ति पर हैं।
		उप सचिव		
1.	श्री हरीश नैय्यर	31.5.1979	31.5.1979	
		अवर सचिव		
1.	श्री अजय शंकर	29.9.1978	29.9.1978	
2.	श्री सुधाकर राव	18.10.1978	18.10.1978	
	(ख) ऊर्जा मन्त्रालय (कोयला विभाग)			
		अपर सचिव		
1.	श्री आर० पी० खोसला	3.7.1976	3.7.1976	
		संयुक्त सचिव		
1.	श्री पी० के० लाहड़ी	4.6.1980	4.6.1980	
2.	श्री एल० एड० लड्ढा	1.3.1979	1.3.1979	
		निदेशक		
1.	श्री पी० सरकार	17.2.1979	17.2.1979	
2.	एस० बन्द्योपाध्याय	28.1.1979	29.9.1980	
3.	श्रीमती के० सूद	4.1.1980	4.1.1980	
4.	श्री एस० नारायणम	3.10.1979	3.10.1979	विदेश में प्रशिक्षण पर हैं।

नाथपा झकरी विद्युत परियोजना

4789. श्री बुद्धि चन्द्र जैन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में सतलुज पर प्रस्तावित नाथपा झकरी विद्युत परियोजना में किन-किन राज्यों का हिस्सा है और कितना-कितना हिस्सा है ;

(ख) इस परियोजना की कितने मेगावाट क्षमता होगी और इस पर कितनी लागत आएगी; और

(ग) क्या यह सच है कि सतलुज के पानी में राजस्थान का हिस्सा 15.5 प्रतिशत है और यदि हां, तो राजस्थान की इस परियोजना में सम्मिलित न करने तथा उसमें हिस्सा न देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) योजना आयोग के साथ परामर्श करके ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ख) 455.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर परियोजना की प्रतिष्ठापित क्षमता 1020 मेगावाट होने का प्रस्ताव है । इसमें परिषण की लागत शामिल नहीं है ।

(ग) राजस्थान के हित को ध्यान में रखा जाएगा ।

बिहार में बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए औद्योगिक गृहों की पेशकश

4791. श्री डी० पी०जदेजा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए कई औद्योगिक गृहों ने पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) क्या इस प्रकार की पेशकश अन्य राज्यों को भी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार सरकार ने सूचित किया था कि राज्य सरकार को दो प्रस्ताव प्राप्त हुए थे — एक टाटा स्टील एण्ड आयरन कम्पनी लिमिटेड से जमशेदपुर में लगभग 200 मेगावाट के विद्युत संयंत्र के प्रतिष्ठापन के लिए तथा दूसरा बिहार काष्टिक एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड से पालामू में 135 मेगावाट के विद्युत केन्द्र के प्रतिष्ठापन के लिए । ये प्रस्ताव, इस प्रयोजन हेतु पृथक कम्पनियां स्थापित करके इनको सयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने के बाद में हैं । राज्य सरकार द्वारा अग्रेषित किए गए प्रस्तावों में ब्यौरों की कमी थी तथा बिहार सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं ।

(ग) बिहार सरकार से मांगे गये स्पष्टीकरण अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) और (ङ) बिहार सरकार के अतिरिक्त, कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि मैसर्ज बल्लारपुर इण्डस्ट्रीज ने डाडेली में अपने कास्टिक सोडा तथा क्लोरीन संयंत्र के कैप्टिव प्रयोग हेतु 45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर डाण्डेली बांध तथा 30 मेगावाट की विद्युत क्षमता वाले बिजली घर के वित्त पोषण का प्रस्ताव किया है। किसी अन्य राज्य सरकार ने इस प्रकार के कोई प्रस्ताव प्राप्त होने की सूचना नहीं दी है।

पलनी में एक क्षेत्रीय सूचना एवं प्रसारण कार्यालय को स्थापना का प्रस्ताव

4792. श्री मूलचन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाला (राजस्थान) में एक क्षेत्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग को स्थापना करने की कोई योजना थी;

(ख) यदि हां, तो पाला में इसकी अब तो स्थापना न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कार्यालय हेतु पालो के स्थान पर कोई अन्य स्थान चुना गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विधान सभा सदस्यों की प्राथमिकता के आधार पर कुकिंग गैस के कनेक्शन

4793. आचार्य भगवान देव : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विधान सभा सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर कुकिंग गैस के कनेक्शन देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब से तथा कितने गैस कनेक्शन दिये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) गैस कनेक्शन अप्रैल 1981 से रिलीज किये जायगे। ऐसे सभी विधान सभा सदस्यों

को गैस कनेक्शन दिये जाने का इरादा है जिनके नाम पहले एक भी गैस कनेक्शन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोरबा में सुपर ताप बिजली पर

4794. श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि : कोरबा सुपर ताप बिजली घर की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इसमें से कितनी बिजली गुजरात राज्य के लिए निर्धारित की गई है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : कोरबा सुपर विद्युत केन्द्र की परिकल्पित चरम क्षमता 2100 मेगावाट है। इस समय परियोजना के प्रथम चरण का विकास क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें 1100 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की प्रतिष्ठापना की जाती है। प्रथम चरण से विद्युत के आबंटन को अन्तिम रूप दे दिया गया है और गुजरात का हिस्सा 187 मेगावाट है।

उड़ीसा में कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण काम बन्द करने वाले लघु उद्योग

4795. श्री चिन्तामणि जैना : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में अनेक लघु उद्योगों ने भाप का कोयला, बी० पी० हाई कोल, बी० एच० हाई कोल की सप्लाई उनकी वास्तविक आवश्यता से कम होने के कारण काम करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और केन्द्र ने राज्य को भाप का कोयला, हार्ड कोल और बी० पी० हार्ड अपेक्षित मात्रा में सप्लाई के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) उक्त राज्य ने वर्ष 1977 से 1981 तक उपर्युक्त श्रेणी के कोयले की कितनी वार्षिक मांग की थी और राज्य को वर्ष-वार कितनी सप्लाई की गई है; और

(घ) सरकार ने वास्तविक आवश्यकता के अनुसार तीनों तरह का कोयला अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करने के लिए क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क), (ख) और (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली हैं कि उड़ीसा में केवल कोयला और कोक की कमी के कारण ही कोई लघु उद्योग पूरी तरह बन्द हो गया हो। फिर भी उद्योगों से कोयले की कमी के बारे में कभी-कभी रिपोर्ट मिली है जो मुख्य रूप से इन उद्योगों कोयला और कोक पहुंचाने के लिए पर्याप्त परिवहन साधन न मिलने के कारण रही हैं। कोयला कम्पनियां रेल द्वारा कोयला भेजने में जितनी कमी रह जाती है उतना कोयला सड़क द्वारा ले जाने के लिए भी दे रही हैं। इसके अलावा कुछ निर्धारित कोलियरियों से कोयले और बीहाइव हार्ड कोक की खुली बिक्री बिना किसी प्रतिबन्ध के भी शुरू

दी गई है। रेल मंत्रालय से परापर्श करके इस बात के उपाय भी किए जा रहे हैं कि उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी करने के लिए रेलवे वेगनों से कोयले के लदान में वृद्धि की जाए।

(क) उड़ीसा को 1977-78 से 1980-81 तक भेजे गये कोयले और कोक की मात्रा नीचे दी गई है :—

वर्ष	कोयला (लाख टन)	हार्ड कोक
1977-78	37.57	0.67
1978-79	40.56	0.71
1979-80	42.65	0.65
1980-81 (दिसम्बर तक)	32.83	0.57

उक्त अवधि में उड़ीसा में कोयले और कोक की मांग के आंकड़े एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जायेंगे।

थाल बशेट को विश्व बैंक से ऋण

4796. श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री थाल वेशेट को विश्व बैंक से ऋण के बारे में 17 फरवरी, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या-6 उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्विपक्षीय ऋण और सप्लाई ऋण सम्बन्धी प्रस्ताव इस बीच मिल गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन ऋणों की शर्तें और उनके स्रोत और अन्य सम्बन्ध ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एल० पी० जी० सिलेंडरों के लिए धरोहर राशि

4797. श्री सूरज भान : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उरर्वक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्यिकता। औद्योगिक उपभोक्ताओं से एल० पी० जी सिलेंडरों के लिए ली जाने वाली धरोहर राशि में हाल ही में, 400 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) उन वाणिज्यिक 1 औद्योगिक उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है जो प्रतिमास दो से 20 सिलेंडरों का उपयोग करते हैं ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि उक्त वृद्धि का लघु उद्योगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(घ) उक्त भारी वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(ङ) लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की अपनी नीति को देखते हुए क्या सरकार का विचार उक्त धरोहर राशि को घटाकर अक्तूबर, 1980 के स्तर पर लाने का है तथा धरोहर राशि पर ब्याज की अदायगी करना आरम्भ करने का है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क), (ग) और (घ) जी हां । औद्योगिक प्रयोग के लिए सप्लाई की जाने वाली एल० पी० जी० की भारी मात्रा कुल खरीद का लगभग 25 प्रतिशत है तथा दिनांक 14-7-75 से इसका मूल्य घरेलू उपयोग में लाई जाने वाली गैस से 476.81 प्रति मीट्रिक टन अधिक है । तथापि कुछ औद्योगिक उपभोक्ता तरलीकृत पेट्रोलियम गैस 15 कि० ग्राम के सिलेंडरों में ले रहे हैं तथा घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की तरह कम दाम दे रहे हैं। देशी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मूल्य आयातित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के मूल्य से लगभग 25 प्रतिशत कम निर्धारित किया गया है । औद्योगिक प्रयोग के लिए 15 कि० ग्राम के सिलेण्डरों की बिक्री से तेल उद्योग को लाने वाली हानि को पूरा किया जाना था । प्रत्येक सिलेण्डर के लिए अन्तरीय मूल्य लेने की बजाय ऐसे मामलों में जमा दर में एक बार वृद्धि को ज्यादा सुविधापूर्वक कार्यान्वित किया जा सकता है तथा यह कदाचारों से भी मुक्त होगा । दिनांक 15- 1-1980 को औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सिलेण्डरों की प्रतिभूति जमा (सिक्योरटी डिपाजिट) धनराशि को 250 रुपये से 1000 रुपये प्रति सिलेण्डरों बढ़ा दिया गया था । इस योजना के अन्तर्गत 2 सिलेण्डरों से अधिक प्राप्त करने वाले औद्योगिक 1 व्यापारिक उपभोक्ताओं को लाया गया था ।

तथापि, लघु क्षेत्र से प्राप्त प्रत्यावेदन को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दिनांक 16-2-1981 को यह निर्णय लिया कि वृद्धि की गई जमाराशि की वसूली केवल उन व्यापारिक 1 औद्योगिक उपभोक्ताओं तक सीमित रहेगी जिनकी कुल खरीद प्रति माह 50 सिलेण्डर या इससे अधिक होगी ।

वृद्धि की गई जमा राशि की उगाही से उपभोक्ताओं के कुछ वर्गों को जैसे कि हस्पतालों, कैंटीनों, विद्यार्थी होस्टलों से सम्बन्ध रसोईघरों, सरकारी कार्यालयों से सम्बन्ध कैंटीनो, स्कूलों और कालेजों तथा अनुसंधान संस्थाओं से सम्बन्ध प्रयोगशालाओं, सोसाइटी अधिनियम के अन्तर्गत परोपकारी संस्थाओं तथा लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों को छूट दी गयी है ।

(ख) प्रति माह केवल 10 से 50 सिलेण्डर उठाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध है ।

इस वर्ग में 2600 उपभोक्ता लगभग 60,000 सिलेण्डर उठाते हैं।

(ङ) प्रत्याभूति जमा राशि (सिक्योरिटी डिपाजिट) पर ब्याज देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं से वसूल की गई प्रत्याभूति जमा धन राशि (सिक्योरिटी डिपाजिट) का उपयोग सिलेण्डरों की भराई तथा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस सुविधाओं के प्रचालन तथा बनाए रखने में किया जाता है। उपभोक्ता को उपलब्ध किये गये प्रत्येक सिलेंडर एवं रेगूलेटर के लिए तैल उद्योग को 1.6 सिलेण्डरों 1.1 रेगूलेटरों की सप्लाई को कायम रखना पड़ता है।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा कम्पनी कानून का उल्लंघन

4798. श्री के० राममूर्ति : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने कम्पनी कानून की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है और जिन्हें कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा निर्धारित नोटिस दे दिए गए हैं ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र की इन दोषी कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाई की गई है और किए जाने का विचार है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) कम्पनी विधि अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं के पालनार्थ, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन की किसी कम्पनी को कोई नोटिस नहीं दिया है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

अमोनिया का औसत उत्पादन

4799. श्री मनमोहन टुडु : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालपेर उर्वरक संयंत्र से अमोनिया तथा यूरिया उर्वरकों के औसत उत्पादन के बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) यदि हां तो उपरोक्त उर्वरक संयत्र से प्रतिदिन औसतन कितने अमोनिया तथा यूरिया का उत्पादन होता है;

(ग) क्या वर्तमान दैनिक उत्पादन दर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार है ;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनके मंत्रालय का विचार क्या कदम उठाने का है।

पेट्रोलियम, और रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) तालचर उर्वरक परियोजना ने वाणिज्यिक उत्पादन 1 नवम्बर 1980 से प्रारम्भ किया। संयंत्र के लिए प्रथम 3 महीनों के वाणिज्यिक उत्पादन का लक्ष्य क्रमश: 7000 टन प्रति-माह अमोनिया और 10,000 टन प्रति माह यूरिया निर्धारित किया गया था इसके आधार पर नवम्बर 80 से जनवरी 1981 तक की अवधि के लिए औसत प्रतिदिन लक्ष्य लगभग 230 टन प्रति दिन अमोनिया और 330 टन प्रति दिन यूरिया रखे गये हैं। इस अवधि के दौरान औसत प्रतिदिन उत्पादन क्रमश: 52 टन प्रतिदिन अमोनिया और 72 टन प्रति दिन यूरिया है।

(घ) और (ङ) इस अवधि के दौरान संयंत्र ने कच्ची गैस कम्प्रेशर में खराबी वायु प्रशीकरण यूनिट में रिसाव, कोल गैसफायर्स के वेस्ट हीट बायलर्स मेरिसाव आदि जैसे प्रारंभिक समस्याओं का सामना किया। इन समस्याओं को पहचाना गया है और उपचारी कार्यवाही की गई।

पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न की अतिरिक्त क्षमता

4800. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलिएस्टर यार्न की अतिरिक्त क्षमता के बनाए जाने से उद्योग में लगातार भ्रांति और रोष उत्पन्न हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विद्यमान एककों को अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है जबकि तीन मूल आधार के एककों की इसकी स्वीकृति दी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो प्रभावित होने वाले एकक कौन-कौन से हैं और उन्हें अपनी क्षमता में वृद्धि करने की अनुमति न देने के क्या कारण हैं ;

(घ) कौन-कौन से एककों को अपनी विद्यमान क्षमता में विस्तार करने के लिए अनुमति दी गई है ; और

(ङ) सुव्यवस्थित रूप से नए लाइसेंस देना युक्ति संगत बनाने और विद्यमान एककों को अपनी क्षमता में विस्तार करने की अनुमति देने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ङ) निम्न-लिखित प्रत्येक के सामने दी गई क्षमताओं के लिए पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए निम्नलिखित को नये संयंत्रों की स्थापना के लिए हाल ही में आशय-पत्र जारी किये गये है :—

	क्षमता
जे० के० सिन्थेटिक्स लिमिटेड	6000 मी० टन प्रति वर्ष
ओ० के० सिल्क मिल्स प्राईवेट लि०	6000 मी० टन प्रति वर्ष
रिलाऐन्स टैक्स्टाइल इण्डस्ट्रीज लि०	10,000 मी० टन प्रति वर्ष

पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न के विद्यमान कई निर्माणकर्ताओं की अपनी क्षमताएं बढ़ाने सम्बन्धी आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन हैं। सरकार के पास बकाया आवेदन-पत्रों के ब्यौरे जब तक सरकार उन पर कोई निर्णय नहीं ले लेती हैं, प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

दुलहस्ती (जम्मू कश्मीर) तथा कयालकारो (बिहार) पन बिजली परियोजनाओं को सरकारी नियंत्रण में लेने का प्रस्ताव

4801. श्री पी० के० कोडियन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र का विचार दो प्रमुख पन-बिजली परियोजनाओं को जम्मू तथा कश्मीर में दुलहस्ती तथा बिहार में कयालकारो अगले वित्तीत वर्ष में केन्द्रीय क्षेत्र में लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों परियोजनाओं के मुख्य ब्यौरे एवं अनुमानित लागत कितनी है ;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कुछ अन्य बिजली परियोजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र में आरम्भ की जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) दुलहस्ती (जम्मू और कश्मीर) तथा कोयलकारों (बिहार) जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के जरिए हाथ में ले लिया गया है।

(ख) डलहस्ती जल-विद्युत परियोजना में 183.45 करोड़ रुपए (निवल) की अनुमानित लागत पर जम्मू और कश्मीर में चिनाव नदी पर 130-130 मेगावाट की 3 यूनिटों के निर्माण की परिकल्पना है। इससे 70 मीटर ऊंचे और 186 मीटर लम्बे एक मेसनरी ग्रेविटी प्रकार के व्यपवर्तन बांध का निर्माण, एक हैडरेस सुरग, एक सर्ज शाफ्ट, प्रेशर सुरंग तथा पैन-स्टाक और भूमिगत बिजली घर का निर्माण शामिल है।

कोयलकारो जल विद्युत परियोजना में 391.83 करोड़ रुपये (विवल) की अनुमानित लागत पर 710 मेगावाट (115-115 मेगावाट की 6 यूनिटें तथा 20 मेगावाट की यूनिट) की प्रतिष्ठापित क्षमता निर्माण करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना में 2 बाँधों-एक दक्षिणी कोयल पर 44 मीटर ऊंचा तथा दूसरा उत्तरी कारो पर 55 मीटर ऊंचा, 34.7 किलोमीटर लम्बी बेसिन नहर तथा 2 बिजली घरों का निर्माण शामिल है।

(ग) और (घ) इन परियोजनाओं के अतिरिक्त, केन्द्रीय सेक्टर में उपयोग के लिए निवेश/कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं को प्रस्तावित किया गया है :—

1. डरी ज० वि० परियोजना (480 मेगावाट) जम्मू और कश्मीर
2. कोल बांध ज० वि० परियोजना (600 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश
3. पार्वती ज० वि० परियोजना (1900 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश
4. चामेरा ज० वि० परियोजना (540 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश
5. कानहन जल विद्युत स्कीम (90 मेगावाट) हिमाचल प्रदेश
6. पूर्वी रामगंगा ज० वि० परियोजना (80 मेगावाट) उत्तर प्रदेश
7. धौली गंगा ज० वि० परियोजना (900 मेगावाट) उत्तर प्रदेश
8. गोरीगंगा ज० वि० परियोजना (450 मेगावाट) उत्तर प्रदेश
9. टणकपुर ज० वि० परियोजना (100 मेगावाट) उत्तर प्रदेश
10. कोलोडाइने (तुइपुई) (400 मेगावाट) मिजोरम
11. धालेश्वरी (तवालोंग) (200 मेगावाट) अरुणाचल प्रदेश
12. रंगानदी ज० वि० परियोजना (500 मेगावाट) अरुणाचल प्रदेश
13. दामवे ज० वि० परियोजना (400 मेगावाट) अरुणाचल प्रदेश
14. पापू ज० वि० परियोजना (80 मेगावाट) अरुणाचल प्रदेश
15. तुइवई ज० वि० परियोजना (200 मेगावाट) मिजोरम
16. कामेंग ज० वि० परियोजना (250 मेगावाट) अरुणाचल प्रदेश
17. सुहानसीरी ज० वि परियोजना (1800 मेगावाट) अरुणाचल प्रदेश

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित भूटान स्थित चूखा जल विद्युत परियोजना (4 × 84) मेगावाट), सूखा परियोजना प्राधिकरण द्वारा निर्माणाधीन है। भूटान सरकार के विकास मन्त्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। भूटान की विद्युत की मांग को पूरा करने के बाद, इसके चरण 1 से 270 से 300 मेगावाट विद्युत भारत को उपलब्ध होने की संभावना है। यह पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम राज्यों के बीच वितरित की जाएगी।

भारतीय तेल निगम द्वारा उड़ीसा में तेल की खुदरा दुकानें खोलने का निर्णय

4802. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीत तेल निगम ने उड़ीसा के पिछले जिले में तेल की

खुदरा दुकानें खोलने और राज्य के आदिवासी तथा बेरोजगार स्नातकों को डीलरशिप आवंटित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम द्वारा तेल की खुदरा दुकानें खोले जाने के लिए उड़ीसा के कालाहाड़ी जिले के किन-किन स्थानों का अब तक पता लगाया गया है ;

(ग) क्या इसका हिसाब लगा लिया गया है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) योजना के अन्तर्गत कितने बेरोजगार स्नातकों को लाभ मिला है ?

पेट्रोलियम, और रसायन उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 1980-81 के दौरान इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा उड़ीसा के कालाहांडी जिले में फुटकर पेट्रोल (पेट्रोल/डीजल पम्पों) पम्पों को खोलने के लिए पता लगाये गये स्थलों का नाम खारीआर और मोटटार है ।

(घ) डीलरों का चयद अभी निश्चित किया जाना है ।

पेट्रोल पम्प की एजेंसियों का आबंटन

4803. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान पेट्रोल पम्प की एजेंसियों का आबंटन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) फुटकर बिक्री केन्द्र डीलरशिपें (पेट्रोल/डीजल पम्प) सम्बन्धित तेल कम्पनियों द्वारा दी जाती हैं और न कि सरकार द्वारा, चाल वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा देश भर में विभिन्न स्थानों पर कुल मिलाकर लगभग 551 फुटकर बिक्री केन्द्र डीलरशिपों को अन्तिम रूप दिया/विज्ञापित किया जाना सूचित किया गया है ।

सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा एकाधिकार गृहों को दी गई अग्रिम राशियां

4804. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वित्त राज्य और कम्पनी कार्य मन्त्री एकाधिकार गृहों को आस्तियों तथा देवताओं के बारे में 24 फरवरी, 1981 के अतिरिक्त प्रश्न संख्या 1172 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा एकाधिकार गृहों को दी गई अग्रिम राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है: और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इसके लिए कोई समय सीमा है; और

(ख) एकाधिकार गृहों की उन विशिष्ट कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी इन सरकारी वित्तीय संस्थानों की अधिकांश राशियां दी गई हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) सूचना को केवल आर्थिक कार्य विभाग वित्त मन्त्रालय के माध्यम द्वारा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया जाना है। इस सूचना को यथासम्भव कम समय में प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

"कीट नाशक दवाओं" के निर्माण के लिए बड़ी कम्पनियों द्वारा मांगी गई स्वीकृति

4805. **श्री जगदीश टाईटलर :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार बड़ी कम्पनियों ने कीटनाशक दवाएं बनाने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत सरकार से अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) ऐसी धारणा है कि इस प्रश्न में सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड्स, जो कीटक नाशक दवाओं के वर्ग में आती है, उसके विनिर्माण की अनुमति के लिए किये गये आवेदन पत्रों को निर्देशित किया गया है। बृहद् औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित चार कम्पनियों ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपलब्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए इस प्रकार के आवेदन पत्र दिये हैं :—

1. मैसर्स एल्कलो एण्ड कैमिकल कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड
2. मैसर्स नेशनल आर्गेनिक केमिकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
3. मैसर्स रेलिस इण्डिया लिमिटेड
4. मैसर्स होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड

उपरोक्त सभी चार प्रस्तावों को स्वीकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को जांच के लिए भेजा गया है। आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् आगे कार्यवाही की जायेगी।

गोआ में बिजली की मांग

4806. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में इस समय बिजली की कुल कितनी मांग है तथा छठी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितनी होगी ;

(ख) उक्त मांग का प्राक्कलन कैसे किया गया है; और

(ग) बिजली की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दिव में विद्युत की वर्तमान मांग लगभग 80 मेगावाट होने का अनुमान है तथा छठी पचवर्षीय योजना (1984-85) के अन्त में विद्युत की मांग लगभग 138 मेगावाट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) गोवा, दमन और दिव की विद्युत की भावी खपत का अनुमान लगाने के लिए, भावी खपत का अनुमान लगाने में वास्तविक उपयोग और उसकी प्रवत्ति की पद्धति का सयुक्त रूप से उपयोग किया गया है। इस पद्धति में ऊर्जा की कुल आवश्यकता प्राप्त करने के लिए उपभोग की विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊर्जा की खपत का पूर्वानुमान अलग-अलग लगाया जाता है। यह कार्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण के अन्तर्गत किया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय बिजली बोर्डो, राज्य बिजली बोर्डो/विभागों तथा बड़ी मात्रा में विद्युत का उपभोग करने वाले मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दिव में विद्युत का कोई उत्पादन नहीं होता है। इस संघ राज्य क्षेत्र की विद्युत की आवश्यकताएं कर्नाटक, महाराष्ट्र, और गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों से विद्युत की सप्लाई करके पूरी की जाती है। गोवा की भविष्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोरबा और रामागुण्डम केन्द्राय सुपर ताप विद्युत केन्द्रो के प्रथम चरण से इस सघ राज्य क्षेत्र के लिए क्रमशः 110 मेगावाट 100 मेगावाट का हिस्सा प्रारक्षित कर दिया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत सप्लाई की स्थिति को लगातार मानीटरिंग कर रहा है और पड़ोसी राज्यों से सहायता प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर एशियाई खेलों के बारे मे प्रसारण

4807. राम नाथ दुबे : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 में नई दिल्ली में होने वाले एशियाई खेलों का आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारण करने के बारे मे क्या प्रबन्ध किए जा रहे हैं ;

(ख) प्रसारण पर कितनी धनराशि खर्च होगी और क्या इस प्रकार का सारा खर्च अनावर्ती खर्च होगा; और

भाग लेने वाले देशों के लिए खेलों के साथ प्रसारण और दूरदर्शन पर दिखाने के साधन में यदि कोई व्यवस्था की जाएगी, तो वह क्या होगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा आंखों देखा हाल सीधे प्रसारित/टेलीकास्ट किए जाने के

लिए कैप्सूल, इत्यादि तैयार करने के लिए खेलों के सभी स्थानों पर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी।

(ख) जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है, रेडियो कवरेज के लिए तकनीकी और अन्य सुविधाओं पर निहित कुल लागत का अनुमान 194.84 लाख रुपये है जिसमें से 90 लाख रुपये उन उपकरणों की लागत की बाबत हैं जिनको योजनागत परियोजनाओं के लिए प्राप्त किया जा रहा है और जिनका उपयोग खेलों के दौरान लघु अवधि के लिए किया जायेगा।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, छठी "योजना" परियोजनाओं के लिए हासिल किए गए उपकरणों का उपयोग अस्थायी रूप से एशियाई खेलों के लिए किया जायेगा। दूरदर्शन कवरेज के लिए पुनः अप्रापनीय खर्च का अनुमान 116.63 लाख रुपये है।

व्यय अनावर्ती स्वरूप का है।

(ग) भाग लेने वाले देशों के प्रसारकों को, समुद्रपारीय संचार सेवा द्वारा उपलब्ध किए जाने वाले लिंकों के माध्यम से अपने प्रसारण ढांचे पर प्रसारण के लिए आकाशवाणी द्वारा तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी।

भाग लेने वाले देशों द्वारा कवरेज किए जाने की व्यवस्था को दूरदर्शन द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाता है।

नूतन स्टोव का उत्पादन और उपलब्धता

4808. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूतन स्टोव गत 6 महीनों से अधिक समय से बाजार में उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कब तक बाजार में उपलब्ध होने की सम्भावना है तथा इसके शीघ्र उपलब्ध होने/कराने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं जिन्होंने नूतन स्टोव बनाने की पेशकश की है तथा किन उद्योगों को लाइसेंस जारी किए गए हैं तथा इसे जारी करने की तारीख क्या है तथा इस उद्योग द्वारा उत्पादित स्टोव कब तक बाजार में उपलब्ध हो जायेगा; और

(ग) क्या मिट्टी के तेल की भारी कमी तथा मूल्य वृद्धि को तथा नूतन स्टोव की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए बाजार में अधिकाधिक स्टोव उपलब्ध कराने तथा इसके उत्पादन के लिए अधिक कम्पनियों को लाइसेंस देने के लिए उपाय करने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) गत कुछ महीनों में नूतन स्टोवों की कुछ कमी रही है। नूतन स्टोवों की कमी मुख्यतः कलकत्ता की ओरिएंटल मैटल इण्डस्ट्रीज लि० में कम उत्पादन होने के कारण कमी थी नूतन स्टोवों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन नई दिल्ली (एन० एस० आई० सी०) के

साथ इन स्टोवों को एन० एस० आई० सी० द्वारा लाइसेंस दिये जाने वाली लघु पैमाने की एककों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। विद्यमान एककों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपाय भी किए गए हैं। ज्योंही स्कीम कार्यान्वित की जायेगी उपलब्धता स्थिति में सुधार आ जायेगा।

(ख) जिन पार्टियों को एन० एस० आई० सी० द्वारा लाईसेंस जारी किए गए हैं और जिन्होंने उत्पादन शुरू किया है के नाम निम्न प्रकार है :—

उद्यम का नाम	राज्य	लाइसेंस के जारी होने की तिथि
1. डाइनामैक इंजीनियर्स, मद्रास	तमिलनाडु	29-3-1979
2. अशोक आयरन एण्ड स्टील फैब्रीकेटर्स, राजकोट	गुजरात	28-9-1979
3. ओप्टीमोहर इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, बम्बई	महाराष्ट्र	9-10-1979
4. सुपरस्टील मैन्यूफैक्चरिंग कं० (प्रा०) लि०, इन्दौर	मध्य प्रदेश	5-1-1980
5. इलेक्ट्रोमैक कार्पोरेशन, बंगलौर	कर्नाटक	21-3-1980

नूतन स्टोवों के निर्माण के लिए जिन पार्टियों ने हाथ बढ़ाया था के नामों सम्बन्धी पूरे ब्यौरे तुरन्त उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां।

बिहार की डीजल और मिट्टी के तेल की मांग

4809. श्री कृष्ण प्रताप सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान बिहार की डीजल और मिट्टी के तेल की मांग कितनी थी;

(ख) यह मांग कहां तक पूरी की गई है; और

(ग) बिहार को अधिक डीजल और मिट्टी के तेल की सप्लाई करने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) 1978, 1979 तथा 1980 के वर्षों के लिए बिहार की हाई स्पीड डीजल तेल (एच० एस० डी०) तथा मिट्टी के तेल की मांग के बारे में बताना सम्भव नहीं है। तथापि, हाल के महिनों में बिहार राज्य ने मिट्टी के तेल की मांग 23,000 से 30,000 मी० टन के बीच तथा हाई स्पीड डीजल

तेल (एच० एस० डी०) की मांग 40,000 से 60,000 मी० टन प्रति माह के बीच निर्देशित की है। जनवरी से दिसम्बर, 1980 के बीच के समय में बिहार को हाई स्पीड डीजल तेल का कुल आवंटन 450485 मी० टन था तथा बिक्री 401027 मी० टन थी तथा मिट्टी के तेल के मामले में उपरोक्त समय के दौरान कुल आवंटन 231894 मी० टन था तथा बिक्री 215597 मी० टन थी।

उत्पादन की कुल उपलब्धता तथा परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए बिहार सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को डीजल के आवंटन को अधिकतम कर दिया गया है। मार्च, 1981 के लिए डीजल का आवंटन मार्च, 1980 में हुई बिक्री से 15% अधिक के आधार पर किया गया है। मिट्टी के तेल के मामले में मासिक आवंटन पिछले वर्ष के तदनुरूपी महीनों में हुई वास्तविक बिक्री से 5% अधिक के आधार पर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की गई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बिहार को इन उत्पादों के आवंटन में तदर्थ आधार पर भी वृद्धि की गयी है।

कतरनों का व्यापार करने वाली कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन

4810. **श्री ए० के० राय** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में मैसर्स गणपत राय राशी वाहिया नामक उस कम्पनी की जानकारी है जो कतरनों का व्यापार करती है; यदि हां, तो उस कम्पनी का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या इस कतरन व्यापारी के अधीन कई जाली कम्पनीयां चल रही हैं तथा कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन कर रही हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कतरन का व्यापार करने वाली इस फैक्ट्री ने बहुत वर्षों से अपने लेखा-परीक्षित लेखे तुलन-पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किये है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) ऐसी धारणा है कि यह निर्देश, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी, मै० गणपत राय राशिवाशिया ब्रादर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर है, जिसका पंजीकृत कार्यालय 161/1, महात्मा गांधी रोड़, कलकत्ता-7 में है।

(ख) ऊपर कथित कम्पनी द्वारा, कम्पनी रजिस्ट्रार कलकत्ता को प्रस्तुत किए अभिलेखों में ऐसे कोई संकेत नहीं दिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) ऊपर कथित कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 220 के अन्तर्गत तथा अपेक्षित 30-6-78, 30-6-79 तथा 30-6-80 की वर्ष समाप्ति के तुलन-पत्र, कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता के पास प्रस्तुत नहीं किये हैं । कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता द्वारा, समुचित दण्डात्मक कार्यवाही करने के लिए मामले पर कार्यवाही की जा रही है ।

खाना पकाने की गैस की सप्लाई में श्रमिकों सम्बन्धी समस्यायें

4811. श्री वी० एन० गाडगिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाना पकाने की गैस की सप्लाई के सम्बन्ध में एल० पी० जी० वितरकों के सामने श्रमिकों सम्बन्धी क्या समस्यायें आती हैं;

(ख) श्रमिकों सम्बन्धी विवादों के कारण डिलिवरी की समस्या पैदा हो जाने से विपणन पर कितना प्रभाव पड़ता है; और

(ग) उक्त विवादों को हल करने के लिये तेल कम्पनियों द्वारा क्या कार्यवाही आरम्भ की जाती है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) तरल पेट्रोलियम गैस के वितरकों द्वारा कभी कभी श्रमिक समस्याओं का सामना करना होता है जैसे जब उपभोक्ताओं को सिलेंडर देने वाले उनके कर्मचारी अपने वेतन । सेवा की अन्य शर्तों में सुधार लाने की मांग के सम्बन्ध में कार्य धीरे करते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं । ऐसी श्रमिक समस्याओं के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की सप्लाई में रुकावट आती है ।

(ग) ग्राहकों को एल० पी० जी० सिलैंडर देने वाला स्टाफ वितरकों और उनके डिलीवरी स्टाफ के बीच आपस में तय की गई शर्तों के आधार पर करना पड़ता है ।

एल० पी० जी० वितरकों तथा तेल कम्पनी के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थ की नियुक्ति

4812. श्री वी० एन० गाडगिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी एल० पी० जी० वितरक तथा तेल कम्पनी के बीच विवाद होने की स्थिति में वितरक को कारण बताओ नोटिस दिया जाता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई खुली अथवा विभागीय जांच की जाती है,

(ग) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त विवादों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ङ) क्या कोई ऐसा प्राधिकारी है जो मध्यस्थ की नियुक्ति करता हो ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरकों तथा तेल कम्पनीयों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप समझौते में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाता है। कई बार सम्बन्धित वितरक को भी जारी किये जाते हैं।

(ख) से (ग) उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए ऐसे मामलों में सम्बन्धित तेल कम्पनियों की गहराई से जांच करती हैं।

(ङ) अगर एक मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी होती है, तो ऐसी नियुक्ति सम्बन्धित तेल कम्पनी के अध्यक्ष। निदेशक द्वारा की जाती है।

पेट्रोल-डीजल वितरकों के कमीशन का पुनरीक्षण

4813. श्री बी० एन० गाडगिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल–डीजल वितरकों का कमीशन वर्ष 1970-81 के दौरान पुनरीक्षण किया गया था;

(ख) यह कब पुनरीक्षित किया गया था,

(ग) पुनरीक्षित कमीशन क्या था, और

(घ) उक्त पुनरीक्षण का आधार क्या था ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी, हां। स्पष्टत: माननीय सदस्य 1970-81 सूचना चाहते हैं। कमीशन की दरें पहली बार 15-7-1980 से और दूसरी बार 1-3-1981 से बढ़ाई गई थीं।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(घ) डीलरों को निम्नलिखित कारणों से हुई हानियों को पूरा किया गया था :—

(1) उड़ जाने से बढ़ी हुई राशि और उन्हें अदा की गई कुल कमीशन से हुए घाटों की व्यवस्था करना, और

(2) मोटर स्पिरिट। हाई स्पीड डीजल तेल के मूल्यों में बढ़ोत्री के कारण पड़े हुए माल पर आवश्यक संचालन पूंजी पर अधिक ब्याज भार के कारण वित्तीय प्रभार में वृद्धि। इन अवसरों पर कमीशन में वृद्धि के समय मोटर स्पिरिट। हाई स्पीड, डीजल तेल में उत्तरोत्तर मूल्य वृद्धियों को ध्यान में रखा गया था।

विवरण

कमीशन की संशोधित दरें 15-7-1980 को

स्लैबस (बिक्री किलो लिटर) प्रति वर्ष	कमीशन की दर
(1) मोटर स्पिरिट	रुपये/किलो लिटर
0-480	100.00
481-1080	70.00
1080 से आगे	50.00

(एम० एस० के लिए कोई न्यूनतम दर नहीं है)

(2) हाई स्पीड डीजल तेल	रुपये/किलो लिटर
0-600	55.00
600-1200	30.00
1200 से आगे	25.00

1-3-1981 को

स्लैबस बिक्री किलो लिटर/प्रतिवर्ष	कमीशन की दर
(1) मोटर स्पिरिट	रुपये/किलो लिटर
0-480	107.00
481-1080	75.00
1080 से आगे	55.00

(मोटर स्पिरिट के लिए कोई न्यूनतम दर नहीं है)

(2) हाई स्पीड डीजल तेल	रुपये/किलो लिटर
0-600	58.00
601-1200	33.00
1200 से आगे	28.00

एस० पी० जी० वितरण एसोसियेशन द्वारा ठेके के खण्ड 5 को निकालने संशोधित करने का अनुरोध

4814. श्री बी० एम० गाडगिल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल० पी० जी० डिस्टीब्यूटर्स एसोसियेशन ने यह अनुरोध किया है कि ठेके के खण्ड 5 को जो मनमाना और एकपक्षीय है, निकाल दिया जाये/संशोधित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) एल० पी० जी० डिस्टीब्यूटरशिप समझौते की धारा 5 को निकाल दिये जाने/संशोधन किये जाने के लिए कोई ऐसी विशेष प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनी की गाड़ियों और वायुयानों का दुरुपयोग

4815. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या विधि, और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा कम्पनी की गाड़ियों और कार्यकारी वायुयानों के समग्र दुरुपयोग के बारे में उन्हें जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से शेयर धारियों के धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) क्या कम्पनी के निदेशकों/प्रबन्धकों द्वारा अपने लिए अथवा अपने सम्बन्धियों के कार्यकारी वायुयानों के उपयोग के लिए उनके मन्त्रालय ने कोई मार्ग निर्देशक निर्धारित किए हैं, यदि हां, तो वे क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा कम्पनी की गाड़ियों/वायुयानों के अनधिकृत प्रयोग के विषय में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक है, के प्रबन्धकीय/पूर्णकालिक निदेशकों या प्रबन्धकों को देय पारिश्रमिक मात्र (सुविधाओं जैसे मकान, कार का प्रयोग आदि सम्मिलित करते हुए) के लिये केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन करना आवश्यक है। कार्यकारियों को देय पारिश्रमिक, जहां इस प्रकार के कार्यकारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 314 (1 ख) की परिधि में आते हैं, को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

जबकि प्रबन्धकीय कार्मिकों द्वारा कम्पनी के वायुयानों के प्रयोग (जो असामान्य मामलों में होने चाहिये) के लिए कोई निर्धारित मार्ग दर्शिका नहीं है, सरकार द्वारा प्रबन्धकीय कार्मिकों की अदायगी के लिए जारी की गई स्वीकृतियों के उल्लंघनों पर सामान्यतः ध्यान दिया जाता है

और आवश्यकता होती है। तो कम्पनियों के सांविधिक लेना परीक्षकों को भी सूचना दी जाती है।

विभाग, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण और धारा 235/237 के अन्तर्गत जांच के मामलों जिनमें इस प्रकार की जांच/निरीक्षक का आदेश दिया जाता है, के दौरान स्वतन्त्र रूप से ध्यान देता है।

बहुराष्ट्रीय फर्मों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति

4816. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने की अनुमति दी गई है तथा चालू वर्ष के दौरान (29 फरवरी 1981 तक) उनके कितने फालतू उत्पादन को नियमित किया गया; और

(ख) क्या उनके मूल्य निर्धारण पर सरकार का कोई नियन्त्रण रहता है ताकि सामान्य जन को इसका लाभ पहुंच सके, यदि हो, तो किस रूप में ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) मार्च 1980 से फरवरी, 1981 की अवधि के दौरान किसी बहुराष्ट्रीय औषध कम्पनी को क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने के लिए कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है। तथापि उक्त अवधि के दौरान विदेशी कम्पनियों को 6 आशय पत्र जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान अधिक उत्पादन को नियमित करने की भी कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) अनिवार्य और जीवन रक्षक वल्क औषधों तथा उन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित किये जाते हैं। इस मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य इन औषधों की निर्माता कम्पनियों को उचित लाभ के साथ-साथ ऐसे औषधों और फार्मूलेशनों को अधिक से अधिक जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

बंगलादेश के शरणार्थियों का अभी भी कलकत्ता और सियालदह स्टेशनों पर रहना

4817. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व बंगाल (अब बंगलादेश) के बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी अभी भी बेघर हैं और कलकत्ता तथा सियालदह स्टेशनों पर रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानतः संख्या कितनी है; और

(ग) उनको स्थायी रूप से बसाने और उनके परिवारों के निर्वाह के लिए उनको कुछ काम देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के लिए मांग

4818. **प्रो० नारायणचन्द पराशर** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं जिनके मामले में इन उच्च न्यायालयों के मुख्यालयों से भिन्न स्थानों पर स्थायी सर्किट न्यायपीठों की स्थापना किए जाने के लिए सरकार को अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के, लिए प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति बताने वाला एक विवरण संलग्न है। यह बताना संभव नहीं है कि प्रत्येक मामले में किस तारीख तक विनिश्चय किया जाएगा।

स्थायी न्यायपीठों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति आगे बतायी गयी है--

(1) **केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना** : राज्य सरकार ने त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव सितम्बर, 1971 में भेजा था। कुछ कानूनी परामर्श पूरा करने के लिए उन्हें जुलाई 1973 में पत्र लिखा गया था, राज्य सरकार ने जून, 1978 में सूचित किया कि वह इस विषय पर अभी तक विचार कर रही है। इसके बाद उससे कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) **मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना** : राज्य सरकार से मदुरै मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव सितम्बर, 1977 में भेजा था। कुछ परामर्श किए जाने थे और उनको पूरा करने के पश्चात् तमिल नाडु के मुख्य मंत्री ने जुलाई, 1980 में फिर यह प्रस्ताव किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ मदुरै से स्थापित की जाए। इस संबंध में राज्य सरकार से कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(3) **मुम्बई उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना** : जनवरी, 1977 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने औरंगाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव किया था। राज्य सरकार से कुछ परामर्श करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने अप्रैल, 1978 में सुझाव दिया था कि मुम्बई उच्च न्यायालय की दो न्यायपीठें स्थापित की जाएं जिनमें से एक

औरंगाबाद में हो और दूसरी पुणे में हो। तथा राज्य सरकार ने अपने तारीख 28 जनवरी, 1981 के पत्र मे सूचित किया है कि एक न्यायपीठ औरंगाबाद में स्थापित की जाए। इस विषय में राज्य सरकार के साथ पत्राचार हो रहा है और कुछ जानकारी तथा स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(4) उत्तर प्रदेश में पश्चिमी जिलों के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना : मई, 1979 में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के लिए मेरठ में में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव भेजा था। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के विचार मंगाए गए थे और वे हाल ही में प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार ने मेरठ, गढ़वाल, कुमायूं, मुरादाबाद आगरा और बरेली के छह मण्डलों की आवश्यकता की पूर्ति के के लिए एक न्याय ीठ की स्थापना में शिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।

केन्द्र द्वारा निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

4819. प्रो० नारायणचन्द पराशर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल विद्युत उत्पादन के लिए उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं जो 1 मार्च, 1981 को केन्द्र सरकार के निर्माणाधीन थीं, प्रत्येक मामले में जल विद्युत उत्पादन की क्षमता और परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजनाओं पर विद्युत उत्पादन के प्रत्येक यूनिट का लागत मूल्य क्या होगा और उनमें से प्रत्येक परियोजना में प्रत्येक यूनिट का संभावित विक्रय मूल्य क्या होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विकम महाजन) : (क) 1 मार्च 1981 की स्थिति के अनुसार केन्द्र द्वारा भारत में चार जल विद्युत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही थी, नामशः बैरा-स्यूल (3 × 60) मेगावाट), सलाल (3 × 115 मेगावाट), कोपिली (2 × 50 + 2 × 25 मेगावाट) तथा लोक तक (3 × 25 मेगावात)। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, नेपाल की महामहिम सरकार की ओर से देवीघाट जल विद्युत परियोजना (3 × 4.7 मेगावाट के निर्माण में भी लगा हुआ है। इन परियोजनाओं की उक्त तारीख को निवल स्वीकृत अनुमानित लागत निम्नानुसार है :—

बैरा स्यूल	92.21 करोड़ रुपये
सलाल	222.15 करोड़ रुपये
लोक तक	77.45 करोड़ रुपये
कोपिली	56.77 करोड़ रुपये
देवीघाट	25.22 करोड़ रुपये

(ख) बैरा-स्यल, सलाल, लोक तक, कोपिली और देवीघाट जल विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने की संभावित समयसूची क्रमशः दिसम्बर 81, वर्ष 1987-88 दिसम्बर, 1982, दिसम्बर, 83 तथा अप्रैल, 84 है।

(ग) इन परियोजनाओं में जल विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत तथा प्रति यूनिट बिक्री की संभावित कीमत नीचे दी जाती है :—

क्रम सं०	परियोजना	जल विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट लागत (ग्रिड उप केन्द्र पर)	प्रति यूनिट बिक्री की संभावित कीमत (ग्रिड उप केन्द्र पर)
1.	बैरा स्यूल जल-विद्युत परियोजना	12.03 पैसे प्रति यूनिट	15·19 पैसे प्रति यूनिट
2.	सलाल जल विद्युत परियोजना	12.70 पैसे प्रति यूनिट	16.10 पैसे प्रति यूनिट
3.	लोक तक जल विद्युत परियोजना	22.25 पैसे प्रति यूनिट	25.00 पैसे प्रति यूनिट
4.	देवीघाट जल विद्युत परियोजना	21.40 पैसे यूनिट	यह नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा तय की जानी है क्योंकि विद्युत का उपयोग नेपाल में किया जाना है।
5.	कोपिली जल विद्युत परियोजना	*13.21 पैसे प्रति यूनिट*	18.18 पैसे प्रति यूनिट

*ये आंकड़े परियोजना के संशोधित अनुमानों पर आधारित हैं।

क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों का निर्माण

4820. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना क्षेत्रीय/लोक भाषाओं में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने का है :

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप क्या है और वे क्षेत्रीय/लोक भाषाएं कौन-कौन सी हैं जिनमें फिल्म निर्माण के लिए गत पांच वर्षों के दौरान राजसहायता अथवा सहायता दी गयी है :

(घ) क्या ऐसी कोई योजना तैयार की जाएंगी तथा किस संभावित तारीख तक तैयार की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (घ) दो विवरण सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

विवरण—1

जहां तक डाकूमेंट्री फिल्मों का सम्बन्ध है, सम्बन्धित क्षेत्र की भाषाओं में 16 मि० मी० की फिल्मों के निर्माण के लिए पूर्वी क्षेत्र (कलकत्ता में) और दक्षिण क्षेत्र (बंगलौर में) दो क्षेत्रीय फिल्म निर्माण केन्द्र स्थापित करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक स्कीम स्वीकृत हो गई है। पूर्वी क्षेत्र का निर्माण केन्द्र बंगला, उड़िया, असमिया, मणिपुरी और पूर्वी क्षेत्र की अन्य क्षेत्रीय और आदिवासी बोलियों में फिल्में बनाएगा। दक्षिण क्षेत्र का निर्माण केन्द्र तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और दक्षिण क्षेत्र की अन्य क्षेत्रीय और आदिवासी बोलियों में फिल्में बनाएगा। योजनागत स्कीम के अन्तर्गत 96 फिल्में बनाने का प्रस्ताव है। ये फिल्में ग्रामीण दर्शकों के लिए उपयुक्त कथावस्तु और मनोरंजन तत्वों से युक्त लगभग 30 से 45 मिनट की अवधि की होगी। फिल्म प्रभाग फिल्में और न्यूजरील मूलरूप से अंग्रेजी अथवा हिन्दी में बनाता है। इसके बाद ये फिल्में अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में डब की जाती हैं। कभी कभी फिल्में मूलरूप से सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषाओं में भी बनाई जाती हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान फिल्म प्रभाग द्वारा जिन क्षेत्रीय भाषाओं में डाकूमेंट्री फिल्में बनाई गई वे हैं गुजराती, तेलुगु, बंगला, मराठी, तमिल, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, कन्नड़, पंजाबी, उड़िया, राजस्थानी, असमिया, और नृगुमिया।

2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अंग्रेजी/हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में फीचर/लघु फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करता है। क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्मों के निर्माण के लिए ऋण-आवेदन प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने मद्रास और कलकत्ता स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय में स्क्रिट पैनल बनाए हुए हैं। गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने क्षेत्रीय भाषाओं की 15 फीचर फिल्मों और एक लघु फिल्म के निर्माण के लिए ऋण मंजूर किये हैं। इन फिल्मों का ब्यौरा परिशिष्ट में दिया गया है।

विवरण—2

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा पिछले पांच वर्षों के दौरान वित्त पोषित की गई क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर/लघु फिल्मों का ब्यौरा है।

क्रम सं०	निर्माता का नाम	फिल्म और भाषा का नाम	स्वीकृत ऋण
	(क) फीचर फिल्में		रुपये
1.	चित्रलेखा फिल्म को-आप	"कीर्त्तम" (मलयामल)	3,00,000
2.	चित्र भारत	"सूरावली" विक्षिप्पु (तमिल)	3,00,000
3.	जाहनु अरुआ	"अपरूपा" (असमिया)	3,50,000

4. नचिकेत पटवर्धन	"टवेन्टी सैकण्ड जून, 1897" (मराठी)	3,50,000
5. एम० एस० सत्य	"बारा" (कन्नड़)	3,50,000
6. संचार फिल्म को-आप	"भवानी भवाई" (गुजराती)	3,50,000
7. सुश्री प्रेमा करन्ध	"फण्यम्मा" (कन्नड़)	2,50,000
8. साधू मेहर, कटक	"अभिलाषा" (उड़िया)	3,00,000
9. मनमोहन महापात्र, कटक	"मीख झाड़" (उड़िया)	2,34,000
10. लोटस प्रोडक्शन्स, भुवनेश्वर	"माया मृग" (उड़िया)	4,00,000
11. एम० सरकार कलकत्ता	"अश्वमेघर घोड़ा" (बंगला और हिन्दी)	3,50,000
12. सुश्री मलिका साराभाई	"आजवाली रात अभावनी" (गुजराती)	4,50,000
13. जी० वी० अय्यर अनन्त लक्ष्मी फिल्मस, मद्रास	"आदि शंकराचार्य" (संस्कृत)	5,00,000
14. व्यक्तिक्रम चलचित्र, कलकत्ता	"यिआरिनर कोलकत्ता (बंगला)	1,98,000
15. मैसर्स रेनू फिल्म्स, कलकत्ता	"राधाकृष्ण" (बंगला)	3,50,000
	(ख) लघु फिल्में	
1. सरेना प्रोडक्शन्स	"महाकवि नन्ना लाल" (गुजराती)	11,000

हिन्दी के उपयोग के लिए कार्यक्रम

4821. श्री रामावतार शास्त्री : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी का राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबन्धों के अधीन ए० बी० और सी० राज्यों के लिए गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय नियमित रूप से कार्यक्रम प्राप्त कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तीनों श्रेणियों के राज्यों के लिए 1980 के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए उनके मंत्रालय ने प्रयत्न किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1980 के लिए उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में हिन्दी के उपयोग की प्रगति की प्रतिशतता क्या है ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) :- (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एक विवरण, जिसमें 1980 के कार्यक्रम का ब्यौरा दर्शाया गया है, संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया क्षेत्रीय संख्या एस० टी० 2190/81)

(घ) कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं।

(ङ) वर्ष 1980 के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के राज्य के संबंध में संतोषजनक प्रगति की गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों की एजेंसियों का स्वतन्त्रता सेनानियों को आबंटन

4822. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों की पेट्रोल, डीजल और गैस की एजेंसियों आवंटित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्तियों ने इन एजेंसियों के लिए उसके मंत्रालय में आवेदन पत्र दिये है।

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को इनकी एजेंसियां दी गई हैं और इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) शेष आवेदन-पत्रों का कब तक निपटान किये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां। 1981-82 से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों के सभी प्रकार के फुटकर पम्प (पेट्रोल/डीजल पम्प) तरल पेट्रोलियम गैस एजेन्सियों का 10 उत्कृष्ट समाज कार्यकर्त्ताओं और/अथवा स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जायेगी।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी दिल्ली द्वारा आयोजित की गई वार्तायें

4823. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र द्वारा विभिन्न समस्या पर कोई वार्ताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें राजनीतिक, नेता, संसद सदस्य, साहित्यकार, पत्रकार, विद्वान तथा अन्य विख्यात व्यक्ति भाग लेते हैं;

(ख) यदि हां, तो जनवरी, 1981 से 15 मार्च, 1981 तक आयोजित वार्ताओं का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए आमन्त्रित व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा यदि भाग लेने वाले राजनैतिक नेता के तो उनका सम्बन्ध किन-किन राजनैतिक दलों से है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों के चयन करने के लिए क्या मानदण्ड रखे गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन ए० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र और समाचार सेवा प्रभाग, आकाशवाणी द्वारा आमंत्रित किए गए वार्ताकारों का ब्यौरा क्रमशः परिशिष्ट-1 और 2 में देखा जा सकता है। दल की सम्बन्धता भी जहां लागू होती है दे दी गई है। [ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एक ही 2191/81]

(ग) वार्ताकारों/भाग लेने वालों का चयन कार्यक्रम के विषय की आवश्यकता, व्यक्ति को विषय में विशेषज्ञता, स्थिति और सम्बन्धता, उसकी उपयुक्तता और उपलब्धता के अनुसार किया जाता है।

भारत के उद्योगों में ऊर्जा की खपत अन्य देशों से अधिक होना

4824. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अनेक उद्योगों में ऊर्जा की खपत प्रति इकाई उत्पादन की दर से अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उद्योगों में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) विशिष्ट उद्योगों में प्रति यूनिट उत्पादन में ऊर्जा की खपत का विदेशों में ऐसे ही उद्योगों में हुई खपत के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए किए गए प्रयास आधार-सामग्री की कमी के कारण, निष्फल रहे हैं। तथापि मोटे विश्लेषण के आधार पर यह देखा गया है कि भारत में औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा के प्रयोग की समग्र मात्रा, अधिकांश विकसित देशों की तुलना में, ज्यादा है।

(ख) यह आम अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव है कि औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरणों में, मूल वस्तुओं या खनिज पदार्थों का उत्पादन करने वाले या तैयार करने वाले उद्योगों का भाग अधिक रहता है और इन उद्योगों में ऊर्जा की गहनता अपेक्षतया अधिक होती है। उद्योगों में प्रयोग

लाए जा रहे विभिन्न उपकरणों के लिए ऊर्जा सम्बन्धी कार्य-कुशलता में उधार किये जाने की भी गुंजाइश है।

सरकार द्वारा अपनाई जा रही ऊर्जा नीति का एक अंग, ऊर्जा संरक्षण भी है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, विभिन्न तरह के उपस्करों की ऊर्जा सम्बन्धी कार्य-कुशलता मे सुधार करने के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियां हाथ में लेने का विचार है। संरक्षण को बढ़ावा देने और उद्योगों में ऊर्जा सम्बन्धी कार्य-कुशलता में सुधार लाने के लिए विशेष कार्यक्रम हाथ लेने का प्रस्ताव है। उद्योगों में सरक्षण उपायों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वित्तीय सहायता तथा राजस्व सम्बन्धी प्रोत्साहन देने के भी कुछ प्रस्ताव एसोशियेशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज से प्राप्त हुए हैं।

सिनेमा के "समवर्ती सूची" में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

4825. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा को "राज्यसूची" से "समवर्ती सूची" में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या निर्णय लेने से पूर्व, सरकार ने इस बारे में राज्यों के भी विचार मांगे थे, यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस समय यह प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यदल ने सिफारिश की है कि सिनेमा और फिल्म उद्योग के समूचे विषय को केन्द्रीय नीति और केन्द्रीय नियंत्रण के अधीन लाया जाना चाहिए। इस मामले में राज्य सरकारों के विचार विशिष्ट रूप से मांगे गये हैं। इस विषय पर राज्यों के सूचना मंत्रियों के 5 नवम्बर, 1980 को हुए सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया गया था। इस सम्मेलन में आम तौर से यह मत व्यक्त किया गया था कि अच्छे सिनेमा के संवर्धन में अखिल भारतीय आधार पर सहायता करने में केन्द्रीय सरकार एक अर्शपूर्ण भूमिका निभा सके इसके लिए तथा उन क्षेत्रों, जो सभी राज्यों के लिए समान हों, को विनियमित करने, युक्तियुक्त बनाने और सुप्रवाही बनाने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्रीय सरकार को आवश्यक समवर्ती अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तथापि, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल की सरकारों ने उक्त प्रस्ताव का विरोध किया। आगे उपयुक्त प्रक्रियात्मक कार्यवाई की जा रही है।

बरौनी फर्टिलाइजर कम्पनी

4826. श्री एन० ई० होरो)
श्री चिन्तामणि जेना) : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान विद्युतीय समस्याओं पर काबू पाने के लिए नेप्था गैस वालित दवाईन जेनेरेटर की स्थापना के लिए बरौनी फर्टिलाइजर कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने बरौनी उर्वरक संयंत्र के अगले भाग को सुरक्षित रखने के लिए कच्चे माल के रूप में नैप्था का प्रयोग करते हुए निजी पावर उत्पन्न करने हेतु 2.5 मेगावाट के एक गैस टर्नाइन की स्थापना की मंजूरी दे दी जा है। इस योजना की अनुमानित लागत 295 लाख रुपये हैं जिसमें 159 लाख रुपये का विदेशी मुद्रा अंश सम्मिलित है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास जांच करने के लिए कर्मचारियों की कमी

4827. श्री एन० ई० होरो : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों से सम्बन्धित जांच करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के पास पर्याप्त संख्या मे कर्मचारी नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने उल्लेख किया है कि यह सत्य नहीं है कि देश में बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों को जांच करने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्र विशेष भत्ता दिया जाना

4826. श्री अनादि चरण दास : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में काम करने वाले अपने कर्मचारियों के लिए प्रतिपूर्ति भत्ते के रूप में 20 प्रतिशत आदिवासी क्षेत्र विशेष भत्ता दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) क्या पुनर्वास कर्मचारी संघ की ओर से दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए भी इस भत्ते की स्वीकृति दिए जाने की मांग की जाती रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार दण्डकारण्य परियोजना के श्रमिकों के लिए इस भत्ते को दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करने के बारे में विचार कर रही है, और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) स्टाफ को कुछ संस्थाओं ने सूचित किया है कि आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों में विशिष्ट स्थानों में तैनात किए गए और वहां रह रहे अपने कर्मचारियों को उड़ीसा सरकार ने विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते की मंजूरी दी है और दण्डकारण्य परियोजना में कार्य कर रहे कर्मचारियों को इस भत्ते की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) क्योंकि भारत सरकार द्वारा दण्डकारण्य परियोजना है कर्मचारियों ने परियोजना भत्ता और खराब मौसम भत्ता मजूर किया गया है।

दण्डकारण्य परियोजना में निर्माण प्रभारित कर्मचारियों को छंटनी का नोटिस दिया जाना

4829. **श्री अनादि चरण दास** : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना प्राधिकारियों ने इस परियोजना का विस्तार करने सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए 21 करोड़ रु० की मजूरी के बावजूद निर्माण प्रभारित कर्मचारियों को छटनी का नोटिस दे दिया है;

(ख) क्या पुनर्वास कर्मचारी यूनियन ने एक मांग-पत्र दिया है और यह नोटिस दिया है कि यदि निर्माण प्रभारित कर्मचारियों की छंटनों न रोकी गई और परियोजना में 15 से 22 वर्ष तक काम करने के बाद भी यदि उनकी सेवाएं आयोजित न की गई तो वे आन्दोलन का रास्ता अपनायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो निर्माण-प्रभारित कर्मचारियों की छंटनी रोकने और उनकी सेवाएं नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) निर्माण कार्य पूरा होने पर फालतू-प्रभारित कर्मचारियों की सेवाएं, जहां आवश्यक होता है, नोटिस देने के बाद समाप्त कर दी जाती है।

(ख) जी, हां। यह यूनियन मान्यता प्राप्त नहीं है तथा उन्होंने धमकी के अनुसार आंदोलन नहीं किया था।

(ग) चूंकि प्रभारित कर्मचारी विशिष्ट निर्माण कार्य पर लगाए जाते हैं तथा उनका वेतन उस विशिष्ट निर्माण कार्य के लिए निर्धारित राशि में से दिया जाता है, अतः उस निर्माण कार्य के पूरा होने पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं और उनकी सेवाएं नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के बारे में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें

4830. **श्री अनादि चरण दास :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 12 अगस्त, 1960 के द्वारा कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के बारे में केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने का सरकार का निर्णय विभिन्न संगठनों को प्रेषित किया था;

(ख) क्या केन्द्रीय पुनर्वास मंत्रालय द्वारा दण्डकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के बारे में उक्त निर्णय को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को भेजा गया तो उसने धन-राशियां मंजूर करने से इन्कार कर दिया।

(ग) यदि हां, तो दण्डकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने के बारे मे केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हां। (ख) दण्डकारण्य परियोजना के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के बारे मे धन राशि की मजूरी के बारे में वित्त मत्रालय को कोई प्रस्ताव नही भेजा गया था।

(ग) इस विभाग के अधीन कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि का लाभ दिया जा रहा है, किन्तु जिन कमचारियों न कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि का विकल्प नहीं दिया है उन्हें सेवा निवृत्ति/मृत्यु उपदान/पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाता है और केन्द्रीय सरकार की कर्मचारी बीमा योजना आदि का लाभ सभी कर्मचारियो को दिया जा रहा है। तथापि, इन्हें अभी तक औद्योगिक और गैर-औद्योगिक श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है क्योंकि दण्डकारण्य परियोजना के सम्बन्ध में औद्योगिक विवाद अधिनियम को लागू करने का प्रश्न अभी तक हल नही हुआ है।

पैराफीन मोम का आयात

4831. **श्री निहाल सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पैराफीन मोम की कितनी मात्रा का आयात किया गया और इसका आयात किस किस देश से किया गया और उन भारतीय तेल कम्पनियों और एजेंसियों के क्या नाम हैं, जिन्होंने इसका आयात किया; और

(ख) क्या यह सच है कि स्वदेशी मोम के कोटे का अब तक दुरुपयोग हुआ है और क्या स्वदेशी और आयातीत पैराफीन मोम के मूल्यों में समानता लाने के लिए कोई योजना शुरू की गई है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कहां तक सफलता मिली है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) सरपीबद्ध एजेन्सी अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्ज बामर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पैराफीन मोम की निम्नलिखित मात्रा का आयात किया गया :—

वर्ष	मात्रा मि० टनों में
1978	7747
1979	10544
1980	9887

चीन, जापान, ईराक, सिंगापुर इत्यादि से पैराफिन मोम का आयात किया गया है

(ख) 1-2-1979 से देशी एवं आयातित मोम की एक समान पूलड मूल्य प्रणाली प्रचालन में है। इस मंत्रालय में देशी मोम के कोटे के दुरुपयोग के बारे मे कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई है।

पर्वतीय अथवा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उचित दर पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने का निर्णय

4832. **श्री निहाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पर्वतीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उचित दर पर मिट्टी का तेल सप्लाई करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक भारतीय तेल कम्पनी ने 1 अगस्त 1979 से 31 जनवरी, 1981 तक प्रत्येक राज्य के उपरोक्त प्रत्येक क्षेत्र को कितनी मात्रा में मिट्टी का तेल सप्लाई किया और उसके परिवहन खर्च को पूरा करने के लिए क्या सहायता दी गई ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तेल कम्पनियां अपने डीलरों और थोक माल एजेन्टों को मिट्टी के तेल की सप्लाई राज्य सरकार द्वारा संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा दिये गए अनुदेशों के अनुसार इन आवंटनों के अनुरूप करती

है। राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के अन्दर जिनमें पहाड़ी और दूरदराज के क्षेत्र शामिल हैं, मिट्टी के तेल का वास्तविक वितरण और इसकी निर्धारित मूल्यों पर बिक्री भी सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों को मिट्टी के तेल के समान और सुसंगत वितरण के लिए मार्गदर्शी-सिद्धान्त जारी किए गए हैं और उन्हें उत्पाद की कालाबाजारी और जमाखोरी जैसे भ्रष्टाचारों को रोकने के उपाय करने के लिए कहा गया है। तेल कम्पनियों द्वारा अपने आप ही कई दूरदराज तथा पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के डिपो खोले गए हैं ताकि सप्लाई के स्थलों को खपत क्षेत्र के यथासम्भव समीप लाया जा सके और उत्पाद को सुसंगत मूल्यों पर बेचा जा सके।

(ख) पहाड़ी और दूरदराज क्षेत्रों को प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा सप्लाई की गई मिट्टी के तेल की राज्य-वार और मास-वार मात्राओं सम्बन्धी ब्यौरे अलग से नहीं रखे जा रहे है। प्रति लिटर 15 पैसे से अधिक खुदरा मूल्य में परिवहन अंश तेल उद्योग द्वारा वहन किया जाता है।

पेट्रोलियम उत्पादों का उपलब्ध न होना

4833. **श्री शिव कुमार सिंह :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उपलब्ध न होने के कारण देश अब भी भारी संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या मुख्य कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) यह कहना ठीक नहीं है कि देश को डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की अनुपलब्धता के कारण अभी भी बड़े संकट का सामना करना पड़ रहा है। तथापि, असम आन्दोलन के कारण बरौनी और बोंगाई गांव शोधनशालाओं का करीब एक वर्ष तक बंद रहने तथा दिग्बोई और गोहाटी शोधनशालाओं का बीच बीच में बंद रहने के कारण वर्ष 1980 के दौरान, हाई स्पीड डीजल (एच० एस० डी०), मिट्टी के तेल, तरल पेट्रोलियम गैस (एल० पी० जी०), मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) आदि जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कुल उपलब्धता में कुछ कमी हुई थी। कमी को पूरा करने के लिए इन शोधनशालाओं द्वारा जिन क्षेत्रों में सप्लाई की जाती थी वहां उत्पाद के परिवहन की यथासंभव वैकल्पिक प्रबंध तथा आयात का भी बढ़ाने के प्रबन्ध किये गये थे। बरौनी और बोंगाई-गांव शोधनशालाओं द्वारा जनवरी, 1981 के अन्त तक दुबारा उत्पादन शुरू किया गया है और दिग्बोई और गोहाटी शोधनशालाएं अब सामान्य रूप से काम कर रही हैं। एच० एस० डी०, मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि जैसे मुख्य पेट्रोलियम उत्पादो की संपूर्ण उपलब्धता की स्थिति मोटे

तौर पर अब अच्छी है। देश में इन उत्पादों की सप्लाई पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि उत्पाद की अधिकतम उपलब्धता हो सके और उत्पाद का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

बिजली की कमी के कारण मध्य प्रदेश में उद्योगों को हानि

4834. श्री शिव कुमार सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पिछले कई महीनों में बिजली की भारी कमी के कारण मध्य प्रदेश में औद्योगिक उत्पादन की अत्यधिक हानि हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उद्योगों को बचाने के लिए बिजली की सप्लाई में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश कुछ समय से विद्युत की कमी का सामना कर रहा है।

(ख) राज्य में विद्युत उपलब्धता को बढ़ाने के लिए काफी उपाय किए गए हैं और किए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) भार मांग का उत्तम प्रबन्ध।

(2) विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता से अधिकतम उत्पादन करना, तथा

(3) लगभग 2400 मेगावाट तक की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता को शीघ्रता चालू से करना।

मध्य प्रदेश में इस समय निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं :—

परियोजना का नाम	लाभ (मेगावाट)	
	1980-85 के दौरान	1985-90 के दौरान
सतपुड़ा 8वीं और 9वीं (ता० वि०)	420	—
कोरबा पूर्वी (ता० वि०)	120	—
कोरबा पश्चिमी (ता० वि०)	420	—
कोरबा पश्चिमी विस्तार (ता० वि०)	420	—
पेंच (राज्य का हिस्सा)	106.6	—
बीरसिंह पुर (ता० वि०)	—	420
बोधघाट (ज० वि०)	—	500
	1486.60	920

इसके अतिरिक्त, इस समय केन्द्रीय सेक्टर में निर्माणाधीन कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र से भी मध्य प्रदेश को विद्युत सप्लाई का कुछ लाभ मिलेगा।

आई० डी० पी० एल० मद्रास में आफिस के रूप में पदोन्नत करने के लिए मानदंड

4835. **श्री थाभ्काई एम० करुणानिधि :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० डी० पी० एल० मद्रास-89 में कर्मचारियों को 550-750 रुपये के वेतनमान में आफिस सुपरिन्टेडेंड अथवा एग्जीक्यूटिव एसिस्टेट के रूप में पदोन्नत करने के मानदण्ड क्या हैं;

(ख) क्या इन मानदण्डों को भर्ती नियम में समाविष्ट किया गया है;

(ग) आई० डी० पी० एल० मद्रास-९9 में वर्ष 1971 मे आफिस सुपरिन्टेडेंट/एग्जीक्यूटिव एसिस्टेंट के रूप में कितने उम्मीदवारों को पदोन्नत किया गया था;

(घ) उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मचारी थे, और

(ङ) क्या अनसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्जास्यटिकल्स ने सूचित किया है कि आई० डी० पी० एल०-मद्रास में आफिस सुपरिन्टेडेंड/एग्जीक्यूटिव एसिस्टेंट के पद पर पदोन्नत करने के लिए अनुसरण किये जा रहे मानदण्ड निम्न प्रकार हैं :—

(1) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम डिग्री।

(2) अगले निचले संवर्ग में आन्तरिक वरिष्ठता अर्थात् वरिष्ठ सहायक/हेड टाईम कीपर/स्टेनोग्राफर।

(3) संतोषप्रद उपस्थिति और गत तीन वर्षों के लिए वार्षिक गोपनीय रिकार्डों से विनिर्णित सुयोग्यता के अन्तर्गत अगले निचले ग्रेड में कम से कम 10 वर्षों की सेवा।

(ख) उपरोक्त (क) में बताये गए मानदण्डों का प्रारम्भ से ही अनुसरण किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1971 के बाद तीन कर्मचारी आफिस सुपरिन्टेडेंट/एग्जीक्यूटिव एसिस्टेंट के रूप

में पदोन्नत किये गये थे। एक 1971 में पदोन्नत किया गया था, दूसरा और तीसरा क्रमशः 1977 और 1980 में पदोन्नत किया गया था।

(घ) इस श्रेणी का कोई कर्मचारी नहीं, चूंकि कोई भी कर्मचारी इस क्षेत्र में नहीं आया।

(ङ) जी, हां, हाल ही में एक अनुसूचित जाति के कर्मचारी, जो कि न तो स्नातक है और नहीं उसने विचार क्षेत्र में आने के लिए सेवा की पात्रता अवधि पूरी की है, वे अभ्यावेदन किया है।

योजना के सम्पादकों के लिए स्वीकृत मानदेय

4836. **श्री राम विलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रकाशन प्रभाग की पत्रिका "योजना" के विभिन्न संस्करणों के सम्पादकों को कोई विशेष मानदेय/500 रुपये का पुरुस्कार स्वीकृत किया गया है ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है और उन्हें कितना मानदेय दिया गया है उन्होंने अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त जो विशिष्ट कार्य किया है जिनके लिए उन्हें मानदेय दिया गया है उसका पूर्ण ब्योरा क्या है;

(ग) क्या यह मानदेय केवल सम्पादकों के लिए ही था, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; यदि उनमें अन्य कर्मचारियों का भी हिस्सा था, तो सम्पादकीय कार्य में मदद करने वाले अन्य कर्मचारियों को उसमें से कितनी राशि दी गई हैं; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उन अधिकारियों को, जिन्होंने कुल कार्य में बहुत कम योगदान दिया, पुरस्कृत करने और जिन्होंने मुख्य कार्य किया, सम्पादकीय कार्य में मदद करने वाले उन दूसरे कर्मचारियों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण-1 के अनुसार।

(ग) इसी प्रकार के काम के लिए "योजना" के सहायक कर्मचारियों को भी विवरण-2 के अनुसार दिया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

योजना एककों के संपादकों के नामों का तथा उन्होंने अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त जो विशिष्ट कार्य किया जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया गया है, उसका ब्यौरा ।

क्रम संख्या	सम्पादक का नाम	योजना एकक का नाम	मानदेय की राशि	विशिष्ट कार्य
1	2	3	4	5
1.	श्री एस० के० रे	योजना, बंगला	500 रुपए	घनधान्य में कठिन कार्य जिनको राष्ट्रीय पुरुष्कार दिया गया था, की मान्यता में
2.	श्री सेतु राव	योजना अंग्रेजी	500 रुपए	कन्नड़ में राज्य कार्यों को करने के अलावा मैगजीन का स्तर और उसकी प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए ।
3.	श्री आर० एन० तिवारी	योजना, हिन्दी	500 रुपए	उन्होंने मैगजीन की विषय वस्तु में सुधार किया तथा उसको विद्वानों और विद्यार्थी समुदाय के लिए अधिक पठनीय बनाया ।
4.	श्री टी० आर० पंचपनैशन	योजना, तमिल	300 रुपए	योजना के तमिल संस्करण की प्रसार संख्या 7000 प्रतियों तक बढ़ाने के लिए प्रशंसनीय उपलब्ध के लिए ।

विवरण 2

योजना एककों के सहायक कर्मचारियों के नामों का तथा उन्होंने अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त जो विशिष्ट कार्य किया जिसके लिए उन्हें मानदेय दिया गया है, उसका ब्यौरा

क्रम सं०	नाम/पदनाम	योजना एकक का नाम	मानदेय की राशि रुपये	विशिष्ट कार्य
1.	श्री बी० एल० साहा, सहायक संपादक	योजना बंगला	300 और 500	
2.	श्री त्रिपदा चक्रवर्ती, उप संपादक	—तथैव—	250	संपादक को उनके
3.	श्री बी० के० पाल, कनिष्ठ आशुलिपिक	—तथैव—	150	कार्यों में सहायता देने के लिए
4.	कुमारी अंजली चकलादर, लिपिक ग्रेड-2	—तथैव—	150	
5.	श्रीमती कल्याणी त्रिवेदी, मैसेन्जर	—तथैव—	100	
6.	श्री दयाल हरि-डे, चौकीदार	—तथैव—	100	
7.	श्री सालिगराम, मजदूर	—तथैव—	100	
8.	श्री समूथीराम, सह-संपादक	योजना, तमिल	300	
9.	श्री एच० एस० देशाई, सह-संपादक	योजना, गुजराती	300	

प्रकाशक विभाग में केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति

4837. श्री राम विलास पासवान : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रकाशन विभाग के हिन्दी विभाग में केन्द्रीय सूचना सेवा के 1·00-1600 रुपए के वेतनमान के बहुत से अधिकारियों ने एक स्थान पर नियुक्ति के सभी नियमों का उल्लंघन करके दिल्ली में ठहरने की व्यवस्था कर ली है;

(ख) इन अधिकारियों की संख्या कितनी है तथा वे किन-किन पदों पर हैं और वे दिल्ली में कब से हैं;

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो इन अधिकारियों का दिल्ली से बाहर स्थानांतरण न करने के क्या कारण हैं जबकि अन्य केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों को, यदि वे निश्चित कार्यकाल वाले पदों पर न हों, तो प्रत्येक तीन वर्षों के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है; और

(घ) क्या वर्तमान सत्र समाप्त होने से पूर्व ऐसे सभी अधिकारियों को स्थानान्तरण कर दिया जायेगा और सभा को उसकी सूचना दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी): (क) से (ग) इस प्रकार के अधिकारियों की संख्या केवल 6 है। भाग (ख) में पूछा गया ब्यौरा विवरण में दिया गया है। इस स्तर के अर्थात् ग्रेड-1 के अधिकारियों के स्थानांतरण के लिए इस मंत्रालय द्वारा अनुसरित किए जाने वाला मार्गदर्शी सिद्धान्त उनकी पांच वर्ष की अवधि के बाद माध्यम एकक का बदल देने का है। परिशिष्ट में उल्लिखित अधिकारियों ने इस प्रकार की अवधि पूरी नहीं की है।

विवरण

प्रकाशन विभाग की हिन्दी प्रकाशन यूनिटों में काम करने वाले ग्रेड-1 के अधिकारियों को दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	पदनाम	प्रकाशन विभाग में वर्तमान तैनाती तारीख	दिल्ली में कैफियत की तारीख
1.	श्री पी० के० भार्गव	सम्पादक, बाल भारती	8-0-1979	1954
2.	श्री आर० एन० तिवारी	सम्पादक, योजना (हिन्दी)	3-6-1978	19:8
3.	श्रीमती लक्ष्मी त्रिपाठी	सम्पादक हिन्दी पुस्तक	3-9-1978	1978**
4.	श्री ए० एन० सिंह	सम्पादक, सम्पूर्ण महात्मा गांधी वाङमय (हिन्दी)	3-6-1978	1978**
5.	श्री वी० पी० अरोड़ा	सम्पादक आजकल (हिन्दी)	30-9-1981	1965
6.	श्री नरेन्द्र सिंह	सम्पादक, हिन्दी पुस्तक	10-10-1980	969

**इन अधिकारियों को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने का वर्ष 1978 है।

दण्डकारण्य मे तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करना

48.38 **श्री समर मुखर्जी :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना में तदर्थ कर्मचारियों को पूर्ववर्ती तारीख से विनियमित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भावत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार की वर्तमान हिदायतों के अनुसार तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों के लिच पूर्ववर्ती तारीख के विनियमित करने की अनुमति नहीं है।

सेवा मक्त किए गए तदर्थ कर्मचारियों को बहाल करने की योजना

श्री सपर मुखर्जी : क्या पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना में उन तदर्थ अधिकारियों को, जिनकी पदोन्नति/सेवा मुक्त किया गया था, वहाल कराने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता !

(ग) तदर्थ आधार पर की गई व्यवस्था कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति होने पर समाप्त कर दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों का उन पदों पर पुनः नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं होता है जिन पर कि उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर की गई है।

भारत निर्मित विदेशी शराब की कमी

4840. **श्री एन० ई० होरो :** क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत दो वर्षों के दौरान चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट के कारण भारत निर्मित विदेशी शराब की अत्याधिक कमी है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : ऐसी कोई भी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

दण्डकारण्य परियोजना के संगठन को अन्यत्र ले जाने पर हुआ व्यय

4841. **श्री अनादि चरण दास :** क्या पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य परियोजना के कितने संगठन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाये गये थे और अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 के दौरान स्थान बदलने और कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर कितना व्यय हुआ था ;

(ख) क्या यह अन्तरण सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से हुआ था, और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान कितनी पदोन्नतियां और स्थानांतरण किये गये थे और इस पर कुल कितना व्यय हुआ था ?

पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) अप्रैल, 1980 से जनवरी, 1981 की अवधि के दौरान दण्डकारण्य परियोजना के किसी भी संगठन का स्थान नहीं बदला गया है और इसलिए स्थान बदलने और फलतः कर्मचारियों के यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते पर कोई खर्च नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा विचार किया जाता है कि अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में जो परिश्रम लगेगा वह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा ।

पेट्रोलियम विभाग और रसायन तथा उर्वरक विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष (सैल) का बनाया जाना ।

4842. **श्री राम विलास पासवान :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल, और रसायन तथा उरर्वक विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कक्ष बनाये गये हैं,

(ख) दोनो विभागों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या कितनी है, और

(ग) क्या समय-समय पर सरकारी अनदेशों के बावजूद अब तक इनमें से किसी विभाग में अनसूचित जाति/अनसूचित जनजाति कक्ष नहीं बनाया गया है, और क्या उनका विचार अब इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने का है,

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) पेट्रोलियम विभाग में 24.5.1979 से अनुसूचित जनजाति सैल गठित किया गया था । रसायन और उर्वरक विभाग में यह कार्य प्रशासन प्रभाग द्वारा किया जाता है ।

(ख) पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या क्रमशः 47 और 50 है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और लोकसभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ग) रसायन और उर्वरक विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सैल नहीं बनाया है क्योंकि इस कार्य की देख-रेख प्रशासन प्रभाग करता है।

तेल व प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा डायमण्ड हारबर के निकट तेल कूप का लगाया जाना

4843. **श्री कृष्ण चन्द्र हालदार** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तेल व प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा डायमण्ड हारबर के निकट तेल कूप को इसलिए त्याग देने के तथ्य की ओर दिलाया गया है कि वहां कच्चे तेल अथवा गैस के भण्डार मिलने के कोई प्रमाण नहीं थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस परियोजना के बारे में तेल व प्राकृतिक गैस आयोग एक कार्य-प्रतिवेदन पर विचार कर रही है तथा उसका विचार उसे सभा पर रखने का है; और

(ग) क्या सरकार उक्त कार्य प्रतिवेदन के मूल्यांकन हेतु इसकी और आगे जांच के लिए सरकार कोई सोवियत रुमावी विशेषज्ञ नियुक्त करने पर भी विचार कर रही है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) डायमण्ड हारबर कूप को समाप्त नहीं किया गया है परन्तु रिग को अस्थायी रूप मे दूसरे स्थान पर ले जाया गया है। बाद में और परीक्षणों के लिए इस कूप के प्रयोग के लिए प्रस्ताव दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये गये कार्य का मूल्यांकन करने के लिए सोवियत रूमानी विशेषज्ञों की सेवाएं लेना आवश्यक नहीं समझा गया है। तथापि पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों के अन्वेषण कार्यक्रमों को इस समय एक सोवियत दल पुनरीक्षण कर रहा है।

तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के तेल खोज कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ यूरो-डालर मूल्य का करार

4844. **श्री वी० पी० देसाई** : क्या पेटोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी दल ने फरवरी, 1981 में लन्दन का दौरा किया था तथा तेल व प्राकृतिक गैस आयोग के तेल खोज कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ यूरो-डालर के किसी करार पर हस्ताक्षर किये थे ;

(ख) यदि हां, तो उक्त करार की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त करार विश्व बैंक से पहले ही मंजूर हो चुके ऋण के अतिरिक्त है ;

(घ) यदि हां, तो राशी कब तक पहुंचने की आशा है ; और

(ड.) उक्त राशी का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा !

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) भारत सरकार द्वारा प्रति नियुक्ति एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल ने फरवरी, 1981 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के आम प्रचालनों के लिए वित्तीय व्यवस्था के लिए 200 मिलियन यू० एस० डालर ऋण के समझोते के प्रारूप पर बातचीत एवं अन्तिम रूप देने के लिए लन्दन की यात्रा की थी। तदन्तर में समझोते पर 9 मार्च, 1981 को लन्दन में हस्ताक्षर किये थे।

(ख) यह ऋण बैंकों के एक सिंडीकेट द्वारा दिया गया है तथा मैसर्स मैन्यूफैक्चर्स हैनोवर लिमिटेड, लन्दन इसके एजेंट हैं। इसमें भाग लेने वाले बैंकों में स्टेट बैंक आफ इन्डिया लीड मैनेजरों में से एक है, यूनाईटिड बैंक मैनेजरों में से एक है, बैंक आफ बड़ौदा तथा बैंक आफ इन्डिया अन्य बैंकों में है। ऋण की वापसी के लिए भारत सरकार तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पक्ष में गारंटीकर्त्ता बनने के लिए सहमत हो गयी है तथा इस ऋण को सात वर्षों में वापस किया जाता है। पहले 2 वर्षों में ऋण पर एल० आई० बी० ओ० आर० पर 3/8 प्रतिशत का ब्याज होगा तथा बाकी 5 वर्षों में बकाया एल० आई० बी० ओ० आर० पर 1/2 प्रतिशत ब्याज देना होगा। न ली गई धनराशी पर 3/४ प्रतिशत प्रतिवर्ष का वचनवद्धता शुल्क भी देना होगा। ऋण की सारी धनराशी लागू तिथि से 6 माह के अन्दर लेनी होगी।

(ग) जी, हां।

(घ) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने यह ऋण प्राप्त कर लिया है तथा इसका उपयोग किया जा रहा है।

(ड.) यह ऋण तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के आम प्रचालनों की वित्त व्यवस्था के लिये है।

हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड की नई परियोजनायें

4845. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इनसेक्टिसाइड्स लिमिटेड अपनी गतिविधिगों का विस्तार करने और उनमें विविधता लाने के बारे में विचार कर रहा है,

(ख) यदि हां, तो शुरू कि जाने वाली नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप, इसके वार्षिक-उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, और

(ग) इसकी विधि परियोजनाओं के कारण कुल कितनी विदेशी मुद्रा की बचत हो जाने की आशा है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) छठी योजना में हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के लिए निम्नलिखित नई परियोजनाओं का प्रस्ताव है :

	टन/वर्ष	अनुमानित लागत (रुपये/करोड़)
1. डाइमेथोयेट	500	1.76
2. फेनिट्रोथियोन	200	
3. मेटासिसबेवस	200	1.27
4. कावोक्सीन	50	1.30
5. क्लोरडेन/हेप्टाक्लोर	100	3.73
6. डिकोफोल	100	1-42
7. टेगोफोस	50	1.33
8. मिथाइल पैराथियोन	100	2.18
9. बूटाक्योर	400	3.11
10. डिक्रामेट्रिन	200	6.94
11. आइसोप्रोटूरोन	50	2.42
12. आक्सीकार्बोक्सीन	100	2.08
13. इथेपान	100	1.02
14. एडिफेनफोस	200	1.80
15, बंहुद्देशीय फार्मूलेशन और दिल्ली से फार्मूलेशन सुविधाओं का आंशिक स्थानान्तरण		1.17
16. यू० एन० डी० पी० सेन्टर		0.58
17. आर० एण्ड डी० कम्पलैक्स		0.60
		32.67

कम्पनी के वार्षिक लेन-देन में सम्भावित वृद्धि और सुरक्षित रखी जाने वाली शुद्ध विदेशी मुद्रा का निर्धारण इन योजनाओं को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही किया जा सकता है।

किसान रैली पर बनी फिल्म पर व्यय

4846. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म डिवीजन ने दिनांक 16 फरवरी, 1981 को कांग्रेस (आई) की किसान रैली की फिल्म बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस फिल्म पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) जी, हां। फिल्म प्रभाग ने 16 फरवरी, 1981 की किसान रैली को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समाचार घटना के रूप में अपनी साप्ताहिक न्यूजरील में शामिल करने के लिए कवर किया है।

(ख) 1979-80 में प्रतिमीटर निकाली गई औसत तजागत के आधार पर भारतीय समाचार समीक्षा में प्रयुक्त कवरेज पर अनुमोनित व्यय लगभग 18,810 रुपए आता है।

दामोदर घाटी निगम द्वारा बिजली का उत्पादन

4847. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक, महीनेवार, बिजली का ओहत दैनिक उत्पादन मेगावाट में कितना था ; और

(ख) दामोदर घाटी नियम द्वारा जनवरी, 1980 से जनवरी, 1981 तक महीनेवार, सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल को समग्र रूप से और कलकत्ता को अलग से बिजली की (मेगावाट में) कितनी दैनिफ सप्लाई की गई।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) आंकड़े बताने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

महीना 1980	दैनिक औसत विद्युत उत्पादन (मेगावाट)	सी० ई० एस० सी० को दैनिक औसत सप्लाई (मेगावाट)	सी० ई० एस० सी० और राज्य बिजली बोर्ड सहित पश्चिम बंगाल में उपभोक्ताओं को दैनिक औसत सप्लाई मेगावाट
जनवरी	531.66	33.73	18.964
फरवरी	516.12	33.45	189.98

मार्च	457.16	25.33	174.07
अप्रैल	449.12	29.36	171.00
मई	426.79	2 ·78	154.17
जून	474.96	29.65	170.20
जुलाई	512.20	2[illegible].92	154.88
अगस्त	484.·4	31.51	189.83
सितम्बर	474.33	25·23	161.05
अक्तूबर	478.58	26.09	177.16
नवम्बर	499.41	32.32	192·27
दिसम्बर	586.71	38.65	190.97
जनवरी, 1981	481.21	30.93	1[illegible]4.74

औषध फर्मों द्वारा खर्च की गई विदेशी मुद्रा

4848. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या पेट्रोलिम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 से 1979-80 के दौरान प्रत्येक औषध फर्म द्वारा कुल कितनी विदेशी-मुद्रा खर्च की गई जिसमें उनके द्वारा पृथक-पृथक भेजी गई राशि तथा उनका आयात भी शामिल है,

(ख) निर्यात द्वारा प्रत्येक फर्म ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ।

(ग) क्या सरकार इन फर्मों को उनकी इक्विटी धारिता को 40 प्रतिशत तक कम कर देने के निदेश देने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि नहीं, तो इससे क्या कारण हैं,

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विदेशी औषध फर्मों द्वारा बाहर भेजी गई राशि से संबंधित उपलब्ध सूचना पहले ही लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3005 दिनांक 9.2.1980 के उत्तर में भेजी गई है ।

तथापि विदेशी औषध फर्मों द्वारा आयात पर खर्च की गई राशि और निर्यात से कमाई गई राशि के आकड़क एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।

(ग) औषध नीति की शर्तों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

माल्टा जिले में पार्टियों को दिए गए कोयला परमिट

4849. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में माल्दा की उन पार्टी अथवा पार्टियों के नाम क्या हैं, जिन्हें 100 टन से अधिक कोयले के परमिट दिए गए हैं; और

(ख) कोयला परमिट जारी करने का आधार क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) चूंकि अकोककर कोयले के वितरण पर कोई नियत्रण नहीं है इसलिए व्यक्तियों को अथवा पार्टियों को कोयले के वितरण पर कोई नियत्रण नहीं है इसलिए व्यक्तियों को अथवा पार्टियों को कोयले के परमिट देने का प्रश्न ही नहीं उठता । अतः देश के भीतर ही उपयोग के लिए किसी व्यक्ति को कोयला देने पर कोई कानूनी प्रतिबध नहीं है । कुछ निर्धारित कोयला खानों से जहां कोयले का अनावश्यक और अत्यधिक स्टाक है, बिना किसी प्रतिबंध के अथवा तदर्थ आधार पर कोयला कंपनियों में विभिन्न स्तरों पर भी कोयला दिया जा रहा है ताकि व्यक्तियों अथवा पार्टियों की तात्कालिक जरूरतें पूरी की जा सकें मालदा जिले में जिन पार्टियों को 100 टन से अधिक कोयला दिया गया है उनके नाम और विवरण एकत्र किए जायेंगे और सभा पटल पर रख दिए जायेंगे ।

एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन द्वारा कमीशन बढ़ाने की मांग

4851. श्री जनार्दन पुजारी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया एल० पी० जी० फेडरेशन ने वितरकों द्वारा रिफिलों की बिक्री पर वर्तमान अधिकतम सीमा को बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस व्यापार में वितरकों का उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए एल० पी० जी० रिफिल्स की बिक्री की वर्तमान अधिकतम सीमाओं के संशोधन के पीछे उद्देश्य था । इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एल० पी० जी० वितरकों के कमीशन को अभी हाल में दिनांक 1.3.1981 से बढ़ा दिया गया है, इसलिए एल० पी० जी० रिफिल की मासिक बिक्री की वर्तमान अधिकतम सीमाओं में संशोधन करना आवश्यक नहीं होगा ।

1981-81 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

4852. श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में 19 ·1-82 के दौरान कितनी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं को शुरू करने का विचार है; और

(ख) उक्त अवधि के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमें राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाई जाती हैं तथा उन्हीं के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। बिजली बोर्डों द्वारा समय-समय पर प्रायोजित की गई स्कीमों को ग्राम विद्युतीकरण निगम स्वीकृत करता है बशर्ते कि वे तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य तथा आर्थिक दृष्टि से जीवन क्षम हों और बशर्ते कि नई स्कीमों की स्वीकृति के लिए किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान किया गया वित्तीय आवंटन उपलब्ध हो। ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें 5 वर्ष तक की अवधियों में कार्यान्वयन के लिए सोपानबद्ध होती हैं तथा ऋण राशि किस्तों में मुहैया करायी जाती हैं। औपचारिकताएं पूरी होने पर पहली किस्त मुहैया कराई जाती है तथा प्रत्येक स्कीम में हुई प्रगति के आधार पर बाद की किस्तें मुहैया कराई जाती हैं। निगम आशा करता है कि वह पंजाब राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रायोजित की जाने वाली स्कीमों की संख्या पर निर्भर करते हुए, पंजाब में 1981-82 के दौरान 9.60 करोड़ रुपये तक की नई स्कीमों को स्वीकृति दे देगा। इसके अतिरिक्त, निगम, फरवरी, 1981 के अन्त तक स्वीकृत की गई 165 स्कीमों के लिए तथा 31-3-81 तक स्वीकृत की जाने वाली भविष्य की स्कीमों के लिए भी ऋण की किस्तें मुहैया करायेगा।

बिजली खराब होने के कारण उदयपुर आदि में सीमेंट संयंत्रों का बन्द होना

4853. श्री चिरंजीलाल शर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की सप्लाई बन्द करने के कारण उदयपुर; बिम्बेहरा, सवाई माधोपुर और सूरजपुर में सीमेंट संयंत्र बन्द हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो बिजली की नियमित सप्लाई के लिए (या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) राजस्थान और हरियाणा इस समय विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। तथापि अक्तूबर, 1980 से फरवरी, 1981 तक की अवधि के दौरान हरियाणा में विद्युत की समग्र कमी घटकर लगभग 17 प्रतिशत रह गई थी। इसकी तुलना में पिछले वर्ष की कमी इसी अवधि के दौरान यह कमी लगभग 31 प्रतिशत थी। राजस्थान में विद्युत सप्लाई की स्थिति मुख्यतः राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना बन्द हो जाती है, तब राज्य में विद्युत की स्थिति गम्भीर हो जाती है क्योंकि चम्बल और भाखड़ा-व्यास काम्पलेन्सों जैसे अन्य स्रोतों से विद्युत की सप्लाई राज्य की विद्युत की आवश्यकताओं को पूर्णतः पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। मार्च, 1981 के पहले पखवाड़े में विद्युत की कमी लगभग 31 प्रतिशत थी। इन राज्यों में विद्युत की कुछ कमी होने के कारण राजस्थान में सीमेंट फैक्टरियों पर 45 प्रतिशत मांग कटौती तथा हरियाणा में सीमेंट फैक्टरियों पर 35 प्रतिशत मांग कटौती लागू है।

(ख) राज्यों में विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं तथा किए जा रहे हैं। इनमें ये उपाय शामिल हैं :—

(1) भार मांग की बहतर प्रबन्ध व्यवस्था करना;

(2) अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना। 1980-85 कर अवधि के दौरान हरियाणा और राजस्थान में कमशः लगभग 438 मेगावाट और 496 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता (देहर और पोंग परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले इनके हिस्से को शामिल करके) जोड़े जाने का कार्यक्रम है।

(3) वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता से विद्युत उत्पादन अधिकतम करना।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डीलरशिप दिया जाना

4 54. श्री भोखा भाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के विभिन्न निगमों द्वारा कुल कितनी 'डीलरशिप' प्रदान की गई और निगम-वार प्रत्येक किस्म की प्रदत्त डीलरशिप। डिस्टीब्यूटरशिप के पृथक-पृथक आकड़े क्या हैं;

(ख) देश में आज तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों के लिए कितनी कितनी डीलरशिप अथवा डिस्टीब्यूटरशिप का आरक्षण किया गया है;

(ग) ऐसी डीलरशिपों की संख्या क्या है, जो यद्यपि आरक्षित समुदायों के लिए आरक्षित थीं, तथापि, उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया है ; और

(क) आरक्षण समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) दिनांक 1-1-19 1 तक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्टीब्यूटरशिपों की अनुमानित संख्या नीचे दी गई है :

कम्पनी	रिटेल आउटलेट डीलरशिपें पेट्रोल/डीजल/पम्प	खाना पकाने की गैस एजेंसी/उप-एजेंसी	मिट्टी के तेल/डीजल तेल की एजेंसियां
इंडियन आयल कार्पोरेशन	4,3 3	465	2,302
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन	3,:25	492	1,386
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन	3,304	148	724
इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कं०	1,001	—	314

(ख) सभी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों द्वारा सभी प्रकार की एजेंसियों/डीलरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षित करने

की नीति पहली बार 23-0-1977 से लागू की गई थी। इससे पहले, -1-1974 से यह आरक्षण केवल इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की "वी०" स्थल रिटेल आउटलेटों अर्थात डीलर के स्वामित्व वाले तथा डीलर द्वारा चलाये जाने वाले पेट्रोल पम्पों को छोड़कर सभी एजेंसियों/डीलरशिपों के लिए था।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार, अगर किसी स्थल को एस० सी/एस० टी० वर्ग से "अन्य" वर्ग में कोटिबद्ध कर दिया जाता है तो उसके बदले में किसी अन्य स्थल को एस० सी०/एस० टी० वर्ग के लिए उद्दिष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार आरक्षण प्रतिशतता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार कोटिबद्ध की गई एजेंसियों/डीलरशिपों की संख्या तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(घ) यह वर्गीकरण तभी समाप्त किया जाता है जब तेल कम्पनियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए समाचार पत्र में दिये गये विज्ञापन के उत्तर में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से उचित उम्मीदवार प्राप्त नहीं कर पाती है।

क, ख तथा ग श्रेणियों के राज्यों में हिन्दी का प्रयोग

4855. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के अधीन "क", "ख" तथा "ग" श्रेणियों के राज्यों में हिन्दी के प्रयोग के लिए कोई वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यक्रम उनके मंत्रालय को नियमित रूप से प्राप्त होता है;

(ग) यदि हां, तो उक्त तीन श्रेणियों के राज्यों हेतु, वर्ष 1980 के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान उपरोक्त श्रेणियों के राज्यों में हिन्दी के प्रयोग में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) "क", "ख" तथा "ग" क्षेत्रों के राज्यों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। वर्ष 1980-81 के लिए कार्यक्रम मार्च/अप्रैल, 1980 में प्राप्त हुआ था इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे इस मंत्रालय तथा विभिन्न राज्यों में स्थित इसके कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति पर, तिमाही प्रगति रिपोर्टों द्वारा, निगाह रखी जाती है, तथा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं।

गांवों में टेलीविजन

4856. श्री डी० एम० पुत्ते गोडा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत के सुदूरवर्ती गांवों में टेलीविजन की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी;

(ख) क्या गांवों में टेलीविजन के माध्यम से (एक) परिवार नियोजन (दो) कृषि और (तीन) अन्य ग्रामीण विकास योजना के बारे में जानकारी देने पर विचार किया जा रहा है; और

(ग) क्या यह आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमदबेन के० एम० जोशी) : (क) बहुत बड़ी संख्या में गांव वर्तमान ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन सेवा प्राप्त कर रहे हैं। 1982 में छोड़े जाने वाले भारत के पहले संचार उपग्रह "इनसैट-1" के उपयोग की स्कीम तैयार की जा रही है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, लक्ष्य क्षेत्रों के चुनींदा गांवों में सीधे संग्रहण सामुदायिक अवलोकन सेंटों की स्थापना की व्यवस्था है। तथापि, स्कीम का कार्यान्वयन इसकी स्वीकृति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) दूरदर्शन कार्यक्रम विषयों में मुख्य प्राथमिकता हमेशा सामाजिक शिक्षा और मिश्रित ग्रामीण विकास विषयों को दी गई है। 7 मुख्य दूरदर्शन केन्द्र परिवार कल्याण, कृषि के लिए द्वि-साप्ताहिक या त्रिसाप्ताहिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। 1975-76 में चलाई गई "साइट" परियोजना 6 राज्यों के 2400 गांवों के लिए पूर्णतय ग्रामीण टेलीकास्ट सेवा थी। इस परियोजना की समाप्ति पर दूरदर्शन ने इस क्षेत्रों में स्थलीय ट्रांसमीटर चालू किए जो ग्रामोन्मुखी दूरदर्शन सेवा प्रस्तुत कर रहे हैं। "इनसैट" दूरदर्शन सेवा भी मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सेवा होगी।

(ग) दूरदर्शन, जो एक दृश्य माध्यम है, का लोगों पर प्रभाव भाषित शब्दों या मुद्रित शब्दों की अपेक्षा निःसन्देह अधिक होता है। तथापि, दूरदर्शन तुलनात्मक रूप से अधिक खर्चीली सेवा होने के कारण, इस माध्यम को सामाजिक शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए अन्य माध्यम का स्थान लेने में काफी लम्बा समय लगेगा। तब तक सभी माध्यमों को अपनी-अपनी भूमिका अदा करनी है।

तेल और गैस के लिए पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन द्वारा किया गया सर्वेक्षण

4857. श्री डी० एम० पुतेगीडा)
श्री एल० एन० गोडा)
श्री के० लकप्पा) : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह
श्री० के० राममूर्ति)
श्री के० प्रधानी)

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अरब पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या इस संगठन के महासचिव के अनुसार भारत में तेल और प्राकृतिक गैस के विस्तृत ससोधन हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्थानों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संसाधनों का विदोहन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं।

(ख) अनौपचारिक विचार विमर्श के दौरान इस बारे में उन्होंने साधारण रूप से उल्लेख किया था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा "फार्मूलेटिड" खरपतवारनाशी औषधियों का आयात

4858. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा फार्मूलेटिड खरपतवारनाशी औषधियों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं जब कि देश में फार्मूलेशन के लिए तकनीकी सामग्री का आयात किया जा सकता था।

(ख) क्या सम्बद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय फार्मूलेटरों को तकनीकी सामग्री देने से इनकार कर रही है जिससे इन खरपतवारनाशी औषधियों की सप्लाई के लिए एकाधिकार बनाये रखा जायें,

(ग) क्या सरकार को संसद-सदस्यों की ओर से यह सुझाव मिला है कि इन खरपतवारनाशी औषधियों (तकनीकी) अर्थात् ट्रिबुनिल और आइसोप्रोटरीन का आयात सारणी बद्ध किया जाये जिससे एक समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके तथा बहुराष्ट्रीय कंपपनियों को एकाधिकार समाप्त किया जायें,

(घ) क्या अन्य ऐसे ही मामले में, अन्य व्यक्तियों की सिफारिश पर एन्ड्रिन और कार-बेरिल का आयात सी० पी० सी०/एम० टी० सी० के माध्यम से आरम्भ किया गया था और इससे एक समान वितरण हुआ और सम्बद्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का एकाधिकार समाप्त हुआ था, और

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां, । तथापि ट्रिबुलिन, डोसानेक्स और आइसोप्रोडरीन जैसे फार्मूलेटेड खरपतवाड नारियों का आयात आवश्यक कृषि आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए करना पड़ा था।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता चूंकि न तो वे बहुराष्ट्रिक और न ही कोई दूसरे इसका निर्माण कर रहे हैं या तकनीकी सामग्रियों का आयात करते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) एन्ड्रीन और कार्बोराइल के आयात को कुछ समय पूर्व अनेक फार्मुलेटरों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, कि वे तकनीकी सामग्री प्राप्त करने में असमर्थ हैं सी० पी० सी०/एस० टी० सी० के माध्यम से सारणीबद्ध किया गया था।

(ङ) फार्मूलेशन के लिए तकनीकी सामग्री के आयात को सारणीबद्ध करने का प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय कीटनाशी बोर्ड के पास पर्याप्त संख्या में भारतीय पार्टियां पंजीकरण कराती है। फिलहाल सिर्फ दो पार्टियों के पास यह पंजीकरण है और वे दोनों ट्रिबुनिल के संबंध में है। डोसानेक्स और आइसोप्राटुटोन फार्मुलेशनों के लिए कोई भारतीय पार्टी पंजीकृत नहीं है।

देश में प्रत्येक विद्युत केन्द्र की विद्युत उत्पादन क्षमता

4859 : **श्री अमरराय प्रधान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक ताप बिजली घर का उसकी स्थापना किए जाने से आज तक विद्युत उत्पादन क्षमता का वार्षिक रिकार्ड क्या है; और

(ख) इस कार्य के लिए किया गया वार्षिक व्यय क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री विक्रम महाजन : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

मथुरा तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता

4860. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में मथुरा तेल-शोधक कारखाने के जरिये और मौजूदा तेल शोधक कारखानों का विस्तार किए जाने से तेल शोधन क्षमता को किस हद तक बढ़ाए जाने की संभावना है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मथुरा शोधनशाला परियोजना के चालू हो जाने से, देश में स्थापित शोधन क्षमता प्रतिवर्ष 37.80 मि० मी० टन हो जायेगी। इसके अतिरिक्त, छठी योजना अवधि के अन्त तक सरकार का विद्यमान शोधनशालाओं की कुल स्थापित क्षमता को प्रतिवर्ष 44.55 मि० मी० टन तक बढ़ाने की भी योजना है।

तेलशोधक कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता

4861, **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) हमारे देश में भिन्न-भिन्न तेल शोधक कारखानों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है :

(ख) इन तेल शोधक कारखानों में किस श्रेणी के मुख्य पेट्रोलियम उत्पादकों का परिष्करण किया जाता है तथा प्रत्येक मद की उत्पादन क्षमता कितनी है,

(ग) क्या सरकार इन तेलशोधक कारखानों में नई क्षमताओं का विस्तार करने अथवा रचना करने पर विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1980-81 के दौरान देश में उपलब्ध कुल स्थापित परिशोधन क्षमता लगभग 31.80 मिलियन मी० टन की है। 6 मिलियन मी० टन प्रति प्रति वर्ष वाली मथुरा शोधक शाला को पूर्ण क्षमता पर आरम्भ करने के उपरांत परिशोधन क्षमता लगभग 37.80 मिलियन मी० टन तक बढ़ जाएगी।

(ख) देश में शोधनशालाओं में उत्पादित किये जाने वाले मुख्य उत्पाद एल० पी० जी नेफ्था, मोटर स्प्रिट, एविएशन टरबाइन ईंधन, मिट्टी का तेल, हाई स्पीड डीज़ल, लाइट डीजल आयल, भट्टी का तेल, लो सल्फर हैवी स्टाक, ल्यूब आयल तथा बिटूमन है। तथापि, निर्मित किए गए उत्पादों और प्रत्येक उत्पाद की उत्पादन क्षमता प्रत्येक शोधनशाला में उपलब्ध प्रक्रिया सुविधाओं, साफ किए गए कूड की किस्म और बाजार में उत्पादों की मांग के साथ भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार के पास निम्नलिखित शोधनशालाओं का विस्तार करने/नई क्षमताओं के सृजन करने के लिए योजनाएं हैं :

यूनिट का नाम	मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष में	
	विद्यमान	प्रस्तावित क्षमता
1. मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड	2.8	5.6
एच० पी० सी० एल० (विभाग)	1.5	4.5
3. बी० बी० सी० एल (बम्बई)	5.25	6.00
4. सी० आर० एल०	3.3	3.5

मथुरा तेल शोधक कारखाने और मध्य प्रदेश में रसायन काम्पलेक्स स्थापित करने में हुई प्रगति

4862. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) मथुरा तेल शोधन कारखाने की क्या प्रगति है :

(ख) इसमें उत्पादन कब होने लगेगा :

(ग) इस एकक में किन मुख्य पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा; उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी :

(घ) क्या सरकार मध्य प्रदेश में इस तेल शोधक कारखाने पर विचार कर रही है : और

(ङ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) 31-1-1981 को परियोजना की प्रगति की सम्पूर्ण प्रतिशतता 91 प्रतिशत है।

(ख) वर्तमान अनुमानों के अनुसाद, शोधनशाला 1981 के अन्त तक चालू हो जाएगी।

(ग) शोधनशाला मानक पैट्रोलियम उत्पादन जिसमें तरल पेट्रोलियम गैस, मोटर स्पिरिट, ऐविऐशन टरबाइन ईंधन, उक्च कोटी का मिट्टी का तेल, स्पीड डीजल, लाईट डीजल तेल, मिट्टी का तेल, बिटूमन आदि शामिल हैं का उत्पादन करेगी। प्रत्येक उत्पाद की उत्पादन की क्षमता शोधित कक्चे तेल की किस्म और बाजार में उत्पाद मांग के अनुसार होगी।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने एरोमेटिक पेट्रो-रसायन समूह की स्थापना के लिए एक स्थल चयन समिति गठित की है। समिति विभिन्न स्थलों के लिए तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से सिफारिशें करेगी। समिति ने अभी अपनी प्रस्तुत नहीं की है।

मध्य प्रदेश आकाशवाणी केंद्र

4863 **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी पंचवर्षीय योजना अवधि में मध्य प्रदेश राज्य मे कितने आकाशवाणी केन्द्र खोले जायेंगे;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव मांगे गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेनहम० जोशी) : (क) अगली पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव इस समय तैयार नही किए जा रहे हैं क्योंकि वर्तमान योजना (1980-85) को अभी ही अन्तिम रूप दिया गया है। तथापि वर्तमान, छठी पचवर्षीय-योजनाकी अवधि (1980-85) के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में कोई नया रेडियो स्टेशन खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) : जी नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के दिल्ली क्षेत्री कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट

4864. श्री रसीद मसूद : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एस० पी० सी० एल०) के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के विभिन्न प्रबंधक वर्ग की योग्यताओं, ग्रेडों तथा वेतनमानों सहित पदाधिकारियों का व्यक्तिगत ब्यौरा दर्शाने वाला संगठनात्मक ढांचा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि एच० पी० सी० एल० में विभिन्न प्रबंधक वर्ग पर लागू वेतनमानों श्रेणीकरण, लाभ आदि को गुप्त रखा जाता है और जिसकी जानकारी अधीवस्थ प्रबंधक कर्मचारियों को नहीं दी जाती; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है !

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट संलग्न है । [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 2192/81) अधिकारियों की सूची जिसमें उनके पदनाम, शैक्षिक योग्तताएं तथा वेतनग्रुप दिखलाए गए है, भी संलग्न हैं । (ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी 2192/81] वेतनमान निम्न रूप में हैं :—

वेतन ग्रुप	वेतनमान
ए	रु० 750-40-1150-50-1550
बी०	रु० 1050-50-1450-60-1750.
सी०	रु० 1450-60-1690-65-1950.
डी०	रु० 1600-65-2120.
ई०	रु० 1850-100-2350.
एफ०	रु० 2000-100-2500.

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहींउठता ।

समाचार पत्रों के नामों की मंजूरी के लिए आवेदन

4865 श्री फूलचन्द वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए काम प्राप्त करने हेतु, मध्य प्रदेश

में पिछलेएक वर्ष में कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और इनमें से रतलाम जिले में कितने आवेदन-पत्र हैं :

(ख) निपटाये गए तथा विचाराधीन आवेदन-पत्रों की संख्या क्या है तथा इनके विचाराधीन पड़े रहने के क्या कारण हैं ;

(ग) साप्ताहिक, पाक्षिक तथा दैनिक पत्र निकाने हुतु प्राप्त आवेदन-पत्रों का अलग-अलग संख्या क्या है : और

(घ) क्या आवेदकों के उनके नामों की स्वीकृति करना रद्द किए जाने के बारे में सूचित किया जाता है और यदि हां तो क्या सभ आवेदकों को यह जानकारी भेज दी गई है और यदि नहीं । तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद जोशी) : (क) विवरण अनुसार।

(घ) जी नहीं । जैसा कि प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम में अपेक्षित हैं, नामों की स्वीकृति अथवा रद्द किए जाने के बारे में सम्बन्धित छिला मजिस्ट्रेट, जिससे सत्यापन के लिए संदर्भ गुप्त होते हैं, को सूचित किया जाता है।

विवरण

1980 और 1981 (17-3-1981 तक) के दौरान हिन्दी में समाचारपत्रों का प्रकाशन शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या

	दैनिक		साप्ताहिक		पाक्षिक		अन्य		कुल	
	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981
कुल आवेदन पत्र	59	17	292	125	91	21	175	98	617	261
निपटाए गए	59	17	292	125	91	21	175	98	617	261
पेंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1980 और 1981 (17-3-81 तक) के दौरान हिन्दी में समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू करने के लिए रतलाम से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या

	दैनिक		साप्ताहिक		पाक्षिक		अन्य		कुल	
	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981	1980	1981
कुल आवेदन पत्र	1	शून्य	16	5	3	1	11	शून्य	31	6
निपटाए गए	1	शून्य	16	5	3	1	11	शून्य	31	6
पेंडिंग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

विटामिन "सी" तथा सार्विटाल का उत्पादन

4866. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा कि :

(क) देश के विटामिन "सी" तथा सार्बिटोल की उत्पादन करने वाली कंपनियों के नाम क्या हैं,

(ख) प्रत्येक कंपनी का वार्षिक उत्पादन क्या है और वर्ष 1980-81 के दौरान प्रत्येक कम्पनी ने कितना-कितना उत्पादन किया,

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कंपनियों ने लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया था और निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन किया था जिसे बाद में नियमित किया गया था, और

(घ) यदि हां, तो उन कंपनियों के नाम क्या है और उनके उत्पादन को नियमित करते समय उन्हें कोई चेतावनी दी गई थी अथवा उन पर कोई जुर्माना किया गया था।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री दलबीर सिंह) (क) और (ख) विटामिन सी और सोर्बिटोल का निर्माण करने वाली कंपनियों के नाम उनकी लाइसेंसशुदा क्षमता और वर्ष 1980-81 में उनका उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :—

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	लाइसेंसशुदा क्षमता (टनों में)	वर्ष 1980-81 में उत्पादन (टनों में)
1.	विटामिन सी		
1.	मैसर्स जयन्त विटामिनस बम्बई	500	137.30 (जुलाई, 80 से फरवरी, 81
2.	मैसर्स साराभाई एम. कैमिकल्स बड़ोदा	240	310.00 (अप्रैल 80 से फरवरी 81)
3.	मैसर्स एच. ए. एल.	125	25.96 (अस्थायी)
	सोर्बिटोल		
1.	जयन्त विटामिन्स; बम्बई	2.000	281.27 (जुलाई 80 से फरवरी 81)
2	साराभाई एम. कैमिकल्स बड़ोदा	2.500	771.00 (70 प्रतिशत) (अप्रैल 80 से फरवरी 81)

3.	मैज प्रोडक्ट्स	2.000	506.00	(1980 के लिये)
4.	अजित स्टार्च प्रोडक्ट लि॰ अहमदाबाद	2.100	320.00	(1980 के लिये)

(ग) विटामिन "सी" के निर्माताओं में से केवल मैसर्स साराभाई एस. कैमिकल्स को अपनी लाइसैंसशुदा क्षमता से अधिक उत्पादन करते हुए पाया गया है। इस कंपनी को प्रारम्भ में प्रति वर्ष 60 टन विटामिन "सी" का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसैंस दिया गया था और बाद में दिसम्बर 1966 में उनकी क्षमता 90 टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाई गई थी और उसमें पुन: 120 टन प्रति वर्ष संशोधन किया गया। इस कार्य को पुन: प्लांट और मशीनरी के अधिकतम उपयोग के आधार पर क्षमता में 240 टन प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई क्षमता को 26 नवम्बर, 1976 से लागू किया गया था।

मैसर्स साराभाई एम॰ कैमिकल्स ने वर्ष 1978 की अवधि नीति के अनुसरण में विटामिन सी के अधिक उत्पादन को नियमित करने और अगस्त 1980 की औद्योगिक नीति के अन्तर्गत विटामिन सी की स्थापित क्षमता को मान्यता देने के लिए आवेदन पत्र दिया है। इन आवेदन पत्रों पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुदान मंजूर किये जाने के लिए शर्तें

4867. **श्री मुकन्द मंडल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को किन शर्तों पर मंजूरी दी जाती है ;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा पिछले वर्ष राज्यों को (राज्यवार) कितनी राशि मंजूर की गई ;

(ग) क्या कोई राज्य इस निगम कर किन्हीं शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहा है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (विक्रम महाजन) : (क) विभिन्न राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम मुख्यत: ऋण देकर वित्तीय सहायक प्रदान करता है। ये ऋण विभिन्न शर्तों पर दिए जाने हैं जो स्कीम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के विकास के स्तर पर तथा जिस प्रयोजन के लिए स्कीमें स्वीकृत की जाती हैं उस प्रयोजन पर निर्भर करती हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम के ऋणों संबंधी शर्तें तथा व्यवहार्यता संबंधी मानदण्ड उपाबंध – एक में दिखाए गए हैं। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एक टी-2193/81]

जो राज्यग्राम विद्युतीकरण के मामले में राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं ऐसे प्रत्येक राज्य में लन्इनमैन प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए निगम अनुदानों की व्यवस्था करता है। अनुदान की सीमा 1.5 लाख रुपये है।

(ख) निगम ने पिछले वित्तीय वर्ष (1979-80) के दौरान विभिन्न राज्यों में ऋण के रूप में 210.76 करोड़ रुपए और अनुदान के रूप में 7.00 लाख रुपये की मंजूरी दी हैं। [ग्रथालय में रखा गया। देखिए संख्या एक टी-2193/81]

(ग) निगम द्वारा स्वीकृत वित्तील सहायता के बारे में इसके द्वारा निर्धारित शर्तें राज्य विद्युत बोर्डों। राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दामोदर घाटी निगम के बिजली घरों के कार्यकरण की जांच करने के लिये बुलाये गये विदेशी विशेषज्ञ

4468. **श्री मुकंद मंडल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के कुछ बिजली घरों के मामले की जांच करने के लिए कुछ विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्होंने सरकार को कोई रिपोर्ट दी हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाए ;

(ङ) इस सिफारिश को देखते हुए क्या कार्यवाही की गई है ;

(च) क्या विदेशी विशेषज्ञों को पुनः बुलाया गया है ; और

(ज) यदि हाँ, तो किस सिलसिले में तथा जांच के विषय क्या हैं

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) दामोदर घाटी निगम के ताप विद्युत यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार के लिए अध्ययन करने और उपाए सुझाने के लिए जुन, 1980 में दामोदर घाटी निगम् के विद्युत केन्द्रों का दौरा करने के लिए ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल के विशेषज्ञों का एक दल भेजा गया था।

(ग) जी, हाँ।

(घ) रिपोर्ट की एक प्रति संसद के पुस्तकालय को भेज दी गई है।

(ड.) ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल कृत्तिक बल की सिफारिशों के अनुसान दामोदर घाटी निगम द्वारा ताप विद्युत यूनिटों के लिए एक संयंत्र सुधार कार्यक्रम तैयार किया गया है। कुछ संगठात्मक सुधारों के संबंध में भी सुझाव दिए गए हैं। दामोदर घाटी निगम द्वारा ये

सिफारिशें कार्यान्वित की जा रही हैं जिनके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन में, विशेष पिछले छः सप्ताहों में, महत्ववपूर्ण सुधार हुआ है ।

(च) और (छ) दामोदर घाटी निगम के संयंत्र सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता के लिए ब्रिटिश ईलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल के कार्यकारी स्तर के एक अन्य दल की सहायता लेने का प्रस्ताव है । कि ब्रिटिश इलेक्ट्रिसिटी इन्टरनेशनल और अनुरक्षण के विशेषज्ञ हों इस कार्य के लिए दामोदर घाटी निगम के ताप विद्युत केन्द्रों का लगभग 15 जन-महीनों के लिए दौरा करना चाहिए ।

शीघ्र न्याय के लिए चलते फिरते न्यायालयों की स्थापना

4869. श्री के० माल्लना)
श्री जी० वाई कृष्ण) : क्या विधि, और न्याय कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने
श्री आर० एन० राकेश)

की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच हैं कि केन्द्रीय सरकार ने जनता को शीघ्र न्याय दिलवाने के लिए राज्य सरकारों से चलते फिरते न्यायालय स्थापित करने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या सरकार ने यह सुझाव भी दिया है कि न्याय शीघ्र दिलाने और सेशन न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों का निपटारा करने के लिए उपाय सुझाने हेतु एक विशेष समिति का गठन किया जाए ; और

(क) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सलाह का ब्योरा क्या है और उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) से (ग) वर्तमान सरकार के सत्तारूढ़ होने के पश्चाद विधि, न्याय और कार्य कम्पनी मंत्रालय ने राज्य सरकारों से ऐसे चलते फिरते न्यायालय स्थापित करने के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

नागार्जुन सागर उर्वरक कम्पनी

4871. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुआरी एग्रो-केमिकल्स फर्म ने नागार्जुन सागर उर्वरक कंपनी, जो वित्तीय कठिनाईयों का सामना कर रही है, को पुन. सहायता देने का प्रस्ताव किया है,

(ख) यदि हाँ तो क्या यह सच है कि जुआरी एग्रो-केमीकल्स में अधिकांश शेयर अमरीकी कंपनियों के हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो नागार्जुन सागर उर्वरक कंपनी का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने के प्रस्ताव का विवरण और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सरकार नो मैसर्स नागार्जुन, फार्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड (एन० एफ० सी०) के प्रवर्तक है, और मैसर्स जआरी एग्रो केमिकल्स लि० (जेड० ए० सी०) ने सहमति के करार पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके अनुसार राज्य सरकार और जेड० एस० सी एन० एफ० सी० के प्रवर्तक साम्यपूंजी में 2/3 के अनुपात में सहभागी होंगे।

जेड० ए० सी० की कुल प्रदत्त शेयर पूँजी 16.55 करोड़ रुपये की है जिसमें से 12.43 करोड़ रुपये साश्य घोयर पूँजी और 4.12 करोड़ रुपये अधिमान शेयर पूँजी है। साम्य शेयक धारिता निम्न प्रकार हैं:

1. यू० एस० स्टील कारपोरेशन, पिट्सवर्ग	36.21 प्रतिशत
2. आर्मर एण्ड क० यू० एस० ए०	1.81 प्रतिशत
3. बैंक आफ अमेरिका	6.03 प्रतिशत
4. फर्स्ट शिकांगो इन्टरनेशनल फाइन्नेंस कोरपोरेशान	1.51 प्रतिशत
5. वेन्टेज टेन नाइन्टी फंड	0.30 प्रतिशत
6. अन्य गर अधिवासी शेयर धारी	0.11 प्रतिशत
7. इन्टरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन	18.·2 प्रतिशत
8. भारतीय शेयर धारी	35.51 प्रतिशत
योग	100.00 प्रतिशत

सभी अधिमान शेयर पूंजी भारतीय शेयरधारियों के पास हैं।

एन० एफ० सी० की साम्य पूंजी में जेड० ए० सी० की सहभागिता जहां आवश्यक हो एम० आर० टी० पी० और अन्य बेबाकी की शर्तों के साथ सरकार ने अनुमोदित कर दी है।

दामोदर घाटी निगम का दुर्गापुर तापीय विद्युत एकक करने में बिलम्ब

4872. **श्री रेणु पद दास** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के 210 मेगावाट के दुर्गापुर तापीय विद्युत एकक को, जिसे दिसम्बर, 1978 में चालू किया जाना था, बाद में, 1979 से जालू करने का कार्यक्रम बनाया गया था; और

(ख) क्या बिलम्ब के लिए दामोदर घाटी निगम दोषी होगा।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा के अनुसार, दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र के 210 मेगावाट के चौथे यूनिट को, जून, 1979 में चालू किया था। विलम्ब के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) विभिन्न ठेकेदारों द्वारा प्रमुख उपस्कर की सुपुर्दगी समय सूची के अनुसार न की जाना।

(2) सिविल निर्माण कार्यों में देरी;

(3) 1978 में अभूतपूर्व वर्षा और परिणामस्वरूप भयंकर बाढ़ के कारण, पहले से ही निर्माणाधीन विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति में बाधायें आना; और

(4) ठेकेदारों के निर्माण कार्यों में 1980 में 5 महीनों के लिए श्रमिक अशांति।

यूनिट को अब मई-जून, 1981 में चालू करने का कार्यक्रम है।

भारतीय उर्वरक निगम को हानि

4873. श्री रेणु पद दास : क्या पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम को चालू वित्तीय वर्ष में होने वाला घाटा गत वर्षों के मुकाबले में अधिक नहीं होगा,

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितना घाटा होगा, और

(ग) घाटे में वृद्धि को रोकने में सरकार के असफल रहने के क्या कारण हैं;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० (एफ० सी० आई०) की हानि वर्ष 1979-80 की हुई हानि से भी अधिक होने की आशा है।

(ख) हानि की सही मात्रा तभी ज्ञात हो सकेगी जब वर्ष के लिए लेखा तैयार कर लिए जाते हैं। फिलहाल लगभग 9 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान है।

(ग) हानि के मुख्य कारण हैं सिन्दरी आधुनिकी कारण प्लांट में निवेशों की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण उत्पादन में गिरावट, गोरखपुर प्लांट में निवेशों की अपर्याप्त उपलब्धता और बिजली कटौती, सिन्दरी सुव्यस्थीकरण प्लांट में यांत्रिक और डिजाइन समस्याएं और तालचर तथा रामगुण्डम प्लांटों में चालू होने के बाद प्रारंभिक समस्याएं। सरकार ने कच्चे माल की सप्लाई में वृद्धि और उपकरण समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए कदम उठाये हैं जिससे उनमें बेहतर कार्य निष्पादन हो सके।

छठी योजनावधि के दौरान भीम कुंड पन-बिजली परियोजना का पूरा किया जाना

4874. श्री अर्जुन सेठी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने छठी योजना में भीमकुन्ड पन-बिजली परियोजना पूरी करने के लिए केन्द्र से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय ऊर्जा आयोग द्वारा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) और (ख) भीमकुण्ड बहुद्देशीय परियोजना का वित्त पोषण केन्द्रीय सेक्टर में करने के बारे मे उड़ीसा के मुख्य मन्त्री ने केन्द्रीय योजना मंत्री को तथा केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री को लिखा है ।

(ग) और (घ) जून, 1980 में प्राप्त हुई भीमकुण्ड बहुद्देशीय परियोजना की संशोधित परियोजना रिपोर्ट की जांच केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग में की गई है तथा टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई है । इन टिप्पणियों के उत्तर की प्रतीक्षा है इनमें परियोजना के विद्युत सम्बन्धी लाभों का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन करना भी शामिल है । बहुद्देशीय परियोजना होने के कारण इस स्कीम पर पहले कार्यवाई योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के लिए करनी होगी । तत्पश्चात् विद्युत सम्बन्धी मांग पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा

औषधियों के अधिक उत्पादन को नियमित करना

4875. श्री वी० वी० वेसाई : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि उद्योग में अधिक उत्पादन को नियमित करने के आधार को बदलने का विचार है;

(ख) क्या केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय, पेट्रोलियम, और उर्वरक मंत्रालय नीति सम्बन्धी परस्पर विरोधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को देखते हुए एक नया फार्मूला बना रही है ?

(ग) यदि हां, तो इन दो परस्पर विरोधी फार्मूलों के क्या मुख्य कारण है, और

(घ) यह संशोधित फार्मूला, जो विचाराधीन है, औषध उद्योग के लिए किस प्रकार उपयोगी होगा,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीरसिंह) : (क) से (ग) हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक उत्पादन को 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाली वर्षों की अपेक्षा में किसी भी वर्ष में प्राप्त किये गये अधिकतम उत्पादन के स्तर पर कुछ शर्तों के साथ नियमित करने के बारे में अपने निर्णय की घोषणा की ।

इस निर्णय का उल्लेख औषध नीति सम्बन्धी विवरणपत्र के पैराग्राफ 27.3 से 3 में किया गया है जिसकी प्रतिलिपि तत्कालीन पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री द्वारा 29 मार्च 1978 को लोकसभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी। दिनांक 4-9-1980 को लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक स्थापित क्षमता को कुछ शर्तों के साथ मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अधिक खपत वाले मदों (जिसमें औषध और भेषज उद्योग भी शामिल हैं) के उत्पादन में लगे हुए कुछ चुने हुए उद्योगों के बारे में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिनांक 29-8-80 के प्रेस नोट के जरिए सरकार की नीति की घोषणा की थी। जहां तक औषध उद्योग का सम्बन्ध है उक्त निर्णय को लागू करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

16 एम० एम० थियेटर प्रोजेक्टर का डिजाइन तैयार करना

4876. **श्री० वी० देसाई : सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने चालू वर्ष के दौरान 16 एम० एम० थियेटर प्रोजेक्टर का डिजाईन बनाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह विज्ञान और प्रोद्योगिक विभाग द्वारा उनके मंत्रालय के लिये बनाया जाने वाला अपनी किस्म का पहला प्रोजेक्टर होगा;

(ग) यदि हां, तो क्या विज्ञान और प्रोद्योगिकी को इन प्रोजेक्टरों का विकास करने हेतु 24 लाख रुपये का राशि आबंटित की गई ;

(घ) यदि हों, तो इन प्रोजेक्टरों का मुख्य उद्देश्य क्या होगा ;

(ङ) उक्त प्रोजेक्टर देश के लिए किस सीमा तक लाभप्रद होंगे; और

(च) ये प्रोजेक्टर कब तक विकसित किए जाने हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (च) राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्यदल द्वारा की गई इस सिफारिश की 16 एम० एम० टेक्नालाजी भारत के लिए उपयुक्त टेक्नालाजी है, के अनुसरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग को थियेटरों में फिल्म प्रोजेक्शन के लिए उपयुक्त 16 एम० एम० व्यावसायिक प्रोजेक्टर का डिजाईन बनाने और उसको विकसित करने का काम हाथ में लेने का सुझाव दिया है। विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने 16 एम० एम० और 35 एम० एम० मूवी प्रोजेक्टरों के लिए लैंसों और जूम लैंसों के प्रकाशीय डिजाइन विकसित करने का काम हाथ में लिया है। इस विभाग ने श्रव्य दृश्य पद्धतियों के लिए जैनान आर्क लैम्पों, जिनका 16 एम० एम० प्रोजेक्टरों के लिए उपयोग किया जा सकता है, को विकसित करने का काम भी हाथ में लिया है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग ने क्रमशः 5.5 लाख रुपए और 18.5 लाख रुपए की राशि आवंटित की है। व्यावसायिक 16 एम० एम० प्रोजेक्टर का पूरा डिजाइन विकसित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कम प्रिण्ट लागत के कारण 35 एम० एम० प्रोजेक्शन की तुलना में 16 एम० एम० प्रोजेक्शन अधिक मितव्ययी है और यह अर्द्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और मझोले थियेटरों के लिए विशेषकर उपयुक्त है। यह 35 एम० एम० के बजाय 16 एम० एम० की फिल्मों के सीधे निर्माण को भी प्रोत्साहन देगा जिसके परिणामस्वरूप फिल्म निर्माण पर कम व्यय होगा।

प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया द्वारा समाचार सेवा कार्यों के लिए कम्प्यूटरों का उपयोग की योजना

4877. **श्री वी० बी० देसाई :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया ने देश के प्रमुख केन्द्रों पर अपनी समाचार सेवाओं सम्बन्धी कार्यों में कम्प्यूटरों का उपयोग करने का योजनाएं बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कम्प्यूटर किन-किन स्थानों पर लगाए जाएंगे।

(घ) क्या इस विषय पर 13 देशों के उन प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया गया था। जो गुट-निरक्षेप समाचार एजेन्सी पूल के समन्वय समिति की बैठक में भाग ले रहे थे;

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्योरा क्या है, और

(च) इससे भारत को क्या लाभ पहुंचेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) देश को चार समाचार एजेन्सियां अर्थात् प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया, युनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती निजी क्षेत्र में हैं और ये स्वतन्त्र रूप से कार्य करता है। ये एजेन्सियां सेवा के विस्तार और उसमें सुधार के लिए अपनी प्रौद्योगिकी और अन्य योजनाओं के बारे में सरकारी हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने में स्वतन्त्र हैं। प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया से यह पता चला है कि वह देश के प्रमुख केन्द्रों पर अपनी समाचार सेवा के प्रचालन में कम्प्यूटरों का उपयोग करने की योजना बना रहा है। ब्योरा उनके द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(घ) गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल और प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के देश के अन्दर के अन्दर विस्तार कार्यक्रम के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है। तथापि, प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के प्रतिनिधियों को समाचार एजेंसियों के प्रमुखों, जिन्होंने पूल समन्वय समिति का हाल ही में नई दिल्ली में हुई बैठक में भाग लिया था, को अपनी विकासात्मक योजनाओं का उल्लेख करने का अवसर मिला होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) ऐसा बताया गया है कि इस पद्धति से कोस्ट इफेक्टिव कम्युनिवेशन लिंकेज को आशा है।

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पान तथा उसकी मांग

4878. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1981 और 1982 के दौरान विद्युत का कुल कितना उत्पादन हुआ और इसकी कुल मांग कितनी थी;

(ख) मध्य प्रदेश में नई तथा विस्तार की गई दोनों ही कौन-कौन सी विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं तथा उनके आरंभ होने की अनुमानित तारीख क्या है;

(ग) मध्य प्रदेश के लिए कितनी विद्युत योजनाएं केन्द्र की विचाराधीन हैं और वे कब से विचाराधीन हैं तथा प्रत्येक परियोजना के लिए मंजूरी देने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) उनमें से कितनी परियोजनाओं पर वर्ष 1981-82 में मंजूरी दी जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विकम महाजन) : (क) मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता 1981-82 में 6987 मिलियन यूनिट तथा 1982-83 मिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है। इसी अवधि के दौरान राज्य की वार्षिक ऊर्जा आवश्यकता क्रमशः 8516 मिलियन यूनिट तथा 9407 मिलियन यूनिट होने की प्रत्याशा है।

(ख) मध्य प्रदेश में निर्माणधीन परियोजनाएं तथा उनके चालू होने की संभावित नीचे दी गई है :—

परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावित तारीख
1	2	3
ताप विद्युत		
कोरबा पूर्व	120	मार्च, 1981
कोरबा पश्चिम चरण-1		
यूनिट-1	210	अगस्त, 1982
यूनिट-2	210	अप्रैल, 1983
कोरबा पश्चिम चरण-2		
यूनिट-3	210	दिसम्बर, 1983
यूनिट-4	210	जून, 1984
सतपुड़ा विस्तार		
यूनिट-8	210	जून, 1982
यूनिट-9	210	दिसम्बर, 1982

बीरसिंह पुर

यूनिट-1	210	1985-86
यूनिट-2	210	1986-87

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य में कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में विद्युत उत्पादन यूनिटों को चालू करने की संभावित तारीखें निम्नानुसार हैं :—

कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना

	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की संभावित तारीख
यूनिट-1	210	जनवरी, 1983
यूनिट-2	210	जुलाई, 1983
यूनिट-3	210	जनवरी, 1984
यूनिट-4	500	1986-87

पहले तीन यूनिटों के प्रतिष्ठापित हो जाने पर 148.5 मेगावाट सभी यूनिटों के चालू हो जाने पर 310 मेगावाट का हिस्सा राज्य के लिए प्रारक्षित रखा गया है।

जल विद्युत

पेंच	2 × 80	
	पहली यूनिट	1981-84
	दूसरी यूनिट	1984-85
बोधघाट	4 × 125	1984-85 के बाद

पेंच जल विद्युत परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभ मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों के बीच बांटे जाएंगे मध्य प्रदेश का हिस्सा दो तिहाई होगा (अर्थात् लगभग 107 मेगावाट)।

(ग) और (घ) केन्द्र के पास स्वीकृत के लिए लम्बित पड़ी विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी जाती है :—

परियोजना तथा क्षमता	प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3
ताप विद्युत		
पेंच चरण-1 (2 × 210 मेगावाट) (4 × 210 मेगावाट चरम)	सितम्बर, 80	परियोजना का प्रस्ताव पहले मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने मार्च, 1980 में प्रस्तुत किया

1	2	1
		था । तदुपरान्त यह निर्णय ले लिया था कि परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जाएगी । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सितम्बर, 1980 में परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । इसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव पर कार्यवाही नहीं की गई है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से जांच की जा रही है ।
विन्ध्याचल (सिंगरौली) (बेधन सुपर ताप विद्युत केन्द्र) (2 × 500 मेगावाट तथा 6 × 500 मेगावाट चरण)	दिसम्बर, 1980	प्रस्ताव पहले मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा जनवरी, 1979 में प्रस्तुत किया गया था । तदुपरान्त यह निर्णय ले लिया गया था कि यह परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जाएगी । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने परियोजना रिपोर्ट दिसम्बर, 1980 में प्रस्तुत की थी । परियोजना को सोवियत सहायता से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है
जल विद्युत सिंघ बहुद्देशीय परियोजना (3 × 25 मेगावाट)	जून, 1978	इस बहुद्देशीय परियोजना की कार्यवाही का समन्वय केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किया

		जाता है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं और उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जाएंगी ।
ओरछा बहुद्देशीय परियोजना (2 × 15 + 2 × 30)	सितम्बर, 1978	इस परियोजना में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच अन्तर्राज्यीय मामले निहित हैं, जिन्हें अभी हल किया जाना है ।
हसदेव (3 × 40)	मई, 1980	परियोजना की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई है के० वि० प्रा० की टिप्पणियों को समाविष्ट करते हुए संशोधित परियोजना रिपोर्ट की परियोजना प्राविकारियों से प्रतीक्षा है ।
बाणसागर बहुद्देशीय परियोजना (संशोधित प्रस्ताव) (3 × 105 + 2 × 15 × 3 × 15)	सितम्बर, 1980	परियोजना की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई है डिजाइन सम्बन्धी पहलुओं पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर परियोजना प्राधिकारियों से स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है ।
कुत्रे-1 (3 × 50)	जून, 1980	केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं । उनके उत्तरों की प्रतीक्षा है ।

परियोजना की रिपोर्टों की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति परियोजना रिपोर्टों में समाविष्ट सूचना की यथातथ्यता तथा परिपूर्णता पर निर्भर करती है। परियोजना का मूल्यांकन केन्द्रीय जल आयोग की सहायता से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय जल आयोग आधारभूत आंकड़ों की तथा डिजाइन सम्बन्धी पहलुओं की पर्याप्तता और यथातथ्यता की जांच करता है और परियोजना रिपोर्टों को स्वीकृति जांच पूरी हो जाने के बाद दी जाती है। जांच कार्य पूरे हो जाने के बाद तथा परियोजनाओं को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन दे दिए जाने के बाद ही परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा सकती है।

फिल्म उद्योग के बारे में एक समिति की स्थापना का प्रस्ताव

4879. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिनेमा प्रौद्योगिकी तथा उद्योग ने सम्बन्धित विख्यात व्यक्तियों ने 11 जनवरी 1981 में हुई आयोजित "सिनेमा इन द एटीजी" नामक शीर्षक गोष्ठी के दौरान फिल्म उद्योग के लिए एक समिति की स्थापना का सुझाव दिया था ;

(ख) क्या सिनेमा उद्योग "द वाडियो इंविजेन" को अपने लिए एक चुनौती मानता है;

(ग) सिनेमा का ग्रामीण तथा विकासाधीन क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(घ) क्या सरकार ने 19 एम० एम० तथा 35 एम० एम० फिल्मों के प्रदर्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे-छोटे सिनेमाघर बनाने की योजना बनाई है; और

(ङ.) फिल्म उद्योग के विकास का सामाजिक शैक्षिक क्षेत्र में इसके प्रभाव के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) "सिनेमा इन द एटीज" शीर्षक गोष्ठी में यह सिफारिश की गई थी कि उद्योग के तकनीकी विशेषज्ञों, जन संचार विशेषज्ञों और सम्बन्धित व्यापार घरानों के प्रतिनिधियों की एक सलाहकार समिति बनाई जाए जो देश में फिल्म उपकरणों के निर्माण कार्यक्रमों का समन्वय करे और इस क्षेत्र में देश को आत्म निर्भर बनाने के तरीके सुझाए।

(ख) वीडियो कैसेटों से फिल्मों के वितरकों और प्रदर्शकों के हित प्रभावित होते हैं और ये उनके लिए चिन्ता का कारण हैं।

(ग) और (घ) राज्य फिल्म विकास निगम के अलावा, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत वाले थियेटरों के निर्माण के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करता है।

(ङ.) फिल्म उद्योग के हितों को सरकार द्वारा बराबर ध्यान में रखा जाता है और इसके विकास के लिए सुझावों पर हमेशा समुचित विचार किया जाता है।

राष्ट्रीय कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर, ट्राम्बे को इराक की यात्रा का नियंत्रण

4880. डा० बसन्त कुमार पंडित क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट आर्गेनाइजेशन फार कैमिकल इण्डस्ट्रीज, बगदाद की ओर से राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टीलाइजर्स, ट्राम्बे की विशेषज्ञों की टीम को इराक की यात्रा का निमंत्रण प्राप्त हुआ था।

(ख) यदि हां, तो इस टीम के नेता तथा अन्य सदस्यों के नाम तथा स्तर क्या है। जिसने बगदाद की यात्रा की, दल वहां कितने दिन ठहरा तथा जिन विषयों पर वहां विचार-विमर्श किया गया उसका पूरा ब्योरा क्या है,

(ग) क्या इस बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट पेश की गई है, यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है,

(घ) उन उद्योगों का ब्योरा क्या है जिन्हें भारतीय विशेषज्ञों तथा सहायता से बगदाद में स्थापित करने का विचार है, क्या यह भारतीय सहयोग से होगा और यदि हां तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है,

(ङ.) क्या फ्रांस की ओर से भी इसी प्रकार का अनुरोध प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) रसायन उद्योग से संबंधित स्टेट्स आर्गेनाइजेशन बगदाद ने अपने अमोनिया/यूरिया/पावर संयंत्रों के संचालन में इंजिनियर, संयंत्र और अनुरक्षण कार्मिक उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० से अप्रैल, 1980 में अनुरोध किया था। आर० सी० एफ० ऐसा करने के लिए सहमत हो गयी थी और उसने एक औपचारिक पेशकश भेजी थी। रसायन उद्योगों के स्टेट्स आर्गेनाईजेशन द्वारा इस प्रस्ताव का लाभ अभी तक नहीं उठाया गया है।

(ख) आर० सी० एफ के किसी व्यक्ति ने ईराक का दौरा नहीं किया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ.) जी नहीं।

मध्य प्रदेश को डीजल की सप्लाई

4881. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में डीजल की कम सप्लाई के कारण कृषि उत्पादन पर पहले ही, बुरा प्रभाव पड़ चुका है; और

(ख) मध्य प्रदेश में डीजल की जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) यह मन्त्रालय मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों। संघशासित प्रदेशों को हाई स्पीड डीजल तेल का मासिक आवंटन करता है। उपभोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसेकि कृषि, परिवहन इत्यादि को उत्पाद के वास्तविक विवरण के बारे में निर्णय राज्य सरकारों को स्वयं लेना होता है। उनको यह सलाह दी गई है कि वह कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इस बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है कि डीजल की सप्लाई में कमी के कारण मध्य प्रदेश में कृषि पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) उत्पाद की कुल उपलब्धता तथा परिवहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सहित राज्यों। एवं संघशासित प्रदेशों को डीजल का आवंटन अधिकतम कर दिया गया है। मार्च; 1981 के लिए डीजल का आवंटन मार्च 1980 में हुई बिक्री से 15 प्रतिशत अधिक के स्तर पर किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निर्देशित की गई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्य

प्रदेश को सितम्बर, अक्तूबर तथा दिसम्बर, 1980 में तथा फरवरी, 1981 के महीनों में डीजल में तदर्थ आधार पर भी वृद्धि की गई ।

समाचार एजेंसियों को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव

4882. श्री शिवकुमार सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार सभी समाचार एजेंसियों का पुनर्गठित करने का है : और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय भाषाई समाचार एजेन्सियों को क्या दर्जा दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेनहम जोशी) : (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फिल्म समारोह के निदेशालय के विघटन का प्रस्ताव

4883. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म समारोह के निदेशालय के विघटन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भविष्य में फिल्म समारोह आयोजित करने का उत्तरदायित्व किस प्राधिकारी का होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म नीति सम्बन्धी कार्य दल द्वारा की गई सिफारिश के सन्दर्भ में फिल्म समारोह निदेशालय के कार्यों को अन्य संगठनों को अन्तरित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है । कार्य दल ने अन्य बातों के साथ यह सिफारिश की है कि अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के भारत में आयोजन के काम को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को अन्तरित कर देना चाहिए और निदेशालय के अन्य कार्यों को एक चलचित्र अकादमी, जिसका कार्य दल ने अलग से सुझाव दिया है; को सौंप दिया जाना चाहिए ।

बेरा सियल तथा सलाल पन-बिजली परियोजनाओं के लिए एयर कम्परेसरों की खरीद

4884. श्री विजय कुमार यादव : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरा सियूल तथा सलाल पन-बिजली परियोजनाओं के कितने एयर कम्परेसर खरीदे गए हैं तथा किस लागत पर;

(ख) प्रत्येक कम्परेसर की मरमत तथा रख-रखाव पर कुल कितनी राशि खर्च हुई और अब तक उनका कुल कितने अवधि तक उपयोग हो चुका है;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ कम्परेसर निष्क्रिय पड़े हुए हैं और उनका उपयोग पूरे एक दिन के लिए भी नहीं हो पाया; और

(घ) यदि उपरोक्त (ग) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस सार्वजनिक सम्पत्ति के दूरपयोजन के लिए उत्तरदायी है और इस मूल्यवान मशीनरी का उपयोग करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई और विद्युत संवर्ग में हिंदी अनुवादकों के पद

4885. श्री विजय कुमार यादव्व : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई और विद्युत संवर्ग में हिन्दी अनुवादकों के पदों के लिए भर्ती नियम बहुत पहले अधिसूचित किये जा चुके हैं लेकिन इन पदों पर नियुक्तियां तदर्थ आधार पर की गई हैं,

(ख) पिछले कई वर्षों से इन पदों पर कार्य कर रहे अनुवादकों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(क) और (ख) हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-1) तथा हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-2) के पदों के लिए भर्ती नियम अक्तूबर, 1973 में अधिसूचित हुए थे। इन पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में स्थिति निम्नानुसार हैं :—

(1) हिन्दी अनुवादक (ग्रेड 1)
(पदों की संख्या : 7)

ये सभी पद नियमित आधार पर भरे गए थे। तीन हिन्दी अनुवादकों (ग्रेड-1) की नियुक्ति हिन्दी अधिकारी के उच्च पदों पर पूर्णतया तदर्थ आधार पर होने के परिणामस्वरूप, हिंदी अनुवादकों (ग्रेड-1) की तीन अल्प-कालिक रिक्तियां है जोकि तदर्थ आधार पर भरी गई हैं। नियमित व्यवस्था, केवल दीर्घकालिक रिक्तियां होने के पश्चात् ही की जा सकती है।

(2) हिन्दी अनुवादक (ग्रेड-दो)
पदों की संख्या : 12)

ये सभी पद स्थानांतर/प्रतिनियुक्ति के आधार पर पहले ही नियमित आधार पर भरे हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल और अल्कोहल के मूल्यों में अन्तर

4886. श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल और अल्कोहल के मूल्यों में कितना अन्तर है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : पेट्रोल और अल्कोहल के खुदरा बिक्री मूल्य एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, भाड़ा अंश आदि के कारण भिन्न होते हैं। दिल्ली में पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य प्रति लिटर रुपये 5.10 है। अल्कोहल का बुनियादी मूल्य 97 पैसे है। उत्तर प्रदेश में अल्कोहल पर उत्पाद शुल्क उदाहरण के तौर पर प्रति लिटर 2.22 है। इस आधार पर दिल्ली में पेट्रोल के मूल्यों और उत्तर प्रदेश में अल्कोहल के मूल्यों में अन्तर करीब रुपये 2.31 प्रति लिटर होगा।

बम्बई हाई कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टर

4887, श्री निहाल सिंह : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई के अंशोधित तेल का उत्पादन करने के कार्य में कितने कर्मचारी लगे हुए हैं तथा इन कर्मचारियों के रहने के लिए कितने स्टाफ क्वार्टर बनाए जा रहे हैं, और

(ख) स्टाफ क्वार्टर कब तक बन जाएंगे तथा उनकी श्रेणीवार संख्या कितनी है और उन पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुभव है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा धनबाद जिले में तोलन पुलों के नाम तथा उनके स्थान

4889. श्री ए० के० राय : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इस समय धनबाद जिले में कौन-कौन से तोलन-पुल (वेट-ब्रिजिस), चल रहा है तथा उनके द्वारा जनवरी, 1981 के दौरान कितनी मात्रा में कोयला तोला गया तथा तोलन-पुल वार कितने ट्रकों का भार तोला गया,

(ख) रिकार्ड के अनुसार विभिन्न तोलन पुलों से उस मास तोले गए ट्रकों का औस्तन ट्रक-भार कितना था,

(ग) इस्पात और विद्युत संयंत्रों जैसी अन्य सार्वजनिक कम्पनियों के कोयला भेजने हेतु उस महीने कितने ट्रक तथा डम्हर भेजे गए तथा कितनी मात्रा में कोयला उन पुलों में तोला गया,

(घ) क्या यह सच है कि यद्यपि ट्रकों की अधिकृत भार-वहन क्षमता 10 टन से कम थी परन्तु सरकारी तौर से उन ट्रकों पर इससे अधिक भार लादा गया था जिससे दुर्घटनाएं हुई तथा सड़कें टूटी, और

(ङ) यदि हां, तो रिकार्ड में दर्ज किए उक्त अधिक लदान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) से (ङ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित श्रम मामले

4790. श्री ए० के० राय : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष-वार और प्रदेश-वार उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित श्रम मामलों की संख्या क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले के निपटान में किए जाने वाले विलम्ब से नियोजकों को फायदा पहुंचता है और इससे श्रमिकों का अहित होता है,

(ग) क्या सरकार का ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए उच्चतम न्यायालय में एक विशेष श्रम-न्यायपीठ स्थापित करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ।

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तारीख 17 मार्च, 1981 तक उच्चतम न्यायालय में लम्बित मामलों की कुल संख्या 513 थी । वर्षवार आंकड़ों का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है । प्रदेशवार ब्यौरे उच्चतम न्यायालय में तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ख) मुकदमों की संख्या के कारण जो मजबूरी है उसके भीतर रहते हुए उच्चतम न्यायालय भरसक प्रयत्न कर रहा है ।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अनन्य रूप से औद्योगिक अधिकरणों/न्यायालयों के अधिनिर्णयों से उत्पन्न होने वाले मामलों की सुनवाई के लिए वर्ष भर के लिए कोई विशेष न्यायपीठ गठित करना संभव नहीं है । न्यायपीठों के समक्ष अन्य

अपीलों के साथ श्रम अपीलें भी सुनवाई के लिए रखी जाती हैं। तथापि औद्योगिक विवादों से सम्बन्धित अपीलों की सुनवाई के लिए आवश्यकतानुसार एक न्यायपीठ गठित की जाती है।

विवरण

17-3-1981 को लम्बित श्रम अपीलों का विवरण

वर्ष	संख्या
1970	1
1971	13
1972	30
1973	45
1974	39
1975	31
1976	33
1977	64
1978	60
1979	83
1980	77
1981	17
योग :	513

सरकार द्वारा तेल कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव

4891. श्री राम चन्द्र रथ : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश की कुछ तेल कम्पनियों को अपने अधिकार में लेने का प्रस्ताव है;

(ख) इन तेल कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) उपरोक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) जी हां। बर्मा तेल कम्पनी (लंदन) का भारत में वित्तीय ब्याज में (1) आयल इंडिया लि० में 50 प्रतिशत

साम्य पूंजी रुपया शेयर और (2) असम आयल कम्पनी जो वी० ओ० सी० की एक उत्कृष्ट सहायक है की भारत में परिसम्पत्तियां और दायित्व और (3) बर्मा आयल कम्पनी इंडिया ट्रेडिंग लि० (वी० ओ० सी० आई० टी०) जो वी० ओ० सी० की दूसरी उत्कृष्ट सहायक है, को भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है, शामिल है। (ग) और (घ) अधिग्रहण के के समय अदा किया जाने वाले मुआवाजे के मूल्यांकन सम्बन्धी आरम्भिक कार्य विचार-विमर्श का प्रारम्भ करने के लिये जो भूमिगत कार्य का अंश है, हाथ में लिया गया है। मामले का शीघ्र निपटान किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय कार्यान्वयन के समय का कोई अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

सोडा ऐश का उत्पादन और उसकी खपत

4892. श्री डी० पी० जडेजा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से उद्योग सोडा-एश बना रहे हैं और उन वार्षिक का उत्पादन कितना है;

(ख) देश में सोडा एश की अनुमानत: वार्षिक खपत कितनी है।

(ग) यह अन्तर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) वास्तविक प्रयोक्ताओं और डिटर्जेंट आदि का उत्पादन कर रही कंपनियों को सोडा एश परमिट देने के लिए अपनाए गए मानदंड क्या है;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : (क) औद्योगिक उपक्रम जो देश में सोडा एश का निर्माण करते हैं के वार्षिक उत्पादन नीचे दिया जाता है—

	यूनिट का नाम	1980 के दौरान उत्पाद (जनवरी-दिसम्बर) (टनों मे)
1.	मैसर्स टाटा कैमिकल्स लि० मीठापुर गुजरात	3.16.513
2.	मैसर्स सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०, पोरबन्दर, गुजरात	1.52.889
3.	मैसर्स धारग्रंध्रा कैमिकल्स लि० धारग्रंध्रा, गुजरात	97.507
4.	मैसर्स उड़ीसा सिमेंट लि० (हरी फर्टिलाइजर्स) वाराणासी उ० प्र० भूतपूर्व न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स)	11.398
	योग	5.48.707

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान लगभग 6,30,00 टन सोडा ऐश की अनुमानित मांग है।

(ग) और (घ) सरकार एक ओर पर्याप्त आयात और दूसरी ओर उत्पादन और वितरण की अनौपचारिक देखरेख और विनियम वाली प्रक्रिया पर आश्रित है। वास्तविक उपभोक्ताओं के लिए सोडा ऐश आयात को खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा गया है जिससे कोई भी वास्तविक उपभोक्ता इच्छित सामग्री सीधे आयात कर सकता है। वर्ष 1979-80 में स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया (सी० पी० सी०) के द्वारा लगभग 20,000 टन सोडा ऐश का आयात किया गया और विभिन्न उपभोक्ताओं विशेष रूप से लघु उद्योग क्षेत्र को राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से वितरित किया गया। वर्ष 1980-81 में सी. पी. सी. के 20,000 मी० टन के आयात की व्यवस्था को अन्तिम रूप दे दिया है।

सोडा ऐश के सभी निर्माताओं को मार्गदर्शिका जारी कर दी गई हैं जो सुनिश्चित करती है कि सभी औद्योगिक उपभोक्ता को अपनी सामग्री सीधे निर्माताओं से लेते हैं, वे सामान्य सप्लाई वर्ष 1977 में जितनी मात्रा प्राप्त करते थे, कम से कम उतनी मात्रा प्राप्त करते रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप निर्माताओं द्वारा निर्मित लगभग 85 प्रतिशत उत्पादन मूल्य पर सीधे औद्योगिक उपभोक्ताओं को जाता है।

गांवों में सिनेमा गृह

4893. श्री मूलचन्द डागा : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि गांवों में मनोरंजन के स्वस्थ साधनों के अभाव में अपराधों में वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार गांवों में मनोरंजन के स्वास्थ्य साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छोटे सिनेमा घर खोलने का एक योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कमुद बेन एम० जोशी) : (क) किसी वैज्ञानिक अध्ययन के अभाव में यह कहना कठिन है कि गांवों में अपराधों में कथित वृद्धि के कारण मनोरंजन के स्वस्थ्य साधनों का अभाव है।

(ख) और (ग) गांवों में छोटे सिनेमाघर खोलने के लिय छठी 'योजना' में कोई अलग प्रावधान नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघरों के निर्माण की संभाव्यता पर विचार करता है और इस प्रयोजन के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करता है।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसियन द्वारा न्यायालय फीस कम करने की मांग

4894. श्री आर० के० महालगी)
श्री अमर राय प्रधान) : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दिसम्बर में आन्ध्र प्रदेश उउच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसियन के समारोह में यह मांग की गई थी कि सरकार और व्यक्ति विशेष के बीच मुकदमों में न्यालालय की फीस न्यूनतम होनी चाहिऐ क्योंकि न्यायिक संघर्ष दो समान पक्षों में नहीं है;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही और उस पर क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो क्या कारण हैं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सरकार को उस मांग के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह गत दिसम्बर में आन्ध्र शदेश एडवोकेट एसोसियन के समारोह में की गई थी । इस संबंध में राज्य सरकार से स्थिति का पता लगाया जा रहा है । "उच्चतम न्यायलय को छोड़कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फीस" विषय संविधान की सप्तम् अनुसूची की राज्य सूजी की प्रविष्टि सं० 3 के रूप में आता है और इसलिए मुख्य रूप से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । विधि आयोग इसके सुझाव के संबंध हैं कि न्यायालय फीस समाप्त कर दी जाए अथवा कम कर दी जाए राज्य सरकारों के साथ 1975 में बातचीत की गई थी, किन्तु कोई भी राज्य न्यायालय फीस कों कम करने के लिए तैयार नहीं था ।

राजनीतिक दलों की, भाषण-गतिविधियों के सम्बन्ध में दूरदर्शन आकाशवाणी द्वारा अपर्याप्त प्रसारण की नीति ।

4895. श्री आर० के० महालगी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विभिन्न दलों अथवा उनके नेताओं की भाषण गतिविधियों के मामले में दूरदर्शन आकाशवाणी द्वारा अपनाई गई अपर्याप्त प्रसारण करने की नीति के बारे में समय-समय पर शिकायतें की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कोई प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान है जिसके अन्तर्गत इस प्रकार की सभी शिकायतों पर निष्पक्षता से और उचित स्तर पर कार्यवाही की जाती हो;

(ग) यदि हां, तो इन व्यवस्थाओं का स्वरूप क्या है; और

(घ) गत छ महीने के दौरान विभिन्न दलों और व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार की गई शिकायतें क्या है और उनमें से प्रत्येक पर सरकार ने क्या दृष्टिकोण अपनाया है

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : सरकारी माध्यम एककों के लिए नीति मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह निर्धारित है कि घटनाओं और घटनाक्रमों पर बल के साथ विपरीत विचारधाराओं सहित सूचना, समाचारों और टिप्पणियों का प्रसार निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और संतुलित ढंग से होना चाहिए ।

(क) राजनैतिक दलों और नेताओं के भाषण और गतिविधियों के आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा कथित अपर्याप्त प्रसारण के बारे में सरकार को कुछ सीधी शिकायतें, प्रेस टिप्पणियां, संसद प्रश्न और मोशन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) इस प्रकार की शिकायतों की माध्यम एककों और मंत्रालय के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है ।

(घ) आकाशवाणी/दूरदर्शन में इस प्रकार की शिकायतों को सारणीबद्ध करने या संकलित करने की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है । इसके आलावा, आकाशवाणी के समस्त केन्द्रों के बारे में 6 महीने जैसी लम्बी अवधि की इस प्रकार की शिकायतों का संलग्न अत्याधिक विशाल और समय लेने वाला होगा और इसलिए यह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

फिल्मस डिवीजन के निर्देशक द्वारा इस्तीफा

4896. श्री पीयूष तिरकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्मस डिवीजन के निदेशक श्री लोकसेन लालवाणी ने उनकी दो फिल्मों को विदेश में भारतीय कमिशनों को भेजे जाने के विरोध में इस्तीफा दे दिया है,

(ख) यदि हां, तो इन फिल्मों के नाम क्या हैं तथा ये किन विषयों पर बनाई गई हैं;

(ग) इन फिल्मों विदेशों में भारतीय मिशनों का न भेजे जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) विदेशों को भेजी जाने वाली फिल्मों के चयन के लिए सरकार का क्या मापदण्ड है, और

(ङ) चयन समिति के बोर्ड के लोगों के नाम क्या हैं, और श्री लोकसन लालवाणी को इन दो फिल्मों के बारे में टिप्पणियों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) महोदय, फिल्म प्रभाग के निदेशक श्री लोकसेन लालवाणी ने अपना त्याग पत्र स्वेच्छा से दिया है । अपने त्याग पत्र में उन्होंने कहा है कि वे अपने कर्त्तव्यों से मुक्त होना चाहेंगे ताकि वे सृजनात्मक के परिवांछित क्षेत्रों को ढूंढ़ सकें

(ख) श्री लोकेशन लालवाणी ने फिल्म प्रभाग में सार्वजनिक सूचना, शिक्षा और प्रेरणा आदि के लिए कई फिल्मों का निर्देशन किया है। इन फिल्मों की भारत में लोगों को दिखाया जाता है और उनको व्यापक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। इन फिल्मों में "दे काल मी चमार" और "इनसल्ट टु सिविलाइजेशन" नामक फिल्में शामिल हैं। "दे काल मी चमार" नामक फिल्म में अस्पृश्यता, जो कुछ भागों में अभी भी प्रचलित है, की भयानक क्रिया पर प्रकाश डाला गया है। "इनसल्ट टु सिविलाजेशन" फिल्म शहरी गन्दी बस्तियों की समस्या और नैतिक और सामाजिक अधः पतन, जिसे इस प्रकार की गन्दी बस्तियों के निवासी सहन करते हैं, पर केन्द्रित है।

(ग) से (ङ) विदेश मंत्रालय द्वारा उन डाकुमेंट्री फिल्मों, जो विदेशों में स्थित उनके दूतावासों द्वारा प्रदर्शित की जाती है का चयन मोटे तौर पर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में हुई प्रगति पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भारत और उसकी समृद्ध विरासत की बेहतर समझबूझ और मूल्यांकन को बढ़ावा देने के विचार से किया जाता है। यह गरीबी अन्ध विश्वासों, आदि के बारे मे प्रचलित पश्चिमी विचारों जो के बारे में उनकी संकल्पना मे मिथ्योक्तियां बन गई प्रतीत होते है, का निराकरण करने के लिए है। जहां तक श्री लालवाणी द्वारा बनाई गई दो फिल्मों अर्थात "दे काल मी चमार" और "इनसल्ट टु सिवलाइजेशन" का संबंध है, विदेश मत्रालय का विचार था कि यद्यपि इन दोनों फिल्मों में भारतीय दर्शकों के लिए बहुमूल्य सामाजिक संदेश है, विदेशी दर्शकों के लिए इनके प्रदर्शन से भारत का अप्रतिष्ठाजनक, नकारात्मक और अत्याधिक आलोचनात्मक चित्रण होता। क्योंकि पाश्चात्य माध्यमों द्वारा भारत को एक पिछड़े, गरीब और अशोधक सामाजिक अन्यायों से पीड़ित देश के रूप में प्रतिबिम्बित किया जाता है, अतः इन फिल्मों के दिखाने से विदेशों में भारत के बारे में इस प्रकार की नकारात्मक धारणाओं को बल मिलता, क्योंकि संभवतया विदेशी दशकों इन फिल्मों को सही परिपेक्ष्य में नहीं समझसकेंगे। इस विचार के आधार पर विदेश मत्रालय ने अपने दूतावासों के माध्यम से सरकारी विदेशी प्रयोजनो के लिए इन फिल्मों की प्रिण्टों को न खरीदने का निर्णय लिया।

आकाशवाणी के कार्यक्रम

4497. **श्री डी० आर० शामन्ना :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के नोटिस में ऐसी शिकायतें आई हैं कि आकाशवाणी के कार्यक्रम कुछ सीमा तक पूरी तरह से गुण-दोष के आधार पर प्रसारित नहीं किए जाते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने और यह सुनिश्चित करने का है कि आकाशवाणी का जन शिक्षा और कला, संगीत, संस्कृति आदि के विकास को प्रोत्साहन के लिए अच्छे माध्यम के रूप में बेहतर तरीके से प्रयोग किया जाये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कमुद बेन एम० जोशी) (क) संगीत, नाटकों और रूपकों के लिए कलाकारों की ग्रेडिंग करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया

है। कलाकारों को बुकिंगों की पेशकश उनके ग्रेडिंग के आधार पर की जाती है। तथापि, परिचर्चाओं और वार्ताकारों के चयन के लिए केन्द्र निदेशक अपनी परख और अपने विवेक का प्रयोग करते हैं। शिकायतें केन्द्र निदेशकों, आकाशवाणी महा निदेशक तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को समय-समय पर प्राप्त होती हैं।

(ख) शिकायतों की गुण-दोष आधार पर जाँच की जाती है और जहां आवश्यक होता है शोधक कार्यवाई की जाती है। श्रोताओं की शिक्षा और मनोरंजन के लिए आकाशवाणी उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा का उपयोग करके अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में छूट देने का प्रस्ताव

4898. **श्री एस० एम० कृष्णम :** क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के कुछ उपबन्धों में कुछ ढील देने पर विचार कर रही ; और

(ख) यदि हां, प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और बड़े औद्योगिक घरानों के पूंजी निवेश के प्रस्तावों की स्वीकृति देने की वर्तमान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और व्यापारिक सम्बन्धों की पारिभाषित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) तथा (ख) कम्पनी तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियमों पर उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) ने साथ-साथ, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापरिक व्यवहार अधिनियम के संशोधनार्थ अनेक शिफारिशें की हैं। इस रिपोर्ट की प्रति 30-9-1978 को सदन के पटल पर भी प्रस्तुत की गई थी। ये शिफारिशें, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किये जाने वाले सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के संदर्भ में सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं।

पेट्रो-रसायनों सम्बन्धी संयुक्त उद्योगों के लिए पेट्रोलियम निर्यातक अरब देशों के संगठन (ओपेक) के प्रतिनिधि मण्डल का दौरा

4899. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भारत का दौरा करने वाले पेट्रोलियम निर्यातक अरब देशों के संगठन (ओपेक) के एक छः सदस्यीय दल के सामने संयुक्त पेट्रो-रसायन उद्योगों का प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार उक्त प्रतिनिधिमण्डल से भारतीय विशेषज्ञता के बदले में तेल सप्लाई की कोई गारन्टी प्राप्त कर सकी है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का विचार किस अन्य तरीके से खाड़ी के देशों से तेल की बड़ी मात्रा में सप्लाई प्राप्त करने का है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) यद्यपि यह विषय प्रतिनिधि मण्डल के साथ विचार विमर्श के दौरान पेश किया गया था, कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओपेक कच्चे तेल की सप्लाई से सम्बन्धित नहीं है।

(घ) 1981 के लिए हमारी आयातित कच्चे तेल की आवश्यकता का प्रबन्ध लगभग हो गया है।

उत्तरी गुजरात के केम्बे और सबन्ध क्षेत्रों में नये गैस क्षेत्र

4900. श्री आर० पी० गायक वाड़ : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर गुजरात के केम्बे तथा सनन्द क्षेत्रों में वर्ष 1980 के दौरान नये गैस क्षेत्र पाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने कूयें खोदे गये थे और कहां-कहां खोदे गये;

(ग) इन कुओं में कितनी मात्रा में गैस पाई गई ; और

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इन गैस-क्षेत्रों के आसपास के नगरों में, विशेष रूप से जब गैस का उफान उठ रहा हो तब, घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस सप्लाई करने पर विचार कर रही है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी के विशाखापत्तनम केन्द्र पर ट्रांसमीटर का उपयोग

4901. श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के विशाखापत्तनम केन्द्र पर एक 25 कि० वाट का ट्रांसमीटर अब उपयोग में नहीं आ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका उपयोग उक्त केन्द्र से विविध भारतीय प्रसारणों के लिए क्यों नहीं किया जा सकता ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) 10 कि० वा० मी० वा० ट्रांसमीटर, जो आकाशवाणी, विशाखापत्तनम में अगस्त 1976 में 100 कि० वा० मी० वा० ट्रांसमीटर चालू होने से पहले कार्य कर रहा था, को चक्रवात आदि जैसे आपातकाल के दौरान रक्षात्मक आपातोपयोगी के रूप में रखा गया है । इस ट्रांसमीटर का उपयोग विशाखापत्तनम में नई सेवा के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय दूर सचार संघ के निर्णय के अनुसार मीडियम वेव योजना के अन्तर्गत इस शक्ति के लिए कोई फ्रीक्वेंसी आवंटन नहीं है ।

कटक में दूरदर्शन केन्द्र

4902. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1980 के पहले सप्ताह में हुए सूचना मन्त्रियों के सम्मेलन में सम्बलपुर में स्टूडियों सुविधा सहित कटक में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापिय करने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि सम्बलपुर दूरदर्शन केन्द्र का संचालन कटक स्टूडियों से प्रोग्राम केप्सूल मिलने पर किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो सम्बलपुर दूरदर्शन केन्द्र के लिए एक पृथक स्टूडियों कब से काम करना शुरू होगा,

(ङ) सम्बलपुर में स्टूडियों की स्थापना के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है,

(च) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में सम्बलपुर स्थिति दूरदर्शन केन्द्र की रेंज केवल 40 कि० मी० तक है,

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार ने कटक दूरदर्शन स्टूडियों में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है ताकि राज्य की राजधानी भुवनेश्वर भी उसकी रेंज में आ सके, और

(ज) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को किस तारीख तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमुद बेन एम० जोशी) : (क) और (ख) सूचना मन्त्रियों के सम्मेलन ने इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया । तथापि, सम्मेलन में सम्बलपुर (उड़ीसा) में प्रोगाम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित करने के लिए सुझाव दिया गया था ।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) टी० वी० कवरेज के लिए "इनसैट" के उपयोग की योजना, जो अब तैयार की जा रही है, में अन्य बातों के साथ-साथ सम्बलपुर में प्रोग्राम प्रोडक्शन सेंटर की स्थापना की व्यवस्था है। तथापि, स्कीम का कार्यान्वयन इसकी स्वीकृति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(च) सम्बलपुर के टेलीविजन ट्रांसमीटर की सेवा परिधि 40 किलोमीटर है और यह 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कवर करता है।

(छ) और (ज) स्वीकृत छठी योजना (1980-85) के प्रस्तावों में कटक में टेलीविजन ट्रांसमीटर की स्थापना शामिल है।

उड़ीसा में तलचेर और इब घाटी कोयला खानों से कोयले का वार्षिक उत्पादन

4903. **श्री चिन्ता मणि जैना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा तलचेर और इब घाटी स्थित जो दो कोयला खानें हैं उनका वार्षिक उत्पादन 2.7 मिलियन टन है जबकि देश में 184 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है,

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उड़ीसा के तलचेर क्षेत्र में निर्माणाधीन दो सुपर थर्मल पावर परियोजनाओं में कोयले की बढ़ती हुई भारी मांग को ध्यान में रखते हुए इन दो कोयला खानों का उत्पादन छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक बढ़ाकर 8 मिलियन टन करने के लिए क्या कार्यवाही की है,

(ग) इस प्रयोजन के लिए कोल इण्डिया लि० के बजट में क्या प्रावधान किया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो कोल इण्डिया लि० के बजट में पर्याप्त बजट का प्रावधान करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) उड़ीसा के तालचर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों में 1979-80 में 2.58 मि० टन कोयले का उत्पादन हुआ था और 1980-81 में कोयले के कुल 113 मि० टन प्रत्याशित उत्पादन में से आशा है कि उक्त कोयला क्षेत्रों का उत्पादन 3 मि० टन से अधिक हो जाएगा।

(ख) तालचर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन 1984-85 तक बढ़ा कर लगभग 6 मि० टन करने का विचार है। इस उत्पादन लक्ष्य को पूरा करने के लिए इन कोयला क्षेत्रों में अनेक नयी खानों का आयोजन किया जा रहा है।

(ग) कोल इण्डिया लिमिटेड के 1981-82 के बजट में तालवर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों के विकास के लिए 8.72 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैस की उपलब्धता

4904. श्री चिन्ता मणि जेना : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय तथा छठी योजना अवधि के अन्त में गैस उपलब्धता के बारे में अनुमान क्या है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : प्राकृतिक गैस का 1981 में अनुमानित उत्पादन करीब 3576.85 मि० घन मी० है। 1984-85 में पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्राकृतिक गैस के उत्पादन का अनुमान करीब 6949, 10 मि० घन मीटर है।

कोयले का तेल में बदलना

4905. श्री चित्त बसु
श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या ऊर्जा मन्त्री कोयले को तेल में बदलने के बारे में 17 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 158 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परियोजना की वाणिज्यिक सक्षमता की जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो उस जांच के क्या परिणाम निकले ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) (क) और (ख) इस प्रकार का संयंत्र लगाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हो रही है।

दामोदर घाटी निगम से कलकत्ता विद्युत प्रदाय संस्थान को बिजली की सप्लाई

4909. श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा मन्त्री कलकत्ता विद्युत प्रदाय संस्थान को दामोदर घाटी निगम बिजली की सप्लाई के बारे में 17 फरवरी, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की सप्लाई के बारे में दामोदर घाटी का कलकत्ता विद्युत प्रदाय संस्थान के साथ कोई करार है;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम गत तीन वर्षों में इस करार को पूरा कर पाया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) जी, हां ।

(ख) करार की शर्तों के अनुसार, सी० ई० एस० के साथ दामोदर घाटी निगम का अधिकतम संविधात्मक दायित्व 105 एम० वी० ए० है । तथापि यह अधिकतम दायित्व है । करार के कुछ प्रमुख खण्ड, सप्लाई की प्रभावी तारीख तथा अवधि, सप्लाई की वोल्टता के बारे में हैं । एक खण्ड में अप्रत्याशित आकस्मिकताओं में सप्लाई बन्द कर दिये जाने, चैक मीटरों तथा विद्युत उपस्करों का प्रतिष्ठापन तथा पठन किये जाने, मांग प्रभारों, समग्र यूनिट दरों, करों तथा शुल्क की लेवी, बिलों का भुगतान, तथा करार समाप्त करने तथा इसे चालू रखने के बारे में नोटिस की अवधि के बारे में व्यवस्था हैं ।

(ग) और (घ) दामोदर घाटी निगम में कर उत्पादन होने के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान करार के अन्तर्गत अधिकतम मात्रा में सप्लाई करना हमेशा संभव नहीं रहा है ।

राज्य विद्युत बोर्डों को राजस्व की हानि

4907. श्री नवल किशोर शर्मा क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के राज्य विद्युत बोर्डों को राजस्व की कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सुनिश्चित करने का है कि बिजली घरों को हानियां न हों ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विक्रम महाजन) : (क) ऊर्जा मन्त्रालय (विद्युत विभाग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी ऋणों पर ब्याज, मूल्य ह्रास, तथा राजस्व संबंधी अन्य घाटों के लिए, यदि कोई हो, प्रावधान कर चुकने के बाद, 31 मार्च 1979 को समाप्त हुए पांच वर्ष की अवधि में राज्य बिजली बोर्डों (असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) की कुल हानियां, राज्य बिजली बोर्डों (असम, मेघालय तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) को कुल हानियां, राज्य बिजली बोर्डों को दी गई सरकारी आर्थिक सहायता का लेखे में लेने से पहले लगभग 615 करोड़ रुपये हैं तथा बिजली बोर्डों को दी गई आर्थिक सहायता को लेखे में लेने के बाद 271 करोड़ रुपए हैं ।

(ख) राज्य बिजली बोर्ड स्वायत्तशासी संगठन है जो कि राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं तथा राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए टैरिफ में संशोधन करने आदि सहित कोई भी कदम उठाने में वे पूर्णतः सक्षम हैं ।

केन्द्रीय सरकार ने 1978 में विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 में संशोधन किया है ताकि अपने खर्चों को पूरा करने के उपरान्त राज्य बिजली बोर्डों द्वारा अर्जित किये जाने वाले अधिशेष का निर्धारण राज्य सरकारें कर सकें । राज्य बिजली बोर्ड में इक्विटी पूंजी का भी प्रावधान किया गया है ।

प्रचालन से आय में बढोतरी करके राज्य बिजली बोर्ड पर्याप्त अधिशेष कर सके इस हेतु भारत सरकार ने ताप विद्युत केन्द्रों के उत्पादन तथा विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए कई कदम उठाये हैं। इसी प्रकार, निर्माणाधीन परियोजनाओं की मानीटरिंग प्रभावकारी तरीके से करने के लिए तथा उन्हें ठीक समय पर चालू करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त भी दिये गये हैं। सभी इन कदमों से राज्य बिजली बोर्डों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में सहायता मिलनी चाहिए।

राज्यों में निर्मित फिल्मों के प्रदर्शन के बारे में कानून बनाया जाना

4908. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जैसा कि तमिलनाडु और पश्चिम में प्रस्ताव किया गया है, राज्य सरकारों द्वारा राज्य में बनी फिल्मों के एक निर्धारित प्रतिशत को सिनेमा घरों में दिखाये जाने हेतु बाध्य करने सम्बन्धी कानून बनाये जाने का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को तदनुसार सूचित कर दिया है ; और

(ग) क्या इस मामले पर गत वर्ष सूचना मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) और (ख) राज्य विधान मण्डल में प्रस्तुत करने से पहले संविधान के अनुच्छेद 04 (ख) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को पूर्व स्वीकृति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल फिल्म अनिवार्य प्रदर्शन विधेयक, 1979 सरकार को प्राप्त हुआ था। उक्त विधान के प्रारूप में, अन्य बातों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की फिल्मों के पश्चिम बंगाल के सिनेमा घरों में वर्ष में 12 सप्ताहों की अवधि के लिए अनिवार्य प्रदर्शन की व्यवस्था है। विधेयक के प्रारूप की सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से जांच की गई थी। कानूनी राय यह है कि प्रस्तावित विधेयक संविधानों के अनुच्छेद 19 (1) (क) और (छ) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है और उनके खंड (2) और (6) द्वारा सरक्षित नहीं है। इससे पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार को सूचित कर दिया गया है। तमिलनाडु सरकार से इस प्रकार का कोई विधायी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, नहीं।

हाई गामानी एच० सी० प्रौद्योगिकी के अन्तरंग के लिए हिन्दुस्तान इसेक्टीसाइडस लि० का विदेशी सहयोग

4909, **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान इसेक्टिसाइडस लि० नामक सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम ने केन्द्रीयकृत आधार पर हाई गामा प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए विदेशी सहयोग किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है तथा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाले संयंत्रों को किन क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा,

(ग) क्या सरकार का विचार कीटनाशी औषध (पेस्टीसाइडस) विकास कार्यक्रम आरम्भ करने का है जिसमें उपयोग के फार्मूलेशन के लिए प्रौद्योगिकी विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, और

(घ) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां। मैसर्स हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइडस लि० ने इस सम्बन्ध में यू० एस० ए० के मैसर्स स्टाफर्स कैमिकल्स के साथ एक विदेशी सहयोग करार किया है।

(ख) करार की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) रायल्टी का भुगतान नहीं किया जायेगा

(2) यह करार गैर एकान्तिक आधार पर किया गया है और भारत में उस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान इनसेक्टीस इड्स को चिरस्थायी अधिकार और लाइसेंस प्राप्त होगा। उनको यह भी अधिकार होगा कि ये भारत में दूसरी पार्टियों को उक्त प्रौद्योगिक का उप लाइसेंस दे सके।

(3) उत्पादों को भारत अथवा विदेशों में बेचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(4) 3:00 टन की क्षमता वाले प्रथम प्लांट को स्थापित करने के लिए मैसर्स स्टाफर्स कैमिकल्स कारपोरेशन आफ यू० एस० ए० को 2,40,0:.0 अमेरिकी डालर की एक मुस्त राशि का भुगतान किया जायेगा। उतनी ही क्षमता वाले दूसरे प्लांट के लिए प्रति टन 34.45 अमेरिकी डालर की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके पश्चात् अतिरिक्त क्षमता के लिए उक्त शुल्क की दर प्रति टन केवल 20 अमेरिकी डालर होगी।

सरकार ने कोऊर आंध्र प्रदेश में मैसर्स संदर्भ पेस्टीसाइड्स लि० जो कि मैसर्स हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि० की एक सहायक कम्पनी है द्वारा एक 3,300 टन की क्षमता वाले 26 प्रतिशत गामा बी० एच० सी० प्लांट की स्थापना करने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी है। इस करार के अन्तर्गत इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाला यह पहला प्लांट होगा।

(ग) जी हां।

(घ) इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में छिद्रण कार्य के विकेन्द्रीकरण के लिए प्रस्ताव

4910. श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्लूरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आंध्र प्रदेश में, आसाम में शिवसागर के तथा गुजरात के वड़ोदा स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों की भांति ही छिद्रण कार्यों के विकेन्द्रीकरण के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

पट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया था कि तटवर्ती क्षेत्र के लिए एक प्रायोजना प्रबन्धक तथा सहायक स्थापना का वर्तमान संगठन इस समय पर्याप्त समझा गया था, शामिल संचार-तत्वों को ध्यान में रखते हुए अपतटीय कार्यकलापों को इस समय मद्रास बन्दरगाह से भली प्रकार से किया जा सकता है।

कृषि के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता

4911. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि कार्यों के लिए प्रतिवर्ष पेट्रोलियम उत्पादों की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि कार्यों के लिए पेट्रोल और डीजल तेल को राज-सहायता प्राप्त दरों पर सप्लाई करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) कृषि क्षेत्र मुख्यत: हाई स्पीड डीजल तेल, लाइट डीजल तेल, स्नेहक तेल तथा ग्रीजों का उपभोग करता है। वर्ष 1979-80 के लिए क्षेत्रों में इन उत्पादों के देश भर में उपभोग का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

आंकड़े मी० टनों में

उत्पाद का नाम	उपभोग
हाई स्पीड डीजल तेल	9.72
लाइट डीजल तेल	1.25
स्नेहक तेल और ग्रीजें	0.56

न तो इस मंत्रालय द्वारा और न ही तेल कम्पनियों द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग के आंकड़े अलग से रखे जाते हैं : कुछ समय पूर्व इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम द्वारा तैयार किए गए मोटे अनुमान के अनुसार, देश में उपभोग किये जाने वाले सभी पेट्रोलियम उत्पादों का लगभग 10 केवल कृषि क्षेत्र द्वारा उपभोग किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पेट्रोल का प्रयोग कारों/मोटर साइकिलों/तिपहिया स्कूटरों में दिया जाता है तथा कृषि में इसका सीधा उपयोग नहीं होता है। भारत में डीजल का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से कम है तथा देशी खनिज तेल के कम मूल्यों का पूरा लाभ भारित पूल औसत मूल्य व्यवस्था के अन्तर्गत डीजल तेल के उपभोक्ताओं को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।

'रुपीज 12 लैक्स लास ए डे-बाम्बे-हाई गैस वैस्टेड" शीर्षक समाचार

4912. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च, 1981 के "विजनैस स्टैंडर्ड (कलकत्ता) में (रुपीज 12 लैक्स लास ए डे-बाम्बे गैस पेस्टेड") प्रतिदिन 12 लाख रु० की हानि-बोम्बे हाई गैस का बेकार जाना शीर्षक समाचार की ओर दिल लगाया है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) उच्च दवाव पृथककारक से पृथक की गयी गैस का वर्तमान में उपभोक्ताओं को, मुख्यता आर० सी० एक को उर्वरक के लिए फीडस्टाक के रूप में परिवहन किया जाता है। अतिरिक्त गैस टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी को सप्लाई की जाती है। कुछ उच्च दवाव वाली गैस तथा निम्न दवाव वाली गैस को प्रदीप्ति कर दिया जाता है। जैसे ही बी० एस० एन० प्लेटफार्म पर सम्पीडक (कम्प्रेसर) स्थापित हो जायेंगे गैस का पाइपलाइन द्वारा ऊरान को परिवहन किया जायेगा तथा समुचित उपयोग किया जायेगा।

"दि वैल्य आफ ल्यूब बैस्ट्स" शीर्षक समाचार

49 3. श्री आरिफ मोहम्मद खां : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 मार्च, 1981 के "बिजनैस" में "दि वैल्थ आफ ल्यूब वेस्ट्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी हां।

(ख) सरकार को प्रयोग किये हुए तेल के पुनः आवर्तन के उपयोग के बारे में जानकारी है।

कतिपय कम्पनियों द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन

4914. श्री ज्योतिर्मय बसु : : क्या विधि न्याय और कार्य कम्पनी मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर, आई० टी० सी० और ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख)

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत उल्लंघन के आरोप : (1) मैसर्स बिजय मैरिन प्रोडक्ट्स से 25 दिसम्बर, 1978 को तारीखयुक्त यह आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि (1) मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, (2) मै० आई० टी० सी० लिमिटेड, तथा (3) मै० ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड, (अब मै० ब्रिटानिय इन्डस्ट्रीज लि०) ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत बिना अनुमोदन प्राप्त किये, बिचोलियों के माध्यम से खुले बाजार से समुद्री उत्पादों का विधायन तथा कच्चे माल की खरीद प्रारम्भ कर दी है। उपरोक्त शिकायत की परीक्षा करने पर यह पाया गया था कि मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड तथा मै ब्रितानिया बिस्कुट कम्पनी लि० द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार, अधिनियम की धारा 21 व 22 के उपलब्धों का कोई उल्लघन नहीं किया गया था, परन्तु मै० आई० टी० सी० लिमिटेड द्वारा इस अधिनियम के उल्लघन के आरोपोयुक्त मामला विचाराधीन है।

(2) (1) ए० पी० फेडरेशन आफ आई० एल० डी० कम्पनी वर्कस राजावाडीथोटा गुन्टूर-1 (आंध्र प्रदेश) (2) आई० टी० सी० लिमिटेड-आई० एल० टी० डी० डिवीजन वर्कस यूनियन, कोटापेठ, गुन्टूर-1 (आंध्र प्रदेश), (3) आई० एल० टी० डी० कम्पनी स्टाफ एसोसियेशन

कनवारीथोटा गुन्टूर-4 (आंध्र प्रदेश) तथा (4) आई० एल० टी० डी० टैक्नीशियन्स यूनियन चिराला (आंध्र प्रदेश) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के रूप में एक शिकायत दिनांक 15-11-79 को इस आरोप युक्त, प्राप्त हुई थी कि मैं० आई० टी० सी० लिमिटेड आंध्र प्रदेश में दो हरी पत्तियों के संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। परीक्षा करने पर यह पाया गया था कि कम्पनी ने नवीन मांडने के संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं किया था, वरन् केवल विद्यमान संयंत्र के आधुनिकतम बनाने की दृष्टि से कुछ नवीन मशीनरी जोड़ने का प्रस्ताव किया था, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं था।

(3) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 10 (क) के अन्तर्गत इन कम्पनियों के विरुद्ध अवरोधक व्यापारिक व्यवहार जांचें संस्थापित की हैं। इन जांचों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये है।

(2) कम्पनी अधिनियम, के उल्लंघन के आरोप (1) मैं० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 के अन्तर्गत अक्तूबर 1980 में किये गये एक निरीक्षण से, इस अधिनियम की धारा 204, 205 क तथा 383-क का पालन न करना, सूचित हुआ था। इन मामलों पर कम्पनी से सम्पर्क किया जा रहा है।

(2) मैं० आई० टी० डी० लिमिटेड : कम्पनी अधिनियम, जो धारा 209 क के अन्तर्गत 1976 में किये गये एक निरीक्षण से, कम्पनी अधिनियम की धारा 143, 211, 310 तथा 212 (6) के उपबन्धों के कुछ उल्लंघनों का पता चला। तथापि, इस पर कम्पनी के उत्तर की परीक्षा करने के पश्चात् मामला समाप्त कर दिया गया।

(3) मैं० ब्रितानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड (अब मैं० ब्रितानिया इन्डस्ट्रीज लि०) : कलकत्ता में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में संधारित सांविधिक अभिलेखों के निरीक्षक से कम्पनी अधिनियम के किसी उल्लंघन का पता नहीं चला इस कम्पनी के विरुद्ध कुछ अन्य शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं, परन्तु जांच करने पर, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन दृष्टि गोचर नहीं हुआ था।

विवरण

(1) मैं० हिन्दुस्तान लीवर लि० (2) मैं० आई० टी० सी० लि०, तथा (3) मैं० ब्रितानिया बिस्कुट लि० (अब मैं० ब्रितानिया इन्डस्ट्रोज लिमिटेड) के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा सस्थापित अवरोधक व्यापारिक व्यवहारों के ब्यारे

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	एका० तथा अव० व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जाँच के संस्थापन की तारीख	कम्पनी के विरुद्ध आरोपों के ब्यौरे	एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग का आदेश	टिप्पणी
1.	मैं० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	(1) 5-7-1974	(क) पुनर्विक्रय मूल्य संधारण (ख) संतत रेखा थोपना व क्षेत्रों का बंटन	बन्द करो बाज आओ आदेश 17-3-76 को पारित दिया गया था	
		(2) 17-5-1978	कम्पनी द्वारा निर्मित टायलेट साबुन के कुछ ब्रान्डों के मूल्यों में संशोधन करके संविधा का कार्य करना।		जांच अभी आयोग के समक्ष अनिर्णीत हैं।
2.	मैं० आई० टी० सी० लिमिटेड	18-5-1974	लघुतर सिगरेट निर्माता कम्पनियों से सिगरेट खरीदना, विभेदकारी दरों देना, मैं० बजोर सुल्तान टोबेको कम्पनी लि० के लिए चारमीनार बनाना, चार मीनार ब्रान्ड	बन्द करो और बाज आओ आदेश 6-5-1976 को पारित किया गया था।	

1	2	3	4	5	6
			के लिए वितरण का अनन्य अधिकार तथा सिगरेटों की बिक्री में कुछ अन्य व्यापारिक व्यवहार		
3.	मैं० ब्रतानिया बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड (अब मैं० ब्रितानिया इन्डस्ट्रीज लि०	(1) 17-2-1977	(क) कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत उच्च व्यय (ख) स्वेच्छा से मूल्य बढ़ाना, तथा (ग) विभेदकारी मूल्य		जांच अभी तक आयोग के समक्ष अनिर्णीत है।
		(2) 22-12-1979	(क) क्षेत्र बंटन (ख) पुनर्विक्रय मूल्य संधारण तथा (ग) अनन्य संव्यवहार		यथोपरि

'टिस्को' मैनेजमैन्ट द्वारा पूरक आंतरिक लेखा की परीक्षक की सेवा समाप्त किया जाना

4915. श्री ए० के० राय : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'टिस्को' के 48 प्रतिशत इक्विटी शेयर सरकार तथा इसकी वित्तीय संस्थाओं के पास हैं ;

(ख) क्या सरकार को प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकारी निदेशक इसके बोर्ड की बैठकों में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे हैं, यदि हां, तो ये कार्यकारी निदेशक कौन-कौन हैं और उन्होंने वर्ष 1980 में किस-किस तिथि को हुई बैठकों में भाग लिया ;

(ग) क्या सरकार के लेखा परीक्षक इसके लेखों की लेखा परीक्षा करते हैं ;

(घ)) क्या यह सच है कि 'टिस्को' ने मुख्य लेखा परीक्षक और जमशेदपुर के दो अन्य लेखा परीक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया है ; यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार का इस मामले की जांच करवाने का विचार है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 14 अगस्त, 1980 तक, टिस्को के इक्विटी शेयरों का 44.8% सरकारी, वित्तीय द्वारा धारित था।

(ख) सर्वश्री मनतोष सोंधी, जो 6.6.80 को तक निदेशक मंडल में सरकार द्वारा मनोनीत किये गये थे और एस० समद्दर जिनको 4.7.80 को निदेशक मंडल में सरकारी नामिति के रूप में नियुक्त किया गया था, बोर्ड की बैठकों में क्रमश: दिनांक 30.1.80 और 28.8.80 को उपस्थित हुए। वर्ष 1980 में बोर्ड की कुल 10 बैठकें सम्पन्न हुई थी।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी।

(घ) यह समझा जाता है कि श्री बी० दास गुप्ता, मुख्य आन्तरिक लेखा कम्पनी को सेवा से त्याग पत्र दे दिया था और श्री आर० गुहा राय, सहायक मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक के मामले में विभागीय जांच के पश्चात् पदयुत कर दिया गया था।

(ङ) क्योंकि ये मामले कम्पनी के आन्तरिक प्रबंध के विषय से सम्बद्ध हैं, इसलिए इसकी जांच करना सम्भव नहीं है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव आदि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी,

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय श्री ज्योतिर्मय बसु...

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे पास है। परन्तु मैं तथ्य एकत्र कर रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री ज्योतिर्मय बसु ने संसद् की भर्त्सना करते हुए एक वक्तव्य दिया है... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने ये अनुमति दी है। क्या आप में सुनने की शिष्टता नहीं है मैंने उन्हें अनुमति दी है ।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं उसे पढ़ कर सुनना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको सुनना भी चाहिए वह मेरे पास है मैं उस पर विचार कर रहा हूं मैंने तथ्य मंगवाये हैं। फिर आपको बता दूंगा। (व्यवधान) उन्होंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है ।

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे उसे पढ़ने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे वह दे दिया है आप को अनुमति क्यों दी जाये। कोई अनुमति नहीं दी जायेगी। (व्यवधान) श्रीमान् जी, बस बहुत हो गया। यह आप बाहर जनता को दिखाने के लिए कर रहे हैं। व्यवधान) तिवारी जी, आप बैठिए (व्यवधान) अब किसी बात को कार्य-वाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)** मैं एक एक करके सब को अवसर दे रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए। श्री हरिकेश बहादुर आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : बिड़ला की एक फर्म ने 32 लाख रुपये काला धन दे कर भूमि खरीदी है ...

अध्यक्ष महोदय : मैं तुम्हें एक प्रस्ताव की अनुमति दे सकता हूं, परन्तु स्थगत प्रस्ताव की नहीं। मैं तथ्य मंगवाऊंगा और फिर यदि बात हुई, तो मैं अनुमति दे दूंगा।

श्री हरिके बहादुर : बहुत अच्छा। मैं इस बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दे रहा हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैंने राज्यस्थान के न्यायाधीश के बारे में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कोई ध्यान आकर्षण नहीं। आप मेरे पास आ जाइए और बातचीत कर लीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है । मैं कह रहा हूं कि कृपया स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आप मेरे पास आ कर बातचीत कर सकते हैं ;

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामीनाथन (बम्बई उत्तर रेलवे) : संविधान के निदेशक तत्वों के

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अधीन हमें देश में महानिदेश सुनिश्चत करना है। तमिलनाडु में धन के कारण ऐसा किया गया हैं। हम महान पर सभा में चर्चा करना चाहते है।

अध्यक्ष महोदय : आप कार्य मंत्रणा समिति में जाइए।

श्री सुपरब्र ह्मम स्वामी : बहुत अच्छा।

श्री रामावतार शास्त्री(पटना) : अध्यक्ष जो, मैं ने एक कार्य-स्थागन प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय किसलिए।

श्री रामावार शास्त्री : अमरीकी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है... ।

अध्यक्ष महोदय : इस के लिए कल कालिंग अटेंशन आ रहा है। (व्यवाधन)

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) अध्यक्ष जी, मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है। आप "नेशनल हैरल्ड" में देखें — "चीन को वास्तविक नियंत्रण नियंत्रण रेखा तक पहुचने के लिए मार्ग देना"

अध्यक्ष महोदय : मैं ने नियम 377 के अधीन इस की अनुमति दी है। (व्यवानन) सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की अनुदानों की ब्योरेवार मांगें

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वसंत साठे : मैं वर्ष 1981-82 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानो कि ब्योरेवार भागों (हिंदी तथा अग्रेजी सस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 2168/81)

आय कर (संशोधन) नियम, 1981 और सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : श्री मगनभाई वरोट की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) ब्याज कर अधिनियम 1974 की धारा 27 की उपधारा (4) के अन्तर्गत ब्याज-कर (संशोधन) नियम 1981 (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 मार्च 1981 [ग्रंथालय में रखें गये देखिए संख्या एल० टी० 2169/81]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 179 (ङ) जो दिनांक 14 मार्च 1981 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा दिनांक 26 फरवरी 1981 की अधिसूचना संख्या 20 सीमा-शुल्क के अधिलंघन में रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा अथवा भारतीय मुद्रा को रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० सां० नि० 182 (ङ) जो दिनांक 17 मार्च 1981 के भारत के राजपक्ष में प्रकाशित हुई थी तथा निर्यात आदेशों को पूरा करने के लिये अग्रिम लाइसेंसों पर निःशुल्क आयात किये जाने वाले सामान की सूची में और मदें जोड़ने के लिये दिनांक 9 जून 1978 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 318(ङ) में कतिपय संशोधन करने संबंधी एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थायय में रखो गई देखिए संख्या एल० टी 2170/81]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जम्मू के निकट धरना दे रहे पश्चिमी पंजाब से आये शरणार्थियों की दशा

अध्यक्ष महोदय : श्री महालगी ।

श्री ख्वाजा मुबारक शाह (बारामूला) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों में यह उपबन्ध है कि उस विषय पर जो पूर्णतया राज्य का विषय हो सभा में चर्चा नहीं हो सकती ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह ऐसा नहीं है इस पर पहले ही राज्य सभा में चर्चा हो चुकी है । (व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : वे भारत के नागरिक हैं, न कि काश्मीर के और इसलिए इस मामले पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री आर० के महालगी (ठाणे) महोदय, मैं पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे इस बारे में वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं :

"भारत में 33 वर्ष तक रहने के बावजूद भारतीय नागरिकता न दिए जाने के कारण जम्मू के निकट पाकिस्तानी क्षेत्र में धरना दे रहे पश्चिमी पंजाब के शरणार्थियों की दशा और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

पूर्ति और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों, जो तीन दशकों से अधिक समय से जम्मू क्षेत्र में बस गए हैं किन्तु उन्हें अभी भी भारतीय नागरिकता से वंचित रखा गया है, द्वारा कथित "धरने के

बारे में भारत सरकार के पुनर्वास विभाग को जम्मू और काश्मीर सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

2. जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान से आए इन विस्थापित व्यक्तियों, को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रश्न है, गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने 6 अगस्त, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 के उत्तर में लोक सभा में कहा था कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो 1947 में उन क्षेत्रों से आए थे, जो अब पाकिस्तान में हैं, वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत भारत के नागरिक माने जाते हैं। इस तथ्य को मैंने 12-3-1981 को राज्य सभा में दोहराया था जब मैंने उस सदन में इसी प्रकार के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में वक्तव्य दिया था।

श्री आर० के महालगी : यह मामला पहले 'इण्डियन एक्सप्रेस' के दिल्ली संस्करण में 9 मार्च 1981 को प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात सरकार की ओर से राज्य सभा में ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में 12 मार्च, 1981 को एक वक्तव्य दिया गया था जिसमें बताया गया था कि हजारों की संख्या में इन शरणार्थियों द्वारा धरने के बारे में भारत सरकार के पुनर्वास मन्त्रालय को जम्मू और काश्मीर सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।,आज 24 मार्च, 1981 को लोक सभा में भी वही वक्तव्य दिया गया है। उसमें विराम या पूर्ण विराम तक का भी परिवर्तन नहीं किया गया है।

यद्यपि यह सभा इन हजारों शरणार्थियों को जो भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं, दशा के बारे में जानने के लिए अत्यधिक चिंतित है, तथापि सरकार ने गत 14 दिन की इस अवधि में जम्मू और काश्मीर सरकार से इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया। क्या इसमें कोई संवैधानिक बाधा है। यह जानकर मुझे दुःख हुआ है कि मन्त्री ने अपने उत्तर में यह नहीं बताया कि सीमा पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और इस बारे में भारत सरकार का क्या रवैया है। मुझे विश्वास है कि उनका ध्यान जम्मू और काश्मीर के मुख्य मन्त्री, श्री शेख अब्दुल्ला के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि जहां तक विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का संबंध है, इसके लिए भारत सरकार ही जिम्मेवार है और राज्य सरकार ने तो उन्हें अनुकंपा पूर्वक स्थायी तौर पर आश्रय दिया है। उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे 1947 में भारत आये लोगों के इस वर्ग के बारे में प्रयोग में लाये गये इन शब्दों पर बड़ी हैरानी हुई है। इनमें से अधिकांश लोग पाकिस्तान में जिला सियालकोट और आस-पास के जिलों से अनुसूचित जातियों के अर्थात हरिजन हैं।

आरम्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस मामले को मानव-समस्या के रूप में और मानवता के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इस मामले को दो पक्षों या राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच छीटाकशी में प्रतियोगिता नहीं बनने दिया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ न ही राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार यह बताये बिना इस प्रश्न को टाल सकती है कि उनका इस बारे में क्या रवैया है।

जहां तक इस धरने विशेष का संबंध है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि सरकार उनका पुनर्वास करने में असफल रही है। धरना देते समय जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, वे ये हैं कि यद्यपि वे 1947 से गत 33-34 वर्षों से काश्मीर में रह रहे हैं, तथापि वे काश्मीरी राज्य के नागरिक नहीं हैं। यद्यपि उन्हें संसदीय निर्वाचनों में मत देने का हक है फिर भी उन्हें राज्य विधान सभा या नगर निकायों के लिए निर्वाचनों में मत देने का हक नहीं है। हालांकि यह उनका राजनैतिक अधिकार है।

अधिक संगत बात तो उनकी जीविका, जीवन और सम्पत्ति धारण करने का अधिकार है। उनको यह अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि वे उस राज्य के नागरिक नहीं हैं। अतः वे सम्पत्ति धारण नहीं कर सकते हैं।

सियालकोट और आसपास के स्थानों से आए थे ये व्यथित उन व्यक्तियों के वर्ग के नहीं हैं जो दिल्ली और लखनऊ में रह रहे हैं। मेरी अपनी राय तह है कि नागरिकों के दो वर्ग होने चाहिए। विभिन्न परिस्थितियों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और इन सभी चीजों के आधार पर दूसरे पक्ष वाले तर्क दे सकते हैं कि काश्मीर की विशेष स्थिति है और इसलिये काश्मीर के नागरिक भारत के नागरिकों से अलग हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

परन्तु जम्मू और काश्मीर के मुख्य मन्त्री श्री शेख अब्दुल्ला ने कुछ ही दिन पूर्व यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि संविधान का अनुच्छेद 370 अलंघ्य नहीं है। अब मैं याचिका समिति के एक प्रतिवेदन का हवाला देना चाहता हूं।

इस संबंध में मेरी विशिष्ट बात यह है कि पुनर्वास की इस समस्या को उचित रूप से तभी हल किया जा सकता है जब इस समस्या की व्यापकता का पता हो। राज्य सभा में मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार और जम्मू और काश्मीर सरकार द्वारा कुछ समय पहले दी गई जानकारी के आधार पर पश्चिमी पाकिस्तान से जम्मू और काश्मीर में आए व्यक्तियों की संख्या का पता ही नहीं है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए जनगणना नहीं की गई है।

क्या किसी सरकार और पुनर्वास मन्त्रालय को चलाने का यही तरीका है? आप अपने पुनर्वास मन्त्रालय का काम कैसे कर सकते हैं, यदि आप जम्मू और काश्मीर के मुख्य मन्त्री के ऐसे कर्त्तव्यों को मान लेते हैं? क्या यह भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विशेष रूप से जबकि जम्मू और काश्मीर का मुख्य मन्त्री कहता है कि लोगों का पुनर्वास करने और उनकी संख्या का पता लगाने की जिम्मेवारी भारत सरकार की है? समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार उनकी संख्या 3,000 है। परन्तु उनकी वास्तविक संख्या क्या है? उनकी सही संख्या इस सभा को विदित होनी चाहिए और यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह जानकारी इस सभा को दे।

इस समस्या की व्यापकता को जानने के लिए उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या बताई जाये जो जम्मू और काश्मीर राज्यों में बस गए हैं यह भी बताया जाए कि उनमें से कितने बँटवारे के समय अधिकृत काश्मीर से और कितने पाकिस्तान के अन्य भागों से आये थे?

मैंने पहले याचिका समिति का हवाला दिया था । मैं इस समिति की कुछ सिफारिशों के बारे में कहना चाहता हूं मैं राज्य सभा की याचिका समिति की उस 62वीं रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं जो 13 जून, 1980 को सभा पटल पर रखी गई थी लगभग एक वर्ष पूरा हो गया है । मैं मन्त्री से जानना चाहता हूं कि इस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ? विभिन्न सुझाव दिये गए हैं उदाहरणार्थ उसमें यह एक विशिष्ट सुझाव है—

> "चूंकि ये विस्थापित व्यक्ति इस बात को लेकर अपने आप को असुरक्षित समझते है कि उनकी भूमि वापस न ले ली जाए और यह ठीक भी है, इसलिये समिति सिफारिश करती है कि पुनर्वास विभाग राज्य सरकार से परामर्श करके विधि कार्य विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए इस सुझाव पर कि निष्क्रान्त भूमि विस्थापित व्यक्तियों को मीयादी अवधि के आधार पर दे दी आये, विचार करें और उसे क्रियान्वित करें ।"

इस सिफारिश के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है । यह एक बहुत ही विशिष्ट सिफारिश है । क्योंकि विस्थापित व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना फैल गई है । अतः मैं समझता हूं कि यह बिलकुल स्पष्ट है ।

मैं, दो अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं :—

1. चौदह दिन व्यतीत हो गये हैं जब समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था । सरकार ने जम्मू के निकट धरनों के बारे में सही जानकारी प्राप्त क्यों नहीं की ?

2. सरकार ने याचिका समिति की 62वीं रिपोर्ट में, जो राज्य सभा के पटल पर रखी गई थी, की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

इस सभा को इन चीजों को जानने का अधिकार है ।

श्री भगवत झा आजाद : यह सही है कि हमें इस बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । मैंने यही बात राज्य सभा में भी कही थी और मुझे खेद है कि मैंने वही बात यहां भी दोहरा दी । माननीय सदस्य को यह प्रश्न पूछने का हक है । ऐसे मामलों में, जैसा कि सभा जानती ही है, हम क्या कर सकते हैं । हमने जानकारी के लिए जम्मू और काश्मीर सरकार से अनुरोध किया । मेरे विचार में, वे इसे एकत्र कर रहे हैं । प्राप्त होने पर ही हम सभा को जानकारी दे सकेंगे और उसे सभा पटल पर रख सकेंगे ।

इस मामले में हमें अब तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

याचिका समिति के सम्बन्ध में दूसरे प्रश्न के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जम्मू और काश्मीर में ऐसे शरणार्थी हैं जो पश्चिमी पाकिस्तान से आये, जो अनधिकृत काश्मीर से आये और जो तीन बार 1947, 1967, और 1971 में आए । ध्यान दिलाने वाली इस सूचना में स्पष्टतया और निश्चित तौर पर पश्चिम पंजाब के बारे में जानकारी मांगी गई है और इसलिए

याचिका समिति की सिफारिशों के बारे में माननीय सदस्यों को एक पृथक प्रश्न पूछना पड़ेगा। मैं इस पर तैयार होकर आऊंगा और उत्तर दूंगा।

जहां तक ध्यान दिलाने वाली इस सूचना विशेष का सम्बन्ध है, अर्थात् पश्चिम पंजाब के बारे में, यह सही है। जहां तक उनकी संख्या का सम्बन्ध है, जैसाकि मैंने बताया, यह विदित नहीं है। अप्रैल, 1979 में हमें बताया गया था कि वहां पर 2752 परिवार हैं। पुनर्वास मन्त्रालय में हमने 1955-56 में लगभग 3,000 परिवारों की बात मानी थी।

माननीय सदस्य ने कहा कि यह कोई तरीका नहीं है कि मंत्रालय को उनकी संख्या का ही पता नहीं है। इस देश में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत ही अधिक संख्या में लगभग एक करोड़ शरणार्थी आए और जिन्होंने अपने नाम रजिस्टर करवाये और भारत सरकार ने उनकी जिम्मेवारी ली थी, उनकी संख्या तो सरकार बता सकती है, परन्तु उन बहादुर और दिलेर लोगों की संख्या जो इस रक्तपात के पश्चात् आए और जिन्होंने हमसे कोई सहायता नहीं मांगी और जो केवल बसना चाहते थे, हमें नहीं बताई गई। अतः भारत सरकार के पास इन लोगों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ये लोग, जो इस भाग में आकर बस गए, वे बहादुर लोग है जो इस भाग में आए, हमसे राहत चाहते थे, बसना चाहते थे, उन्होंने दावे दायर किए और हमने उनको निपटा दिया। यह स्थिति है।

श्री हरिकेश बहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग इस देश भारत के नागरिक हैं, जम्मू और काश्मीर के नागरिक नहीं है। इस प्रकार का पक्षपात बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों को नागरिकता अधिकार प्राप्त नहीं है। वे संसदीय चुनावों में मतदान कर सकते हैं, परन्तु विधान सभा चुनावों में मतदान नहीं कर सकते तथा उन्हें राज्य सरकार के अधीन नौकरियां नहीं दी जा सकतीं। इस प्रकार के भेदभाव को दूर किया जाना चाहिए।

जम्मू तथा काश्मीर संविधान आदेश, 1957 नामक आदेश है। इस आदेश के अनुसार इन लोगों को जम्मू तथा काश्मीर की नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती। मेरा विशिष्ट प्रश्न यह है कि क्या भारत सरकार जम्मू तथा काश्मीर सरकार को इस आदेश में संशोधन करने की सलाह देगी ताकि उन लोगों को जो बाहर से आए हैं नागरिकता अधिकार प्रदान किए जा सकें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : परन्तु क्या उस आदेश को संवैधानिक आदेश कहा जा सकता है।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं ऐसा समझता हूं, क्योंकि वह जम्मू तथा काश्मीर संविधान आदेश है।

श्री ख्वाजा मुबारक शाह : नहीं, माननीय सदस्य को भारत के संविधान का अनुच्छेद 35(क) पढ़ना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, इसका उत्तर देंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : यह बताया गया है कि इन शरणार्थियों को भूमि दी गई है। परन्तु कुछ लोग जिनकी भूमि इन शरणार्थियों को दी गई थी, पाकिस्तान से वापस आ गए हैं तथा इन शरणार्थियों से वह भूमि खाली कराली गई है और पाकिस्तान से वापस आये व्यक्तियों को दे दी गई है। यह भी कहा गया है कि कुछ शरणार्थियों के पास हरियाणा तथा पंजाब में भूमि है और इन्होंने स्वयं वह भूमि बेच दी है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह कथन सत्य है अथवा नहीं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने ऐसे मामलों की जांच करने के लिए कोई जांच समिति नियुक्त की है और यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसे मामलों की जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्त करेगी ?

ये शरणार्थी पाकिस्तान के क्षत्र में चले गए और इन्होंने पाकिस्तान के अधिकारियों को एक ज्ञापन पेश किया। ज्ञापन पाकिस्तान के राष्ट्रपति के नाम है तथा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि उन्हें अभी तक पाकिस्तान के नागरिक समझा जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और क्या माननीय मन्त्री ज्ञापन के बारे में राज्य सरकार से पूछताछ करेंगे ?

माननीय सदस्य श्री महालगी ने शरणार्थियों की संख्या के बारे में पूछा है। यह कहा गया है कि उनकी संख्या के बारे में जानकारी नहीं है। इसका क्या कारण है तथा उनकी संख्या का पता लगाने के लिए गणना क्यों नहीं की गई ? शरणार्थियों की कई श्रेणियां बताई जाती हैं। माननीय मन्त्री ने कहा है कि कुछ शरणार्थी 1947 में आए तथा कुछ 1965 और 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान आए। 1965 तथा 971 में आए शरणार्थियों में से कुछ शरणार्थियों को बसा दिया गया है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था कर दी गई है। परन्तु उन लोगों के बारे में क्या स्थिति है जो 1947 में आये थे और 34 वर्षों से वहां रहरहे हैं ? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर सरकार को अवश्य देना चाहिए।

यह भी कहा गया है कि जब 1947 में पाकिस्तान से शरणार्थी आये थे, तो उस समय भारत सरकार ने जम्मू तथा काश्मीर में अधिकारियों की एक समिति भेजी थी। उस समिति ने जम्मू तथा काश्मीर सरकार से एक आश्वासन मांगा था कि उन्हें वहां बसाया जायेगा और यदि नहीं, तो उन्हें जम्मू तथा काश्मीर से बाहर भेजा जायेगा। परन्तु उस समय जम्मू तथा काश्मीर सरकार सहमत नहीं हुई और उन्हें जम्मू तथा काश्मीर से बाहर भेज दिया। अब शायद यह कहा जा रहा है कि उन्हें अन्यत्र बसाया जायेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं क्या वह सच है और क्या भारत सरकार इस मामले की जांच करेगी और हम लोगों की समस्या को हल करेगी ?

श्री भगवत झा आजाद : यह सच है कि घरने पर बैठे इन व्यक्तियों की मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण मांग यही है कि उन्हें जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पूर्ण नागरिकता अधिकार प्रदान किए जायें। उनकी मुख्य मांग यही है तथा राहत और पुनर्वास की बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इस मांग से यह बात उत्पन्न होती है कि उन्हें राज्य तथा सरकार की नौकरियों में

रोजगार प्राप्त करने का अधिकार हो इसी मांग से यह बात पैदा होती है कि उन्हें भूमि तथा सम्पत्ति के मालिकाना अधिकार प्राप्त हों ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। माननीय सदस्य का कथन सही है। माननीय सदस्य की यह बात भी सही है कि उन्हें ये अधिकार इसलिए प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि जम्मू तथा काश्मीर राज्य का वर्ष 1957 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इस मे बाधक है। इस अधिनियम में कहा गया है कि नागरिक राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा राज्य के स्थायी निवासी की परिभाषा 1954 के एक और आदेश मे दी गई है जिसके अनुसार वह कम से कम दस वर्षों से राज्य का स्थायी निवासी हो अर्थात् जो व्यक्ति 14-5-1944 से अब तक वहां का निवासी है, उसे स्थायी नागरिक कहा जा सकता है। ये 1947 से वहां हैं और इस लिए इन्हें स्थायी नागरिक नहीं कहा जा सकता। यह एक महत्वपूर्ण बात है, जो 1954 के आदेश में उल्लिखित है। दूसरी बात ··(व्यवधान) ··

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। यह ध्यान आकर्षण है। आप·····

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। राज्य के संविधान के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्तियों को काश्मीर के स्थायी निवासी नहीं बनाया जा सकता। (व्यवधान)···

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे आश्चर्य है·····

श्री ख्वाजा मुबारक शाह : मन्त्री महोदय को देखना चाहिए कि कानून क्या है। इस बारे मे संबंधित विधि भारत के संविधान का अनुच्छेद 35(क) है। इस अनुच्छेद म उल्लिखित है कि अधिकार किस को प्राप्त हैं। वह 1954 के आदेश की बात कर रहे है अर्थात् 1954 से पहले 10 वर्ष के निवासी होने की बात कह रहे हैं।

श्री उत्तम सिंह राठौर (हिंगोली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। 1947 में राज्य के तत्कालीन शासक ने लोगों को राज्य में आने और आश्रय लेने को कहा था तथा यह अधिनियम जिसका उल्लेख श्री कोचक और श्री मुबारक शाह ने किया है बाद में बनाये गए। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान से आये इन व्यक्तियों को तत्कालीन शासन ने कोई आश्वासन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका नाम सूची में नहीं है। इस तरह व्यवस्था का प्रश्न उठाने का कोई लाभ नहीं है।

श्री भगवत झा आजाद : यदि माननीय सदस्य कुछ सब्र रखें, तो मैं स्थिति स्पष्ट कर दूंगा। जम्मू तथा काश्मीर से आये मेरे माननीय मित्र को इस दृष्टि से नहीं सोचना चाहिए। मैं केवल यह कह रहा हूं कि उनका अपना एक अलग प्रतिनिधित्व अधिनियम है। इस के अतिरिक्त मैं अन्य कुछ नहीं कह रहा। यदि मै इस से अधिक कुछ कहूं तो वह कह सकते हैं कि मैं गलत कह

रहा हूं। माननीय सदस्य ने अनुच्छेद 35 का उल्लेख किया है। यह अनुच्छेद उनके हक में है और यह उसका उल्लेख कर सकते हैं। परन्तु मैं तो उसी उल्लेख का करूंगा, जिसे मैं ठीक समझूंगा। श्री हरिकेश बहादुर ने पूछा है? कि तीन दशकों के बाद भी इन लोगों को नागरिकता अधिकार प्रदान क्यों नहीं किये गये हैं? मैंने कहा है कि जम्मू तथा काश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम इस में बाधक है। मैंने यही कहा है। इस में उल्लेख है...(व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय: वह श्री हरिकेश बहादुर के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

श्री भगवत झा आजाद: इस में कहा गया है कि नागरिक को उस राज्य का स्थायी निवास होना चाहिए तथा स्थायी नागरिकता 1954 के अन्य आदेश के अन्तर्गत परिभाषित है। जिसमें कहा गया है कि नागरिक को उस राज्य का कम से कम 10 वर्ष तक स्थाई नागरिक होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि उनकी वहां कानूनी तौर पर सम्पत्ति होनी चाहिए और उन्हें मालिकाना अधिकार प्राप्त होना चाहिये। चूंकि उन लोगों के जो वहा तीन दशक से रहे हैं। ये दो अधिकार प्राप्त नहीं है, इसलिए वे नागरिक अधिकार से वांचित हैं।

दूसरा प्रश्न श्री हरिकेश बहादुर ने उन की संख्या के बारे में पूछा था मैं इस प्रश्न का उत्तर श्री महालगी के प्रश्न का उत्तर देते हुए दे चुका हूं। जैसा कि मैं ने कहा है, हम संख्या का रिकार्ड रखते हैं। देश के विभाजन के बाद कई श्रेणियों के व्यक्ति आये जो भी कैम्पों के माध्यम से आये, उनके नाम रजिस्टर किये गये तथा उनकी पूर्ण संख्या हमारे पास है यदि आप इस बारे में मुझ से एक पृथक प्रश्न पूछें तो मैं बताऊंगा कि वे पूर्ण से किस प्रकार से आये, पश्चिम से किस प्रकार से आये तिब्बत से किस प्रकार से आये, श्री लंका से किस प्रकार से तथा मुजम्बिक से किस प्रकार से आदि आदि। परन्तु ये पश्चिम पंजाब के बहादुर लोग हैं, जो कैम्पों के माध्यम से नहीं आये। ये वहां आबाद हो गये। जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने उन्हें बसने की अनुमति दे दी। मैं उनके पत्र का उद्धरण दे सकता हूं। उन्होंने उन्हें बसाया। उनका एक अलग आदेश है जिसके अन्तर्गत उन्हें वहां बसने की अनुमति दी गई। अब वे 30 से अधिक वर्षों से वहां रह रहे हैं। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय सभा की यह भावना नहीं है कि तीस वर्ष से अधिक समय के बाद उन्हें वहां से हटाया जाये और कहीं अन्यत्र बसाया जाये। (व्यवधान) इसलिए मैं उस बात का उल्लेख नहीं करना चाहता जो कि जम्मू काश्मीर से आये माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं उल्लेख करूं।

महोदय, वे पूछ रहें हैं कि अनुसूचित जातियों के बारे में मैं उल्लेख करूं। अनुसूचित जातियों के बारे में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 28 मई, 1980 को जम्मू तथा काश्मीर सरकार को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया —

"निस्संदेह राज्य सरकार इस बात से सहमति होगी कि इन विस्थापित व्यक्तियों में से रोजगार के मामले में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के साथ विशेष व्यवहार की आवश्यता है क्योंकि इन व्यक्तियों की अपनी कुछ मजबूरिया और कमजोरियाँ है अनुसूचित जातियों की दशा को शीघ्रति शीघ्र सुधारने की राष्ट्रीय नीति के सन्दर्भ में, हम महसूस करते हैं कि सेवाओं में स्थान देने के लिए अनुसूचित जातियों के इन विस्थापित व्यक्तियों के साथ विशेष रूप से सहानुभूति पूर्वक व्यवहार किया जाये।"

अत: महोदय, हम ने इस प्रश्न को उठाया है । हमें उनका उत्तर भी मिला है। दिनांक 16 सितम्बर, 1980 के उनके उत्तर में गया है

"इन व्यक्तियों को राज्य नौकरियां और अन्य सुविधायें देने के प्रश्न पर सरकार द्वारा जायेगा ।"

अत: मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने भी उन्हें वहां रहने कि अनुमति दी है। वे तीन दशकों से वहां हैं। हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं। उन्हें ससद के चुनावों मे मताधिकार दिया गया है परन्तु 1957 के अधिनियम और 1954 के आदेश के कारण उन्हें राज्य विधान सभा के चुनावों में मताधिकार नहीं दिया गया है। जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं, निश्चयत रूप से गृह मंत्री तथा मैं जम्मू तथा काश्मीर सरकार से इस प्रश्न पर विचार करन और इन आदेशों मे सशोधन करने को कहेंगे।

श्री गुलाम रसूल कोचक : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते है? आप हर बात पर आपत्ति कर रह हैं। आप उनके वक्तव्य को चूनौति दे सकते है, परन्तु व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते...(व्यवधान*) मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री वीरभद्र... (व्यवधान) ध्यान आकर्षण मे आप नियम के अनुसार चलिए (व्यवधान)* इसे कार्यकारी वृतान्त में शामिल न किया जाये। श्री वीर भद्र सिह श्री परुलेकर—उपस्थित नहीं है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : (रत्नागिरी) इस ध्यानाकर्षण सूचना के जरिये सभा ले समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय चर्चा हेतु लाया गया है।

इस बात के लिए सबसे पहले में माननीय मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने यह घोषणा की है कि वे इसकी पूरी चेष्टा करेंगे कि वे लोग विस्थापित न होने पायें। तथापि, इसके साथ-साथ मुझे यह भी कहना पड़ रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना के बारे में सभा जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसके लिए मुझे खेद महसूस हो रहा है। जैसा कि हमारे माननीय मंत्री ने यहां कहा है कि यह 9 मार्च के समाचार पत्रों से प्रकाशित हुआ और इस मामले पर राज्य सभा में 12 मार्च को चर्चा हुई। अनेक सुझाव दिए गए और वाद-विवाद से पता चलता है कि अनेक सुझावों को मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया था।

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

महोदय, 10 तारीख से आजतक 14 दिन व्यतीत हो गए हैं और मुझे आशा थी कि मंत्री महोदय और अधिक ब्यौरा देंगे। परन्तु हम देखते हैं कि मंत्री महोदय द्वारा वही स्पष्टीकरण हमें दिया गया है। माननीय मंत्री ने कहा है कि हम सूचना प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि राज्य सभा में ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर देते समय जो सूचना उनके पास उपलब्ध थी उस इस सभा को उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस विशेष समस्या की विशालता को देखें। जो व्यक्ति इस देश में 33 वर्ष पूर्व आए थे वे अब भी दर दर भटक रहे हैं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि वे सीमा पार करने की बात सोच रहे हैं और पाकिस्तान जा रहे हैं। क्या हम इस पर लज्जित नहीं हैं। महोदय, मैं समझता हूं कि हमारा सर लज्जा से झुका जा रहा है। ये लोग जिनकी संख्या 300 अथवा 500 अथवा 40,000 होगी, आजादी के बाद इस देश से प्यार होने के कारण आए थे, क्योंकि उनकी हालत दयनीय थी और वे यहां कतिपय अधिकार प्राप्त कर सकते थे। परन्तु वे आजकल दर-दर के भिखारी हो रहे हैं और वापस जाने की बात सोच रहे हैं और इस पृष्ठभूमि में मैंने माननीय मंत्री महोदय से इस पर गंभीरता से विचार करने का अनुरोध किया था ताकि ये जो हमारे अभागे भाई है उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते है। वे यहां अपनी धन-सपत्ति छोड़कर आए थे। पिछले 33 वर्षों मे हमने उनकी सेवा किस प्रकार की है। इस पृष्ठभूमि मे मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि वे हमारे मित्र श्री हरिकेश बहादुर द्वारा उठाए गए एक मुद्दे का उत्तर दें। उन्होंने 1953 में गठित मंत्रालय की समिति का उल्लेख किया था, जिसे भारत सरकार ने यह पता लगाने के लिए जम्मू और काश्मीर भेजा था कि क्या राज्य सरकार इन्हें वहां बसने की अनुमति देगी अथवा उन्हें पजाब में ही कहीं बसाया जाए क्योंकि सीमा पार करने वाले विस्थापित पंजाबी थे। मेरी सूचना यह है कि जम्मू और काश्मीर के तत्कालीन प्रधानमन्त्री से जैसा कि 1953 में उन्हें कहा जाता था, जब यह अनुरोध किया गया तब उन्होंने इस समिति तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि इन व्यक्तियों को देश के किसी अन्य भाग में ले जाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु जम्मू तथा काश्मीर सरकार यह देखेगी कि उन्हें सभी अधिकार, नागरिकता अधिकार दिए जाएं और वे वहां बस सकें। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि 1953 मे आपके मन्त्रालय ने देश के उस विशेष भाग से इन व्यक्तियों को लाने के लिए एक समिति गठित की थी, क्या समिति के सदस्य वहां गए थे और क्या उन्हें जम्मू तथा काश्मीर सरकार के तत्कालीन प्रधानमन्त्री ने आश्वासन दिया था कि उन्हें नागरिकता तथा अन्य अधिकार प्रदान किए जाएंगे और इसलिए वे इन व्यक्तियों को देश के किसी अन्य भाग मे भेजने पर सहमत नहीं हुए। यह प्रश्न का एक भाग है।

अन्य समस्या के बारे में हम ध्यान आकर्षण सूचना के संदर्भ में सीमित प्रश्न से संबंधित है। ये विस्थापित 1947 में, 1965 में और 1971 में भी आए थे। हमारी चिन्ता सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए है जो 1947 में आए थे और जैसा कि माननीय मन्त्री महोदय ने ठीक कहा है कि लगभग एक करोड़ लोग आए थे और उन्होंने सीमा पार की थी। लेकिन मेरा विश्वास है कि यह एक करोड़ की सख्या उन कुल विस्थापितों की है जिन्होंने सीमा पार की थी, उनमें से कुछ

लाख लोग जम्मू और काश्मीर राज्य में आए थे और वहीं बस गए । अब, उनमें से ३,000 अथवा 4,000 लोग अथवा उनकी संख्या चाहे जो भी हो, जो पिछले 33 वर्षों से यहीं रह रहे हैं, वापस जाना चाहते हैं । भारत सरकार यह जानने की स्थिति में नहीं है कि क्या 1953 में ऐसी समिति गठित की गई थी और सीमा पार करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है । आजादी के बाद वे यहां आए और यद्यपि वे यहां बस गए परन्तु राज्य सभा में दिए गए भाषण से हमें यह पता नहीं चलता कि माननीय मन्त्री महोदय ने कोई सुझाव दिया है । उन्हें सरकार में रोजगार की अनुमति नहीं दी जाती । उनके बच्चे व्यवसायिक स्कूलों अथवा अन्य संस्थानों में दाखिला नहीं ले सकते । उन्हें सम्पत्ति रखने की भी अनुमति नहीं दी जाती । (एक माननीय सदस्य : जब तक वे पंजीकृत नहीं हो जाते) उन्हें ऋण नहीं मिल सकता । वे उद्योग स्थापित नहीं कर सकते । उन्हें राज्य विधान सभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । आप उनकी नागरिकता के बारे में घोर उपेक्षा दिखा रहे हैं । इन सारी समस्याओं का मूल कारण संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष दर्जा और ऐसी विधियां हैं जिनका कार्यान्वयन इस विशेष संविधान के ढांचे में सरकार द्वारा किया जा रहा है । जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है कि अनुच्छेद 370 अलंघ्य नहीं है । क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस विशेष प्रश्न पर जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री से बात की है ? शेख साहब के इस वक्तव्य के सन्दर्भ में भारत सरकार की क्या राय है ? क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार शेख साहब के उक्त वक्तव्य से सहमत है अथवा उसका विरोध करती है यह मेरा मुद्दा संख्या 2 है ।

मैं अब मुद्दा संख्या 3 पर चर्चा करता हूं । दोहरी नागरिकता के बारे में विवाद है मैं इस विवाद है । मैं इस समस्या की कठिनाइयों से सहमत हूं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इन 3,000 अथवा ५,000 लोगों अथवा उनकी जो भी संख्या हो, उसके बारें में भी इस सीमित समस्या के संदर्भ में जम्मू तथा कश्मीर सरकार से बात की है । यदि ऐसी बात है तो क्या मैं यह जान सकता हूं कि उनकी राय क्या है ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी कठिनाई है जिसे सरकार अनुच्छेद 370 तथा 1954 के अधिनियमों के कारण दूर नहीं कर सकती । इस बारे में वे कौन-सा ठोस कदम उठाने जा रहे है ? क्या राज्य सरकार से उनकी वार्ता हुई है ? क्या मैं जान सकता हू कि इस प्रश्न पर मैंने जो विभिन्न तर्क प्रस्तुत किये हैं उनके परिपेक्ष्य में भारत सरकार कौन सा ठोस कदम उठाने जा रही है । ये मेरे प्रश्न हैं । कृपया यह सुनिश्चित करें कि जो व्यक्ति धरने पर बैठे हैं वे पाकिस्तान आने पर बाध्य न हो जाए क्योंकि उन्हें कोई अधिकार नहीं मिल रहा है । अधिकार के बिना उनका कोई सिविल अस्तित्व नहीं है; उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है, उन्हें सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं है, और यदि उन्हें कोई अधिकार नहीं है तो वे कैसे जीवित रह सकते हैं ? मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस समस्या को हलके रूप से न लें । कृपया आप दूसरी सभा में दिए गए उत्तर के समान रूढ़ उत्तर देने का कष्ट न करें ।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे पूरी आशा है कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसी धारणा नहीं बनाएंगे कि मैंने इस प्रश्न को हलके ढग से लिया है । यह माननीय सदस्य के प्रश्न का अन्तिम भाग है । मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने इस प्रश्न को उतनी ही गंभीरता से लिया है जितना कि माननीय सदस्यों ने जो इस प्रश्न पर बोले हैं और मैं महसूस करता हूं कि इस विशेष समस्या पर विपक्ष के हमारे मित्रगण समेत सभी का सहयोग प्राप्त होगा । हालांकि उनकी अपनी विचारधारा है । मैं कठिनाइयों के बारे में पहले ही उल्लेख कर चुका हूं ।

श्री ख्वाजा मुबारक शाह : माननीय मन्त्री महोदय अनुच्छेद 35 (क) के बारे में कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं ?

श्री भागवत झा आजाद : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यह मेरे समक्ष सिर्फ आज ही नहीं आया है । वे मुझसे नागरिकता की मांग कर रहे हैं, और मैंने उत्तर दिया है कि जम्मू तथा कश्मीर अधिनियम तथा आदेश आड़े आ रहे हैं । क्या मैंने गलत कहा है । दूसरा प्रश्न (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में न बोलें । मन्त्री महोदय को बाधा न पहुंचाएं ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह कोई कहने की बात है कि लोक सभा में कोई मन्त्री को वही भाषा का प्रयोग करना होगा जिसे विपक्ष के माननीय सदस्य प्रयोग करना चाहते है ? मैं अपनी भाषा बोल सकता हूं । मैं अपनी भाषा बोल रहा हूं । यदि माननीय सदस्य को किसी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करने में बोलने का अवसर प्राप्त हो तो वे जैसी रीति में चाहे वैसी रीति में बोल सकते हैं । मैं कोई गलत नहीं कह रहा हूं । मै सिर्फ यही कह रहा हूं कि जम्मू और कश्मीर अधिनियम तथा आदेश है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में न बोलें ।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इसे और स्पष्ट करना चाहता हूं । मैं दिनांक 1-9-1971 के परिषद निर्णय स० 350, जम्मू तथा कश्मीर सरकार के दिनांक 9-9-1971 के सरकारी आदेश सं० आर० ई० एस० 1971 का 371 को उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है ।

> "उन पश्चिमी पाकिस्तानी विस्थापितों को, जो पश्चिम पाकिस्तान में जमीन रखते हों परन्तु जिन्होंने या तो कोई दावे का आवेदन न किया हो अथवा जिनके दावे मजूर किए गए हो अथवा जिनके पास पश्चिम पाकिस्तान में जमीन नहीं थी और उनके पक्ष म दावे की मंजूरी कर दी गई हो, परन्तु जिन्होंने ऐसी भूमि का कब्जा नहीं लिया हो, उन्हें मंत्रिमडल के आदेश सं० 57१-ग में विनिर्दिष्ट सीमा तक सरकारी खाली भूमि रखने की अनुमति दे दी जाए । उनके पक्ष में भूमि का कोई आवटन नहीं किया जाएगा ।"

यह जम्मू तथा कश्मीर सरकार का आदेश है। अतः मैं गलत उदाहरण नहीं दे रहा हूं। परन्तु यदि मेरे मित्र और अधिक स्पष्ट करना चाहते हैं तो वे ऐसा कर सकते हैं उनका स्वागत है। श्री महालगी, की हरिकेश बहादुर तथा श्री परूलेकर तक सभी माननीय सदस्यों ने पूछा है कि मैं ऐसे लोगों की संख्या क्यों नही मालूम कर रहा हूं मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा'''(व्यवधान) कृपया पीठासीन अधिकारी से बात करें (व्यवधान) इस मामले में यह बिल्कुल संगत नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कोचक, कृपया आप अपनी सीट पर जाएं। यह उचित नहीं है। यह संसदीय प्रक्रिया नहीं है। मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं दूंगा। कृपया आप बैठ जाएं।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, हमें इस पर धैर्य और शान्ति से विचार करना चाहिए। मेरे मित्र को गुस्सा आ गया है। सच्चाई कड़वी लगती है, उन्हें भी लगेगी। बात यह है कि इस मामले में अनेक लोग शामिल हैं। पहली बात तो यह है कि जो लोग शिविरों में आये उन्होंने राहत की मांग की। दूसरी बात उनके पुनर्वास की थी। इन साहसी लोगों की संख्या लगभग 5000 थी अब जम्मू और कश्मीर सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी जन-गणना कराएगी। आशा है वे ऐसा करेंगे। लेकिन बात यह है कि वे लोग वहां हमारे माध्यम से आकर नहीं बसे, स्वयं वहां जाकर बस गये। उन्होंने अपने दावे भरे और सन्तोषजनक पाये जाने पर 29.05 लाख रु० के दावे निपटा दिये गये। हमें उन लोगों की संख्या पर नहीं वरन् नाग-रिकता के अधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण मामले पर विचार करना है। 33 वर्षों के बाद भी उन्हें क्यों गुस्सा है और वे वापिस क्यों जाना चाहते हैं। मैंने आपको ये दिक्कतें बताई हैं। हम राज्य सरकार से भी बात करेंगे और देखेंगे कि इस मामले को सबसे अच्छी तरह कैसे निपटाया जा सकता है।

श्री गुलाम रसूल कोचक : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के आधीन ? क्या है आपका व्यवस्था का प्रश्न, बैठ जाइए। अभी आपको स्पष्टीकरण नहीं मिल सकता। मैं अनुमति नही देता। आप मन्त्री जी के बाद बोलिये।

श्री भागवत झा आजाद : अधिकारियों की जो समिति 1953 में गई थी उनके बारे में भी हरिकेश बहादुर ने जो प्रश्न किया है, उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नही।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : मैंने विशेष रूप से प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर नही दिया गया मेरा स्पष्ट प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 370 के बारे में है। ...व्यवधान...

श्री भागवत झा आजाद : मैंने उसका उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसका मुझ से सम्बन्ध नहीं। अधिक जानकारी रखने वाले सदस्यों को अनुच्छेद 370 सम्बन्धी प्रश्न गृह मन्त्री को सम्बोधित करना चाहिए था। ...व्यवधान...

डा० कर्णसिंह ऊधमपुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि इस प्रश्न का गृह मन्त्री द्वारा उत्तर दिया जाना चाहिए। मैं अपने मित्र श्री भागवत झा आजाद पर कोई अपेक्षा नहीं करता। वह तो पूरी सहानुभूति से उत्तर दे रहे हैं लेकिन मामला इतना जटिल है कि स्वयं प्रधान मन्त्री या गृह मन्त्री को उत्तर देना चाहिए था। ध्यान आकर्षण की शब्दावली से भी काफी भ्रम पैदा हुआ है। मेरे ध्यान आकर्षण की शब्दावली यह थी :—

"पाकिस्तान से आये और जम्म में तीन दशाब्दियों रह रहे हजारों शरणार्थियों में, जिन्हें राज्य में स्थायी नागरिकों के अधिकार से वंचित रखा गया है, अत्यधिक निराशा"।

लेकिन भारतीय नागरिकता से वंचित करने सम्बन्धी ध्यान आकर्षक गृहीत किया गया है। काफी भ्रम हो गया है। आप यदि मेरी बात सुने तो माननीय सभा के समक्ष सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी जिससे सरकार को तथा मन्त्री जी को निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

हमें 1947 में स्वतन्त्रता मिली जो ज्वलन्त इतिहास है। उसके लिए महान बलिदान किये। कल ही शहीद भगतसिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहीदी दिवस मनाया गया है। लेकिन और भी लाखों लोगों ने बलिदान किया। अनेक मारे गये और विभाजन में करोड़ों बेघर हो गये विशेष रूप से बंगाल और पंजाब, सिंध तथा अन्य राज्यों में भी विभाजन का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा। जम्मू और कश्मीर पर तो कई बार हमले भी हुए।

यह समस्या विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई है। जैसा मन्त्री जी ने कहा है कि जम्मू और और कश्मीर में शरणार्थी तीन बार आये। पहले पाक अधिकृत कश्मीर से 1947 में। यह भाग विधिक तथा न्यायिक रूप से मेरे पिता के राज्य का ही एक भाग था जब उन्होंने भारत में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अतः वह कानूनी रूप से भारत का ही नेत्र है। 1947 में लाखों लोग आए। फिर 1965 में आए जब श्री चह्वाण रक्षा मन्त्री थे। फिर 1971 में आए। जब हमारी शानदार जीत हुई तब अरब क्षेत्र में, जो जम्मू और कश्मीर क्षेत्र का ही विधिक रूप से भाग है, 25000 लोग बेघर हुए। वहां के लाखों लोगों ने न केवल 1947 में कीमत चुकाई वरन् 1975 तक यह कीमत अदा की। वे बेघर हो गए हैं और उनका पर्याप्त पुनर्वास नहीं हुआ है। यह एक अलग समस्या है। याचिका सम्बन्धी राज्य सभा की समिति जम्मू और कश्मीर पाक अधिकृत क्षेत्र के बेघर हुए लाखों लोगों की याचिका पर विचार कर रही है यह बात अलग श्रेणी में आती है (व्यावधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : व्यावधान न डालें। उसे रिकार्ड में शामिल नहीं किया जाएगा।

डा० कर्ण सिंह : उपाय किए गए हैं लेकिन उनका पूर्ण पुनर्वास नहीं हुआ है और सरकार को उनकी समस्या पर सहानुभूति से विचार करना चाहिए।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना।

दूसरी बात मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यद्यपि एक महत्वपूर्ण मामला है, पर हम इस समय संविधान में जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे पर बात नहीं कर रहे हैं। संविधान में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर पर लागू अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपबंध है। माननीय मुख्य मन्त्री शेख अब्दुल्ला से मैं इस बात पर सहमत हूं कि अनुच्छेद 370 अलघनीय नहीं है। उन्हें समय और परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। मैं यह बात स्पष्ट कर दूं (व्यवधान) इस बारे मे मेरे विचार बहुत स्पष्ट हैं कि अनुच्छेद 370 बना रहनी चाहिए। इस राज्य के जम्मू और लद्दाख प्रदेशों को ली विशेष दर्जा मिलना चाहिए। यदि कश्मीर घाटी में लोगों की प्रबल भावनाएं हैं तो जम्मू और लद्दाख में भी है। किसी और समय इस बात पर चर्चा के समय मैं विस्तृत विश्लेषण सभा के समक्ष रख सकता हूं।

अतः मेरा कहना है कि ध्यान आकर्षण के अधीन मामले पर चर्चा का सम्बन्ध न तो पाक अधिकृत कश्मीर से आए लोगों से हैं और न ही जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से हैं। इसका सम्बन्ध मेरी सूचनानुसार उन 3000 परिवारों से है जो 1947 में आए थे। एक परिवार में 7 या 8 आदमी हों तो 1947 में उनकी जनसख्या 20000 बैठ सकती है। जनसख्या सभी जगह बढ़ी है इसलिए अब उनकी सख्या आज 3500 या 4000 हो सकती है।

वे पंजाब के सियालकोट से और शकरगढ़ तहसील से आए थे।

श्री गुलाम रसूल कोचक उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप कृपया बैठिए। आप नहीं पूछ सकते। (व्यवधान) जब तक वह अपनी बात समाप्त कर लें।

डा० कर्ण सिंह : नहीं, मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। मैं आपको अनुमति नहीं देता। आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। आप फिर कभी बोलिए,

डा० कर्ण सिंह : मैं तथ्य बता रहा हूं। वह समस्या को समझें। इस बात से पता चलता है कि उनकी पार्टी की सरकार जम्मू और कश्मीर में इस समस्या के प्रति कैसा शत्रुतापूर्ण और गैर-सहानुभूति रवैया अपना रही है। यहां पर तो यह लोग बात सुनने तक को तैयार नहीं तो वहां क्या करते होंगे। मैं शान्त प्रकृति का आदमी हूं। मुझे अधिक गुस्सा नहीं आता। लेकिन ये लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं।

मैं कह रहा था कि ये लोग साम्प्रदायिक दंगों से बचने के लिए शकरगढ़ और सियालकोट से आए थे। बहुत से अमृतसर पहुंचे और पूर्वी पंजाब के अन्य राज्यों तथा जम्मू क्षेत्र में भी आए उनमें से 90% हरिजन हैं।

पिछले दिनों सभा में सदस्यों ने खड़े होकर आरक्षण सम्बन्धी संकल्प पास किया। यह

बात हमें स्पष्ट करनी चाहिए कि यदि वे हरिजन न भी होते तो इसपे कोई बड़ा अन्तर न पड़ता। परन्तु वे हरिजन हैं और समाज के अत्यधिक पिछड़े दलित और कमजोर वर्ग से हैं (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : धीरज रखें।

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि बताया गया है पिछले 30 वर्ष से वे यहां रह रहे हैं, परन्तु फिर भी उन्हें भूमि के स्वामित्व का अधिकार नहीं है, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं है तथा उन्हें कालेजों तथा तकनीकी संस्थाओं में भी प्रवेश नहीं मिलता। वे कृषि, स्वनियोजन अथवा वृद्धावस्था पेंशन के अधिकारी नहीं हैं। यह बड़ी ही दयनीय स्थिति है। उन्हें राज्य विधान सभाओं अथवा जहां वे रहते हैं वहां की पंचायतों के लिए मत देने का अधिकार नहीं है। ये लोग लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं। अब उनकी स्थिति दयनीय है।

उनके वे लड़के जो उनके भारतीय क्षेत्र में आने के बाद पैदा हुए अब वयस्क हो गए हैं। ये युवक अब इस समय आत्महत्या के कगार पर खड़े हैं। उनका कहना है कि यदि हमें रोजगार नहीं मिल सकता, यदि हम सम्पत्ति नहीं रख सकते और यदि हम व्यापार नहीं कर सकते, तो हमारा अपने जीवन को समाप्त कर करना अधिक अच्छा है। हम अपने परिवार और राष्ट्र के लिए भी एक बोझ हो गये हैं। वे लम्बे समय से आन्दोलन कर रहे हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने 1973-74 में एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया था जिसके अन्तर्गत कुछ विशेष प्रकार के शरणार्थियों को सम्पत्ति का अधिकार दिया गया था परन्तु 1965 में मेरे पीछे बैठे दो मित्रों की सरकार सत्ता में आई और एकता तथा स्थिति सामान्य करने की प्रक्रिया को उलट दिया गया (व्यवधान) जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुख्य राष्ट्रीय धारा लाने के बजाय हिंसात्मक तत्वों को जान-बूझकर बढ़ावा दिया गया। जम्मू तथा कश्मीर के मुख्य मन्त्री 5 मई को सीमावर्ती स्थान चिकरोई फार्म पर इन लोगों से मिले और उन्हें संविधान में संशोधन लाए जाने की बात कही। ऐसा नहीं किया गया। पिछले साल भी उन्होंने धरना दिया था। उनका कहना है कि यदि आप हमारी देखभाल नहीं कर सकते और हमें पाकिस्तानी शरणार्थी कहते हैं और हमें स्थायी रूप से बसने के अधिकार नहीं हैं तो हम वापिस पाकिस्तान चले जायेंगे। यह कितनी लज्जा की बात है। हाल की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की जनसंख्या 63 करोड़ है और हम 35-40 हजार लोगों को नहीं बसा सकते।

संविधानिक दृष्टि से स्थिति सर्वथा स्पष्ट है। इन पर शासन राज्य के संविधान के अनुसार होना है और उसकी धारा 6 के अन्तर्गत वे स्थायी निवासी होने के योग्य नहीं है। तो यह संविधानिक स्थिति और कानूनी स्थिति है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस प्रकार व्यवधान नहीं डाल सकते। (व्यवधान) कृपया बैठ जाइए। यह सब कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)**

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

डा० कर्ण सिंह : मैंने भारत का संविधान पढ़ा है। राज्य के संविधान की एक प्रति भी मेरे पास है। अब मैं मन्त्री महोदय से तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। (1) इस सम्बन्ध में जम्मू और कश्मीर के संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। ऐसा किया जा सकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बाधा न डालें। यह चर्चा नहीं हो रही है। (व्यवधान) आप कृपा कर ध्यानाकर्षण के नियमों को पढ़ें।

(व्यवधान) कृपा कर बैठ जाइए। कोई भी बात कार्यवाही में शामिल नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

डा० कर्ण सिंह : जम्मू और कश्मीर के संविधान की धारा 6 में संशोधन करने की आवश्यकता है। यदि इसके लिए भारत क संविधान में और संशोधन करना पड़े तो सभा को इसमें कोई ऐतराज नहीं होगा। क्या सरकार और प्रधान मन्त्री जम्मू और कश्मीर के प्रधान मन्त्री पर विधान सभा के आज से शुरू होने वाले सत्र में राज्य के संविधान मे आवश्यक संशोधन करने के लिए जोर डालेगी जिनसे इन लोगों को राज्य का स्थायी निवासी बनाया जा सके ? (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : वे उत्तेजित हो रहे हैं। अतः कृपया संक्षेप में कहिए।

डा० कर्ण सिंह : उन्हें उत्तेजित होने दें। मैं उससे चिन्तित नहीं। (व्यवधान) आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रहे।

डा० कर्ण सिंह : जब तक केन्द्र सरकार राज्य के संविधान में संशोधन के लिए राज्य सरकार पर जोर नहीं डालता समस्या हल नहीं होगी। इसलिए राज्य के संविधान में और यदि आवश्यक हो तो भारत के संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता है। परन्तु भारत सरकार को पहल करनी चाहिए क्योंकि ये भारत के नागरिक हैं। अतः उस राज्य में उनकी देख भाल करना केन्द्र का कर्त्तव्य है। राज्य सरकार पर दबाव डालिए कि वह इस पर विचार करें। (2) क्या भारत सरकार भी इसके साथ-साथ बजट मे पुनर्वास मंत्रालय के लिए कुछ व्यवस्था करेगी जिससे उन लोगों के हितों की देखभाल की जा सके ? (3) क्या सरकार पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र के शरणार्थियों की समस्याओं पर सहानुभूति विचार करेगी और उन्हें हल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री जुल्फिकार अली खां : (रामपुर) वे किस फर्म के हैं ? हिन्दू, मुसलमान अथवा देसाई ?

डा० कर्ण सिंह : वे हिन्दू है जिनमें से 90 प्रतिशत हरिजन हैं।

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य यह जानते हैं कि मैं जम्मू और कश्मीर विधान सभा और मुख्य मन्त्री की ओर से यह नहीं कह सकता कि उन्हें किस प्रकार का संशोधन चालू सत्र में लाना चाहिए। परन्तु एक बात मैं जानता हूं कि उन लोगों को पूर्ण नागरिकता भारतीय और राज्य के संविधान के अन्तर्गत ही दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में हम निश्चित ही जम्मू और कश्मीर के मुख्य मन्त्री से बात करेंगे क्योंकि उनके सहयोग के बिना हम इस सम्बन्ध में कुछ कर नहीं पायेंगे। इस पर अभी विचार करना है।

दूसरी बात नागरिकता के अधिकारों से सम्बन्धित है। इसमें राहत अथवा पुनर्वास का प्रश्न नहीं है। उन्होंने जो दावे पेश किए थे उनमें से हम 1,000 से कुछ अधिक को निपटा चुके हैं। 27.05 लाख रुपयों का निपटान हो चुका है। यदि कुछ मामले रह भी गए हों तो मैं उसकी जांच करूंगा। पाक अनाधिकृत क्षेत्र की स्थिति के बारे में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं।

भारत द्वारा उच्च शक्तियों के रेल इंजनों के आयात के बारे में विश्व बैंक के दल द्वारा चर्चा के सम्बन्ध में वक्तव्य

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : जनवरी/फरवरी, 1981 में विश्व बैंक का एक दल भारत आया था। इस दल ने रेलवे बोर्ड और अन्य रेल स्थापनाओं के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। विचार विमर्श के दौरान रेल परिचालन के बेहतर प्रबन्ध के लिए संगणक पर आधारित प्रबन्ध सूचना प्रणाली की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया गया। लेकिन, इस दल ने संगणक प्रबन्ध प्रणाली की स्थापना के लिए विश्व बैंक की सहायता के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्त नहीं रखी। वस्तुतः यह मामला विद्युतीकरण, बिजली रेल इंजनों का आयात, डीजल रेल इंजन के पुर्जों के कारखानों का निर्माण आदि जैसे मामलों से बिलकुल अलग है।

2. विद्युतीकरण की गति में तेजी लाने के संदर्भ में, विश्व बैंक मिशन ने ऊपरी उपस्करों (सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर आदि) की प्रौद्योगिकी में सुधार लाने तथा बिजली रेल इंजनों की प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए भारतीय रेलों की सहायता देने की इच्छा व्यक्त की। इस मिशन ने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुभव प्राप्त करने के लिए 3 या 4 प्रणालियों वाले लगभग 15 रेल इंजनों का आयात करने का प्रस्ताव किया है। इसका आशय यह है कि इसके बाद निर्माताओं के सहयोग या उनकी यथा-अपेक्षित सहायता से स्वदेश में ही इनका निर्माण करने के लिए सबसे अच्छे किस्म के इंजन का चयन किया जाये ताकि यथा-संभव कम से कम समय में नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनायी जा सके।

3. फिलहाल, उच्च शक्ति वाले डीजल रेल इंजनों का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अतः पिछले विचारों के विपरीत जाने का प्रश्न नहीं उठता।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा 2.05 म० प० के लिए स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प०
तक के लिए स्थगित हुई

इसके पश्चात लोकसभा मध्याह्न पश्चात के पश्चात दो बजकर
दस मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुई)

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पीलीभीत और शाहजहांपुर के बीच पर्याप्त रेल सेवायें उपलब्ध करने के उपाय

श्री जितेन्द्र प्रसाद (शाहजांहपुर) : पीलीभीत तथा शाहजांहपुर के बीच यात्रीगाड़ी के दिन प्रतिदिन खराब सेवा होते जाने से लोगों में दोष व्याप्त है इसके कारण हजारों यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । इन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली तीन यात्री गाड़ियों में से दो यात्री गाडियां पिछले कुछ महीनों से रद्द कर दी गई हैं । कोई समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को कठिनाइयां तथा असुविधाएं हो रही है । इन स्टेशनों पर टेलीफोन सुविधाओं तथा रोशनी का अभाव, डिब्बों की खराब हालत, असंतोष-जनक सफाई व्यवस्था, गाड़ियों में रोशनी का अभाव तथा गाड़ियों में बढ़ते अपराधों से स्थिति और खराब हो रही है । मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस ज्वलंत समस्या पर विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि गाड़ियां समय पर तथा उचित ढंग से चलें । और इन स्टेशनों पर टेलीफोन तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं तथा इस रेल लाईन को बड़ी रेल लाइन में बदला जाए, तथा वाष्प इंजनों के स्थान पर डीजल इंजन शुरू किए जाएं ।

(दो) क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तूर) : जब भी मैं उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद गया तब मैंने वहां एक ऐसी विस्तृत खाली जमीन देखी जहां कोई वनस्पति नहीं थी । पूछताछ करने पर मुझे मालूम हुआ कि इस 75,000 हेक्टेर भूमि के क्षारीय होने के कारण इस पर फसल नहीं उगाई जाती ।

जब मैं हरियाणा में क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने के संबंध में अनुसंधान के बारे में जानकारी हासिल करने करनाल गया तब मुझे मालूम हुआ कि उन्होंने आसानी से क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है । मैंने देखा है कि हरिजन भी कृषि योग्य बनाई गई भूमि में धान की फसल उगा रहे हैं और वे प्रति हेक्टेर 30 बोरी धान पैदा कर रहें हैं । अनुसंधानकताओं ने मुझसे कहा है कि दो वर्षों में यह बढ़कर 50 बोरी प्रति हेक्टेयर हो जाएगा ।

मैं महसूस करता हूं कि यदि सरकार रूचि लेकर इस क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बना दे तो लगभग 40,000 गरीब व्यक्तियों को भूमि मिल सकती है और हमें प्रति वर्ष 2,00,000 टन धान मिल सकता है। इसलिए मैं सरकार अनुरोध करता हूं कि वह इस स्कीम को तुरन्त शुरू करे।

(तीन) गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के उपाय

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : हाल में किए गए अनुसंधान से पता चला है कि गंगा नदी विश्व में सबसे प्रदूषित नदी है। भारत में गंगा को सबसे पवित्र नदी समझा जाता है और हरिद्वार इलाहाबाद तथा वाराणसी समेत अनेक स्थानों पर पवित्र अवसरों पर लोग स्नान के लिए आते हैं। नदी में बड़े पैमाने पर प्रदूषण से इसके किनारों पर रहने वाले लोगों समेत करोड़ों व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

अनुसंधानकर्ताओं ने यह भी पता लगाया है कि प्रदूषण की मात्रा वहां ज्यादा है जहां यह वाराणसी से होकर गुजरती है। केन्द्रीय सहायता से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक स्कीम शुरू की गई थी कि वाराणसी शहर के गंदे पानी को नदी में न गिराकर उसे सिंचाई में उपयोग किया जाए। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि करोड़ों रुपये पर पानी फिर गया क्योंकि गंदा पानी अब भी नदी में गिर रहा है।

वाराणसी में तथा इसके आसपास गंगा के किनारों पर रहने वाले लोग अपने स्वास्थ्य पर बुरा असर महसूस करने लगे हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह देश तथा लोगों के हित में पवित्र गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे।

(चार) तमिलनाडू में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए कार्यवाही

श्री के० मायातेवर (डिंडिगल) : तमिलनाडु में स्थानीय निकायों के चुनाव पिछले 11 वर्षों से चुनाव नहीं कराए गए हैं। मद्रास नगर निगम तथा विभिन्न नगरपालिकाओं के चुनाव भी पिछले 11 वर्षों से स्थगित किए जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों के संबंध में जनतंत्र तथा जनतन्त्रात्मक अधिकार तमिलनाडु में खतरे में पड़ गए हैं। जनता के हितों के लिए अधिकारियों, के समक्ष संघर्ष करने वाला कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। उक्त चुनाव अनेक बार स्थगित किए गए हैं। शहरी तथा ग्रामीण जनता को उनकी न्यूनतम आवश्यकता भी पूरी नहीं की जा रही है और राशन, पेयजल, सड़क सुविधाएं, सड़कों पर रोशनी तथा अन्य सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। पंचायत, पंचायत परिषदें, नगरपालिका परिषद तथा निगमों के परिषद पिछले 11 वर्षों से निर्धारित हैं।

अतः तमिलनाडु की जनता की ओर से मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह तामलनाडु में शहरी तथा ग्रामीण जनता के हित में तथा तमिलनाडु कीजनता के जनतन्त्रात्मक अधिकार की सुनिश्चिय करने के लिए ग्रामपंचायतों से लेकर मद्रास नगर निगम तक सभी स्वायत्त संस्थाओं का चुनाव कराने का निदेश तमिलनाडू सरकार को दे।

(पांच) तम्बाकू उत्पादकों को लाभकारी मूल्य देने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंहचकरा) : पश्चिमी बंगाल के कूच-बिहार जिले के किसानों की हालत तम्बाकू के मूल्य में भारी गिरावट के कारण दयनीय है। इस जिले में तम्बाकू की खेती में लगभग दो लाख लोग लगे हुए हैं। यहां तम्बाकू का लाभकारी मूल्य 500 रुपये प्रति मन (1,250 रुपये प्रति क्विन्टल) होना चाहिए, जबकि किसान 50 रुपये से 60 रुपये प्रति मन के मूल्य पर बेचने को बाध्य हो रहे हैं। पहले, कच्चे तम्बाकू पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क लगता था 100 रुपये मन का दर से लगाया जाता था (अर्थात् 250 रुपये प्रति क्विन्टल)। केन्द्रीय सरकार को कच्चे तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क से 5 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व प्राप्त होता था। उत्पाद जनता सरकार के जमाने में समाप्त किया गया था। परन्तु, परन्तु आश्चर्य है कि इससे उत्पादक शुल्क किसानों कोई फायदा नहीं हुआ। विचोलियों ने सारा लाभ हथिया लिया। प्राथमिक बाजारों में कच्चे तम्बाकू का मूल्य उत्पादक शुल्क समाप्त किए जाने के बावजूद काफी गिर गया।

किसान काफी उद्वेलित हो रहे हैं। किसान सभा के आहवान पर 16 मार्च को सड़क पर मार्ग रोका गया था।

मैं कृषि तथा वाणिज्य मन्त्री का ध्यान अविलम्ब इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वे प्रभावी कदम उठाएं ताकि कूच-बिहार तथा अन्य स्थानों पर तम्बाकू उत्पादकों को उनके उत्पाद की सरकारी ऐजेंसियों द्वारा खरीद करके उचित मूल्य की गारन्टी दी जाए।

(छः) हाल के चीनी मानचित्रों में भारत की सीमा को तोड़ मरोड़ कर दिखाए जाने का समाचार

श्री बापूसाहिब परूलकर (रत्नागिरि) : के नवीनतम मानचित्रों मेंदेश के सभी सेक्टरों की सीमाओं को न सिर्फ गलत दर्शाया गया है बल्कि "सिक्किम' को एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, "ब्रिह्च 1980" प्रकाशन में "सक्किम" को चीन की दक्षिणी सीमा पर एक स्वतन्त्र राज्य के रूप में दिखाया गया है और "एन आउटलाइन आफ चाइनीज ज्योग्राफी तथा "चाइना-ए जनरल सर्वे" नामक प्रकाशनों में सिक्किम को स्वतन्त्र राज्य के रूप में दिखाया गया है।

इन सभी प्रकाशनों में 'स्वतन्त्र' सिक्किम के पुराने झंडे तथा तिब्बती प्राचीना चक्र को राजकीय प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। 1980 के प्रकाशन में सिक्किम का क्षेत्रफल 7,100 वर्ग में कि० मिटर बताया गया है जबकि भारतीय भूगोल के पाठ्य-पुस्तकों के अनुसार इसका क्षेत्र-फल 7,300 वर्ग कि० मि० है।

समाचार है कि सिक्किम के वित्तमन्त्री ने विधान सभा में कहा है कि भारत का संविधान सिक्किम पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक भतपूर्व चोग्याल शासन के पुराने नियमों को एक सक्षम विधानमंडल द्वारा बदल नहीं दिया जाता।

में सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या सरकार सिक्किम के वित्त मन्त्री के वक्तव्य तथा चीन के मानचित्रों में भारत की सीमा को तोड़-मरोड़ कर दिखाने को स्वीकार करती है।

(साथ) हरियाणा और राजस्थान से पानी छोड़े जाने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा एक नये नाले के खोदे जाने का समाचार तथा उस पर किसानों की प्रतिक्रिया

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं—

दिल्ली प्रशासन द्वारा हरियाणा एवं राजस्थान की नदियों एवं नालों में पानी को मोड़ कर दिल्ली के देहाती क्षेत्र से निकाल कर यमुना नदी में डालने की योजना है। इसलिए आठ सौ फीट चौड़ा और छत्तीस किलोमीटर लम्बा नाला खोदा जा जाएगा जिसके लिए साढ़े सत्रह सौ एकड़ जमीन उपजाऊ है। इस नाला खुदाई योजना को लेकर किसानों में काफी रोष है संभव है जमीन अधिग्रहण के समय अप्रिय घटना भी घट जाय। इस संबंध में किसानों के प्रतिनिधि ने उपराज्यपाल, दिल्ली एवं प्रधान मंत्री से भी पिछले माह मिल कर अपनी समस्या को रखा था।

किसानो की मांग है कि वर्तमान नाले को ही यदि आश्यकता हो तो चौड़ा किया जाय और नया नाला निकालने की अव्यवहारिक एवं किसान विरोधी योजना को रद्द किया जाय। इस संबंध में किसान 25 मार्च 81 से बोट क्लब अर भूख हड़ताल पर भी जा रहें है :

सरकार इस संबंध में कार्रवाही कर मदन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

———

अनुदानों की मांगें 1981-82
वाणिज्य मंत्रालय

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कांटा) : उपाध्यक्ष महोदय, वाणिज्य मंत्रालय पर कल बहस चल रही है। मुझ से पूर्व वक्ताओं ने ट्रेड डेफिसिट के बारे में चिन्ता व्यक्त की है उन साथ अपने आप को छोड़ते हुए मैं अपने विचार यहां पर रखना चाहूंगा। यदि यह कहा जाए कि वाणिज्य मंत्रालय उसके काम करने का ढंग और उसकी उपलब्धियां हमारे देश के आर्थिक-तंत्र की मेरूदण्ड हैं तो यह अतिशयोक्ति होगी। यह इस विभाग की ही परफार्मैन्स है जिससे आर्थिक क्षेत्र में दूनिया में बाजारोंमें हमारे देश की साँख ननती या विगड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय; 1975-76 में, जिसको कि इमरजैंसी का गोलडन पीरियण कहा जाता है, व्यापार में 1222 करोड़ का घाटा हुआ था। गत वर्ष 1976-80 में यह व्यापारिक घाटा 2328.2 करोड़ हुआ और इस साल 1980-81 में व्यापार का घाटा 4200 करोड़ तक पहुंचने की सम्भावना है। इस प्रकार से लगातार व्यापार में ट्रेड डेफिसिट होता चला जाए तो उसका

प्रभाव कुल मिलाकर हमारे फारेन एक्सचेंज रिजर्व पर पड़ता है और उसका प्रभाव अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे हमारे रुपये का जो मूल्य है उसके ऊपर पड़ता चला जा रहा है। जो हमारे फारेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वह 1076-77 में 2863 करोड़ थे, 1977-78 में बढ़कर 4499 करोड़ हो गए, 1978-79 में 5219 0 करोड़ हो गए लेकिन 167-980 से उसमें घटाव शुरू हुआ। 1979-80 में वह घट कर 5'6..7 करोड़ रह गए और 1980-81 में जो कि अभी तक जनवरी तक के आंकड़े दिए गए हैं उसके हिसाब से 4850 .5 करोड़ फारेन एक्सचेंज था। मैं कहना चाहूंगा कि इसके इन्टरनेशनल मोनेटरी (IMF) फंड से 800 करोड़ हुआ भी जोड़ दें और उसके अलावा फरवरी-मार्च, दो महीनों में जो फारेन चक्सचेंज में और गिरावट आ सकती है और आयेगी उसको जोड़ दें तो हमारा फरेन-एक्सचेंज 4 हजार करोड़ रु० से भी कम रह जाएगा। यह चिन्ता का विषय है, मैं इस पर कोई आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो वस्तुस्थिति है वह यह है कि हमारा फारेन-ट्रेड डैफसिट बढ़ता चला जा रहा है और हमारे रुपए की कीमत गिरती जा रही है। इन सब बातों के पीछे जो तर्क दिया जाता है और हमेशा दिया जाता रहा है, जैसाकि वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट में है, कि आज अन्तराष्ट्रीय बाजार मे मन्दी है, रिसेंसन है, अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अन्दर विकासित देशों ने प्रोटेक्शीस्ट टेंडेंसी एडाप्ट कर रखी है चाहे वह कन्ट्रोल के द्वारा हो चाहे वह काउन्टरवेलिंग ड्यूटी लगाकर जो कुछ हमारे लोगो को फायदा देते है, उसकी मीट करने के लिए काउंटर वेजिंग ड्यूटी द्वारा हैं। लेकिन फिर भी बार-बार यह कहा जाता है कि इन कारणों से हमारा ट्रड डैसिट बढ़ रहा है।

इसलिए मे वाणिज्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह बात जो बार-बार कही जाती है, क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य के अन्दर आप इन बातों से छुटकारा हो सकेंगे ? क्या आपको लगता है कि विकासित देश, जो इस मैंटेलिटी से ग्रासित हैं, अपनी हटवादिता को छोड़ेंगे वे नहीं चाहते कि हमारे इंडियन गुड्स उनको मार्केट में जगह पा सके, क्या इस वृति को कभ तोड़ पायेंगे। यह ठीक हैं कि हमारे पास आज गेट अंटाड जैसी संस्थायें हैं। वहां पर कई मैटर रेफर भी हुए हैं, वे कई बातों परग्री भी हुए हैं, जैसे कि मैं आप के माध्यम से वाणिज्य मत्री जी से पुछना चाहता हूं सास करव यू० एस० ए० में वहां के व्यापारियों ने हिन्दुस्तान के अन्दर जो सौदे किए है, उस समय की यू० एस० की डूटी के आधार पर वे गुड्स उनके मार्किट में न जा पावें खासकर के गारमेंट्स वटेक्सटाइल्ज उनकी मार्केट में जाने से रोकने के लिए जो उन्होंने काउन्टरवेलिंग ड्यूटी लगाई और जो माल यू० एस० ए० मे नही पाया, क्या इन संस्थाओं के अन्दर उन प्रश्नों के देखने के बाद आपको किसी प्रकार का इजाफा मिला है ? क्या हम जो यू० एस० ए० ने काउन्टरवेलिंग ड्यूटी लगाइ, उसको खत्म करा्ने के अन्दर हमारे इंडियन माल के साथ कान्ट्रेक्ट हुआ, उसको वापिस यू० एस० ए० में भेजने में सफल हुए जहा तक मेरी जानकारी है, हम सफल नही हुए है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह तर्क तो बार-बार दिए जाते है कि इन कारणों की वजह से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा पा रहें है तो एक्सपोर्ट में यह डैफसिट बना रहने वाला है।

उपाध्यक्ष जी, मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि हमारा जो फारोन-ट्रेड है, हमारा जो विदेशी व्यापार है, वह जैसी हमारी विदेशी नीति होगी, उसका ही अनुसरण करेगा। विदेशी नीति हमारी क्या है? जैसी हमारी विदेश नीति होगी, वैसा ही हमारा विदेशी व्यापार चलेगा। इस विश्व के है, चाहे मित्रता का ढोंग करते हों, लेकिन मित्र नहीं हैं, उसी आधार पर हमारे विदेशी व्यापार चलेगा इस विश्व के अन्दर हमारे कौन ऐसे मित्र हैं और कौन ऐसे व्यक्ति हैं, जो बिल्कुल हम से दूर रहना चाहते हैं, चाहे मित्रता का ढोंग करते हों, लेकिन मित्र नहीं हैं, उसी आधार हमारे विदेशी व्यापार संचालन होना चाहिए। यहां पर आंकड़े दिए गए। कई कन्ट्रीज का 1970-71 के अन्दर अमुक कन्ट्री का हमारी कन्ट्री के अन्दर इम्पोर्ट में कितना शेयर था और वह जाकर के 1978-79, 1979-80 या 1980-81 में कितना हुआ—इसी प्रकार से एक्सपोर्ट के आंकड़े दिए गए। यदि उन आंकड़ों को देखा जाए, तो उन आंकड़ों को देखने के बाद, जहां तक मैं समझता हूं कोई एमर्जेंजिग पिक्चर वाणिज्य मंत्रालय नहीं दे पाया है। यह ठीक है कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट 10 प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन जहां पर इम्बैलेंस हैं, घाटे का सवाल है, उन ओर आप को ध्यान देना चाहिए। हिन्दुस्तान हरेक कन्ट्री के साथ व्यापारिक घाटे के अन्दर है। दुसरी कन्ट्रीज ने हमारे देश के अन्दर ज्यादा आयात हुआ हुआ है और उसके मुकाबले में हम निर्यात कम कर पाए हैं। इसलिए मैं अपने वाणिज्य मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि हमें थोड़ा व्यवहारि बनना पड़ेगा। जिन केन्ट्रीज के साथ हमारी मित्रता है जिनके आधार पर हम अपनी विदेश नीति को ले कर। रही है, उनके साथ हमें बैलेंस- आफ-ट्रेड को बनाने का प्रयास रकना चाहिए। आज हम जिनका आयात करते हैं, उतना निर्यात नहीं हो पाता हैं। स्थिति इस लिए भी खतरनाक है कि हम तेल का आयाय करते हैं और तेल के दाम प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में जिस अनुपात में पैट्रील और पैट्रोलियम प्राडक्स के दाम बढ़ते जा रहे हैं उसी अनुपात में हमारे देश द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के दाम नही बढ़ रहे हैं, परिणाम यह हो रहा है कि घाटे की स्थिति भंयकर होती जा रही है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमें अपने एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिये और इम्पार्ट को जितनी भी मिनिमाइज कर सकते हैं उसको घटना चाहिये। हमारी टैकलाजी ल लिए, साइंटिफिक डवेलमेंट के लिए तथा एक्सपोर्ट को बढ़ाने के का बयाने के लिए जिन चीजों की जरूरत हों, केवल उन्ही को मंगना चाहिये, दूसरी वस्तु के लिए इम्पार्ट को एन्करेज करने की आवश्यकता नही है।

इसी आधार पर मैं एडिबिल-आयल्ज के बारे में भी इस समय कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पिछली बार भी इस संबंध में कहा था कि हमारे देश में एडबिल-आयल्ज का आना कुछ अनिवार्य सा लग रहा है, क्योंकि इस समय देश में जितनी मांग है उतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमने सब्स्टीचूट एडिब आयल के उत्पादन को एन्करेज करने के लिये क्या किया है? आज मलेशिया में जो कलाइमेट है, जिस प्रकार की भूमि वहां पर है, उसी के आधार पर दक्षिण भारत में और विशेष कर अण्डेमान-निकोबार आइलैंण्ड्स में हम पाम के प्लान्टेशन को क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? पाम के प्लान्टेशन को एन्करेज करने के लिये क्या हमने कोई फेज्ड प्रोग्राम बनाया है या पंचवर्षीय योजना में उसको कोई महत्वपूर्ण स्थान दिया है? इस ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से एडिबिल वाइल्ज के सीड्स की

समस्या है हम ने इस के लिये जो सपोर्ट प्राइस निर्धारित करता है, वह बहुत कम है चाहे सरसों मूंगफली हो, मार्केट में सपोर्ट प्राइस पर बिकने के लिये कभी भी सीड्स नहीं आए। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इनके इम्पोर्ट को कम करने के लिए जरूरी है कि हम सीड्स के उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दें ताकि इ का उत्पादन देश में बढ़ सके।

आज हमारे जो ट्रैडीशनल आइटम्ज हैं— उनका प्लान्टेशन भी आपके पास है। आप सबसे पहले चाय पी लीजिए—मैं मानीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके लिये आपने क्या किया है ? आज चाय के एक्सपोर्ट में जो यूनिट वैल्यू आनी चाहिए वह कम होती चली जा रही है। क्या हमने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चाय के जो दूसरे उत्पादक हैं, खास कर लंका जो हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ बैठकर कोई समझोता किया है ? मेरी मान्यता यह है कि ट्रेडीशनल आइटम्ज में, जिनका कि हम आज तक एक्सपोर्ट करते आए हैं, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार म दूसरे उत्पादक देशों के साथ यदि हम सयुक्त रूप से व्यापार करें तो इसमें ज्यादा लाभ हो सकता है। सीलोन, कीनिया को अपने साथ ले सकते हैं। आज ओपेक कन्ट्रीज अगर अपने तेल को बेचने के लिए इकट्ठे हो सकते है और इकट्ठी ताकत के आधार पर जो मूल्य वे मांगते हैं, वह देनी पड़ती, तो क्या हम अपनी ट्रैडीशनल आइटम्ज के लिए बंगला देश, चाय के लिये सीलोन और कीनिया के साथ ज्वाइन्ट व्यापार नहीं कर सकते हैं। अगर हम जूट के व्यापार में बंगला देश को अपने साथ नहीं ले सकने तो हमें इस बात को माना पड़ेगा कि हमारी विदेश नीति जो होनी चाहिए, उस में हम सफल नहीं हो पाये है। चाय के व्यापार में यदि हम सीलोन को अपने साथ नहीं ला सकते, ज्वाइन्ट मार्केटिंग के लिये उस देश को तैयार नहीं कर सकते तो मैं यह महसूस करता हूं कि हम अपनी विदेश नीति में सफल नहीं हुए हैं। मैं चाय के बारे में आपसे एक जानकारी चाहता हूं—वर्ष 1979 के अन्दर हमारे देश में चाय का उत्पादन 546 मिलियन किलोग्राम हुआ था। आक्शन सेंटर पर 333 मिलियन किलोग्राम चाय आई, तो बाकी जो चाय थी उसका क्या हुआ। इसी प्रकार के 1980 के अन्दर कुल चाय का उत्पादन 573 मिलियन किलोग्राम हुआ और इसके मुकाबले में 306.7 मिलियन कि० ग्राम चाय ऑक्शन सेंटर पर आई, तो बाकी चाय कहां चली गई। क्या इसके बारे में वाणिज्यिक मन्त्रालय ने कभी गंभीरता से सोचा। मेरी ऐसी मान्यता है और मेरा चार्ज है मन्त्रालय ने कभी गम्भीरता से सोचा। मेरी ऐसी मान्यता है और मेरा चार्ज है कि यह जो बाकी चाय थी, यह डाइरेक्टर टी गार्डेन्स से बेची गई और दुर्भाग्य स वह हिन्दुस्तान के बाजारों में न आकर स्मगिल होकर पाकिस्तान गई। क्या इसके बारे में कोई जानकारी आपने की कि हम इतनी सुविधाएं इन टी गार्डनों को देते हैं लेकिन चाय का जितना उत्पादन होता है, उसका कुछ हिस्सा ही ऑक्शन सेन्टर पर बिकता है और बाकी स्मगिल होकर कैसे पाकिस्तान में चला गया ? इसकी कोई जानकारी आपने प्राप्त की।

इस के बाद मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वाणिज्यिक मन्त्रालय ने एस० टी० सी० की अपनी रिपोर्ट के अन्दर उनकी परफामेन्स की बड़ी प्रशंसा की है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : देर से वह रिपोर्ट मिली है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जी, हां, वे देर से आई हैं। उसको कल ही मैंने थोड़ा पढ़ा है।

उसमें कहा गया है कि STC व MMTC की टर्नओवर बड़ी एनर्जिंग है। माननीय वाणिज्य मन्त्री कम से कम उससे संतुष्ट नहीं हैं, ऐसा मैं समझता हूं। वह एक सोल मोनोपली एजेन्सी है सारी चीजों की ओर गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन उसको मिला हुआ है। चाहे वह एस० टी० सी०, हो इनका अगर आप इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का अनुपात देखें, तो वह कितना है? 90 परसेंट इम्पोर्ट है और 10 परसेन्ट एक्सपोर्ट है, जो इन गवर्नमेंट एजेंसियों के द्वारा होता है। तो फिर हम उनके बारे में यह कैसे कह सकते हैं कि कुछ करके उन्होंने दिखाया है उन की सील मोनोपली है और वे इम्पोर्ट कर रही हैं। जो इम्पोर्ट आपने बन किया है, उसको भी वे इम्पोर्ट कर रहे हैं। बाकी उन्होंने अपने लेविल पर, जो टोटल टर्न ओवर है, उसमें कितना एक्सपोर्ट किया है, जिसकी कि आज हमें जरूरत है यह ठीक है कि आज हमें कुछ आवश्यक चीजों को इम्पोर्ट करने की जरूरत है लेकिन हम अपनी फोरेन एक्सचेन्ज बढ़ाना चाहते हैं और हमारे पास जो फोरेन एक्सचेन्ज है, उसको अगर बचाना चाहते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारी जो ये स्टेट एजेंसियां हैं, ये अगर ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, तो मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए बड़े दुःख की बात होगी। इसलिए मैं एक बार खास कर एम० एम० टी० सी० के बारे में कहना चाहूंगा और वह यह है कि आज माइका की जो हालत हुई है, माइका का एक्सपोर्ट जो मिटको के द्वारा हो रहा है, क्या वही हालत इसकी नहीं होगी। एक समय का उसका एक्सपोर्ट देखिए और आज का एक्सपोर्ट देखिए। उसमें जिस प्रकार शर्तें लगाई जाती हैं कि सौदे प्राइवेट पार्टियां करें और उसका शेयर मिटको को दें, उस तरह से एक्सपोर्ट के मामले में आप कन्ट्री को आगे कैसे ले जा सकते हैं और हमारा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकता है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट है, वह गवर्नमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिक होना चाहिए और उनको एन्करेज किया जाना चाहिए। इम्पोर्ट में उनकी मोनोपली है। यही आपका नेफेड का हाल है, उस को मैंने देखा है, वह मेरे पास थी। यह ठीक है कि मूंगफली का निर्यात करने के लिए उसको परमिशन दी गई है। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं इस बात को मानकर चलता हूं कि एक्सपोर्ट बिल सरप्लस के अलावा हमको एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि जो मार्केट हमारे हाथ में हैं, वे हमारे हाथों से जाएंगे, मैं यह मानकर चलता हूं कि और आज कई जगहों पर हमारे मार्केट हैं लेकिन मूंगफली के तेल की कीमत आज क्या है और किस कीमत पर लगभग 0 हजार टन मूंगफली निर्यात करने की आप ने इजाजत दी है यह मूंगफली नेफेड अगर डाईरेक्ट एग्रीकल्चरिस्ट्स से परचेज करता, गरीब किसानों से परचेज करके किसानों को पैसा देता, तो मुझे आपत्ति न होती लेकिन नेफेड मूंगफली की खरीद व्यापारियों से करता है लाबीज से करता है, कुछ लाबीज गुजरात के अन्दर बनी हुई है और प्रेसर डालकर इस धंधे को करती आ रही है और वे कहती हैं कि एक्सपोर्ट हम को दिया जाए। मैं यह निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि एग्रीकल्चरल कोमोडिटीज को एक्सपोर्ट करने की बहुत गुंजाइश है लेकिन क्या वाणिज्य मन्त्रालय ने और इसके विभागों ने आर्टीकिल्ज को आइडेंटीफाई किया है कि कौन-कौन सी वस्तुएं एग्रीकल्चरल क्षेत्र के अन्दर ऐसी हैं, जिनको हमें निर्यात करना चाहिए और क्या उनके लिए हमने मार्केट देखे हैं? क्या हमने यह भी देखा है कि उनका टोटल प्रोडक्शन हमारे देश में कितना है और हमारे देश की रिक्वायरमेंट्स

कितनी हैं और अगर इस समय हमारे पास एक्सपोर्ट करने की गुंजाइश नहीं है, तो क्या उन कोमोडिटीज के प्रडोक्शन को हमें एन्करेज नहीं करना चाहिए। हमारे देश में सरप्लस प्रोडक्शन हो, इसका क्या आपने प्रयास किया है और अगर प्रयास नहीं किया है तो यह आप की थोथी नीति है, थोथी घोषणा है कि एग्रीकल्चरल कोमोडिटीज को हम एक्सपोर्ट करेंगे और उनके लिए हमें मार्केट देखना है।

अन्त में मैं एम० टी० सी० के सम्बन्ध में रबड़ के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जैसी मेरी सूचना है कि प्रोडक्शन के मकाबले में डिमाण्ड बहुत अधिक होने से एल० टी० सी० ने रबड का इम्पोर्ट किया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो दस हजार टन रबड़ इम्पोर्ट किया गया था उसमें से केवल 4 हजार 2 सौ टन ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया और 6 हजार टन यूं ही पड़ा रहा ? यह रबड़ प्रोडयूसर आँख मिचौनी करते हैं इन पर भी आपको निगाह रखनी पड़ेगी। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि रबड़ प्रोड्यूटर करने वाले अधिकतर मोनोपलिस्ट्स है, छोटे काश्तकार बहुत कम हैं। वे डिमाण्ड की बीट करने के लिए दूसरे लोगों को रबड़ प्रोडयूट करने की इजाजत नहीं देते। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एस० टी० सी० ने जो इन्टरनेशनल मार्केट से रबड़ इम्पोर्ट किया है उसको आप डिमाण्ड को मीट करने के लिए प्रयोग में लाएं।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि इन्टरनेशनल मार्केट के सरकमस्टांसिज आपके सामने मौजूद हैं। वाणिज्य मंत्री होने के नाते हिन्दुस्तान की साख आप के हाथों में है। आपको डायनेमिक होना पड़ेगा और इन्टरनेशनल मार्केट में अपने माल के लिए आपको नयी-नयी मार्केट्स को ढूढ़ना पड़ेगा। हमारे जो मित्र देश हैं उनको भी आपको बाध्य करना पड़ेगा कि फोरन ट्रेड में उनके साथ हमारा बेलेंस रहे, डेफिसिट न रहे। अन्य मार्केटों में भी हमें अपना एक्सपोर्ट करने के प्रयास करने चाहिएं। अब ये प्रयास आप कितने कर पायेंगे, कितने नहीं कर पायेंगे, यह तो समय ही बतायेगा।

इतना ही कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को किस नजरिये से देखता है। यदि कोई गिलास दूध का भरा हुआ है और कोई व्यक्ति यह कह देता है कि गिलास दूध से भरा हुआ है तब तो यह रचनात्मक नजरिया है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति आकर यह कह दे कि गिलास में एक चौथाई दूध कम है तब यह निषेधात्मक नजरिया है प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों के भाषण सुनकर मुझे मालूम हुआ है कि उनका इस समस्या के प्रति नजरिया निषेधात्मक है। वे सभी अंधकार में है जबकि हम रोशनी देख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ा होगा। मैं इस बात की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता कि यह एक व्यावहारिक और परिणामवादी प्रतिवेदन है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसके बारे में मैं उस प्रतिवेदन से निम्नलिखित कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं ;

"भारत के विदेश व्यापार पर गत छः वर्षों से असंतुलन में बढ़ोतरी होने के कारण भारी दबाव पड़ रहा है। यद्यपि सूखा, बिजली की कमी और आधारभूत ढांचों, विश्वव्यापी मन्दी और विदेशों मे संरक्षात्मक प्रवृत्तियों की वृद्धि जैसी आन्तरिक और बाह्य मजबूरियों का निर्यात संवर्धन पर प्रभाव पड़ा है किन्तु ....."

ये आन्तरिक एवं बाह्य मजबूरियां हैं। अतः इस संदर्भ में हमें 1980-81 के दौरान विदेशी व्यापार की उपलब्धियों पर चर्चा करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्जीनियरी के सामान के निर्यात के बारे में हमने सराहनीय काम किया है। गत दो तीन वर्षों म इन्जीनियरी के सामान का निर्यात कम हुआ है किन्तु 1979-80 और 1980-81 में किए गए उपायों के कारण निर्यात कम होने की बजाए बढ़ना शुरू हो गया है तथा हम 1980-81 में 900 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छी उपलब्धी है।

इसी प्रकार हम विदेशों में परियोजना ठेकों पर दृष्टि डालते हैं। 1981 के आरम्भ मे भारत की कुछ पार्टियों को 3,965 करोड़ रुपये के परियोजना ठेके मिले जो 1980 की तुलना मे बहुत अधिक है। इसी प्रकार मूल रसायनपदार्थों, औषधियों, प्रसाधान सामग्री के सम्बन्ध में हमारी उपलब्धी प्रशंसनीय है इन क्षेत्रों में 450 करोड़ रुपये का लक्ष्य पूरा होने ही वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पटसन उत्पादक क्षेत्र का रहने वाला हू। इस नाते मैं न गत वर्ष माननीय मन्त्री को कहा था कि क्योंकि आप भी पटसन उत्पादक क्षेत्र के रहने वाले है इसलिए आप सीमाना और लघु कृषकों के हितों को ध्यान में रखे जिनका प्रायः बिचौलिये शोषण करते रहते हैं। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि भारतीय पटसन के क्षेत्र मे कच्ची पटसन की 10.50 लाख गांठे खरीदी हैं जो गत वर्ष की खरीद से 20 प्रतिशत अधिक है। यह खरीद गत पांच वर्षों की खरीद से सर्वाधिक है। इस खरीद में 80 प्रतिशत खरीद लघु तथा सीमान्त कृषकों से की गई है और वह भी उस समय जब त्यौहारों के दिन थे जब उन्हें धन की बहुत जरूरत होती है। इससे इस क्षेत्र के लघु और सीमाना कृषकों एवं पटसन उत्पादकों को राहत मिली है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस मन्त्रालय ने एक और भी अच्छा काम किया है। हम सरकार से निरन्तर यह मांग करते आ रहे हैं कि चीनी उद्योग, पटसन उद्योग आदि का राष्ट्रीयकरण किया जाए। यह जानकर मुझे खुशी हुई है कि मन्त्री महोदय ने इस दिशा में धीरे-धीरे प्रयास करना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय पटसन निर्माण निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। छह पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है (एक माननीय सदस्य : केवल रूग्ण पटसन मिलों का)। चाहे कुछ भी हो, मैं इस बारे मे बहुत प्रसन्न हूं। यह सही दिशा में एक कदम है।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी मिलें रूग्ण नहीं हो जानी चाहिएं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इसमें सन्देह नहीं होना चाहिए यदि वे रूग्ण हो जाती है तो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। अतः मुझे विश्वास है कि सरकार पटसन उद्योग का शोध

ही राष्ट्रीयकरण करेगी। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि यह उद्योग इस समय कुछ ही पटसन व्यापारियों के हाथ में है जो कृषकों का शोषण कर रहे हैं जो कृषकों का शोषण कर रहे हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि शोषण को समाप्त करने के लिए शुरूआत कर दी गई है।

इन मिलों के आधुनिकीकरण के लिए 5.63 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। ये मिलें रूग्ण हो गई थी क्योंकि मिल मालिकों ने इनका अत्यधिक शोषण किया था। अतः हमें 5.63 करोड़ रुपये खर्च करने ही पड़ेंगे। शेष मिलों को ग्रहण करने में अधिक समय नहीं लगाया जाना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने सरकारी अथवा सहकारी क्षेत्र में पटसन की पांच नई मिलें स्थापित करने के बारे में असम बिहार और मेघालय सरकार को आशय पत्र दिए हैं। यह ठीक ही किया है। उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र में एक पटसन मिल स्थापित की गई है और उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य में 3,4 और पटसन मिल स्थापित करने के लिए अनुरोध किया है। मैं मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह सरकारी क्षेत्र में कुछ और पटसन मिलें स्थापित करने में उड़ीसा सरकार की सहायता करें उड़ीसा पटसन उगाने वाला क्षेत्र है। उड़ीसा में किसानों का शोषण उड़ीसा और बंगाल के बिचोलियों द्वारा किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है आपका अभिप्राय प्रणव मुखर्जी से नहीं है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : जी, नहीं, मेरा यह अभिप्राय नहीं है। श्री मुखर्जी तो इन सब बातों से ऊपर हैं। वास्तव में वह इस शोषण को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमन् पटसन उद्योग के लिए कृत्तिक बल की सिफारिशें सरकार को प्राप्त हो चुकी हैं। इस कृत्तिक बल ने कुछ सिफारिशें की हैं जो इतनी अच्छी नहीं हैं। परन्तु कुछ अन्य सिफारिशें बहुत अच्छी हैं। मुझे आशा है कि इन अच्छी सिफारिशों को सरकार क्रियान्वित करेगी जिससे देश में पटसन उद्योग स्थिर और सुदृढ़ बन सकेगा।

भारतीय पटसन निगम की कार्यप्रणाली को सुधारने के मामले कुलकर्णी समिति ने कुछ बहुत अच्छी सिफारिशें की हैं। मुझे आशा है, सरकार इन सिफारिशों पर विचार करेगी और उन्हें शीघ्र क्रियान्वित करेगी।

महोदय, अब मैं कालीन के अस्तर और टाट के निर्यात के विषय पर आता हूं जिस पर कल कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये थे। कुछ सदस्यों ने कहा था कि इस बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। परन्तु मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि इस बारे में मंत्रालय ने विभिन्न कदम उठाए हैं। हम जानते हैं कि देशी बाजार में तथा अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में कुछ बाधाएं हैं। 1980-81 में 11,300 करोड़ रुपये का आयात किया गया। जिसमें से 80.3 प्रतिशत तेल पर, 84.6 प्रतिशत लोहा और इस्पात पर 8.7 प्रतिशत या लगभग 40 करोड़ रुपये उर्वरक पर खर्च किए गए। 47.9 प्रतिशत अलोह धातुओं का आयात हो रहा है। हम लगभग 400 करोड़ रुपये का वनस्पति तेल का आयात कर रहे हैं।

इस्पात के क्षेत्र में क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। टाटा बन्धुओं के कारखानों सहित छह इस्पात कारखानों में 1976-77 में कुल 74 लाख टन की तुलना मे लगभग 55 लाख टन का उत्पादन होने की सम्भावना है। 1976-77 की तरह हम 74 लाख टन तक की क्षमता का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज भारत की स्थापित क्षमता 1 करोड़ 14 लाख टन है। उत्पादन बढ़ा कर 80 लाख टन किया जा सकता है और इसके फलस्वरुप इसके आयात पर होने वाले खर्च, जो बहुत अधिक है, में कमी की जा सकती है। उर्वरक के बारे में भी यही स्थिति है। उन देशों जिनसे हम आयात कर रहे हैं, और यहां पर आयात-निर्यात व्यापार करने वाले देशों के बीच सम्पर्क है। जहां तक उर्वरक का संबंध है, इतनी अधिक पूंजी लगाये जाने के बावजूद सभी उर्वरक कारखानों की क्षमता 52 लाख टन है। परन्तु क्या आप जानते हैं कि हम उत्पादन कितना करते हैं। यह केवल 22 लाख टन है। क्या इसे बढ़ाकर 45 लाख टन करके हम आयात में कमी नहीं कर सकते।

वनस्पति तेल को ही लीजिये, हम 400 करोड़ रुपये से भी अधिक के वनस्पति तेल का आयात कर रहे हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। मुझे खुशी है कि सरकार देश में वनस्पति तेल के बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम तैयार करने का प्रयत्न कर रही है।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोहा और इस्पात, उर्वरकों, अलौह धातुओं और वनस्पति तेलों का उत्पादन बढ़े जिससे आयातों पर हमारी निर्भरता कम हो सके।

आयात सूची को देखने से क्या पता चलता है? इसमें शामिल की गई चीजों में औद्योगिक प्रयोजन के लिए नारियल का तेल भी है। इसका क्या अर्थ है? इस सूची में 54 चीजें हैं। इसमें चमकीली इस्पात की छड़ें, अल्यूमिनियम आदि शामिल हैं। इस सूची में कई दोष हैं। माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करें। जब हम भारत मे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं, तब हम अधिकाधिक आयातों पर क्यों निर्भर करें। आयात पर प्रतिवर्ष हमारा लगभग 11,300 करोड़ रुपये खर्च होता है। जबकि निर्यात हमें केवल 600 करोड़ रुपये का करते है। इस प्रकार हमे 400 करोड़ रुपये का घाटा है। अतः हमें इस पर गम्भीरता पूर्वक ध्यान देना चाहिए और लोहा और इस्पात, उर्वरक, अलौह धातुओं के बारे में उपयोग में न लाये जाने वाली क्षमता का उपयोग करने का पूरा प्रयास करना चाहिए।

मुझे खुशी है कि बम्बे हाई से अब 1.7 करोड़ टन अपरिष्कृत तेल का उत्पादन होने लगा है। 1983, 1984 तक इसमें और तेजी लाई जानी चाहिए। हमें तेल खोज कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करना है जिससे हमें तेल का उत्पादन करने वाले देशों से तेल के आयात पर ज्यादा निर्भर न करना पड़े।

जब भी देश में विकास की दर बढ़ाने की बात हम करते हैं, तब प्रश्न उठता है कि संसाधन कहां से आयें। यह एक बहुत ही दोषपूर्ण स्थिति है। संसाधनों के लिए हमें क्या करना

चाहिए ? क्या हम निर्यात ही करते चले जायें ? मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं अधिक निर्यात के भी विरुद्ध हूं। मैंने विश्व भर में ऐसा कोई देश नहीं देखा है जिसने इस तरह प्रगति की हो। सोवियत संघ बहुत ही खराब स्थिति से आगे बढ़ा। जब 1917 में उसका विकास आरम्भ हुआ। तब पश्चिम के सभी पूंजीवादी देशों ने उसका बहिष्कार किया था। आज वह विश्व में सबसे बड़े देशों में से एक है। क्या उसने अन्य देशों से कोई चीज मंगाई ? कोई भी राष्ट्र जो अपनी अर्थ-व्यवस्था में आत्म-निर्भर होना चाहता है और बड़ी शक्ति बनना चाहता है, उसे बलिदान करना होगा न कि चीजों का आयात करते रहना होगा। अब हम 11,000 करोड़ की वस्तुओं का आयात करते हैं। आप कह सकते हैं कि आयात का समर्थन करने के लिए हम 8,000 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात करेंगे। 8,000 करोड़ रुपये के माल से हमें क्या मिलेगा ? इस प्रकार निर्यात करते रहने की बुरी आदत से हम अपनी अर्थव्यवस्था निर्यातकर्ताओं के हाथों में पूर्णतया जकड़ के रख देंगे। इस मामले पर गम्भीर पूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

1971 में निर्यातकर्ताओं को 110 करोड़ रुपये की और 1978 में 625 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। यदि आप नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के हाल ही के प्रतिवेदन को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि सहायतार्थ दी गई इन राशियों का उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई मामले हैं परन्तु मैं उन सबका हवाला नहीं देना चाहता हूं। तथापि काले पाइपों के निर्यात का मामला है जिसमें निर्यात से 2.31 करोड़ रुपये की आय के लिए सरकार ने कच्चा माल मंगाने के लिए 1.7 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी और 71.78 लाख रुपये नकद सहायतार्थ दिए। मुझे बड़ी खुशी है कि वित्त मंत्री ने इन सब चीजों तथा निर्यातकों द्वारा इन चीजों का उचित उपयोग न किए जाने के मामलों को ध्यान में रख लिया है और कहा है कि वे निर्यातकर्ताओं को दी जाने वाली सहायता के समूचे प्रश्न का पुनर्विलोकन करेंगे।

जब भी हम विकास की अधिक दर की बात करते हैं, तब संसाधनों का प्रश्न उठ जाता है। इस संबंध में मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि 1948 और 1969 के बीच संयुक्त राज्य अमरीका में विकास दर के पांचवें भाग से भी कम पूंजी लगाई गई थी। यह आवश्यक नहीं है कि शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे देशों से अधिकाधिक ऋण लिया जाये। यदि हम बचतों के मामले को ही लें, तो यद्यपि भारत में बचत की 22 प्रतिशत दर उच्चतम स्तर पर थी, तथापि 1979-80 में हमारी विकास दर नहीं के बराबर थी। अतः पूंजी और विकास के बीच बहुत अधिक सबंध नहीं है। पूंजी निवेश से हमें क्या उपलब्धि हुई है ? यदि हम 20,000 करोड़ रुपये लगाते हैं और उस पर हमें लाभ नहीं होता है, तो हम उधार लेकर कब तक धनराशि लगाते जायेंगे ? हमें पूंजी की मात्रा की तुलना में उससे होने वाले लाभ की चिन्ता होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि वाणिज्य मन्त्रालय ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि पूंजी बड़ी सावधानीपूर्वक लगाई जानी चाहिए, उसकी उचित रूप से छानबीन होनी चाहिए अन्यथा पूंजीधिक्य की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

महोदय, मैं वाणिज्य मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और इसके साथ साथ मैं माननीय मन्त्री का ध्यान कुछ बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी निर्यात-सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग हो, हमें अधिकाधिक आयात पर निर्भर न करना पड़े और हमारे निर्यात व्यापार में विविधता हो। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कुछ अन्य देशों के साथ हमारा निर्यात क्यों घटा है? हमें इसमें विविधता लानी होगी। हम अपने व्यापार को सीमित नहीं रख सकते। यह अच्छा होगा यदि हम इसमें विविधता ल यें और भिन्न देशों को निर्यात करें। हमारे सम्बन्ध न केवल किसी एक या अन्य गुट के साथ है परन्तु सभी देशों के साथ है। हमें सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए कि जहां हमारी निर्यात क्षमता धीरे धीरे बढ़े वहां आयात हमारे आत्म निर्भर होने में बाधक न बने।

इस संदर्भ में, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। टीन के आयात के बारे में चार बड़े देशों का एक उत्पादक संघ है। उनका विश्व में टीन के उत्पादन पर नियंत्रण है। जो भी वे भारत भेजेंगे, वे 200 डालर अतिरिक्त लेंगे। परन्तु यदि वे वही माल तैवान या अन्य देशों को भेजेंगे, तो फिर वे उनसे कुछ नहीं लेंगे। भारत में केवल दो ही कम्पनियां जिनका कनस्तर आदि के निर्माण पर एकाधिकार है। मैंने मूल्य की तुलना की है। यदि एक डिब्बा आयात किया जाता है, तो उसकी लागत 1.20 आयेगी और यदि इन दो एकाधिकार गृहों द्वारा निर्माण किया जाता है, तो एक डिब्बे की किमत 2.50 रुपये आयेगी। डिब्बों का आयात करने पर आप 50 प्रतिशत बचत कर सकते हैं।

माननीय मंत्री को इन बातों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। हमें अपने आयात में अनावश्यक वृद्धि नहीं करनी चाहिए। और इस बात को ध्यान में रखकर हमें अपनी अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए। हमारा उद्देश्य निर्यात के समक्ष आत्म समर्पण नहीं करना चाहिए हम आत्म निर्भर अर्थ व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने सरकारी क्षेत्र में 18,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। हम इसका विस्तार करना चाहते हैं। हमें अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यदि कोई कुर्बानियां देनी पड़ी या कठिनाईयां सहनी पड़े तो ऐसा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए हमने अपनी अर्थ व्यवस्था इस प्रकार से सुदृढ़ करनी है कि दो अथवा तीन वर्षों में जब भी परीक्षा की घड़ी आये भारत एक सुदृढ आर्थिक एवं सैनिक शक्ति सिद्ध हो।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, वाद-विवाद में भाग लेने वाले प्रायः प्रत्येक सदस्य ने इस बात पर चिन्ता व्यक्त की कि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार कम होता जा रहा है और व्यापार में घाटा बढ़ता जा रहा है।

(श्री के० राजामल्लू पीठासीन हुए)

वार्षिक प्रतिवेदन में, जो हमें परिचलित किया गया है यह कहा गया है कि इस वर्ष हमारा आयात 11,300 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जबकि हमारा निर्यात लगभग 7,100 करोड़ रुपये तक होगा और इस प्रकार 4,000 करोड़ रुपये का अन्तर रह जायेगा। इस अन्तर का कारण पेट्रोलियम पदार्थों में निरन्तर वृद्धि बताई गयी है। वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है:-

"1979-80 में पी० ओ० एल० का आयात 1 करोड़ 97 लाख टन था, जिसका मूल्य 3023.50 करोड़ रुपये था, जबकि 1978-79 में आयात 1 करोड़ 87 लाख टन था, जिसका मूल्य 1676.77 करोड़ रुपये था।"

हमारे आयाम में 10 लाख टन की वृद्धि हुई है प्रतिवेदन में आगे कहा गया है:

"यद्यपि मात्रा के हिसाब से आयात में केवल 5.3 की वृद्धि हुई है, तथापि मूल्य के हिसाब से 80.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है..."

यह बताया गया है कि वर्ष 1980-81 की प्रथम छमाही में एक करोड़ ग्यारह लाख टन पी० ओ० एल० का आयात किया गया जिसकी लागत 2320.12 करोड़ रुपए थी जबकि गत वर्ष की इस अवधि में 99 लाख टन पी० ओ० एल० का आयात किया गया जिसकी लागत 1220.61 करोड़ रुपए थी। अतः आयात की मात्रा में 12% वृद्धि हुई है।

इसके बावजूद कि पी० ओ० एल० के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है, पैट्रोलियम उत्पादकों के आयात में भी वृद्धि हुई है और हमने उर्वरकों जैसी अन्य वस्तुओं का भी आयात किया है। हम सीमेंट, चीनी, खाद्य तेल इस्पात आदि का भी आयात करते रहे हैं। अतः प्रश्न यह है कि यदि हमारा निर्यात इतना नहीं होता जो आयात के समान हो तो हम क्या करें? इसमें बहुत अधिक समय लगेगा कि हम अपने निर्यात को बढ़ाकर आयात के समान कर सकें तथा आयात और निर्यात का अन्तर दूर कर सकें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तो क्या हम निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा कुछ मदों के आयात को पूर्णतः बन्द करने के बारे में नहीं सोच सकते? "आर्थिक सर्वेक्षण" में पृष्ठ 58 पर कहा गया है।

"तेल की मांग की वृद्धि पर तेल उत्पादकों का समुचित मूल्य निर्धारित करके नियन्त्रण करना होगा। आंतरिक मूल्यों से तेल के आयात की निरन्तर वृद्धि अवश्य प्रतिलक्षित होनी चाहिए।"

मैं महसूस करता हूं कि हम भारत में तेल उत्पादों की खपत को कम कर सकते हैं। युद्ध के दौरान हमने ऐसा किया था। हमें कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा परन्तु राष्ट्रीय आयात के दौरान उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यदि इससे लोगों को असुविधा हो तो भी हमें विदेशी मुद्रा बचाने के व्यापक हित को देखते हुए असुविधा सहन करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि पैट्रोलियम उत्पादों की दोहरी मूल्य नीति होनी चाहिए—

(1) राशन द्वारा दिये जाने वाले उत्पादों का मूल्य और (2) खुले बाजार में बेचे जाने वाले उत्पादों का मूल्य। हम जो उत्पादन देश में करें उसका वितरण राशन के माध्यम से उचित मूल्य पर होना चाहिए तथा जो हम आयात करें उसे अधिक मूल्य पर खुले बाजार में बेचा जाना चाहिए। इससे खपत में कमी आएगी और आयात भी घट जाएगा। मैं माननीय मन्त्री को गम्भीरतापूर्वक यह सुझाव देता हूं कि वह इस बात पर विचार करें क्योंकि यह कोई काल्पनिक बात नहीं है तथा दोहरी मूल्य नीति को अपनाया जा सकता है, जैसाकि हमने चीनी तथा अन्य वस्तुओं के मामले में किया है। अत: अत: यदि हम इस नीति को अपनाते हैं तो हो सकता है कुछ असुविधा हो, परन्तु विदेशी मुद्रा बचाने से समूचे देश को लाभ होगा।

मेरे माननीय मित्र श्री चिन्तामणि पाणिग्राही ने कहा था कि मन्त्रालय निर्यातकों को राज-सहायता देता है। मुझे राजसहायता के आंकड़ों की निश्चित जानकारी नहीं है। यह राशि 400 करोड़ रुपये और 65 करोड़ रुपय के बीच है। इसके अतिरिक्त निर्यातकों से रियायती दर पर ब्याज लिए जाने की क्षतिपूर्ति करने के लिए मन्त्रालय वाणिज्यिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को भी राज सहायता देता है। परन्तु इस भारी सहायता के बावजूद भी निर्यात की मात्रा में वृद्धि नहीं हुई है तथा उसके मूल्य में केवल नाममात्र का वृद्धि हुई है। आज के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसमें श्री खन्ना ने निर्यातकों को दी जाने वाली भारी सहायता और उनके कार्य में कोई प्रगति न होने का उल्लेख किया है तथा उन्होंने भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से उदाहरण दिए थे। जिनका उल्लेख अभी श्री पाणिग्रहि ने किया था। अत: मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि अब राजसहायता की नीति पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किये जाने का समय आ गया है क्योंकि हम निर्यातकों को राजहायता देते रहे हैं तथा फिर भी उनका निर्यात आशानुकूल नहीं है तथा वे जितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं वह लगभग उस राशि के समान ही होती है जो हम निर्यातकों को राजसहायता के रूप में देते हैं।

मन्त्रालय के अधीन अनेक वस्तु बोर्ड या निगम हैं। मेरे माननीय मित्र श्री गोयल ने अभी खनिज तथा धातु व्यापार निगम के कार्य का उल्लेख करते हुए कहा था कि उसके आयात निर्यात से अधिक रहे हैं। अन्य निगमों के बारे में भी यही स्थिति है। मैं माननीय मन्त्री से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि इन निगमों और बोर्डों के कार्यकारण की जांच करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो यह पता लगाए कि इनका कार्यकारण आशानुकूल क्यों नहीं करना चाहता तथा मैं यह बात उस समिति पर छोड़ता हूं जो इस समूचे प्रश्न की जांच करने के लिए नियुक्त की जाएगी।

मैं राष्ट्रीय कपड़ा निगम, जिसके अधीन 114 कपड़ा मिलें हैं, का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। यह बड़े दुख की बात है कि इस निगम ने इन सब वर्षों में घाटा होता रहा है। इस वर्ष 1.30 करोड़ रुपये का मामूली-सा लाभ दिखाया गया है। परन्तु यह भी कपड़े के उत्पादन में अत्याधिक वृद्धि होने के कारण ही हुआ है। वर्ष 1981-82 के बजट में मिलों के नकद घाटे

को पूरा करने के लिए 14.47 करोड रुपये का उपबन्ध किया गया है। एक ओर तो यह दिखाया गया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने लाभ कमाया है और दूसरी ओर नकद घाटे को पूरा करने के लिए 14.47 करोड रुपये की बजट में व्यवस्था की गई है। यह बात समझ में आने योग्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन मिलों का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है और हमें इन मिलों के प्रबन्ध के सम्बन्ध में समूचे प्रश्न पर पनर्विचार करना होगा अन्यथा ऐसी स्थिति आ जाएगी जिससे हमें समूची राष्ट्रीयकरण नीति पर ही संदेह हो जाएगा।

मैं अनुरोध करता हूं कि पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए क्योंकि पटसन मिल मालिक भारी मुनाफा कमा रहे हैं और पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य से वंचित रखा जाता है। जब हम कुछ जूट मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सभा में चर्चा कर रहे थे तो मैंने मन्त्री महोदय को यह अनुरोध किया था तथा अब पुनः अनुरोध करता हूं कि पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जूट मिलों के सम्बन्ध मे यह आरोप लगाया गया है कि वे निर्यात सम्बन्धी अपने दायित्व को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देश में ही ऊंचे मूल्य प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रश्न पर विचार करना होगा। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह सुनिश्चित करें कि प्रबन्ध व्यवस्था को सुचारु बनाया जाए ताकि मिलों के राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध कोई तर्क न दिया जा सके तथा लोग यह महसूस न करें कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है।

कपड़ा नीति के बारे में, मुझे खुशी है कि हथकरघा उद्योग को उच्चतम स्थान दिया गया है। हमारे देश में लगभग 40 लाख हथकरघों हैं, जिनसे एक करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जबकि कपड़ा उद्योग में काम करने वालों की कुल संख्या एक करोड़ तीस लाख है - हथकरघा उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यह पिछड़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि हथकरघा उद्योग उस पर लगाए गए दायित्वों को पूरा नहीं कर पायेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम इस समूचे प्रश्न की जांच करें तो हमें ज्ञात होगा कि हथकरघा उद्योग के समुचित ढग से कार्य न कर पाने और उसकी अनेक कठिनाइयों का मूल कारण यह है कि उसे धागा सप्लाई या उपलब्ध नहीं किया जाता। मैं माननया मन्त्री को यह सुझाव देना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम से यह कहा जाए कि वह फालतू धागो हथकरघा उद्योग के लिए सुरक्षित रखे।

एक माननीय सदस्य : फालतू धागा नही है।

श्री सत्येंद्र नारायण सिंह : नहीं, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि वाणिज्य राज्य मन्त्री ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मिलों मे लोअर काउण्ट का धागा हथकरघा उद्योग के लिए सुरक्षित रखने को कहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि केवल लोअर काउण्ट का धागा ही सुरक्षित क्यों रखा जाए ? कपड़ा मिलों में जितना भी धागा फालतू हो उसे हथकरघा उद्योग के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए ताकि हथकरघा उद्योग में बनाया जा सके, जैसाकि आप चाहते हैं। हथकरघा उद्योग ठीक ढग से काम करे इसके लिए यह जरूरी है कि धागा सप्लाई किया जाए। मैं हथकरघा

उद्योग की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम का गठन किए जाने का स्वागत करता हूं।

मैं एक और बात कहना चाहूंगा और वह यह है कि बजट में नियन्त्रित कपड़े के लिए राजसहायता में वृद्धि की गई है। वर्ष 1981-82 के बजट में इस मद के लिए 76 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह एक सराहनीय कदम है क्योंकि यह कपड़ा हमारे समाज के गरीब वर्गों के लिए है। परन्तु कुछ शिकायतें मिली है कि यह कपड़ा गरीब वर्गों तक नहीं पहुंचता।

ऐसी अनेक शिकायतों की जांच होनी चाहिए कि नियंत्रित कपड़ा गरीबों तक नहीं पहुंच पाता और बिचोलिये उसे ले जाते हैं। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इन बातों में आने वाली कठिनाइयों का पता है। वह आवश्यक उपाय करके घाटे के व्यापार की स्थिति में सुधार की कोशिश कर रही है।

मैं फिर कहूंगा कि आप आयात कम करके या पेट्रोलियम उत्पादों की खपत कम करते हैं तो राष्ट्र आपके पीछे होगा, यद्यपि इससे समाज के समृद्ध लोगों को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। यदि पेट्रोल उत्पादों के सम्बन्ध में दोहरी नीति अपनाती है तो खुले बाजार में कीमतें अधिक होगा और उपभोग कम होगा। कुछ दिन हुए पेट्रोलियम मन्त्री ने कहा था कि ऐसा करने का कोई इरादा नहीं लेकिन अन्य देशों में पेट्रोल की खपत करने के लिए उपाय हो रहे हैं। आज समाचार पत्र में पढ़ा है कि तंजानियां में ऐसा किया गया है। उन्होंने पेट्रोल की बिक्री केवल 2 दिन तक सीमित कर दी है। अन्य दिनों में कूपनों पर भी पेट्रोल नहीं दिया जाता। मैं मन्त्री जी से फिर प्रार्थना करूंगा कि वे इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करके पेट्रोल की खपत कम करने का उपाय करें।

मुझे खुशी है कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। हमने आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली है और अब अन्य देशों को अपनी चीजों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि हम भी बहुत उत्सुक हैं और हम केवल आलोचना के लिए नहीं कह रहे कि व्यापार-घाटा बढ़ रहा है। यह तो सभी के लिए चिंता की बात है। आप जो भी उपाय करें आशा है कि इस संकट में लोग आपको समर्थन देंगे।

श्री बी० के० नायर (क्वीलोन) : महोदय मुझे खुशी है कि वाणिज्य मन्त्री को और उनके विशेषज्ञों के दल को बधाई देने का अवसर मिला है। उन्होंने उनके अधीन सफलतापूर्वक कार्य करके काफी कुछ प्राप्त किया है। यह मन्त्रालय काफी अच्छा कार्य कर रहा है यह देश पूर्णत: उन वस्तुओं के उत्पादन पर निर्भर करता है। जिनका निर्यात किया जा सके। यह विदेशी व्यापार और उन विदेशी खरीददारों पर भी निर्भर करता है जो हमारी वस्तुएं खरीदें। नि:सन्देह यह बड़ा महत्वपूर्ण कर्त्तव्य निभा रहे हैं। देश इस समय बड़ी कठिनाई से गुजर रहा है और जहां तक विदेशी मुद्रा, संसाधनों और व्यापार संतुलन का प्रश्न है स्थिति बहुत गम्भीर है। इसलिए भी यह मंत्रालय बधाई का पात्र है कि उन्होंने यह योजना तैयार की है।

हमारे आयात और निर्यात में खाई बढ़ रही है और विदेशी मुद्रा का भण्डार कम हो रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि जो लोग विदेशों में बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनके हमारे आयात और निर्यात की खाई भरने में और व्यापार के सन्तुलन में काफी अन्तर आया है। इस सम्बन्ध में मैं अपने देश के केरल, हरियाणा और पंजाब के नव युवकों की बात कर रहा हूं। इन लोगों के कार्यों से यह खाई काफी कम हुई है। सोवियत संघ तथा कई अन्य देशों से कच्चे तेल और पेट्रोल उत्पादों के आयात सम्बन्धी उदार नीति की भी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने समय पर सहायता दी है।

मेरा ऐसे राज्य से सम्बन्ध है जो निर्यात के लिए वस्तुएं पैदा करता है। हमारे किसान अनाज उत्पादन की ओर पूरा ध्यान नहीं देते। लगभग सभी ने नकदी फसलें उगानी शुरू की हैं निर्यात के सम्बन्ध में हमारी राज्य की स्थिति बहुत अच्छी है। विभिन्न समस्याएं हैं लेकिन जब हम निर्यात की ओर देखते हैं तो केवल मात्रा ही जरूरी नहीं बल्कि लागत की बात भी महत्व पूर्ण है। बहुत सी चीजों, जो पश्चिमी देशों विशेषकर यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती है, वे मद्रास और कलकत्ता पत्तनों से भेजी जाती है। यदि उनका काफी भाग कोचीन बन्दरगाह से भेजा जाये तो हम श्री लंका जाने वाले बहुत से जहाजों के लिए काफी मीलों की दूरी बचा सकते हैं। इसके साथ ही किराये भाड़े में भी काफी बचत होगी। हमें कोचीन बन्दरगाह तथा अलेपी जैसी छोटी बन्दरगाहों का विकास करना चाहिये।

पिछले दिनों हम बम्बई पत्तन पर भीड़भाड़ की चर्चा कर रहे थे। लेकिन कोचीन बन्दरगाह का विकास करके बम्बई में भीड़भाड़ को क्यों न रोका जाये। यदि कोचीन में ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं तो मद्रास जैसे केन्द्रीय क्षेत्रों से भी वस्तुएं वहां लायी जा सकती हैं। इस प्रकार सड़क यातायात पर विदेशी मुद्रा की बचत की जा सकती है। कोचीन लाईन भी निर्मित की जानी चाहिए। इससे वस्तुओं कोचीन ले जाया सकेगा। मद्रास ले जाना काफी मंहगा पड़ता है। रेल लाईन पर हो सकता है काफी खर्च हो लेकिन बाद में काफी बचत होगी।

पेट्रोलियम की ऊंची कीमतों को देखते हुए हमें केरल में रेलों का विद्युतीकरण करना चाहिए। वहां विद्युत की बहुतायत हैं और काफी अपव्यय हो जाता है। अतः हमें अतिरिक्त खर्च करके केरल में विद्युतीकरण कर सकते हैं। इससे डीजल पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा में बचत की जा सकती है।

निर्यात नीति के सम्बन्ध में मैं सहमत हूं जो अभी बोल चुके हैं। निर्यात के लिए बहुत प्रोत्साहन और रियायतें दी जा रही हैं। उदाहरण के लिए क्षमता का विस्तार करने और अतिरिक्त क्षमता पैदा करने और नये निर्यात उन्मुख एकक स्थापित करने को कानूनी रूप दिया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है जिससे निर्यात करना संभव नहीं होगा तो अतिरिक्त पैदा की गई क्षमता का क्या होगा। या बाहर मांग ही न रहे तो अतिरिक्त क्षमता बेकार रहेगी या उसे खपा लिया जायेगा या फिर उसे कानूनी रूप दिया जायेगा। इस बात पर सावधानीपूर्वक विचार करना होगा।

हम केरल में देश के कुल रबड़ उत्पादन का 90 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। इस पर भी हजारों टन रबड़ आयात किया जाता है जोकि ठीक नहीं है। देश में रबड़ उत्पादन के विकास की बहुत संभावना है। मैं यह बात योजना आयोग से कह रहा हूं क्योंकि सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र रबड़ के उत्पादन के लिए आदर्श स्थान है। चाय, रबड़ और इलायची के लिए ऐसी ही नमी वाली भूमि और जलवायु की आवश्यकता है।

अतः यदि हम रबड़ की खेती का पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास करें तो हजारों एकड़ भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है जिससे भूमि के कटाव को भी रोका जा सकेगा। अब तो लोग उस क्षेत्र में नहीं रह रहे। लेकिन यदि हम उस भूमि पर रबड़ की खेती करेंगे तो हजारों लोग काम करेंगे और उनका पुनर्वास होगा विशेषकर भूतपूर्व सैनिकों को अवसर दिया जाना चाहिए और वे सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा के वैकल्पिक साधनों के रूप में भी रहेंगे।

रबड़ का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। माननीय मन्त्री जी ने भी रबड़ अनुसंधान संस्थान के सिल्वर जुबली समारोह में भाग लेते हुए यह बात कही थी उस समय मैंने रबड़ बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर व्यक्तिगत रूप में उनसे बात की थी। उन्होंने वचन दिया है यद्यपि औपचारिक रूप से नहीं कि वे नवम्बर तक दे देंगे। चार महीने बीत गये हैं और मेरे ख्याल से भी विचार की स्थिति पूरी हो गयी है अब तो कार्यवाही का समय है। मुझे पूरी आशा आशा है कि मन्त्री जी इन कर्मचारियों को जो अच्छा काम कर रहे हैं पैसा देने के लिए आश्वासन देंगे।

मैं कहता हूं कि अन्य वस्तुओं के बोर्डों की तुलना में अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में रबड़ बोर्ड देश के अग्राणी बोर्डों में है। अत उसे हर सम्भव प्रोत्साहन और सहयोग देना आवश्यक है। वे लोग लम्बे समय से बोनस की मांग कर रहे है आशा है उन्हें बोनस दे दिया जाएगा।

अब मैं इलायची बोर्ड की बात लेता हूं। एक समय था जब एक विशेष प्रकार की बीमारी के कारण इलायची का कुल 1,500 टन का उत्पादन हुआ। अब स्थिति में अत्यधिक सुधार हो गया है। पिछले वर्ष 4,500 टन का उत्पादन हुआ इसका बड़ा क्षेत्र किसानों की मेहनत और जानकारी को है।

उत्तरी क्षेत्रों तक रबड़ उत्पादन का विस्तार होने के कारण, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब रबड़ बोर्ड का कार्यालय दिल्ली मे भी होगा। रबड़ की मांग और उत्पादन बढ़ रहा है और इसे भारत भर की फसल बनाया जा सकता है और ऐसी स्थिति में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थानान्तरित किया जा सकता है। इस समय रबड़ का मूल्य 14 रुपये प्रति किलोग्राम है और पर्याप्त प्रोत्साहन देकर इसके इसके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सकता है।

चाय उद्योग हमारे राज्य में इस समय डावांडोल स्थिति में है बहुत से चाय बागान बन्द

होने की स्थिति में है। वे अपने कर्मचारियों को एक सप्ताह का वेतन भी नहीं दे सकते। नियोजकों का कहना है कि वे बढ़ती लागत के भार को सहन करने में असमर्थ हैं तथा वे बन्द होने वाले हैं। इसकी विस्तृत जांच की गई है क्योंकि चाय का देश से बड़ी मात्रा मे निर्यात होता है। आशा है मन्त्री महोदय इसकी जांच करेंगे।

काजू को लेकर बड़ा शोर मचाया गया है। हमारे राज्य के काजू उत्पादक···

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : (निजामाबाद) यह बड़ा स्वादिष्ट होता है।

श्री० बी० के० नायर : परन्तु यह बहुत से लोगों की पहुंच से बाहर है क्योंकि इसकी अधिकतर मात्रा का अमरीका और रूस को निर्यात कर दिया जाता है। केरल में सत्ताधारी दल द्वारा प्रोत्साहन न दिए जाने के कारण काजू उद्योग में बहुत में क्षेत्र बेरोजगार पड़े है। काजू की 250 फैक्टरियां हैं। हम अफ्रीका से काजू क्यों आयात करते हैं? यह प्रश्न बार-बार पूछा जाता है। इस वर्ष में नियम 377 के अन्तर्गत श्री कोडियन ने इस प्रश्न को पहली बार उठाया। केरल में 1.1 लाख टन काजू का उत्पादन होता है। वहां अनेकों सहकारी संस्थाए हैं जिन पर एक विशेष दल का अधिकार है। वे उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नहीं दे पाते। परिणाम स्वरूप राज्य का 50 प्रतिशत काजू उससे बाहर चला जाता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : (मवेलीकारा) तो क्या हुआ? उससे क्या हानि है?

श्री बी० के० नायर : सरकार के पास सब प्रकार की व्यवस्था है और सभी प्रकार का प्रोत्साहन उसे मिल रहा है परन्तु वह समूचे काजू की खरीद करने की स्थिति में रही है। काजू उद्योग के मामले में चाहे कुछ भी हो, वे इस उद्देश्य की पूर्ति के प्रति वफादार नहीं। इसी कारण वे उत्पादकों को लाभकारी मूल्य नही देते। तमिलनाडु के फैक्टरी मालिक 12 से 14 रुपये प्रति किलो तक देने को तैयार है और केरल सरकार कहती है कि वे 7.50 रुपये प्रति किलो देंगे। केरल सरकार कहती है कि वह लोगों को रोजगार देने के लिए बड़ी उत्सुक है। होता क्या है कि केरल में एक क्विंटल काजू के परिष्करण पर 1,2 0 रु० पर लागत आती है जबकि तमिलनाडु में 250 रु० और कर्नाटक में 450 रु० इस प्रकार आप 2 पढ़ने वाली बाल्टी से एक टब को नहीं भर सकते। आप समूची वस्तु को देश से बाहर जाने से नही रोक सकते।

एक माननीय सदस्य : तस्करी?

श्री बी० के० नायर : यदि मैं और बढ़कर कहूं तो सहकारी संस्थाएं तस्करी मे मदद कर रही है। उनमें से अधिकतर भ्रष्ट हैं क्योंकि पहले 10-15 वर्ष से इस पर उनका एकाधिकार है। केरल की सरकार एक विशेष दल में दिलचस्पी रखती है और वे रात मे काजू की तस्करी करने मे तस्करों को मदद करते हैं। अतः मेरा कहना है कि वे उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य देकर ही तस्करी को रोक सकते है। पटसन, कपास और तम्बाकू के सम्बन्ध में हम क्या करते है? हम उत्पादकों के हितों की सुरक्षा करने में रुचि रखते है। किसी अन्य नारे के पीछे हम नहीं

भागते । हम काजू उत्पादकों न्यूनतम मूल्य देना सुनिश्चित करना चाहते हैं । नारियल की भूसी का क्या होता है ? यहां भी उत्पादकों को वे लाभप्रद मूल्य नहीं देना चाहते । इस प्रकार राज्य सरकार की तस्करों से साठगांठ चल रही है । हम चाहते हैं कि केन्द्र केनिया से काजू का आयात करें । स्पिरिट का मामला लें । तमिलनाडु में रेक्टीफाइड स्पिरिट बहुतायत से उपलब्ध है और केरल को अलकोहल के निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता है । वे क्या करते हैं? तमिलनाडु सरकार यह स्पिरिट देना चाहती है और केरल सरकार उसे खरीदना चाहती है परन्तु स्पिरिट के आयात का काम एक निजी एजेन्सी को सौंपा गया है क्योंकि सरकारी एजेन्सी इसे भली प्रकार नहीं कर सकती । यह एक स्वीकृत तथ्य है । हमें केनिया से काजू प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है । अतः मैं मन्त्री महोदय को सुझाव देता हूं कि परम्परागत स्रोतों से काजू के आयात पर लगी रोक को समाप्त किया जाए । केरल सरकार को केनिया से काजू आयात करने दिया जाए । काजू विकास निगम केनिया से आयात कर सकता है । भारतीय काजू निगम अथवा वाणिज्य मंत्रालय केनिया से काजू का, आयात न किए जाने का आरोप अपने ऊपर क्यों लेता है ? केरल सरकार या काजू विकास निगम इसे केनिया से मंगाए ।

सभापति महोदय श्री : कृपया समाप्त करें ।

श्री बी० के० नायर : नारियल जटा केवल एक निर्यात की जाने वाली वस्तु है फिर नारियल जटा बोर्ड उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है । निर्यात के अलावा और किसी कार्य के लिए यह सरकार पर निर्भर नहीं है । नारियल जटा बोर्ड को वाणिज्य मंत्रालय के अधीन क्यों न रखा जाए । इसे निश्चित रूप से वाणिज्य मन्त्रालय के आधीन नहीं रखा जाये ।

नारियल जटा बोर्ड एक वर्ष से अधिक समय से कार्य नहीं कर रहा है । बड़ी मात्रा में नारियल जटा का निर्यात किया जा रहा है वाणिज्य मंत्रालय को चाहिए कि वह इस उत्तरदायित्व को अपने हाथ में ले ।

हम अक्सर कच्चे माल का निर्यात करते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि हम एक करोड़ रुपये के लिए लौह अयस्क का निर्यात क्यों करते हैं यह स्पष्ट होने वाला पदार्थ नहीं है ।

इसी प्रकार विदेशों में नारियल जटा रेशे की बड़ी मांग है । कुछ सहकारी संस्थाए इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं । नारियल जटा निर्माताओं को अपनी आवश्यकता का रेशा नहीं मिलता सहकारी सस्थाओं के लोग उसके निर्यात में रुचि रखते हैं । इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाए । हमारी नीति यह होनी चाहिए ।

कुछ अन्य बातें भी है परन्तु समयाभाव के कारण मैं आज इतना कह कर समाप्त करता हूं कि मंत्रालय भली प्रकार कार्य करें । यह देश केवल प्रधान मन्त्री के गतिशील नेतृत्व में ही प्रगति कर सकता है । अतः मैं अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : मैं वाणिज्य जैसे जटिल विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। किन्तु मैंने देखा कि मेरे अन्य मित्र व्यापकताओं पर अधिक और विशिष्टताओं पर कम बोले अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बेहतर यह होगा कि मैं अपने को अधिकतर व्यापकताओं तक ही—सीमित रखूं क्या हमारे निर्यात अन्तर्देशीय व्यापार का विस्तार मात्र है अथवा देश के उत्पादन के फालतू भाग को बाहर भेजने का एक साधन है ? हमारे राष्ट्रीय संदर्भ में निर्यातों की क्या आवश्यकता है ? इन मुद्दों पर मैं अपने विचार व्यक्त करने का प्रयास करूंगा। निर्यात आवश्यक हैं क्योंकि विश्व में ऐसा देश कोई नहीं हैं जो अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन कर सके और इसलिए भी जरूरी है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तनों को विश्व के राष्ट्रों के बीच विचारों तथा उत्पादन प्रणालियों के पर— संसेचन की आवश्यकता पड़ती है। भारत के संदर्भ में में निर्यात और भी जरूरी हैं क्योंकि हम विदेशी ऋणों के भार से भी युक्त होना स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् हम निरन्तर निर्यात करते आ रहे है जो आर्थिक स्वतन्त्रता के लिए हमारे संघर्ष का एक अंग है। हम विदेशी ऋणों तथा उनके ब्याज का भुगतान केवल अपने निर्यातों के माध्यम से कर सकते है। अभी हाल ही मे 1679-80 में हमने 484 करोड़ रुपए के ऋणों का भुगतान किया।

मैं समझता हूं यह कहना कि निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जित करने का केवल एक मार्ग है, समस्याओं का अति सरलीकरण होगा। आज विश्व में ऐसा समय आ गया है जब दो देशों के बीच आर्थिक सम्बन्धों को राष्ट्रों के बीच राजनैतिक सम्बन्धों को पृथक करके नहीं देखा जा सकता। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि दो देशों के बीच व्यापार, जो आर्थिक सम्बन्धों का विकास करता है, और आर्थिक सम्बन्ध राजनैतिक सम्बन्धों के विकास और परिवर्तन में भारी भूमिका अदा करते हैं। भूतकाल में राजनैतिक सम्बन्धों से आर्थिक सम्बन्ध बनते थे किन्तु आज के संसार में ऐसे बहुत—से उदाहरण हैं जब राष्ट्रों के बीच राजनीतिक सम्बन्धों को आर्थिक सम्बन्धों के सामने कई बार झुकना पड़ा।

जब हम विश्व के आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्रों पर नजर डालते हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात अनदेखी नहीं कर सकते कि आज आर्थिक दृष्टि से जितने देश मजबूत हैं उन सब का विदेश व्यापार की स्थिरता से सीधा सम्पर्क है। हाल की घटनाओं से इसे भी अधिक महत्व का पता लगता है। इससे प्रदर्शित होता है कि किसी राष्ट्र को अपने नागरिकों का कल्याण करने के लिए अथवा आर्थिक रूप से मजबूत तथा स्थिर होने के लिए एक बड़ी सैनिक शक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सामने जापान, कोरिया, मलयेशिया यूगोस्लाविया और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य के उदाहरण मौजूद हैं। ये सभी राष्ट्र आज के विश्व मे उत्साही उद्यमशील निर्यातकर्ता हैं।

निर्यात बढ़ने पर विदेशी मुद्रा अधिक अर्जित होती है किन्तु यदि उस विदेशी मुद्रा को हम नियंत्रित आयात नीति न होने के कारण गवा देते हैं तो मैं नहीं समझता कि हम अपने व्यापार — घाटे को पूरा कर सकते हैं। इस वर्ष हमारा व्यापार-घाटा 5000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। व्यापार में हमें यह घाटा कैसे हुआ, इस बात का पुनः अवलोकन करने के लिए मैं पिछले कुछ वर्षों के आकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा।

1970 और 1977 के बीच, हमारा निर्यात 1535 करोड़ रुपए से बढ़कर 1974-75 में 3000 करोड़ रुपए हो गया और 1976-77 में 5146 करोड़ रुपए था। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि 1976-77 में हमारे देश के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् यह पहला अवसर था जब 72 करोड़ रुपए का व्यापार सन्तुलन उसके पक्ष में था हलांकि यह राशि छोटी जरूर थी किन्तु इसका महत्व बहुत था जिसे अपने पक्ष में उत्तरोतर बढ़ाया जा सकता था, किन्तु 1977 में जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई और 1976-77 में 72 करोड़ रुपए का यह सरप्लस बैलेन्स (व्यापार-लाभ) 1977.78 में 621 करोड़ रुपए के घाटे में बदल गया। इस सम्बन्ध में मेरे बहुत अनुसंधान के बावजूद, मैं इस बात को नहीं समझ सका कि 1977-78 में ऐसा क्यों हुआ जब कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में भी कोई भारी वृद्धि नहीं हुई और न ही मुद्रा स्फीति इतनी अधिक थी जितनी की उसके पूर्व वर्ष में; वह सारवान रूप से उच्चतर नहीं थी बल्कि सीमान्त रूप से उच्चतर थी। 1975-76 और 1976-77 के बीच निर्यात-वृद्धि की दर 38.6 प्रतिशत निर्यात वृद्धि की दर केवल 9 प्रतिशत थी, किन्तु दूसरी ओर, हमारे आयात में 10 प्रतिशत की वृद्धि हो गई।

मैं इस सिलसिले में एक उदाहरण देना चाहूंगा जो खाद्य तेल के आयात के सम्बन्ध में हैं। 1975-76 में हमने 17 करोड़ रुपये के खाद्य तेल का आयात किया। इसी प्रकार इस्पात का मामला लीजिए। हम इस्पात का निर्यात करते थे और उत्तरवर्ती वर्ष में इस्पात का आयात करने लगे। 1978-79 में अन्धाधुन्ध आयात किये गये जो 28 प्रतिशत तक चले गये और व्यापार-घाटा भी बढ़कर 1062 करोड़ रुपए हो गया। ये वास्तविक आंकड़े हैं न कि कोई गढ़े हुए है। हमारे निर्यात रुक गये थे और आयात निरन्तर बढ़ रहे थे।

निर्यात संवर्धन और आयात प्रतिस्थापन की पद्धति एक दीर्घ कालीन नीति है यह शल्य क्रिया की तरह है या सुरालापन (सिम्पनी) की तरह है जिसे हम बीच में रोक नहीं सकते। हम एक युद्ध योजना है न कि युक्ति। यह नीति तेदर्थ सुविधा के हिसाब से नहीं चल सकती, नीति में जो दोष एवं त्रुटियां आ गई थीं उन्हें केवल विगत वर्ष के मध्य से दूर किया जा रहा है और एक व्यापक नीति तैयार की जा रही है, हमारे सामने जो कार्य है वह आसान नहीं है।

अब मैं कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहूंगा। 1958 में भारत 1.22.2 करोड़ अमरीकी डालर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करता था जबकि समूचा विश्व व्यापार 10860 करोड़ अमरीकी डालर का था। अन्य शब्दों विश्व में निर्यात व्यापार में हमें 1.13 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त था। किन्तु गत वर्ष यह हिस्सा गिर कर 0.48 प्रतिशत रह गया और वह भी तेजी से गिरता जा रहा है यदि देश विश्व निर्यात व्यापार का 0.48 प्रतिशत हिस्सा भी बरकरार रखना चाहे तो भी हमें प्रति वर्ष 12 प्रतिशत निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित करना होगा जिसका अर्थ है हमें प्रतिदिन .2 करोड़ रुपये मूल्य के नए निर्यात आदेश प्राप्त करने होंगे-- उन आदेशों के अलावा जो हमें इस वक्त प्राप्त हो रहे है। हमें यह कार्य मुद्रास्फीति के प्रभावों पर जिनके गिरफ्त में सारी दुनिया है। विचार करने के बाद करना होगा। यह कार्य कठिन है किन्तु मुझे यकीन है मेरे

सम्मानित मित्र माननीय वाणिज्य मंत्री कुछ दीर्घ कालिक योजनाएं तथा नीतियां तैयार करने में जुटे हुए हैं। दुनिया में हम ही एक ऐसे देश में हैं जो इंजीनियरों, डाक्टरों, तकनीशियनों और मिस्त्रों तक को बाहर के मुल्कों में भेजता है और विदेशों में काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों ने लगभग 1000 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा भेजी है किन्तु हमने इस पर भरोसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि परिवर्तनशील प्रौद्योगिक, के विश्व में, विशेषत: उन देशों में जो तेल में सम्पन्न व समृद्ध हैं। मुझे यकीन है वे अधिक श्रम-बचत-प्रणालियों तथा अधिक श्रम-बचत प्रौद्योगिकियों का विकास करेंगे। मैं समझता हूं भारतीय परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हल है परियोजनाओं के निर्यात पर अधिक बल देना क्योंकि परियोजना-निर्यातों में हम अपने उपकरणों का निर्यात करते हैं, हम अपने तकनीशियनों, प्रौद्योगिकों और श्रमिकों को बाहर भेजते हैं, किन्तु इसमें अनियमित स्थिति रही है जो आंकड़े सरकार ने प्रस्तुत किए हैं उनमें परियोजना-निर्यातों से सम्बन्धित तकनीशियनों, इंजीनियरों तथा श्रमिकों से प्राप्त (उनके द्वारा भेजी गई) धनराशियों से सम्बन्धित आंकड़ों को निर्यात-अर्जन लेखा में नहीं दिखाया गया है। उन्हें परोक्ष निर्यातों से प्राप्त आंकड़ों के रूप में माना जाता है। मेरे समझ से यह असगत स्थिति है और मैं वाणिज्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस स्थिति में सुधार करें, उसे ठीक करें। इस सम्बन्ध में हमारे पास सही आंकड़े होने चाहिए क्योंकि जब कोई बाहर से प्रेक्षित धनराशि पहुंचती है या उपकरणों, संयंत्रों और मशीनरी के निर्यात से राशि प्राप्त होती है तो उसे निर्यात लेखा में दिखाया जाना चाहिए और न कि परोक्ष अर्जन लेखा में। इसमें कोई संदेह नहीं कि निर्यातों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है, तथापि इस सम्बन्ध में मैं कुछ सावधान भी करना चाहूंगा, हम निर्यात जरूर करना चाहेंगे पर जैसे-तैसे नहीं। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे देश को निर्यात करने की आवश्यकता है। हमारी निर्यात नीति अवश्य होनी चाहिए किन्तु ऐसी नहीं जो सामाजिक न्याय की मूल धारणा के खिलाफ हो। निर्यात केवल फालतू वस्तु का ही किया जाना चाहिए वह भी देश की खपत में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखकर, हमें इस मामले में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि देश का हमारा सारा उत्पादन पहले लोगों के लिए उपलब्ध किया जाए। हमारे सभी निर्यात लोगों के लिए है और लोगों के उत्थान और कल्याण के लिए ही होना चाहिए। निर्यात सवर्धन की ओर पूर्ण झुकाव की नीति, मेरी राय में, केवल बुरा अर्थशास्त्र ही नहीं है अपितु इस नीति का हमें कटु अनुभव भी है। हमने देखा है कि घरेलू मुद्रास्फीति के दबाव देश में बढ़ गए है जिसका कारण है निर्यात नीति की ओर अत्यधिक झुकाव। इसलिए हमें एक युक्तियुक्त और संतुलित निर्यात नीति के बीच सतुलन कायम करना है लोगों के हित को हानि पहुंचाकर नहीं बल्कि उनके हित के लिए, उनकी उपेक्षा करके नहीं बल्कि हमारे उत्पादन में फालतू उत्पादन स्थिति का निर्माण करके।

जहां तक आयात का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में स्थिति अत्यन्त निराशाजनक है। मेरा नाटकीय नियन्त्रण का सुझाव है। आयात का प्रयोजन अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूत बनाना होता है किन्तु हमारा अधिकतर निर्यात ऐसा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर अवांछनीय प्रभाव पड़ता है।

जहां तक खाद्यान्न, ईंधन और उर्वरकों का सम्बन्ध ईंधन के बारे में हम ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोतों का विकास कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि इस वर्ष के बजट में ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए उपाय किए गए हैं। हमारे आयात पर कुल जितनी राशि खर्च होती है उसकी 69% राशि इन तीन वस्तुओं पर खर्च होती है। मैं महसूस करता हूं कि संरक्षण के लिए अब भी गुजांइश है।

सरकार ने निर्यात-आयात बैंक स्थापित करने का हाल ही में निर्णय किया है। यह घोषणा की गई थी कि निर्यातों में तेजी से वृद्धि करने के लिए इस बैंक की जो एक एजेन्सी है, स्थापना की जा रही है। मैं वाणिज्य मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन को आश्वासन दें कि यह बैंक निर्यातों में वृद्धि करेगा न कि आयात में। इसका नाम निर्यात आयात बैंक क्यों रखा गया है? इसका नाम राष्ट्रीय निर्यात बैंक क्यों न रखा जाए? जिससे अर्थ में कोई सदिग्धता न हो। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि इस बैंक का नाम राष्ट्रीय निर्यात बैंक रखा जाए। केवल तब ही असली इरादा जो सदन में बताया गया है और समाचार पत्रों में पढ़ा गया है, प्रकट होगा।

व्यापार-घाटा समस्या का हल तभी होगा जब आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम बड़े पैमाने पर चलाया जाए। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जिसका लक्ष्य अनावश्यक आयातों की कटौती करना और देश में उत्पादन के ढांचे को नया रूप देना हो जिससे हमारे निर्यात बढ़े और आयात घटे। जहां तक खाद्य तेल का सम्बन्ध है इसके लिए हम एक वृहत आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम आरम्भ कर सकते है। इसका एक ग्रामीण पहलू भी है क्योंकि सभी उद्योग जो आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के लिए स्थापित होंगे वे ग्रामीण क्षत्रो म लगेंगे। इसलिए इसमें ग्रामीण विकास नीति भी शामिल है।

हमारे व्यापार संतुलन की स्थिति में दूसरा पहलू है मुद्रास्फीति का जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है—और जिसने हमारे निर्यात के लाभ को बहुत कम कर दिया है क्योंकि निर्यात की मात्रा बढ़ नहीं रही है। हम ऐसा कह सकते हैं कि धन की दृष्टि से हमारे निर्यात म वृद्धि हो रही है। किन्तु क्या निर्यात की मात्रा में वृद्धि हो रही है? यह बात याद रहनी चाहिए कि उन देशों म जहां से हम आयात कर रहे हैं, कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। किन्तु यह जरूरी नही है कि उन देशों में भी कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं जिनको हम निर्यात कर रहे हैं। परिणामस्वरुप हम आयात के लिए निरन्तर अधिक दाम दे रहे हैं और निर्यात के लिए कम दाम प्राप्त कर रहे हैं।

निर्यात और आयात में हमने बहुत से मनोवैज्ञानिक रुकावटों को भी दूर करना है। इस सम्बन्ध मे, मैं एक चीज का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। मुख्य आयात तथा निर्यात नियत्रक का कार्यालय हमारे देश में पिछले तीस साल से लगातार कार्य कर रहा है। हमने निर्यात संवर्धन के बारे मे बातें की हैं। उसका नाम क्यों न बदला जाये। मुख्य निर्यात सवर्धक कार्यालय नामक एक स्वतंत्र विभाग क्यों नहीं बनाया जा सकता? इसी प्रकार मुख्य आयात निर्बन्धक क्यों नहीं रखा जा सकता? ये मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं जो हमारे रास्ते में रुकावटें डाल रहीं हैं। हमने एक

बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यालय का नाम मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक रखा है। मैं माननीय वाणिज्य मन्त्री से अपील करूंगा कि वह मुख्य आयात और निर्यात नियंत्रक के पद नाम को बदल कर मुख्य निर्यात संवर्धक रखने के इस प्रस्ताव पर विचार करें।

इसी प्रकार राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम की कोई आवश्यकता नहीं रही। राज्य व्यापार निगम की स्थापना रुपये में व्यापार करने वाले देशों के साथ व्यापार करने के लिए की गई थी और खनिज तथा धातु व्यापार निगम की स्थापना खनिजों और अयस्क का निर्यात करने के लिए की गई थी। स्थिति अब बदल गई है मेरा सुझाव है कि राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का विघटन कर दिया जाए और इनकी जगह दो अलग अलग निगम अर्थात् निर्यात के लिए राज्य निर्यात निगम और आयात के लिए राज्य आयात निगम-स्थापित किए जाएं। आयात और निर्यात सम्बन्धी विशेषज्ञीय जानकारी को अलग अलग करके ही हम सबसे अच्छी और सबसे सस्ती चीजें खरीद सकेंगे। राज्य निर्यात निगम को लघु क्षेत्र के लिए, लघुतर क्षेत्र के लिए तथा घरेलू क्षेत्र के लिए निर्यात गृह के रूप में कार्य करना चाहिए क्योंकि इन क्षेत्रों के पास काफी विशेषज्ञीय जानकारी है और इनमें कभी कभी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की चीजें तैयार की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी निपुणता की अधिकता है और वहां पर सामान्य प्रौद्योगिकीय ज्ञान भी विद्यमान है। राज्य व्यापार निगम को लघु क्षेत्र के लिए, लघुतर क्षेत्र तथा घरेलु क्षेत्र के लिए निर्यात गृह के रूप में कार्य करना चाहिए इससे बाजार गवेषणा सुविधाओं तथा विपणन सम्बन्धी बुनियादी चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि लघु क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा लघुतर क्षेत्र ऐसी विस्तृत विपणन क्रिया या विपणन सम्बन्धी बुनियादी चीजों की व्यवस्था नहीं कर सकते। वे दूरभाषिक क्रिया आदि की भी व्यवस्था नहीं कर सकते।

राज्य व्यापार निगम प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं से मिल केवल बुनियादी तौर पर आवश्यक चीजों का आयात करें। आज यहां पर राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु निगम हैं जो कभी कभी उन्हीं ग्राहकों तथा सामान्यतया उन्हीं देशों से आयात और उन्हीं को ही निर्यात करते रहते हैं। मेरे विचार में यह एक हास्यस्पद स्थिति है।

इस वर्ष हम 7,500 करोड़ रुपये का निर्यात व्यापार कर सकेंगे और इसके लिए मैं वाणिज्य मन्त्री की सराहना करता हूं। वर्ष के आरम्भ में ऐसा नहीं लगता था कि कि हम 7,000 करोड़ रुपये का निर्यात कर सकेंगे। ऐसा लगता था कि केवल 6,500 करोड़ रुपये का ही निर्यात व्यापार हो पायेगा। परन्तु आंकड़ों और प्रवृति को ध्यान में रखते हुए मुझे विश्वास है कि हमारा निर्यात व्यापार 7,500 करोड़ रुपये का और आयात व्यापार 12,500 करोड़ रुपये का हो सकेगा। इस प्रकार हमें मोटे रूप लगभग 5,000 करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। इस ससय हमारे सामने जो काम है वह यह है कि हमें अलग अलग तथा सामूहिक रूप से उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न करना है। अपने एकस राष्ट्रीय उत्पादन वृद्धि करनी है। हम केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उत्पादन में वृद्धि करके ही निर्यात व्यापार को बढ़ा सकते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : सभापति महोदय जी, बहुत कुछ पहले ही कहा जा चुका है और कुछ माननीय सदस्यों ने तो अपने विचार विस्तार पूर्वक व्यक्त किये हैं। अतः मैं विस्तार में न जाकर, अपने मित्र, श्री कमल नाथ की तरह सामान्य बातों की ही चर्चा करूंगा।

परन्तु मैं उनसे इस बात पर सहमत नहीं हूं कि निर्यात का अर्थ फालतू सामान का निर्यात है अर्थात जो कुछ हमारे पास फालतू है, उसका निर्यात करना है। यदि यही नीति है, तो मैं नहीं समझता कि हम जीवित रह सकते हैं क्योंकि जब तक हमारे पास कई वस्तुएं फालतू हो पायेंगी तब तक तो शायद खरीदार ही न रहे। परम्परागत मण्डी को बनाये रखने के लिए तो हमें चाहे फालतू माल न भी हो, निर्यात करना ही पड़ेगा।

महोदय, सभी आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं परन्तु मेरे विचार में तो कुल निर्यात व्यापार और इसमें घाटा केवल वाणिज्य मन्त्रालय के कार्य पर ही निर्भर नहीं करता है। यह वास्तव में कई अन्य मन्त्रालयों अर्थात् कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय आदि के कार्य पर निर्भर करता है। यह एक चिन्ताजनक बात है कि आयात पर हमारा खर्च प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। माननीय सदस्य, श्री कमल नाथ ने कहा कि हमारे निर्यात में वृद्धि हो रही है। कुल निर्यात में वृद्धि करने में कोई तुक नहीं है। हमें चिन्ता होनी चाहिए कि आयात और निर्यात के बीच जो अन्तर है वह प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है। इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा और इसका हल निकालना होगा। मुझे विश्वास है कि वाणिज्य मन्त्रालय के पास एक कुशल और योग्य मन्त्री है। तथापि मैं वास्तविकता को मानने के लिए तैयार हूं। निर्यात-व्यापार क्यों कम हो रहा है? श्री कमल नाथ जी पूर्व सरकार को दोषी ठहरा रहे थे। हो सकता है; इसमें कुछ सच्चाई हो, मैं तो समूची सरकार को दोषी मानता हूं।

अर्थात मंत्रालय को भी क्योंकि केवल वाणिज्य मंत्रालय स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप उत्पादन-चाहे फालतू या अन्यथा-नहीं करते, जब तक आप निर्यात कैसे कर सकते हैं? अतः यदि आप निर्यात बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको न केवल औद्योगिक क्षेत्र में परन्तु कृषि क्षेत्र में भी उत्पादन बढ़ाना होगा। जब मैं उत्पादन की बात करता हूं तो इससे निर्यात-प्रधान उत्पादन पर जोर देना चाहता हूं। परन्तु दुःख तो इस बात का है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए अब भी हमारे बुनियादी चीजों का अभाव है। इसलिए हमारे उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है : अतः यदि हम निर्यात में सुधार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आयात पर खर्च में कमी करनी होगी, वाणिज्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय और ऊर्जा मत्रालय सभी को अपने कार्य में सुधार करना होगा। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें आपस में सम्बन्धित है। यह कोई तुक नहीं है कि हम विधान द्वारा या किसी नियंत्रण द्वारा निर्यात के मामले में सुधार कर लें तो जैसे कि वाणिज्य मंत्रालय कर रहा है। इन सभी तरीकों से निर्यात की में बुनियादी रूप से वृद्धि नहीं की जा सकती। इसके लिए पहले हमें उन वस्तुओं का पता लगाना होगा जिनका हम निर्यात कर सकते हैं। यह एक से ही एक उचित तरीका है। श्रीमन्, हमारा एक कृषि प्रधान देश

है। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं और यह आरोप जनता सरकार पर भी लागू होता है। निर्यात के बारे में सरकार ने कोई दीर्घकालिग नीति नहीं अपनाई है। आप इस वर्ष के लिए आयोजन कर रहे हैं। आप कई वर्षों के लिए आयोजन नहीं कर रहे हैं। आपकी कोई दीर्घकालिक नीति नहीं है हमारा एक कृषि प्रधान देश है और निर्यात के महत्व के बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं है। निर्यात करो और जिन्दा रहो, आयात करो और नष्ट हो जाओ इस बारे में यही कहा जा सकता है। हमें पहले उन कृषि वस्तुओं का पता लगाना चाहिये जिनका हम निर्यात कर सकते हैं हमें उन वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दीर्घकालिग नीति निर्धारित करनी चाहिये। परन्तु खेद है कि ऐसा नहीं किया जा रहा। मैंने श्री कमल नाथ को यह कहते हुए सुना है कि, यदि फालतू माल होगा तो उसका निर्यात होगा। परन्तु इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता है जिससे इनका निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं।

मैं नहीं जानता कि इसके लिए मेरे पास समय है या नहीं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी मित्र, श्री बी० के० नायर ने काजू की खेती के बारे में कहा। मैं इसके बारे में कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। परन्तु जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि सभी जानते हैं कि काजू की गिरी का निर्यात करके हम विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। परन्तु खेद यह है कि स्वयं देश में पर्याप्त काजू नहीं है। यद्यपि आयात आदि के बारे में भी कुछ विवाद था तथापि मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। यह केवल इसी वर्ष ही नहीं, हम पहले से ही जानते है कि काजू का निर्यात किया जा सकता है और विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है। यही हम स्वतन्त्रता प्राप्त करने से सुनते आ रहे हैं। हम काजू की गिरि का निर्यात करते रहे हैं और विदेशी मुद्रा कमाते रहे हैं। परन्तु हमने इस देश में काजू का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने का प्रयास ही नहीं किया है जिससे हम अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके। मुझे यह विश्वास है कि केरल तमिलनाडु कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में काजू बड़े पैमाने पर उगाया जाता है यह सब राज्यों पर छोड़ दिया गया है और राज्य धान की या कोई अन्य खेती करते हैं। प्रश्न यह है कि जब काजू का निर्यात किया जा सकता है, इसलिए केन्द्रीय सरकार को इसके लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना चाहिये। देश मे काजू का पर्याप्त उत्पादन करने के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम होना चाहिये। मेरे विचार में ऐसा करना सम्भव है। परन्तु खेद है कि भारत सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है मैं पूछता हूं कि काजू बोर्ड क्यों नही बनाया जा सकता? आप रबड़ बोर्ड या इलायची बोर्ड की तरह काजू बोर्ड की स्थापना क्यों नहीं करते?

श्री बी० के० नायर : इसमें मैं आपका समर्थन करता हूं ?

प्रो० के० जी० कुरियन : मुझे विश्वास है आप सभी अच्छी बातों का समर्थन करते है। यह मैं जानता हूं। आपको एक ऐसा काजू बोर्ड स्थापिक करना चाहिये देश में काजू का पर्याप्त उत्पादन करने के लिए दीर्घकालीन नीति होनी चाहिये।

यह ठीक है कि वाणिज्य मंत्री अकेले यह नहीं कर सकते। उन्हें दूसरे मंत्रालयों का

सहयोग प्राप्त करना होगा। मैं यह स्वीकार करता हूं। फिर भी उन्हें इस बारे एक उद्देश्यपूर्ण अध्ययन कराना चाहिये। उन्हें काजू का पर्याप्त उत्पादन करने हेतु आवश्यक पौधे लगाने के मामले का सर्वेक्षण कराना चाहिये जिससे उसका निर्यात किया जा सके। मुझे विश्वास है कि हमारे पास इतनी क्षमता है। मैं जानता हूं कि देश में ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उत्पादन काजू की लाभप्रद रूप से अधिक खेती कर सकते हैं परन्तु हम देखते हैं कि उनमें से कुछ क्षेत्रों का उपयोग अन्य वस्तुओं की खेती के लिए किया जा रहा है। उदाहरणार्थ; यदि हम केरल में काजू की खेती करते हैं तो वहां पर टपियोका की खेती से आय की तुलना में इससे अधिक आय हो सकती है। परन्तु केरल में हजारों एकड़ भूमि में टैपियोका की खेती की जा रही है। यह ठीक है कि टैपियोका चावल के साथ खाया जाता है। वे टैपियोका की खेती क्यों करते हैं? यदि सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी तो वह काजू की खेती करेंगे और हम काजू का पर्याप्त उत्पादन कर सकेंगे और उसका निर्यात करके विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे इसके लिए दीर्घकालीन नीति और मंत्रालयों में समन्वय की जरूरत है।

काली मिर्च का निर्यात हम सब से अधिक करते हैं। इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप कह सकते हैं कि यह भाषण कृषि मन्त्रालयों के लिए है। परन्तु हमें यह भी सोचना चाहिये। वाणिज्य मंत्री, चाहें वह कितना भी कार्यकुशल न हो, कुछ नहीं कर सकता जब तक उत्पादन न हो अत; काली मिर्च एक ऐसी वस्तु है जिससे विदेशमुद्रा अर्जित की जा सकती है। दिलचस्प बात तो यह है कि केरल में कुल भूमि के एक तिहाई भाग में काली मिर्च की खेती की जा सकती है। यह उत्पादकों के लिए भी लाभप्रद है। पर बात यह है कि इस ओर से कोई प्रोत्साहन ही नहीं है। जैसा कि कमल नाथ ने कहा हैं कि हमें अधिशेष वस्तु का निर्यात कर रहे है परन्तु वास्तविक अधिशेष वस्तु का उत्पादन करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है?

गेहूं और चावल को ही लीजिये, चावल आंध्र प्रदेश में और गेहूं का पंजाब में उगाया जा सकता है। इसी प्रकार केरल में हजारों एकड़ भूमि, जिसमें टैपियोका उगाया जाता है, में चावल उगाया जा सकता है। यह मेरी राय है। यह सुनिश्चित के लिए नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिये, कि जहां निर्यात योग्य वस्तु उगाई जा सकती है, उसका उत्पादन करने के लिए पूरा प्रोत्साहन मिलना चाहिये। यह मेरा एक ठोस सुझाव है कि वाणिज्य मंत्री इन दो बातों की ओर ध्यान दें। यद्यपि इस वर्ष भले ही अच्छे परिणाम न निकले, तथापि हमें दीर्घकालीन कार्यक्रम के पहलू को नहीं भूलना चाहिये क्योंकि यह एक ही बहुत महत्वपूर्ण है। हमें निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन की क्षमता का पता होना चाहिये और उसका पूरा-पूरा उपयोग किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि इस देश में हम आयात की तुलना में निर्यात से अधिक आय कर सकते हैं परन्तु इसके लिए दीर्घकालीन आयोजन की जरूरत है फिर हम इस समय की तुलना में 4, 5 गुणा अधिक काली मिर्च का उत्पादन कर सकेंगे। इस देश में आवश्यकता से भी दुगना काजू उगाया जा सकता है। परन्तु हम ऐसा नहीं कर रहे है। मैं यह नहीं कह रहा कि आप अधिक अच्छी कीमत दें, परन्तु आप युक्तियुक्त मूल्य अवश्य दें। इस बारें में कोई सन्देह नहीं है।

अतः काली मिर्च बोर्ड और काजू बोर्ड की स्थापना की जाये । इस बारे में अन्य मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श किया जाना चाहिये । आगामी पांच वर्षों में हम कुल कितना उत्पादन कर सकते हैं इस बारे में उद्देश्यपूर्ण अध्ययन किया जाना चाहिए । इस पर अधिक खर्च किया जा सकता है । आपको विदेशी मुद्रा में इससे सौ गुणा अधिक प्राप्त होगा । अतः निर्यात में सुधार लाने के लिये आलसकालीन नीति को बदल दिया जाये आप उस तरह निर्यात नहीं कर सकते हैं । मैंने केवल दो ही उदाहरण दिए हैं, परन्तु आप इसे वहीं तक सीमित न रखिए । देश में उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए विशिष्ट अध्ययन किया जाए जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मन्डी उपलब्ध है और जिसका अभाव है । इस मामले में हमें विशेष प्रयास करना चाहिए जैसा कि रबड़ के क्षेत्र में किया गया है । रबड़ बोर्ड के होने से देश में उत्पादन 10 गुणा बढ़ गया है । अब हम रबड़ के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गए है । इसमें अभी और वृद्धि की जा सकती है ।

मैं श्री वी० के० नायर की इस बात का समर्थन करता हूं कि हमें कच्चे माल का निर्यात नही करना चाहिए । यह तो एक बुरी बात है कि हम 33 वर्ष के पश्चात् भी कच्चे माल का निर्यात कर रहे हैं । यदि हम इस वर्ष लोह-अयस्क का निर्यात करेंगे तो उससे अधिक लाभ तो हो सकेगा परन्तु यह हानिकर होगा । अतः इस देश से किसी कच्चे माल का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए । केवल तैयार शुदा माल का ही निर्यात होना चाहिए । मुझे बताया गया कि केरल में भी गत मास संघ के पास 700 टन कोको फालतू था । कोको की पूरी मात्रा का निर्यात कर दिया गया । मैं भी यह चाहता हूं कि इसका निर्यात किया जाए । परन्तु हमें कोको के बीजों का निर्यात नहीं करना चाहिए । हमें तैयार शुदा उत्पादों का निर्यात करना चाहिए । इससे हमें अधिक आय होगी और रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे । अतः हमें कच्चे माल का निर्यात नहीं करना चाहिए । चाहे हमें इस समय हानि ही क्यों न हो । हमें एक दीर्घकालीन बड़ी योजना बनानी चहिए जिससे हम केवल तैयार शुदा माल का ही निर्यात कर सकें । देश की यही मूल नीति होनि चाहिए ।

यह ठीक है कि उद्योग के मामले में पहले ही प्रोत्साहन दिया जा रहा है । परन्तु मैं एक विशिष्ट बात कहना चाहता हूं । इलैक्ट्रानिक्स उद्योग के मामले में, मैं यह नहीं कह रहा कि कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ।

मुझे अफसोस है कि मुझे इस बारे में उद्योग मंत्री तथा वित्तमंत्री से कहना चाहिये था । परन्तु यह बहुत महत्वपूर्ण है । आप जापन को देखिए । उस देश ने कितनी प्रगति की हैं ? क्या हमारे पास तकनीकी जानकारी नहीं है ? हमारे वैज्ञानिक विदेशों में जा रहे हैं और वहां काम कर रहे हैं । हम अपने वैज्ञानिकों और तकनीकी व्यक्तियों तथा इंजीनियरों को बाहर भेज रहे हैं । यह बहुत बुरी बात है । उन्हें वापिस बुला लिया जाना चाहिये । हो सकता है कुछ समय के लिये हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़े परन्तु हमें इलैक्ट्रॉनिक उद्योग मे अधिक से अधिक प्रगति करने का प्रयास करना चाहिए और मुझे विश्वास है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा निर्यात और

आयात का अन्तर कम हो सकता है तथा हमारा निर्यात बढ़ सकता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि आप बड़े उद्योग स्थापित करने पर जोर दे रहे हैं और इसके लिए बहुत सी मशीनों का आयात करना होता है जिन पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है तथा उत्पाद भी ऐसे होते हैं जिनमें अधिक श्रमिकों की जरूरत नहीं होती। ऐसा करने से हमारी स्थिति बेहतर नहीं हो पायेगी। इलैक्ट्रोनिक उद्योग की विशेषता यह है कि यह उद्योग रोजगार—प्रधान और निर्यात-प्रधान उद्योग है। अतः मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार निर्यात बढ़ाने की बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। जब तक कि हम अपना निर्यात बढ़ाने के लिए कोई दीर्घकालीन वृहद् योजना न अपनायें। इसके लिए कुछ मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। वास्तव में तभी निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा तथा हमें आन्तरिक खपत का खतरा उठाकर भी निर्यात बढ़ाने की नीति अपनानी चाहिए। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आन्ध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन बढ़ाइये और केरल को उसकी सप्लाई कीजिये तथा केरलवासियों को कहिये कि वह काली मिर्च और काजू का उत्पादन बढ़ायें। आप इसके लिए एक विधान भी ला सकते हैं। मैं उसका भी स्वागत करूंगा। आप आन्ध्र प्रदेश में चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक रियायतें दीजिये और केरलवासियों से कहिये कि वे चावल का उत्पादन न करके अधिक से अधिक काली मिर्च और काजू का उत्पादन करें।

यदि आप राष्ट्रीय दृष्टिकोण से इस बारे में विचार करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे देश में बहुत बड़ी क्षमता है। यदि हमारे पास तेल की कमी है तो हमें इसके लिए चिन्ता नहीं करनी चाहिए। हम ऐसी चीजों का उत्पादन करके जो निर्यात प्रधान हों और एक निर्यात-प्रधान नीति अपनाकर तेल उत्पादक राष्ट्रों को मात दे सकते हैं। ऐसी नीति तैयार की जानी चाहिए तथा हमारे सामने जो समस्या है उसका एकमात्र हल यही है कि हम एक ऐसी नीति तैयार करें। धन्यवाद।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बांका) मैं वाणिज्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मुझे इस में कोई सन्देह नहीं है कि सरकार और वाणिज्य मंत्री जो कि अपनी योग्यता, मेहनत और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं, विदेश व्यापार की खराब स्थिति को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

सब माननीय मित्रों ने निर्यात और आयात में अन्तर बढ़ने का उल्लेख किया है। वास्तव में 1976-77 से व्यापार संतुलन उत्तरोतर खराब होता रहा है इस वर्ष निर्यात और आयात का अन्तर 4200 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है जो हम सब के लिए गहरी चिन्ता का विषय है।

मैं निर्यात-आयात के आंकड़े देकर सभा का समय नहीं लेना चाहता। परन्तु स्थिति काफी कठिन है, जैसा कि चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों ने कहा है। भविष्य के लिए क्या सम्भावना है? विश्व बैंक के प्रतिवेदन में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का ब्यौरा दिया गया है तथा यह कहा गया है कि सभी औद्योगीकृत राष्ट्रों में विकास की दर कम रही है तथा मन्दे का रुख है और

इस स्थिति का सामना करने के लिए अनेक उपाय कर रहे हैं। इन प्रवृतियों से भविष्य का पता नहीं चल सकता। ब्रांड आयोग ने वास्तविकता की ओर ध्यान दिलाया है। विकसित देश अन्य देशों के हितों की ओर बहुत कम ध्यान दे रहे है तथा अनेक वार्ताएं, सम्मेलन और गोष्ठियां होने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। व्यापार संतुलन विकासशील देशों के प्रतिकूल होता जा रहा है। 1972-73 में तेल निर्यात करने वाले विकासशील देशों की ओर बकाया राशि केवल 6.2 बिलियन डालर थी, जो वर्ष 1980 में बढ़कर 63.3 बिलियन डालर हो गई है। विकासशील देशों को इस स्थिति को स्वीकार करना होगा और और विकसित देशों से समानता के आधार पर अपनी योजना बनानी होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि विकासील देशों को चाहिए कि वे स्वयं रचनात्मक और संस्थागत परिवर्तन लाएं और अपनी प्राथमिकताओं को भी बदलें ताकि प्रगति और विकास की दर को कायम ही न रखा जा सके बल्कि बढ़ाया जा सके। विकासशील देश भौतिक संसाधनों में समृद्ध हैं तथा उनके पास पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे प्रगति के मार्ग में आने वायी संस्थागत रुकावटों को दूर करें तथा सुखद भविष्य में विश्वास के साथ एक नये युग में दाखिल हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब तक हम कुछ नई प्रणालियां नहीं अपनाते, जब तक हम भविष्य के लिए कोई समुचित योजना नहीं बना सकेंगे। हमें अपनी समूची अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए और जनशक्ति का पूरा उपयोग करने के लिए देश के अन्दर भी स्थायी मांग स्थापित करनी होगी।

हम एक ऐसी स्थिति में हैं, जिसमें हमारी अर्थ व्यवस्था विकसित देशों से प्रभावित है हमारे उत्पादन में बाधायें है तथा हमारी अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के ऐसे प्रभाव पड़ रहे हैं जिन से बचा जा सकता है। हमारे आयात में मुख्यता इसलिए वृद्धि हो रही है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों उर्वरकों और मशीनों आदि के मूल्यों में वृद्धि हो रही है जैसाकि कुछ माननीय मित्रों ने कहा है। मेरे माननीय मित्र सत्येन्द्र नारायण सिंह ने ठीक ही कहा है कि जहां तक संभव और व्यवहार्य हो हमें ऊर्जा को बचाने के लिए कारगर उपाय करने चाहियें। मैं उनके इस कथन से पूर्णतया सहमत हूं। आज के बिजनेस स्टेंडर्ड" में भी राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद् के प्रतिवेदन का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है ऐसी स्थिति में भी जबकि मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि है, ऊर्जा का दुरुपयोग सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। हमें एक प्रभावी एवं वास्तविक ऊर्जा नीति अपनानी चाहिए। ऐसी नीति है और उसे क्रियान्वित भी किया जा रहा है, परन्तु जरूरत इस बात की है कि इस बारे में अधिक सतर्कता बरती जाये और इस नीति के कारगर ढंग से प्रयोग में लाया जाये।

हमें ज्ञात है कि आयात का वित्तपोसण करने में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। परन्तु मैं ने जो कुछ कहा है उसके बावजूद पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कमी करने की बहुत कम गुंजाइश है, क्यों हम दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादों की बहुत कम खपत वाले देशों में से हैं और हमें पेट्रोलियम उत्पादों और दूसरी आवश्यक वस्तुओं का भी आयात करना पड़ता है। इस के सिवाय कोई और चारा नहीं है। इसलिए हमें उचित रूप से और मुस्तैदी से स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

आयात प्रतिस्थापन की गति को बढ़ाया गया है। यह बड़ी खुशी की बात है कि उचित कदम उठाये गये हैं, परन्तु यह गति वस्तुतः हमारी समूची अर्थव्यवस्था में सुधार होने और हमारे औद्योगिक क्षेत्र तथा विभिन्न प्रकार का तकनीकी और आधुनिक माल बनाने की इस की क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए भविष्य में हमें अधिक साहसिक कदम उठाने चाहिये और उचित नीति अपनानी चाहिए।

मेरे माननीय मित्रों ने इस बारे में अभी जो कुछ कहा है, मैं उससे पूर्णतया सहमत हूं। हमें अपनी तदर्थता को छोड़ देना चाहिए और जहां तक एक विश्व व्यापार नीति का सम्बन्ध है बहुत हद तक हमने इसे छोड़ दिया है। हमें दीर्घकालीन सम्भावनाओं को ध्यान में रखकर इस स्थिति पर विचार करना चाहिए। छठी योजना में इस समस्या पर गहनता से विचार किया गया है और कम से कम 10 प्रतिशत की सुनिश्चित वृद्धि की दर प्राप्त करने का सुझाव किया गया है।

कुछ अर्थशास्त्रियों ने और अधिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित करने का भी सुझाव दिया है, परन्तु स्थिति को देखते हुए शायद यह न्यूनतम आवश्यकता है। परन्तु यह वर्तमान निर्यात नीति पर निर्भर करता है। हमें वास्तव में उन क्षेत्रों का पता लगाना होगा जिनमें कतिपय माल के उत्पादन और सेवायें प्रदान करने में हम प्राकृतिक रूप से लाभप्रद स्थिति में हैं और इन क्षेत्रों के लिए हमें अपनी शक्ति और संसाधन समग्र रूप से लगाने होंगे। विकासशील देश और खासकर अमरीका तथा कुछ अन्य देशों में यह समझा जाता है कि हमारे निर्यात को बहुत अधिक राज सहायता प्राप्त है। वस्तुतः यह बात सच्चाई और तथ्यों से बहुत दूर है। हमारी 450 करोड़ रुपये की कुल राज सहायता में से 350 करोड़ रुपये सीमाशुल्क को निष्प्रभावी करने के लिए है और शेष राशि बाजार अनुसंधान और आसूचना पर खर्च की जाती है। वास्तव में इन प्रयासों को और गति देनी होगी, ताकि विश्व बाजार में हम अपनी संवेदनशीलता बनाए रख सकें। जब एक माननीय सदस्य भाषा में राजसहायता देने की बात कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि वह अपनी बात शायद पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाये। मैं चाहता हूं कि उन क्षेत्रों का अवश्य पता लगाया जाये जिनमें हमें अन्य देशों की तुलना में प्राकृतिक रूप से लाभ प्राप्त है या हमारी स्थिति बेहतर है तो हमें राजसहायता प्रदान करनी चाहिए तथा यदि आवश्यक हो तो हमें ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि आरम्भ में तो हम राज सहायता प्रदान करें और आगे के वर्षों में उसकी राशि करने जायें ताकि अन्ततः राजसहायता को समाप्त किया जा सके और उद्योग अपने पांव पर खड़ा होकर पनप सके। मैं माननीय वाणिज्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस सभा में एक पत्र प्रस्तुत करें जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया हो कि आगामी पांच वर्षों में या छठी योजना के दौरान हमारी निर्यात नीति क्या होगी। इन से हमारे सभी उद्योग, निर्यातकर्ता और आयातकर्ता अपनी-अपनी नीतियां बना सकेंगे।

आयात प्रतिस्थान के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन की गति बढ़ायी गई है, परन्तु इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि निर्यात संवर्धन

और आयात प्रतिस्थापना एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं और ये हमारी विदेशी व्यापार नीति के अभिन्न अंग हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आयात को आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और निर्यात से जोड़ा जाना चाहिए। मैं इस बारे में एक उदाहरण दूंगा। हमें सीमेंट का आयात करने की बजाय सीमेंट-मशीनरी का आयात करना चाहिए और अपने देश में सीमेंट का उत्पादन बढ़ाना चाहिए। यदि 100 टन सीमेंट के संयंत्र के लिए मशीनें आयात की जाती हैं जिन पर 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है, तो इससे 600 रुपये प्रति टन के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर चार महीने में 15 करोड़ की आय हो सकती है। हमें खुशी है कि हमारी सरकार ने हाल में पांच छोटे सीमेंट कारखानों की मंजूरी दी है। हम चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया और निर्यात और विदेश व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किये जायें। मैं कुछ अल्पकालिक उपायों का भी सुझाव देना चाहता हूं, जिन्हें फुरतैदी से लागू किया जाना चाहिए। हमने वाणिज्य मंत्रालय का प्रतिवेदन पढ़ा है और है और हमें खुशी है कि सरकार ने इस दशा में एक साथ कई उपाय किये हैं और उनके सरहानीय परिणाम सामने आने लगे हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरे माननीय मित्र श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ने इंजीनियरी माल के निर्यात में वृद्धि और गत तीन से चार वर्षों में रसायनों, औषधों, सौन्दर्य प्रसाधनों, घरेलू चाय, काफी, दवाइयों और सिले सिलाये वस्त्रों के निर्यात के क्षेत्र में सवर्धन का उल्लेख किया है। मेरे कुछ माननीय मित्रों ने खनिज और धातु व्यापार निगम के कार्यकारण का उल्लेख किया था। इस ने बहुत अच्छी प्रगति की है और इस वर्ष 1335.74 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ है। कुछ माननीय मित्रों ने सुझाव दिया है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम और राज्य व्यापार निगम के कार्यकरण पर और कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। मैं अधिक उदाहरण न देते हुए यह कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे मामले सामने आये हैं, जिनमें खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कम कीमतों पर माल बेचा है और ऊंची कीमतों पर निर्यात की तुलना में कम कीमतों को उचित माना है। ऐसे मामलों की ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए।

मैं सुझाव देना चाहता हूं कि संयुक्त उद्यमों और टन-की-परियोजनाओं पर जिनसे हम अधिक विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं, अधिक जोर देना चाहिए। तकनीकी जनशक्ति में हम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है तथा हमारे देश में सस्ते दशकर्मकार उपलब्ध हैं। इसलिए विदेश में ठेके लेने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। भारत शायद इस बारे में बदनाम है कि नियमित और समय पर सप्लाई नहीं पाते और अपनी क्वालीटी को बनाए नहीं रख सकते। मुझे विश्वास है कि सरकार ने इस दशा में कुछ सक्रिय कदम उठाए हैं परन्तु अपने कार्य के द्वारा हमें इस संदेह को दूर करना होगा कि हम नियमित रूप से और समय पर सप्लाई नहीं कर पाते तथा अपनी क्वालिटी नहीं बनाए रख सकते। इस प्रकार निर्यात संवर्धन परिषदों के कार्यकरण पर अधिक ध्यान देना होगा ताकि समूचा खर्च संवर्धन कार्यों पर न कि अन्य कार्य पर किया जाए।

मैं कपड़ा नीति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। हमें खुशी है कि नई कपड़ा नीति में

हथकरघा क्षेत्र के विस्तार, खादी क्षेत्र के संवर्धन और देश में घरेलू मांग की पूर्ति के लिए कपड़े के उत्पादन में वृद्धि पर जोर दिया गया है।

मैं कृत्रिम रेशे के बारे में वर्तमान नीति के संबंध में विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। हमें खुशी है कि सरकार इसे प्रोत्साहन दे रही है परन्तु इसे और जोरदार ढंग से तथा सभी प्रकार की सहायता देनी चाहिए क्योंकि आजकल आम आदमी भी अधिक से अधिक कृत्रिम रेशे का उपयोग कर रहा है क्योंकि यह धोने में आसान तथा टिकाऊ होता है और इससे देश की वस्त्र आवश्यकता को पूरा करने में काफी सहायता मिलेगी। इसी प्रकार, हथकरघा सेक्टर के बारे में जैसाकि एक अन्य मित्र ने ठीक ही कहा है, इसे भी सभी प्रकार की सुरक्षा तथा संरक्षण देना चाहिए जो समय पर धागे की सप्लाई उचित विपणन, इत्यादि के रूप में हों। आपने कहा है कि बिजलीकरघा सेक्टर को 5% तक बढ़ाया जा सकता है। वास्तव में, मैं इस नीति का विरोधी नहीं हूं, परन्तु बिजली कारघा सेक्टर को यथासम्भव सीमित करना चाहिए और हथकरघा उद्योग को जो देहातों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बहुत ही गरीब कारीगरों को रोजगार देता है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे अपनी निर्धारित सीमा में ही रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी।

पिछले साल हमारे योग्य वाणिज्य मन्त्री ने पूरी कोशिश की थी और सावधानीपूर्वक नीतियों का कार्यान्वयन किया था और वे भयंकर समस्या से निपट पाए थे। परन्तु मैंने कतिपय सुझाव दिए हैं। मैं अपने सुझावों की पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि समस्या से निपटने के लिए दीर्घ-कालीन व्यापक नीति तैयार करनी चाहिए क्योंकि यह स्थिति लम्बी अवधी तक कायम रहेगी।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : महोदय, आप जानते हैं कि वाणिज्य मन्त्रालय के कार्यकरण की रिपोर्ट हमारी अर्थव्यवस्था के बहुमुखी मार्गदर्शन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। अतः व्यापार मोर्चे तथा विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में उसमें जो कुछ उल्लेख किया गया है, उससे देश में पूर्ण आर्थिक स्थिति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यदि आप व्यापार की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी विशेषताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। 1976-77 में हमारी निर्यात आयात से 68.46 करोड़ रुपये अधिक था। उसके पश्चात् घाटा होना शुरू हुआ। 1977-78 में घाटा 621.03 करोड़ रुपये का था। 1978-79 में घाटा बढ़कर 1088.60 करोड़ रुपये हो गया, 1979-80 में यह 2439 करोड़ रुपये था तथा 1980-81 में घाटा 4000 करोड़ रुपये का हो गया। जिस दिशा में हमारी अर्थ व्यवस्था जा रही है, वह हमें मालूम है यदि हम रिपोर्ट को एक नजर देखें तो इससे साफ मालूम पड़ जाएगा कि किस दिशा में हमारा निर्यात जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि :

> "दिशा वार निर्यात व्यापार असमान है। चार देश अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरीका, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा जापान हमारे प्रमुख व्यापार साझेदार हैं और एक दशक पूर्व हमारे कुल निर्यात व्यापार का 50 प्रतिशत इन देशों को होता था। 1979-80 में उनका हिस्सा घटकर 49 प्रतिशत हो गया। यह कमी अधिक हुई संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में, आयात निर्यात व्यापार 16.8 प्रतिशत से घटकर 12.5 प्रतिशत हो गया और ब्रिटेन के

मामले में 11.7 प्रतिशत से घटकर 7.4 प्रतिशत हो गया। पूर्वी यूरोपीय देशों का हिस्सा भी इस अवधि के दौरान 21.8 प्रतिशत से घटकर 13.3 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर ब्रिटेन को छोड़कर सभी यूरोपीय साझा बाजार के सभी देशों तथा मध्य पूर्व के सभी तेल निर्यातक देशों के हिस्से 1969-70 में जो क्रमशः 7.2 प्रतिकत तथा 6.3 प्रतिशत था, 1979-80 में बढ़कर क्रमश 18.8 प्रतिशत और 9.5 प्रतिशत हो गया।"

हमारी निर्यात स्थिति तथा क्रैडिट पोजिशन का उन क्षेत्रों में काफी महत्त्व है जहां हम व्यापार करते हैं क्योंकि हम एक ऐसे बाजार पर आश्रित हैं जो विशेष रूप से ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बाजार है जहां सभी तरह के दबाव, मुद्रास्फिति की ऊंची दर, मंदी तथा संकट रोजमरी की घटना है। अतः हमारी व्यापार स्थिति का संकट यह है कि यदि हम पूंजीवादी देशों के साथ निर्यातोन्मुख व्यापार की विश्व बैंक की नीति का पालन करेंगे तो हमारी पूरी कोशिश के बावजूद हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते पूंजीवादी देशों का बाजार-तन्त्र अविकसित राज्यों को लूटने वाला है। वे नव-निषेधवादी अर्थव्यवस्था की नीति का पालन करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अपनी सर्वांगपूर्ण नीति तैयार करनी होगी। यदि आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा प्रति वर्ष निर्यात सहायता बढ़ती जा रही है। 1960-70 में वह 34.92 करोड़ रुपये की 1974-75 में यह 66.32 करोड़ रुपए थी, 77-78 में 311 करोड़ रुपए, 79-80 में में 358 करोड़ रुपए और 1980-81 में 625 करोड़ रुपए हो गई। इतनी निर्यात सहायता हमने हमनी अर्थव्यवस्था में लगाई है। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि शासक दल के अधिकांश वक्ता आत्म-निर्भर अर्थव्यवस्था, स्वतन्त्र अर्थव्यवस्था, आदि की बात कर रहे हैं। अब मैं यह देख रहा हूं कि हम निर्यात की ओर झुक रहे हैं, नारा दिया जा रहा है सब कुछ निर्यात के लिए, "निर्यात अथवा बर्बादी"। यह नारा क्यों दिया जा रहा है? यदि यह इसलिए दिया जा रहा है कि तुम्हारी अर्थ व्यवस्था आत्म-निर्भर हो गई है अथवा हमारी आन्तरिक अर्थव्यवस्था में उस सीमा तक वृद्धि हो गई है, तब तो उस सीमा तक निर्यात करने की बात समझ में आती है। जिस देश में 50 प्रति, शत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हों जहां आम लोगों के पास क्रम-शक्ति नहीं है पूंजीवादी राज्य में समस्या अथवा संकट निवारण का एकमात्र उपाय निर्यात, निर्यात के प्रति-झुकाव, निर्यात को प्राथमिकता प्रदान करना है, इसलिए "निर्यात अथवा बर्बादी" का नारा दिया गया है। यद्यपि, माननीय मन्त्री अगले वर्ष के लिए आशावादी है, परन्तु खेद है कि यही कहानी अगले वर्ष भी दुहराई जाएगी, शायद और भी बुरी स्थिति हो, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति में मंदी आ रही है और संकट और गहरा होने जा रहा है।

अब स्थिति क्या है? निर्यात के लिए उत्पादन हेतु सभी बड़े संसाधनों का स्थानांतरण हो रहा है। सभी निर्यातकों को आयात के मामले में प्राथमिकता प्रदान की जाती है। सभी अन्य पहलुओं को जैसे आर्थिक जमाव अथवा एकाधिकार पर रोक, पूंजीनिवेश तथा उत्पादन का विनियमन स्वदेशी तकनीक में सुधार, उद्योगों का क्षेत्रीय फैलाव, लघु तथा श्रम-प्रधान उद्योगों की सुरक्षा को नजर अन्दाज कर दिया जाता है क्योंकि निर्यात संवर्धन की नीति को पूर्ण प्राथमिकता

दी जा रही है। नये वर्ष के प्रारम्भ में ही वाणिज्य मन्त्री ने संकल्प जारी किया कि शत प्रतिशत निर्यात-प्रधान इकाइयों को विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाएगी। उन पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्ध भी लागू नहीं होंगे और उन्हें पूंजीगत माल का आयात बिना प्रतिबन्ध के करने दिया जाएगा। उन्हें कच्चे माल पर निर्यात शुल्क अथवा तैयार माल पर उत्पाद शुल्क से छूट होगी। वे उत्पाद शुल्क तथा लेवी से भी मुक्त होंगे। कोई कंपनी एम० आर० टी० पी० अधिनियम के अन्तर्गत "प्रधान उपक्रम" है या नहीं इसका निर्धारण कुल निर्यात से ही किया जाता है। निर्यातों पर पूर्व जहाज-लदान के लिए बैंक ऋण की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया गया है। यह सभी छूट निर्यात के लिए दिए गए हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या निर्यात के सम्बन्ध में जो यह नीति तैयार की जा रही है, वह हमारी आशाओं के अनुरूप सफलीभूत होगी, क्योंकि अन्य पहलू भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, आप पूंजी बाजार पर जो दबाव में कार्य कर रहा है, पर निर्भर है। यही कारण है कि मैंने सरकार को पूंजीवादी देशों की अपेक्षा समाजवादी देशों के साथ व्यापार करने का सुझाव दिया है। समाजवादी देशों में गंभीर संकट, मंदी, मुद्रास्फिति दबाव नहीं हैं। अतः इस सरकार के लिए यही एकमात्र दूरदर्शितापूर्ण निर्यात नीति है।

अब मैं समुद्री उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात उपलब्धि के बारे में सरकार के समक्ष एक मुद्दा रखना चाहूंगा। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि :

> "तथापि, निर्यात में 493 टन की अथवा 0.57 प्रतिशत की अल्प गिरावट हुई है। 1978-79 में 86,894 टन की तुलना में 1969-80 में 86,8401 टन निर्यात हुआ। इस गिरावट का मुख्य कारण भारत में कम मछली पकड़ने जाना है।"

सर्वप्रथम, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि समुद्री उत्पादों के निर्यात का विविधिकरण करना चाहिए। अन्यथा, इस समस्या के समाधान की कोई आशा नहीं है। दुर्भाग्यवश, अब हम सिर्फ शिम्प के निर्यात पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। जब तक हम निर्यात का विविधिकरण नहीं करते और नये बाजार नहीं ढूंढ़ते, तब तक हम उज्ज्वल भविष्य की आशा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पहले से ही मलेयेशिया, जापान, चीन तथा अन्य देशों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम समुद्री उत्पाद के निर्यात से और अधिक विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं तो विविधिकरण अत्यावश्यक है। मुझे खेद सहित कहना पड़ रहा है कि यह कार्य ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस समस्या की ओर ध्यान दें।

जब तक काजू का प्रश्न है, मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। हमारा काजू उद्योग को आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने देश काजू का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर रहे हैं। अब अधिकांश विकासशील देशों पास अपने संसाधन संयंत्र हैं। अतः हम अब उतनी मात्रा में काजू के आयात की आशा नहीं कर सकते जितना कि पहले किया करते थे। मैं सुझाव दूंगा कि काजू का आयात सरकारी सेन्टर की एजेन्सियों के माध्यम से किया जाए और काज के आयात बाजार

में किसी निजी एजेन्सी को न आने दिया जाए। सरकार को काज की स्वदेशी फसल को प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि हमारा उद्योग सफल हो।

महोदय, एक और सेन्टर के बारे में मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा—वह क्षेत्र है हथकरघा सेन्टर। आप हथकरघा सेन्टर के महत्त्व को जानते हैं, मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता। परन्तु आपको मालूम है कि हथकरघा सेन्टर में काफी मजबूर कार्यरत है। हथकरघा सेन्टर को दी गई सुरक्षा है और बड़े पैमाने पर दी जानी चाहिए, क्योंकि आप 60 नम्बर के नीचे के धागे को सुरक्षा देने की नीति अपनाते जा रहे हैं। यदि आप नीति की रूप-रेखा ठीक ढग से तैयार करेंगे तो आप इसे संशोधित कर सकते हैं क्योंकि हथकरघा क्षेत्र में पिछले दो या तीन वर्षों से स्थिति खराब थी। आपने यह प्रतिबन्ध लगाया है कि इस हथकरघा क्षेत्र में आप 60 नम्बर तक के धागे को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रतिबन्ध को उठा लिया जाए क्योंकि कतिपय ऐसे क्षेत्र और राज्य हैं जहां साधारण 60 नम्बर से ज्यादा के धागे का कपड़ा पहनती हैं। अतः 60 नम्बर से अधिक के सूत को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल व्यास : (भीलवाड़ा) उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाणिज्य मंत्रालय की जो डिमान्ड्स प्रस्तुत हुई मैं उनका समर्थन करता हूं और मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में इस विभाग की जिस प्रकार से सम्भाला है वह वाकई प्रशंसनीय कार्य है मगर जिस तरीके से हमारा एक्सपोर्ट 975, 1976 और 1977 में चलता था और जितना पैसा हमने 1976 और 1977 में बैलेंस आफ ट्रेड को ठीक करने के हिसाब से बचाया था उस सारी व्यवस्था की जनता पार्टी के लोगों ने मटियामेट कर दिया।

खास करके दो, तीन विषयों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता चाहता हूं। स्टील के हमने बड़े-बड़े कारखाने लगाये मगर जनता पार्टी ने एक ऐसे आदमी को मन्त्री बना दिया जो स्वयं स्टील में इंटोस्टेड था और उसके कारण हमारे स्टील प्लान्ट्स को उसने किस प्रकार खराब किया, हमारे प्रोडक्शन को किस प्रकार से गिराया और पब्लिक सैक्टर की किस प्रकार से धक्का लगाया यह बात देखने योग्य है और इससे साबित होता है कि जनता पार्टी किस प्रकार से पब्लिक सैक्टर में इन्टरस्टेड थी और उसको पीछे ढकेलने का उन्होंने प्रयत्न किया। स्टील की कीमतें कम रखीं और बाजार में स्टील ज्यादा भाव में मिलता था। इस प्रकार पब्लिक सैक्टर को ज्यादा नुकसान पहुंचाया और पब्लिक सैक्टर को इस प्रकार उन्होंने बहुत धक्का लगाया जिसके कारण उसका प्रोडक्शन गिरा और पब्लिक सैक्टर का प्रोडक्शन उस लेविल तक नहीं पहुंचा जितना पहुंचना चाहिए था और ऐसा इसलिए हुआ कि जनता पार्टी के मन्त्री इस बात में इन्टरेस्टेड थे कि विदेशों से मंगाया जाय और अपनी इन्डस्ट्री को फलते फूलते देखना चाहते थे। इससे हमारे देश को धक्का लगा और हालत यह हो गई कि अब हम स्टील का इम्पोर्ट करने लगे। इस प्रकार की व्यवस्था जनता पार्टी के शासन काल में आयी।

इसी प्रकार से सीमेंट के मामले में हुआ। जो हमारे सीमेंट के कारखाने थे उनसे हम इतना सीमेंट पैदा कर सकते थे कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते थे। मगर

जनता पार्टी के शासन ने सीमेंट के कारखानेदारों को इस बात की छूट दे दी है कि वह कम प्रोडक्शन करें और सीमेंट की कमी पैदा करें जिसकी वजह से सीमेंट ब्लैक में बिके ऐसी परिस्थिति इन्होंने पैदा करने की कोशिश की। आज सीमेंट की यह हालत है कि उसको बनाने के लिए हमारे देश में ही कच्चे माल की कोई कमी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास, जनता पार्टी से कोई सदस्य नहीं हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : जनता पार्टी के तीन, चार हिस्से हो गये, मार्क्सिस्ट भी उनके सहयोगी थे, कम्युनिस्ट भी सहयोगी थे। सब लोगों ने मिल-जुलकर इसको कराया है, उसको आप अच्छी तरह देखिए।

सीमेंट के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में लाइम स्टोन का विपुल भण्डार है, अगर 10, 15 सीमेंट फैक्टरियां भी आप वहां लगा दें, कोटा, बन्दी, भीलभाड़ा, चित्तौड़ और मध्य प्रदेश का जिला मन्दसौर है इनमें इतना लाइम स्टोन है कि सारे हिन्दुस्तान के लिए सीमेंट उपलब्ध करा सकते हैं, बल्कि ऐसी स्थिति भी हम पैदा कर सकते हैं कि सीमेंट को विदेशों में भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि सीमेंट के एक कारखाने पर 15 करोड़ रुपये की मशीनरी की आवश्यकता होती है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर एक बार 15, 16 करोड़ की लागत लगाकर यहां 4, 5 जिलों में सीमेंट के 15, 15 कारखाने आपने लगा दिये तो आपकी सीमेंट की सारी कमी पूरी हो जायेगी और हमारा देश इस मामले में आत्मनिर्भर बन जायेगा और हम सीमेंट का एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे। इस प्रकार की स्थिति हमारे देश में हो सकती है।

कपड़े के मामले में जो आपने नीति प्रस्तुत की है, इसकी मैं प्रस्तुत करता हूं। मगर आप का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कपड़े के व्यापार में टेक्सटाईल के मामले में जो हमारा भीलभाड़ा जिला है, वहां काफी अच्छी रुई, काटन पैदा होती है। 4, 5 आदमियों ने वहां कारखाना लगाने के लिए एप्लाई कर रखा है; हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यार्न बनाने के 5, 6 बड़े-बड़े कारखाने वहां लगा दिये जायें। वहां इस बात की बहुत गुंजायश है, अगर आप वहां के लोगों को परमिट देंगे तो निश्चित तरीके से यार्न के मामले में हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

भीलभाड़ा जिले में माइका, अभरक की बहुत बड़ी खान है। बिहार के बाद हिन्दुस्तान में अगर माइका के बारे में देखा जाये तो भीलभाड़ा का दूसरा नम्बर आता है। वहां इतना माइका पैदा होता है, मैंने पिछले सैशन में भी निवेदन किया था कि मिटको बहुत कम माइका खरीदती है, वहां के उत्पादनकर्ता को दूसरे व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है छोटे-छोटे लोग कारखाना चलाते हैं। इसलिए पूरी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि मिटको जितना अभरक वहां निकलता है वह खरीदे जिससे गरीब लोगों को लाभ हो। मिटको ने बिहार में माइका पेपर का कारखाना लगा रखा है, हमारे यहां इतना रामैटीरिल वेस्ट पड़ा हुआ है कि अगर वहां कारखाना

माइका पेपर का लगा दिया जाये तो बहुत वर्षों तक रामैटीरियल की कमी नहीं होगी और देश में भी पेपर की मांग को पूरा किया जा सकेगा। मेरा निवेदन है कि इस कारखाने को भीलवाड़ा में लगाया जाये तो वहां के लोगों को भी रोजगार मिलने में लाभ हो सकेगा और जो वहां वेस्ट पड़ा हुआ है, वह भी देश के उत्पादन में काम आ सकेगा और यह पेपर एक्सपोर्ट हो सकेगा।

इसी तरीके से मेवाड़ टैक्सटाइल मिल को पहले सरकार ने अपने हाथ में लिया था और उस वक्त जब यह गवर्नमेंट के हाथ में था तो हर साल 50 लाख से ऊपर इसने कमाया और इस प्रकार से उस मिल का गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग के हिसाब से डवलपमेंट हुआ। मगर फिर सरकार ने उस मिल को उसी मालिक को दे दिया। आज उसकी क्या परिस्थिति है ? आज वहां की हालत यह है कि मेवाड़ टैक्सटाइल मिल करोड़ों रुपये के कर्ज में दबा हुआ है, वहां के मजदूरों को नया पैसा भी नहीं दिया जाता है। जो मजदूर सर्विस पूरी कर लेते हैं, वह ग्रेचुइटी पाने के हकदार होते हैं, लेकिन उनको वह भी नहीं दी जाती है। इस मिल की कंडीशन ठीक नहीं है जो कोयला यहां पर कन्ट्रोल के भाव से आता है, उसको कालाबाजार में बेच दिया जाता है। टूल इम्पलीमेंट व अन्य आवश्यक सामग्री के अभाव में कई खाते बन्द पड़े हैं।

सन् 1975-76 में राजस्थान की सरकार की तरफ से यह एक एग्रीमेंट हुआ था टैक्सटाइल एसोसियेशन और मजदूरों के संगठनों के बीच कि साढ़े 28 रुपये एडवलोरम मजदरों को दिया जायेगा, लेकिन टैक्सटाइल मिल ने साढ़े 13 रुपये के हिसाब के पैमेंट मजदूरों को किया और 15 रुपये के हिसाब से आज तक बकाया है। वह केस हाईकोर्ट जोधपुर में पैंडिंग है। मिल की मैनेजमेंट की यह हालत है कि 15 रुपये के हिसाब से मजदूरों का पैमेंट भी वह नहीं कर पा रही है।

इस मिल पर प्राविडेंट फन्ड का भी लाखों रुपया बकाया है। उसने मजदूरों से पैसा ले लिया है, लेकिन खुद अपना शेयर जमा नहीं कराया है। भारत सरकार की तरफ से उस पर बीस लाख रुपये का जुर्माना किया गया है, लेकिन उसने असल पैसा भी जमा नहीं कराया है और जुर्माना भी जमा नही कराया है। प्राविडेंट फन्ड का सारा पैसा गायब हो गया है। इसके अलावा ई० एस० आई० का शेयर भी जमा नहीं किया जाता है, जिससे मजदूरों को वह बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल का मैनेजिंग डायरेक्टर, **

अन्दर ही अन्दर ब्लैक मनी पैदा करके उसको दूसरे कल-कारखानों में लगा रहा है और इस मिल को सिक स्थिति में ला रहा है अगर यह मिल बन्द हो जाये, तो इनमें काम करने वाले तीन हजार लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले कि हालात बिगड़ जाये और यह मिल बन्द हो जाये सरकार इसको अपने हाथ में ले ले और इसको

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

चलाये, ताकि तीन हजार मजदूरों को रोजी-रोटी मिल सके और उन्हें अपनी बकाया जल्दी मिल सके।

पिछले साल मैंने निवेदन किया था कि हमारे यहां काटन कार्पोरेशन आफ इण्डिया का काम चला, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं चल पाया है। मेरी विनम्र प्रार्थना है कि भीलवाड़ा जिला एक काटन-ग्रोइंग एरिया है, इसलिए वहां काटन कार्पोरेशन का काम सुचारू रूप से होना चाहिए। उसके द्वारा सारा काटन खरीदा जाना चाहिए, ताकि बिचौलियों के द्वारा उनका शोषण न हो। सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए कि उन लोगों को पूरा पैसा दिलाया जा सके।

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को अच्छा बजट पेश करने की बधाई देता हूं और मांगों का समर्थन करता हूं।

मैं उनके ध्यान में देश के बागानों के फसल उत्पादकों की कठिनाइयां लाना चाहता हूं। पहले मैं रबड़ को लेता हूं। अभी भी उसका आयात होता है। कुछ वर्ष पूर्व हम उसका निर्यात करते थे। रबड़ धागा भी आयात होता है। क्योंकि रबड़ लॉबी दिल्ली में काफी सुदृढ़ है जो अपने ढंग से मामले को मोड़ लेती है। वास्तव में भारत में रबड़ की कमी नहीं है। अभी बोलने वाले मेरे मित्रों ने कहा है कि रबड़ की खेती करने वाले बड़े लोग हैं। यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि तथ्य है कि 90% रबड़ उत्पादक, जिनकी संख्या 1 से 1/2 लाख है, बहुत गरीब और सीमान्त कृषक हैं। वे स्वयं खेती करके माल बेचते हैं। पहले रबड़ स्प्रे के लिए रियायत मिलती है जो दो-तीन वर्ष पहले बंद कर दी गई है। आप कृपया उसे पुनः चालू करें। इससे उत्पादन बढ़ेगा और रबड़ का निर्यात भी कर सकेंगे। यदि हम आप कुछ प्रोत्साहन देंगे और गरीब रबड़ उत्पादकों की मदद करेंगे। हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

पिछले कुछ वर्ष तक हम कोको का आयात करते थे। अब केरल विपणन संघ के गोदामों में कोको के भंडार बेकार पड़े हैं। आप सेबों के निर्यात हेतु प्रोत्साहन और नकद तीयायत देते हैं। आप कोको मक्खन और कोको चूर्ण के निर्यात प्रोत्साहन क्यों नहीं देते। कुछ कारखाने इसका उत्पादन कर भी रहे हैं। रियायत देने से हम इन वस्तुओं का निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमा सकेंगे। अतः माननीय मन्त्री जी से अनुरोध है कि कोको उत्पाद के निर्यात हेतु प्रोत्साहन दिया जाए। राज्य सरकार निगम को कोको उत्पादकों की सहायता करनी चाहिए और किसानों में कोको फलियां उचित मूल्य पर खरीदनी चाहिये।

देश में नारियल तेल और खोपरा का आयात होता है। हिन्दुस्तान लीवर और टाटा आयल जैसी बड़ी कम्पनियां तेल, साबुन आदि बनाती हैं। दुख की बात है कि 'रुट विल्ट' बीमारी के कारण नारियल उत्पादकों को 50 करोड़ रुपये के लगभग हानि होती है। यदि इसे रोका जाए तो उत्पादन बढ़ेगा और हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। नारीयल बोर्ड भी बनाया गया है जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। वह विस्तृत बागान लगाने और उत्पादन बढ़ाने में सहायता कर सकती है।

जायफल और लौंग का देश में आयात किया जाता था जिसके लिए भारी आयात शुल्क देना पड़ता था। दुर्भाग्य से जनता सरकार ने इनके आयात की अनुमति दी थी। कुछ कृषक अपने खेतों में इनके स्थान पर अन्य फसलें उगा रहे हैं। मूल्य 30% से भी कम हो गए हैं। कम कीमत के कारण वे बागान नहीं लगा सकते। इनमें से अधिकांश किसान 1 एकड़ या 2 एकड़ भूमि वाले सीमान्त किसान हैं और यह खेती तो विशेष अवधि की है और उन्हें इन फसलों मे आय के लिए 7-8 वर्ष तक रुकना पड़ता है। यदि आप उन्हें प्रोत्साहन या रियायत देंगे तो वे इनकी खेती करेंगे। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि जायफल और लौंग का आयात बंद किया जाए या आयात पर 100% शुल्क लगाया जाए।

एक अन्य सुझाव अदरक और हल्दी के बारे में हैं। गत वर्ष मंत्री जी हल्दी पर निर्यात शुल्क हटाने के लिए सहमत हो गए थे। अतः कुछ लोग हल्दी की खेती करने लगे हैं। इसी प्रकार अदरक के मूल्यों में भी गिरावट आई है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अदरक और हल्दी खरीदा जाए और उनका निर्यात करके गरीब किसानों को सहायता दी जाए। काली मिर्च के मूल्य में अत्यधिक गिरावट आई है। यह एक ऐसी वस्तु है जिसका परम्परा से निर्यात किया जाता रहा है परन्तु दुर्भाग्यवश इसके मूल्य बहुत कम हैं। इण्डोनेशिया ब्राजील और अन्य देशों से कड़ी प्रतियोगिता है।

काली मिर्च और काजू के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि काली मिर्च बोर्ड और एक काजू बोर्ड का गठन किया जाए जिससे इसकी कृषि को बढ़ाया जा सके। तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा में इसकी खेती के लिए पर्याप्त भूमि पड़ी है।

मैं कृषक परामर्शदात्री समिति का सदस्य हूं। मुझे यह देखकर बड़ा अचम्भा हुआ कि बड़ी मात्रा में भूमि बेकार पड़ी है जबकि इस पर काजू के पेड़ लगाए जा सकते थे। काजू उद्योग एक श्रम प्रधान कृषि है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि काली मिर्च और काजू के लिए दो बोर्डों की स्थापना की जाए।

मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और यह अनुरोध करता हूं कि जायफल और लौंग और रबड़ तथा रबड़ के धागों, कोको, कोको उत्पादों के आयात को बंद किया जाए और इस प्रकार गरीब किसानों को सुरक्षा प्रदान की जाए।

मैं अनुरोध करता हूं कि वास्तव में छोटे उत्पादकों को रबड़ बोर्ड में मनोनीत किया जाए और अब मनोनयन का समय है।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, तिजारत इतना वसीअ मौजू है कि इस महकमे की बहस में इतने कम वक्त में बात कह लेना मुमकिन नहीं है, फिर भी जो वक्त आपने दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा बात उसमें कह सकूं। रोटी कपड़ा

और मकान इंसान की तीन बुनियादी जरूरियात हैं जिसमें कपड़ा इसी मुहकमे का एक अहम हिस्सा है। इसलिए भी कलील वक्त मुझे मिला है उसमें टेक्सटाइल और खास तौर से हैंडलूम के मुताल्लिक अपने को महदूद रखूंगा।

अभी कुछ दिन पहले नयी टेक्सटाइल पालिसी का एलान भी इसी एवान में किया जा चुका है। नयी टेक्सटाइल पालिसी में कंट्रोल के कपड़े की सारी तैयारी की जिम्मेदारी एन टी सी और हैंडलूम पप डाली गयी है। हैंडलूम पर यह जिम्मेदारी डालकर सरकार यह समझती है कि उसने हैंडलूम हर बड़ा भारी एहसान किया है जबकि हकीकत इस के बिलकुल बरअक्स है। इस हकीकत से कोई इंकार नहीं कर सकता कि प्राईवेट कपड़ा मिलों को बहानेबाजी और साफ इंकार के बाद यह जिम्मेदारी और हैंडलूम पर डाली गई है जैसा कि खुद मौजूदा टेक्सटाइल कमिश्नर ने अपने एक बयान में कहा है।

हैंडलूम को सभी एक राय से जरात के बाद दूसरी अहम् सनत मानते हैं। यह बात भी सभी मानते हैं कि जरात के बाद सबसे ज्यादा लोग इस सनत से बाबस्ता हैं और यह हकीकत भी सब पर अयां है कि इस सनत से ज्यादातर वही लोग बाबस्ता हैं जो समाज के पिछड़े और दबे हुए लोग हैं और इससे बावस्ता लोगों से हमदर्दी का हकदार भी सभी बिला लिहाज पार्टी और नजरिया करते हैं। लेकिन अमलन इस सनत की बुनियादी जरूरियात से जान्बूझकर कतराते रहना भी एक आदत सी बन गई है, मौजूदा टेक्सटाइल पालिसी के जरिए भी हैंडलूम से हमदर्दी का खूब ढिन्ढोरा पीटा गया है लेकिन अमलन एक्सपोर्ट के नाम पर और मुल्क कपड़े की जरूरत के नाम पर मिलों पर से लूम बढ़ाने की पाबन्दी उठा ली है। मुल्क की अन्दरूनी जरूरत के लिए सस्ता और कंट्रोल का कपड़ा हैंडलूम पर लादा जा रहा है जबकि यह सभी जानते हैं कि सस्ता सीधा कपड़ा मिल या पावर लूम पर आसानी से तैयार हो सकता है। हां, यह जरूर है कि सस्ता और सीधा कपड़ा तैयार करने में नफा बहुत कम हासिल होता है। इसलिए यह एहसान हैंडलूम पर लाद दिया गया है। जो हैंडलूम बुनकर आजकल भी धोती साड़ी और कंट्रोल का कपड़ा तैयार करने में लगे हुए हैं। उनकी औसत आमदनी तीन चार रुपये यूनिया से ज्यादा नहीं है। दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के ही इर्द गिर्द पानीपत, मुरादनगर, पिलखूवा, मेरठ और बहुत सी दूसरी जगहों पर नजर डालें तो उन्हें बिलकुल बरअक्स नजर आएगी। इन जगहों पर तौलिये, चादरें, बेडसीट ज्यादातर हैंडलूम में तैयार होती हैं जो ज्यादा से ज्यादा बाहर भेजी जाती हैं। यह भी एक खुली हकीकत है कि हैंडलूम के कपड़ों की मांग बेरूनी मुल्कों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हैंडलूम के कपड़ों और गारमेंटस की मांग पिछले पन्द्रह शालों में पन्द्रह करोड़ रुपये से बढ़कर चार सौ करोड़ रुपये हो गयी है। हैंडलूम और इससे बावस्ता बेसहारा बुनकरों को कंट्रोल की धोती साड़ी तैयार करने के गैर-मुनाफाबख्श रोजगार में फसाकर उनको एक्सपोर्ट का माल तैयार करने की तरफ से हटाकर हकूमत उनसे अपनी हमदर्दी जताना चाहती है जिसका नतीजा यह होगा कि हैंडलूम बुनकर कुछ दिनों बाद चिल्ला उठेगा कि लिल्लाह, मुझे मेरे हमदर्दों से बचाओ। कोई उनके हमदर्द को किस तरह समझाये कि उनको कारीगरी और हुनर से हटाकर जिसका बाहरी

मुल्कों में क्रेज बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन मांग भी बढ़ती जा रही है, सीधे काम पर लगाना उनकी कारीगरी और हुनर का न तो वाजिब और मुनासिब इस्तेमाल है और न तो सनत की तरक्की के रास्ते पर लगाना ही है।

दस्तकार और बुनकर चाहे चादर, तौलिये, बनारसी साड़ी तैयार करता हो या लकड़ी और हाथी दांत पर नक्काशी करता हो, या मुरादाबाद में बरतन और अलीगढ़ में ताले, लखनऊ में चिकन और हाथरस में मूर्ति बनाता हो या फिर त्रिपुरा और शुमाल-मशरकी भारत में बांस के तरह तरह के सामान बनाता हो, उसकी बुनियादी जरूरत खाम माल, सरमाया और मार्केटिंग है। हथकरघा और पावरलूम में 60 फीसदी खाम माल सूत है। सूत के लिए कहा यह जाता है कि नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन सूत की फराहमी का इंतजाम करेगी लेकिन उसका तजामी ढांचा क्या होगा इसका कोई जिक्र नहीं है। एन टी सी मिलें सिर्फ 16 परसेंट हैंडलूम को सूत फराहम करती हैं जिससे सिर्फ 36 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार होता है। एन टी सी मिलों का सूत अक्सर प्राईवेट मिलों के सूत से महंगा और घटिया होता है। हकूमत ने कोई वादा नहीं किया है कि कपास की पैदावार के साथ साथ साल में एक बार सूत का दाम मुकर्रर करेगी। सूत के दाम में उतार चढ़ाव को रोकने का भी कोई वादा हकूमत ने नहीं किया है। सिर्फ मुनासिब दाम पर नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन के जरिए सूत मुहैया करने का वादा किया गया है। सूत के दाम में उतार चढ़ाव का यह हाल है कि नयी टेक्सटाइल पालिसी के एलान के बाद 120 रुपये से लेकर 150 रुपये फी गांठ सूत के दाम में इजाफा हो चुका है। रंग और केमिकल का दाम भी बढ़ता जा रहा है।

सरमाये की फराहमी के नाम पर कौमी हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन और रियासती हैंडलूम कारपोरेशन का कोई रोल नहीं है। सरमाये के मामले में हैंडलूम बुनकर को बैंकों और दूसरे मालियाती इदारों का मोहताज होना पड़ता है। हां मार्केटिंग के सिलसिले में जरूर कुछ काम आगे बढ़ा है लेकिन इसका फायदा सीधे बुनकर को नहीं पहुंच रहा है बल्कि सरकारी और कारपोरेशन के अमले की साझेदारी में कुछ बिचौलिये जरूर फायदा उठा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी अन्तिम बात पर आइये।

श्री अशाफ हुसैन : मैं हथकरघा के संबंध में बोल रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : हथकरघा के संबंध में पहले ही बहुत से सदस्य बोल चुके हैं। आप केवल कुल जोड़ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : एक नई बात।

श्री अशाफ हुसैन : डिप्टी स्पीकर साहब, हैंडलूम सनत का सीधा रिश्ता बुनकर से है। इसलिए इस सनत की तरक्की के लिए जरूरी हैं :—

(1) हैंडलूम, पावर लूम और कपड़ा मिलों के अलग अलग दायरे मुकर्रर किए जाए। कपड़े की चौड़ाई और गत के नम्बर के हिसाब से दायरावन्दा हो। इसके अलावा तौलिया बेडशीट

चादरें पर्दे टेपेस्ट्री भी हैंडलूम के लिए मखसूस कर दी जाए, रंगीन धोती साड़ी के अलावा।

(2) सूत की कीमत एक बार मुकर्रर की जाए। नेशनल हैंडलूम कारपोरेशन सूत की तकसीम में उस वक्त ही कामयाब हो सकता है जब कम्पोजिट मिलों कोआपरेटिव मिलों, और एन टी सी की मिलों पर सूत की कानूनी लेवी लगाकर उन से हैन्डलूम और पाहर लूम के लिए सूत हासिल लिया जाय। चीनी और गन्ने की तरह से दोहरी कीमत का तरीका रायज किया जाए जिससे लेवी का सूत हैन्डलुम को कम अज कम तीस फीसदी और पावर लूम को दस फीसदी मिलों के मुकाबिले में सस्ता मिल सके। घरेलू पावर लूम को रियायती शरह पर बिजली फराहम की जाए।

(3) सरमाये की फराहमी के लिए और तैयार माल को ऑफ-सीजन में रोक रखने के लिए एक हजार पावर लुम और पांच हजार हैन्डलुम पर ग्रामीण बैंक की तर्ज दस्तकार का बैंक खोला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री अशाफ हुसैन : केवल एक मिनट और लूंगा।

(4) हैंडलुम या पावर लुम और दूसरी दस्तकारियों पर रिसर्च के लिए रासूमों रकम मुकर्रर की जाए और उनके मरकजों पर क्राफ्ट्स में ट्रेनिंग इन्स्टीचूट्स खोले जायें, जहां कम अज कम सर्टीफिकेट कोर्स तक की तालीम दी जाए। सर्विस सैन्टर्स को इन्स्टीचूट्स में बदला जा सकता है।

(5) मार्केटिंग से बिचौलियों को खत्म किया जाए। एक्सपोर्ट के इरादों में और टैक्सटाइल कमेटी में हैण्डलुम के नुमाइन्दे रखे जायें।

(6) कन्ट्रोल का कपड़ा तैयार करने वाले बुनकर को कम से कम 15 रु० से 20 रु० रोज उजरत की गारन्टी दी जाए।

आखिर में, मैं इस बात पर जोर देकर अपनी तकरीर खत्म करता हूं कि अगर वाकई कौमी-हैण्डलुम डवलपमेंट कारपोरेशन को हैण्डलुम की तरक्की का इरादा बनाना है तो उसको पार्लियामेंट के एक्ट के तहत एक आला-ताकती इरादा बनायें और अफसरशाही से दूर रखने के लिए इसका एक गैर-सरकारी चेयरमैन मुकर्रर कीजिए। इस इरादे में हैण्डलुम बुनकरों के नुमाइन्दों को भी शामिल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री आर० वाई० घोरपोड (बेल्लारी) : श्रीमान वाणिज्य मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्ष के कुछ मित्रों ने मंत्रालय और इसके कार्यों की सदा की भांति आलोचना की है। अर्थव्यवस्था को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जो कि हमारी सरकार की योजना का मुख्य उद्देश्य है, रचनात्मक आलोचना स्वागत योग्य है परन्तु साथ ही आलोचना करने वाले उन सदस्यों को कुछ आत्म विश्लेषण करना चाहिए था क्योंकि

हमारी सरकार को एकदम बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था विरसित में मिली है। इसी कारण वाणिज्य मत्रालय को कठिन स्थिति का सामना करना पड़ा।

इस कठिन स्थिति का पिछले एक वर्ष में हमारे कर्मठ और प्रगतिशील वाणिज्य मन्त्री ने किस ढंग से मुकाबला किया, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इस वर्ष में बहुत काम हुआ है। चाय के हमारे निर्यात मे 8.4 प्रतिशत, काफी में 13.7 प्रतिशत कपास में 270 प्रतिशत और कच्चे तेल, सब्जियों और अन्य सामग्री में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

केरल से आये मेरे मित्र प्रो० कुरियल हमारे निर्यात और वाणिज्य मंत्रालय की इसके बारे में भूमिका के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। किन्तु केरल ही एक ऐसा राज्य है जो दूसरे राज्यों को ऊर्जा बेचता है। इसी से पता चलता है कि वे निर्यात और इसे बढ़ाने की बात को कितनी गम्भीरता से लेते हैं।

विगत वर्ष में वाणिज्य मंत्रालय ने कितना काम किया इसके बारे में मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। इंजीनियरी सामान का निर्यात 1968-69 में 67.2 करोड़ रुपये से बढ़कर 1976-77 में 566.29 करोड़ रुपये हो गया। जनता सरकार सत्ता में आने से पूर्व औसत वार्षिक वृद्धि दर 32 प्रतिशत थी। 1877-78 में जनता सरकार के समय में वृद्धि दर 33 से घटकर 9 प्रतिशत हो गई। 1977-78 से 1978- 0 में निर्यात की औसत वृद्धि दर 8 प्रतिशत थी। पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक वृद्धि दर 27 प्रतिशत थी इससे पता चलता है कि जनता सरकार के समक्ष में कितनी आर्थिक दुर्व्यस्था थी।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछली सरकार तो चली गई। इस सरकार की बात कीजिए।

श्री आर० वी० घोरपोड़े : इसी प्रकार हमने 1980 में भारतीय परियोजना संविदों के जरिए बहुत कमाया।

1980 में हमारी सरकार बनी। इस वर्ष परियोजना संविदा 1961 करोड़ रुपए था जबकि 1980-81 में यह 3915 करोड़ रुपये था। यह वृद्धि 300 प्रतिशत है। यह मामूली बात नहीं है आप हम गर्व में कह सकते हैं कि हम तैयार माल और सीमट सयत्रों, वस्त्र कपड़ा मशीनों, भारी बिजली और अन्य टर्नकी संयत्रों का आयात करते हैं। हम रेलवे बैगनों के एक बड़े निर्यातक है। इससे स्पष्ट है कि पिछले वर्ष में काफी काम हुआ है। अदायगी सन्तुलन की स्थिति में गिरावट 19% में तेल के मूल्य बढ़ने के कारण हुई। इसका दूसरा कारण उर्वरकों के आयात के लिए दिया गया माटी मूल्य था।

मैं एक और बात सभा को बताना चाहता हूं। मैं अपने मित्रों से इस स्थिति पर गंभीरता-पूर्वक विचार करने के लिए कहूगा। हमारे देश में एक तो आयात के कारण मुद्रास्फीति हो रही है और दूसरे देश में व्याप्त किन्हीं कारणों में जिन का जिक्र कर चुका हूं, मुद्रास्फीति हो रही है। ऐसी विकट स्थिति में बड़े वर्ष की बात है कि हमारे आलोचक प्रत्येक क्षेत्र में यदा-कदा आन्दोलन करके राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।

ऐसी खराब अर्थव्यवस्था के विरासत मे मिलने के बावजूद हमारे वाणिज्य मन्त्री ने 1980-81 में बखूबी कार्य चलाया है जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। मैं आपको फिर मौका दूंगा।

श्री आर० पी० घोरपांडे : मेरे राज्य से सम्बन्धित एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र मैं करना चाहूंगा। यह 'काफी' के बारे में है। काफी से हमें विदेशी मुद्रा ही प्राप्त नहीं हुई है बल्कि इससे कृषि आयकर के रूप में राज्य को काफी राजस्व भी प्राप्त हुआ है।

मेरे राज्य में 0.09 प्रतिशत क्षेत्र में होती है। कृषि आय-कर के रूप में राज्य का 75% राजस्व इसी से प्राप्त होता है। 1977 में निर्यात पर सभी शुल्कों और करों से भारत का राजस्व 220 करोड़ रुपये था। केवल काफी से ही प्राप्त होने वाला राजस्व 60-95 करोड़ रुपये अर्थात् 27.6 प्रतिशत था।

इस उद्योग ने जो भूमिका निभाई है उसकी ओर में माननीय मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री को काफी उद्योग को निर्यात-प्रधान अन्य उद्योगों के समान मानना चाहिए। निर्यात-प्रधान उद्योगों को प्राप्त कोई भी रियायत काफी उद्योग को नहीं दी जा रही है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्रधान मन्त्री जी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहती है। काफी उद्योग भी कृषि क्षेत्र में है। माननीय मन्त्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए और काफी उद्योग को रियायते ही नहीं, धन-कर से भी मुक्त करना चाहिए।

इस उद्योग को धन-कर से छूट देना बहुत जरूरी है इस सम्बन्ध में मैं कर्नाटक राज्य की काफी समस्याओं के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। कर्नाटक राज्य में कान्सोलीडेटेड काफी लिमिटेड ने कर के रूप में अपने कुल लाभ का 63.48 प्रतिशत दिया और काफी लैंड्स ने 63.57 प्रतिशत। केन्द्रीय कराधीन के अन्तर्गत आने वाली अन्य कम्पनियों के ये आँकड़े इस प्रकार है। टोमो, 31.46 प्रतिशत, बोम्बे डाइंग 17.4 प्रतिशत, एसीमी-35·34 प्रतिशत, टिस्को 16.98 प्रतिशत। इसी से पता चलता है कि काफी उद्योग ने वृथा भूमिका निभाई है।

मैं एक और महत्वपूर्ण बात माननीय मन्त्री को बताना चाहता हूं। यह सिद्धान्ततः मान लिया गया था सरकार भारतीय कर्नाटक इलायची निगम स्थापित करेंगी यह निगम यथाशीघ्र बनाया जाना चाहिए। छोटे और माध्यम किसानों को पहले ही भारी नुकसान हुआ है। इस निगम से इलायची उत्पादकों को बड़ा लाभ होगा और इलायची उद्योग देश में विदेशी मुद्रा की अरब में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा।

श्री शिव कुमार सिंह खंडवा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक जो प्वाइन्ट्स आए हैं, उन को छोड़ कर मैं केवल उन प्लाइन्ट्स पर अपने विचार व्यक्त करूंगा, जिनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

जो हमारे नायक मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी और श्री खुर्शीद आलम खान हैं मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में कामर्स मिनिस्ट्री हमारे देश के उद्योगों और व्यापारों को

काफी आगे ले जाएगी कल श्री खुर्शीद आलम खान ने यह बताया था कि छठी पंचवर्षीय योजना में 25 स्पिनिंग मिल और खोले जाएंगे। आप के माध्यम से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरी कांस्टीटयेन्सी में बुरहानपुर नगर में 15 हजार पावरलूम्स हैं और हमारे जो खंडवा और खाडगोन जिले मध्य प्रदेश में हैं, वे कपास के बड़े जिले हैं। अकेले बुरहानगर में पावरलूमों में 36 हजार किलोग्राम यार्न रोज लगता है और इस हिसाब से 25 हजार स्पिंडिल वाले 9 मिलों की आवश्यकता है, बुरहानपुर को पूरा यार्न सप्लाई करने के लिए। इसलिए मैं उन से प्रार्थना करता हूं कि अगर उस जगह पर आप 9 मिल नहीं दे सकते तो कम से कम एक-दो स्पिनिंग मिल तो वहा पर दें, उस क्षेत्र में इतने मिल तो अवश्य खोलें और अगर ये भी न खोलना चाहते हैं, तो मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां के किसान सहकारिता के क्षेत्र में इन को खोलने के लिए तैयार हैं। उनको आप इस बात का एसोरेंस दे दें कि उनकी शीघ्र मशीनें सप्लाई की जाएंगी। आज स्पिनिंग मिलों के लिए जो मशीनों की आवश्यकता होती है वह छः सात साल से पहले नहीं मिलती हैं या उसे पुरानी मशीनें विदेशों से आयात करने की इजाजत दें। हम किसान पैसा इकट्ठा कर के एक कोआपरोटिव बना लेगें और वे खंडवा जिले में 3, 4 स्पिनिंग मिलें खोलने के लिए सक्षम हैं।

मेरे क्षेत्र की जो बातें हैं, उनको ही मैं कहूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेक्सटाईल कमिश्नर ने 31-12-79 को अनअथोराइज्ड पावरलूम्स को अथोराइज्ड करने के लिए एप्लीकेशन मांगी थी। मेरे क्षेत्र में बुरहानपुर के तीन-चार सौ लोग गरीबी के कारण या पैसे की कमी के कारण समय पर एप्लीकेशस नहीं दे पायें। इस सम्बन्ध में मुझे भी एक हजार पत्र मिल चुके हैं और आपको भी मिल चुके हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी बुरहानपुर के लोगों की इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके पावरलूम्स को अथोराइज्ड करें।

पावरलूम उद्योग को उठाने के लिए जब तक आप उन्हें वेअरहाउसिंग कारपोरेशन और मार्केटिंग फेसिलिटिज नहीं देंगे तब तक यह उद्योग उपर नहीं जा सकता है। इस उद्योग में काम करने वाले लोग गरीब हैं। अतः केन्द्रीय शासन को वेअरहाउसिंग कारपोरेशन के लिऐ और मार्केटिंग फेडरेशन की सहकारिता के क्षेत्र में चलाने के लिए काफी मदद देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सेल्स टेक्स में अनेक प्रदेशों में काफी विविधताएं हैं हालांकि यह स्टेट सब्जेक्ट है फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी वजह से इनमें दो नम्बर का व्यवसाय बहुत हो रहा है। सेल्स टेक्स के क्षेत्र में सभी प्रदेशों में एकरूपता लायी जानी चाहिए। महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में सेल्स टेक्स दो परसेंट है जबकि हमारे मध्यप्रदेश में तीन परसेन्ट है। इसलिए इसके कारण एक नम्बर का व्ययवसाय बहुत कम हो पाता है और इससे सरकार को रेवेन्यु का लोस होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें सभी प्रदेशों में एकरूपता लायी जानी चाहिए।

हमारे देश में एडीबल आयल का सात सौ करोड़ रुपये का इम्पार्ट किया जाता है। नेशनल डेयरी डवपलमेंट कारपोरेशन के अध्यक्ष डा० कुरियन ने गवर्नमेंट आफ इंडिया को एक स्कीम दी

है । उनका दावा है कि अगर उसको मान लिया जाए तो देश की सात सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचायी जा सकती है । उनकी योजना का ठीक तरह से परीक्षण कर के क्रियान्वयन किया जाना चाहिये जिससे कि हमारे देश की सात सौ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बच सके । उनके नेतृत्व में गुजरात के खेडा के जिले के किसानों ने सफलतापूर्वक दूध के शर्तो के उत्पादन में इसके क्रियान्वित किया है इसी प्रकार से उनकी टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी कपार से लेकर वीविंग मिल तक के लिए योजना है । उनकी योजनाओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर के अमल किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय आज हमारे किसानों को मजबूत करना पड़ेगा । सी० सी० आई० जो कपास खरीदती है उससे खुले रूप में मार्केट में जा कर किसानों की कपास को खरीदना चाहिए । उसने काफी पैसा कमाया है इसलिए सी० सी० आई० को बिल्कुल नो प्रोफिट, नो लोस के बेसिस पर काम करना चाहिए जिससे कि किसानों को लाभ हो सके ।

इतना ही मुझे निवेदन करना है ।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होने वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों की चर्चा के दौरान अपने सुझाव दिय है ।

महोदय चालू वर्ष की श्रृखला में यह पहली कड़ी है मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं जब व्यापार लेखा के अन्तर सम्बन्धी आंकड़ों के बारे में वे चर्चा करते हैं।

महोदय, जैसाकि मैंने पिछले वर्ष इस सभा में वाद विवाद के उत्तर के दौरान उल्लेख किया था । निर्यात कार्य-निष्पादन अर्थव्यवस्था के सामान्य स्वास्थ्य पर निर्भर करता है । जैसा कि एक सदस्य ने ठीक ही कहा है कि यदि कतिपय चीजों का उत्पादन किया जा रहा है तो यह विक्रेता का दायित्व है कि वह इसे बेचे और वाणिज्य मंत्री की भूमिका इस देश के उत्पादों को विदेशों मे बेचनेवाला भी है । इसलिए, जब तक घरेलू अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन तंत्र को मजबूत नहीं किया जाता तो स्वभाविक है कि इसका असर निर्यात पर भी पड़ेगा ।

दूसरे महोदय, जिस प्रश्न पर विचार करना है वह यह कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। दुर्भाग्यवश, व्यापार तंत्र में ऐसी विचारधारा भर दी गई है कि हमें निर्यात करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करना चाहिये हमारे पास निर्यात के लिए फालतू उत्पादन होना चाहिये । यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में और परिस्थिति में हम रह रहे हैं, जहां जन-संख्या बहुत काफी है और खपत के लिये बड़े बाजार हैं, ऐसी स्थिति में निर्यात के लिए फालतु उत्पादन की धारणा शायद असंगत है । हमें अपनी मांगों को पूरा करने के लिए उत्पादन करना होगा । साथ ही साथ उनका कुछ भाग निर्यात करने के लिये सुरक्षित रखना पड़ेगा अन्यथा यदि हम यह चाहेंकि घरेलू खपत के बाद जो कुछ फालतू बच जायेगा उसे निर्यात किया जायेगा तो मैं कहना चाहू गा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हम अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं । इसलिए

निर्यात सावधानीपूर्वक करना पड़ेगा और मांग तथा पूर्ति को इस तरह संतुलित करना पड़ेगा ओर अपनी अर्थव्यवस्था पर ऐसा नियन्त्रण रखना पड़ेगा हम निर्यात बाजार में अपनी उपस्थिति का एहसास कर सकें साथ साथ ही हम अपनी मांगों की भी पूर्ति अधिक से अधिक कर सकें।

मैं सर्वप्रथम माननीय सदस्यों को एक बात कहना चाहूंगा कि जैसा कि इनमें से अधिकांश सदस्यों ने वार्षिक प्रतिवेदन में दिये गये आंकड़े से आपने निष्कर्ष निकाले हैं और जिसे आर्थिक सर्वेक्षण में उद्धृत किया जाता है। दुर्भाग्यवश सूचना समेकन तथा डाटा प्रोसेसिंग की प्रणाली थोड़ा गलत है। हमने जो आंकड़े वहां दिये हैं वे सितम्बर तक के हैं। और जैसाकि माननीय सदस्यगण इस बात को भलीभांति अवगत है कि वर्ष 1979-80 आर्थिक दृष्टिकोण से न सिर्फ एक खराब वर्ष था बल्कि कलेन्डर वर्ष के पहले छः महीने तक तथा वित्तीय वर्ष के पहले चार महीने अर्थात जुलाई, 1980 तक स्थिति बहुत ही खराब थी। इसलिए, यदि मैं अध्ययन आंकड़ों, जो मेरे पास उपलब्ध हैं, को उद्धत करूं तो मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्यगण इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि अर्थात उपलब्ध सूचना के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण में दिखायी गई तस्वीर को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान, आंकडों के अनुसार स्थिति उतनी बुरी नहीं है। पूरी स्थिति इस प्रकार है कि यदि हम अप्रैल से जनवरी तक की अवधि तक के आंकड़ों को हिसाब में लें अथवा अप्रैल से दिसम्बर तक के आंकड़ों को हिसाब में लें तो अनेक मदों के मामलों में हमारा निर्यात बढ़ा है जहाँ हमारा निर्यात 1979-80 में कम हुआ है वहां कुल निर्यात 3700 99 करोड़ रुपये हुआ है और इस आंकड़े के आधार पर मैंने वर्तमान वर्ष के लिए निर्यात लक्ष्य निर्धारित किये हैं। अन्ततः 3700.99 करोड़ रुपये का आंकड़ा बढ़कर 9400 करोड़ - 6426 करोड़ रुपये अथवा 6427 करोड़ हो जायेगा। वर्ष 1979-80 के लिये निर्यात का यही हमारा लक्ष्य है। इसकी तुलना में, इसी अवधि के लिए इसी वर्ष का आंकड़ा—उन दोनों मामलों में जहां निर्यात में वृद्धि हुई है और जहां तक निर्यात कमी हुई है—4261.08 करोड़ रुपये है और वृद्धि 15.1 प्रतिशत है। उस आधार पर हम आशावादी हैं कि हमने 7100 करोड़ रुपये का निर्यात लक्ष्य रखा है, उसे प्राप्त कर लेंगे।

विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर एक नजर देखें। चाय में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। काफी में 40.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; तम्बाकू असंशोधित में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; काजू में 37.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। संशोधित खाद्य पदार्थ में 51.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कच्चा कपास में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कोई यह कह सकता है कि "ये सभी प्रारंभिक वस्तुयें अथवा कृषि वस्तुएं हैं। विनिर्मित वस्तुओं के सन्दर्भ में आपका कार्य निष्पादन क्या है? इसलिये अब मैं विनिर्मित वस्तुओं के बारे में कहना चाहूंगा। सूती वस्त्र में 17.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; पटसन में 34.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इन्जीनियरी माल में 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन्जीनियरिंग माल के लिये हमने 900 करोड़ रुपये के मूल्य के माल का निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। कोई पूछ सकता है—

अक्सर ऐसा कहा जाता है "यह वृद्धि कुछ भी नहीं बल्कि मुद्रास्फीति है। मूल्यों में वृद्धि हुई है और यही कारण है कि आप बढ़े हुए मूल्यों के रूप में आप अधिक राशि वसूल कर पाये हैं। इसलिए यह वास्तविक स्थिति का सूचक नहीं है।"

मैं कहूंगा कि अंशत: यह सत्य है, परन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं है। जहां वृद्धि 10 से 12 प्रतिशत है तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि की मात्रा में मुद्रास्फीति भी शामिल है लेकिन जहां वृद्धि 20 से 25 प्रतिशत अथवा 30 प्रतिशत है वहां हम यह कहें कि यह सिर्फ मुद्रास्फीति के हुआ है तो शायद यह कहना ठीक नहीं होगा। यहां मेरे पास कतिपय आंकड़े हैं जिसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि मात्रा में भी वृद्धि हुई है और यहां मैं कतिपय कृषि वस्तुओं तथा कतिपय विनिर्मित्ता वस्तुओं को वस्तुओं लूंगा। उदाहरण के लिए पटसन को ले सकते हैं। मैं अप्रैल से अक्तूबर तक के आंकड़े ले रहा हूं। 1979-80 में यह 236.3 हजार टन था। 1980-81 में इस अवधि के लिए यह 242.4 हजार टन है। मूल्य की दृष्टि से यह। 141.36 करोड़ से बढ़कर 193.51 करोड़ रुपये हो गया। चाय के सम्बन्ध में यह 117.32 मिलियन किलोग्राम (1979-80 1980-81 में यह 119.95 मिलियन किलोग्राम है। काफी सम्बन्ध में वर्ष 1979-80 में यह 49.65 हजार टन था। अब यह 17.34 हजार टन है। इसलिये कतिपय वस्तुओं के मामलों में मात्रा तथा मूल्य दोनों के सम्बन्ध में वृद्धि हुई है लेकिन साथ ही साथ अपनी आवश्यकताओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारा कार्य-निष्पादन संतोषजनक है। इस स्थिति में मैं यहीं कह सकता हूं कि इससे बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं किया जा सकता था विशेषकर इस स्थिति में जिसमें हमें घरेलू मांग को पूरा करने के बाद कुछ निर्यात करने की अनुमति है और निर्यात योग्य फालतू वस्तुओं की अवधारणा जो हमारे तंत्र में दुर्भाग्यवश भर दी गई है उससे निर्यात संवर्धन में बाधा पहुंचती है। निर्यात के बारे में विचार करते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। एक विनिर्मित्ता और उत्पादक के लिये घरेलु बाजार में माल बेचना आसान है क्योंकि इसका मुनाफा बहुत ज्यादा होता है। इसलिए यदि उसे घरेलु बाजार में बेचने का विकल्प दिया जाता है तो निश्चित रूप से वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय बाजार, जहां प्रतिस्पर्धा कठिन है और वहां का वातावरण प्रतिकूल है। कम से कम उतना मैत्रीवत नहीं है, जब तक उसे कुछ प्रोत्साहन और सहायता नहीं दिया जाता, मैं जाना नहीं चाहता।

क्या हमारे निर्यात पर भारी सहायता दी जाती है अथवा नहीं, इस विषय पर मैं बाद में बोलूंगा। लेकिन इसके पहले मैं उस अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा जिसके अन्तर्गत हमे काम करना पड़ता है समय-समय पर यह आक्षेप किया जाता रहा है कि अक्सर हम तेल का प्रश्न उठाते हैं! यह तर्क हम कब तक दुहराते रहेंगे और क्या हम इस तर्क का प्रयोग कर रहे हैं कि तेल मूल्यों में वृद्धि के अन्तर्गत हम अपनी अकुशलता छिपाते हैं यह सही नहीं है। भारत के में ही यह बात नहीं है। विश्व बैंक द्वारा। उपलब्ध कराए गए आंकड़ों वे अनुसार जितने भी विकासशील देश तेल आयात करते हैं उनकी भी यही दशा है। 1973 में तेल आयतक विकासशील देशों के तेल आयात का कुल मूल्य 7 मिलियन अमेरिकी डालर था। 1980 में यह आंकड़ा

बढ़कर 67 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया—7 वर्षों की अवधि में 1973 में 7 बिलियन से 1980 में 67 मिलियन आयात की मात्र कितनी है ? 1973 में आयात की मात्रा 4.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी और यह बढ़कर 6.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया। साधारण अकगणित से भी यह पता चलता है कि आयात की मात्रा कमो-व देशी एक ही अथवा थोड़ा अधिक है, परन्तु 7 वर्षों में आयात बिल 7 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर 67 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है।

और चालू लेखा घाटा क्या है ? यह सिर्फ भारत में ही नहीं है। जितने भी विकासशील देश तेल आयात करते—हैं उनकी भी यही दशा है। 1973 कुल चालू लेखा घाटा 6.7 बिलियन अमेरिकी डालर था। 1975 में 6.7 अमेरिकी मिलियन डालर से बढ़कर 39.. मिलियन अमेरिकी डालर हो गया और 1980 में 61 मिलियन अमेरिकी डालर हो गया। इसलिए, यह स्थिति है। जहां तक हमारी निर्यात आपसी संबंध है, माननीय सदस्यगण इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि कुल निर्यात आमदनी का लगभग 65 प्रतिशत सिर्फ पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों से आयात पर खर्च हो रहा है। कतिपय माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि हमें पेट्रोल के आयात पर निर्भरता को कम करना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिस पर गंभीरता से विचार चाहिए। लेकिन यदि आप आयात की कुल मात्रा जो मोटे तौर पर 15 से 16 मिलियन टन प्रति वर्ष है, देखेंगे तो और यदि हमें कमी करनी पड़ी तो कमी का कोन सा क्षेत्र है ? हम सिंचाई के लिए पंप सेटो के लिए डीजल में कमी नहीं कर सकते ; हम विरासन, जिससे 6,00,.00 गावो में रोशनी की व्यवस्था की जाती है, के आयात में भी कमी नहीं कर सकते, हम उर्वरकों के आयात में भी कमी कर सकते हैं, यदि हम अपना कृषि उत्पादन बनाए रखना चाहते हैं। जहां तक परिवर्धन का प्रश्न है, इसमें भी कमी नहीं की जा सकती आप कह सकते हैं कि हम निजी वाहनो में खपत को कम कर सकते हैं। मैंने इसकी गणना की है और यह पांच प्रतिशत भी नहीं है। और भारत में आयात की मात्रा बढ़ेगी।

किन्तु जहां तक पेट्रोल की खपत का सम्बन्ध है, भारत उनमें से एक है जहां पेट्रोल तथा पेट्रोल उत्पादों का प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम है, इसलिए, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा विकासशील देशों की समस्याएं इतनी आसान नहीं हैं। किसी ने पूछा है हमारे शेयर कम क्यों हो रहे हैं। केवल हमारे ही नहीं अपितु बहुत-से विकासशील देशों के शेयर कम हो रहे हैं। वास्तव में गाट (GATT) की रिपोर्ट के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की विकास-मात्रा गत वर्ष की अपेक्षा लगभग आधी रह गई है 1980 में 1979 की तुलना में वह लगभग आधी हैं, और विकासशील देश तथा विकिसत देश दोनों को ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है विकसित देशों के बाजार में प्रवेश करने के लिए व्याप्त प्रतिबन्ध उनकी समस्या है, विकसित देशों की समस्या मन्दी की है और उनकी समस्या मांग की कमी और मुद्रास्फीति का है और विकसित देशों की स्थिति ऐसी है कि वे अपनी समस्याओं को को विकासशील देशों को अन्तरित कर सकते हैं क्योंकि वे लाभप्रद स्थिति में हैं। इस स्थिति की जानकारी माननीय सदस्य विशेषकर श्री गोयल को है

जो अपने विचार व्यक्त कर रहे थे ; उन्हें इस समस्या का पता है। वह इस मत्रालय में मन्त्री भी थे।

प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मंच में, चाहे वह अंकटाड हो चाहे दिल्ली यूनाडो (UNAIDO) II हो या टोक्यो विचार-विमर्श का दौर हो, सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में हम विकसित देशों से इस बात का आग्रह करते रहे हैं कि उन्हें ढांचे को नया रूप देना चाहिए और उन्हें विकासशील देशों को उन क्षेत्रों में जहां उन्होंने समुचित टेक्नोलाजी विकसित कर ली है सुविधाए अवश्य प्रदान करनी चाहिए चाहिए. हमने बताया है भारत जैसा विकासशील देश जैट जैसे परिष्कृत वस्तुओं का निर्यात करने नहीं जा रहा है, कपड़े में हमें तुलनात्मक लाभ है। इस तरह की कतिपय वस्तुओं में जहां हमारे पास समुचित टेक्नोलाजी है; हमें लाभ तुलनात्मक है। इन वस्तुओं में हमारी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति है, और इन वस्तुओं के बारे में भी हमारे लिये बाजार सीमित है। विकासशील देशों के लिए केवल अपना माल बेचकर अपेक्षित विदेशी मुद्रा अर्जित करना बहुत कठिन है किन्तु वे आवश्यक टेक्नोलाजी का आयात नहीं कर सकते, वे आवश्यक निवेशों, कच्चे माल, मशीनरी तथा उपकरणों का जो देश के औद्योगिक विकास के लिए नितान्त आवश्यक हैं, आयात नहीं कर सकते। यह युद्ध चल रहा है। उत्तर-दक्षिण-वार्ता असफल हो गई है ; संयुक्त राष्ट्र का विशेष अधिवेशन जो वर्तमान दशक लिए नीति तैयार करने के लिए आशयित था, आयोजित नहीं हो सका। किन्तु ऐसी बात नहीं है कि हम सभी आशाएं छोड़ दें और प्रयास न करें हम प्रयासों में जुटे हुए हैं और हमें आशा है कि सतत प्रयत्नों द्वारा उन्हें मनवाने और इस सम्बन्ध में उन्हें प्रभावित करना कुछ वर्षों में हमारे लिए लिए संभव हो जायेगा।

जहां तक देश में आन्तरिक स्थिति का संबंध है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, व्यापार के इस भारी अन्तर को ध्यान में रखते हुए, हम किस किस्म की नीति निर्धारित कर सकते हैं ? कुछ माननीय सदस्यों के इस सुझाव से मैं सहमत हूं कि हमारे लिए इस बात पर विचार करना जरूरी है कि क्या हम कुछ ऐसे क्षेत्रों में आयातों पर निर्भरता कम कर सकते हैं जहां वे आवश्यक नहीं है। इसलिए हमारी नीति यह होगी कि कुछ क्षेत्रों में जहां हमारी क्षमता है और जिन क्षमताओं का निर्माण किया गया है उनका उपयोग करने के लिए पूरा बल दिया जायेगा। यदि हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सकें तो हमारे लिए अपनी आवश्यकताओं काफी हद तक तक पूरा करना संभव हो जाएगा। एल्यूमिनियम का मामला लीजिए। हमारी क्षमता लगभग 400,000 टन उत्पादन करने की है और इस समय हमारी मांग भी लगभग इतनी ही है। किन्तु दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष हमने केवल 192,000 टन का उत्पादन किया। इस वर्ष लगभग 200,000 टन उत्पादन होने की आशा है, इसलिए लगभग 100,000 टन का अन्तर है और इसका हमें आयात करना पड़ेगा। सीमेन्ट और इस्पात की स्थिति भी इसी प्रकार की है।

क्षमताओं का बेहतर उपयोग के मार्ग में जो आधार भूत ढांचे संबंधी कतिपय रुकावटें थीं सौभाग्य से उनकी ओर ध्यान दिया गया है और सितम्बर, से से आगे स्थिति में सुधार शुरू हो गया है। विशेषकर खुद मेरे मंत्रालय में जैसा माननीय सदस्यों को पता है, आधारभूत ढांचे

संबंधी रुकावटों के कारण हम इस्पात का उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, यदि हम अप्रैल से सितम्बर तक के इस्पात उत्पादन के आंकड़े देखें तो पता लगेगा कि औसत मासिक उत्पादन ठीक 300,000 टन था। अक्तूबर से आगे उत्पादन में वृद्धि हुई और फलस्वरूप, और अधिक उत्पादन करना हमारे लिए संभव होगा। यदि रुकावटें जारी रहती, तो उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 करोड़ टन कम होता। किन्तु बिजली की उपलब्धता और कोयले की उपलब्धता के बारे में स्थिति में सुधार होने के कारण हमारा उत्पादन, ऐसी उम्मीद है, गत वर्ष की अपेक्षा थोड़ा अधिक होगा। बहुत-से अन्य उद्योगों की स्थिति भी इसी प्रकार की है। इसलिए, हमें पक्का विश्वास है कि कतिपय क्षेत्रों में जहां हमने क्षमता निर्मित की है, उस एकता का बेहतर उपयोग करके अपने आयात कम कर सकेंगे।

जहां तक खाद्य तेल के आयात का संबंध है, हम उसका आयात कम करना चाहते थे। इस संबंध में एक माननीय सदस्य ने कुछ आंकड़े उद्धृत किए थे जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। किन्तु 1977-78 में विदेशी मुद्रा की कोई अड़चन नहीं थी और हमने सोचा कुछ विदेशी मुद्रा खर्च करके खाद्य तेल का आयात करना आसान होगा। मैं ऐसी उदार आयात नीति के विरुद्ध नहीं हूं जिससे हमारा उत्पादन-आधार व्यापक बने, जिससे शीघ्र औद्योगिकीकरण में मदद मिल सकती है। मैं ऐसी परिष्कृत टेक्नोलौजी जो हमारे पास नही है, के आयात के खिलाफ नहीं हूं। मैं ऐसे अत्यावश्यक निवेशों तथा कच्चे माल का आयात करने के विरुद्ध भी नहीं हूं जिससे खुद मेरा उत्पादन आधार मजबूत हो सके। किन्तु हमें इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखना जरुरी है कि क्या उदार आयात नीति का फायदा उठाकर हम उन वस्तुओं का आयात कर सकते हैं जो देश की आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तार करने के लिए नितान्त आवश्यक नहीं है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि आयात-निर्यात संबंधी नई नीति की घोषणा करते समय माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए बहुत से सुझावों को ध्यान में रखा रखा जायेगा।

जहां तक विभिन्न नीति संबंधी उपायों की सामान्य नीति जो हमने अपनायी है और उनके प्रभावों का संबंध है कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि सरकार ने निर्यातकर्त्ताओं को बहुत सी रियायतें दी हैं। कभी-कभी ऐसा भी कहा गया है कि निर्यात को हर तरह उचित तथा अनुचित दोनों रूप से प्रोत्साहन दिया जा रहा है किन्तु मेरा निवेदन है कि ऐसी बात नहीं है। निर्यात नितान्त आवश्यक है। हमें अपने ऋणों का भुगतान करना है। हमें अपना उत्पादन आधार व्यापक बनाने के लिए आवश्यक कच्चा माल, टेक्नोलाजी और निवेश का आयात करना आवश्यक है। उसके साथ-साथ ऐसी स्थिति कायम करना भी जरूरी है जिसमें हमारे उत्पाद प्रतिस्पर्धा कर सकें। क्या हमारा निर्यात बहुत आर्थिक सहायता प्रदत्त हैं? बहुधा यह तक दिया जाता है कि निर्यात को बहुत अधिक आर्थिक सहयता दी जाती हैं। दुर्भाग्यवश, कभी-कभी यह तर्क हमारे खिलाफ उद्धृत किया जाता है विशेषकर उन देशों द्वारा जो समान शुल्क (काउन्टर-वेलिंग ड्यूटी) लगाना चाहते हैं। विशेषतः अमरीका कहता रहा है कि भारतीय संसद् में बहुत से सदस्यों ने कहा है कि भारत के निर्यात बहुत अधिक आर्थक सहायता प्रदत्त हैं। यदि आप निर्यात की मात्रा

तथा उस रकम पर गौर करें जो हम नकद प्रतिकारात्मक समर्थन पर खर्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि वह बहुत अधिक आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है। फिर भी हम नियमित पुनरीक्षण करते रहते हैं। गत वर्ष के पुनरीक्षण के फलस्वरूप हमने 75 मदों में नकद प्रतिकारात्मक समर्थन राशि घटा दी है या हटा दी है। किन्तु हमें कर पहलू तथा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को निष्प्रभावी करना है ताकि हमारा माल विश्व-बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सके। हमने आर्थिक सहायता देने के खिलाफ और माल जमा करते जाने के विरुद्ध व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार (जी० ए० टी० टी०) पर हस्ताक्षर किये हैं। इसलिए जो देश हमारे साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं वे हमारे उत्पादों को बहुत अधिक आर्थिक सहायता नहीं देने देंगे। थोड़े से मामलों में, विशेषकर कपड़े के मामले में अमरीकी सरकार ने कहा कि आपकी कपड़ा संबंधी मदें बहुत अधिक आर्थिक सहायता प्रदत्त हैं। हमने इसका विरोध किया और अन्तोगत्वा इस मामले में हमारी बात मानी गई। कुछ मामलों को हमने व्यापार तथा प्रशुल्क संबंधी सामान्य करार (GATT) के पास भेजा है और उचित समय में हमारे दृष्टिकोण को बल मिलेगा। किन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा माल प्रतिस्पर्धा कर सके और विदेशी बाजारों में उसकी मांग हो हमें उसे आवश्यक समर्थन देना पड़ेगा।

जहां तक विशिष्ट विषयों का संबंध है जिनका उल्लेख माननीय सदस्यों ने किया है विशेषत: कपड़ा नीति के संबंध में जिसकी हमने घोषणा की है, स्वभाविक है कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। हथकरघा के संबंध में मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मेरे साथी, राज्य मंत्री, श्री खुरशीद आलम खां ने कल उन नीतियों और कार्यक्रमों का विस्तार-पूर्वक उल्लेख किया है जिन्हें हम अपनाने जा रहे हैं।

कपड़ा केवल निर्यात के प्रयोजनों के लिए ही नहीं अपितु कपड़ा सम्बन्धी आवश्यकताए पूरी करने के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण नीति का उल्लेख करूंगा जो पिछली सरकार ने 1978 में अपनायी थी। वस्तुत: आज सुबह मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज जो उस योजना के जन्मदाता थे, के भाषणों को पढ़ रहा था और मैं यह मालूम करने की कोशिश करता रहा कि ऐसी कौन-सी बात थी जिससे प्रेरित होकर उन्होंने उस नीति को निर्मित किया जिसने इस संगठित क्षेत्र के विस्तार पर पूरा प्रतिबन्ध लगा दिया। तब मैंने उस नई कपड़ा नीति के बारे में एक बड़ा दिलचस्प पैरा पढ़ा जहां उन्होंने यह कहा था कि वह मशीनों के स्थान पर हाथों से काम करवायेंगे। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, वह हथकरघा उद्योग को अधिक से अधिक पोषित कर सकते हैं। किन्तु फिर भी एक सीमा होती है, यदि हमें पांचवी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक 3600 करोड़ मीटर कपड़े की आवश्यकता है तो क्या कोई कह सकता है कि 3600 करोड़ मीटर कपड़ा केवल हथकरघों द्वारा बनाया जायेगा।

श्री रामविलास पासवान : जी, हां।

श्री प्रणव मुखर्जी : नहीं। यदि आप बना भी दें, तो उस पर कितनी लागत आयेगी और उसे कौन खरीद सकेगा ? यदि आप उसे आर्थिक सहायता दें, तो धन कहां से आयेगा ? यह

न तो मेरे जेब से आ रहा है, न श्री पासवान की जेब से और न श्री वेंकटरमन की जेब से, हमें उसे लोगों से लेना पड़ेगा और अर्थव्यवस्था के एक भाग को आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी। इस नई नीति में जिसकी मैंने घोषणा की है हथकरघा क्षेत्र की हमने मुख्य भूमिका रखी है। हथकरघा क्षेत्र के लिए 40 प्रतिशत विकास की परिकल्पना है।

इसके साथ साथ विद्युत करघों के बारे में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि इस बारे में पुनर्विलोकन होना चाहिए। उनसे मैं सहमत हूं। हमने यह स्थिति उत्पन्न की ...

एक माननीय सदस्य : हथ करघा बुनकरों के लिए एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : जब तक पूर्णतया व्यापक दृष्टिकोण सामने न हो तब तक किसी एक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय मजदूरी नीति निर्धारित नहीं की जा सकती।

जहां तक विद्युत करघे का सम्बन्ध है, हमारा एक विशिष्ट रवैया रहा है। शतुर्मुर्ग की तरह हमने अपनी आंखें और कान बन्द कर रखे हैं, यह सोचकर कि हमें कोई नहीं देख रहा है क्योंकि हम किसी को नहीं देख सकते हैं। विद्युत करघों के होते हुए भी हमने उन पर कोई शुल्क नहीं लगाया। शायद श्री अग्रवाल ने फाइल देखी होगी, एक समय तो यहां तक भी हुआ कि विद्युत करघों से उत्पादन शुल्क तक वसूल नहीं किया गया था अतः विद्युत करघे का विकास अव्यस्थित ही रहा।

मैं पूर्ववर्ती सरकार की सराहना करता हूं कि उन्होंने विद्युत करघे को मान्यता प्रदान की। मैंने क्या किया है ? मैं इस युक्तियुक्त निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस समय जितने भी विद्युत करघे लग चुके हैं उनको नियमित कर दिया जाये और उन्हें मान्यता दे दी जाये और उन पर कोई न कोई नियंत्रण रखा जाए। इसके साथ-साथ, मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि कम से कम 5% विकास की अनुमति दे दी जाए। ऐसा करते समय हमने यह भी ध्यान रखा है कि विद्युत करघों के कारण हथकरघों के विस्तार में कोई कमी न होने पाये। अतः नई नीति का निर्धारण करते हुए, मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि उन हथकरघों को, जो विद्युत करघों में परिवर्तित होना चाहेंगे, अधिमान दिया जाए और विनिर्दिष्ट 5 प्रतिशत के विकास में उन्हें अतिरिक्त करघे दे दिए जाए, जहां तक विद्युत करघों का सम्बन्ध है।

संगठित क्षेत्र के बारे मे जब तक आधुनिकीकरण न किया जाएं तब तक निर्यात में मुकाबला करना सम्भव नहीं होगा। इसके लिए हमें अपनी किस्म में सुधार करना होगा। अतः कुछ विस्तार करने को तो नितान्त आवश्यकता है। मैं उन्हें अनियंत्रित विस्तार की अनुमति तो नहीं दे सकता हूं। परन्तु उतने विस्तार की अनुमति दे सकता हूं जितना निर्यात और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक है। यदि आप इस बात को नहीं मानते, तो आपकी कोई विचारधारा विशेष हो सकती है परन्तु इससे अन्ततः अर्थव्यवस्था को कोई मदद नहीं मिलेगी इसीलिए हमें नीति में परिवर्तन करना है जो, हम समझते हैं, हमारे उद्देश्य अनुकूल और नितान्त आवश्यक हैं।

श्री गोयल ने ठीक ही कहा है कि अन्य देशों की तरह हमें भी कुछ वस्तुओं के बारे में दूसरों के साथ अधिक अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए । उन्होंने पटसन और बंगलादेश का विशेष रूप से उल्लेख किया आप शायद, यह मानेंगे कि हम उन वस्तुओं के बारे में, जिनका हम उत्पादन करते हैं, बेहतर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं जिससे हमें सामूहिक सौदेबाजी से नहीं अपितु सामूहिक प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक अच्छी कीमतें प्राप्त हो सकें । परन्तु इसमें हमें वास्तविकता को ध्यान में रखना होगा । पटसन को ही लीजिए । पटसन से हमें मोटे तौर पर 5 प्रतिशत आय है । बंगला देश को पटसन से लगभग 95 प्रतिशत आय होती है । अतः इसमें तुलना की कोई बात ही नहीं है बंगलादेश को तो अपना उत्पाद किसी भी कीमत पर देना पड़ेगा बंगलादेश को यह भी फायदा है कि वहां पर न्यूनतम कीमत ही नहीं है । न ही किसानों के लिए और न ही निर्यात के लिए कोई न्यूनतम कीमत निर्धारित है ।

मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता, जिसमें एक गरीब देश के संसाधन किसी धनी देश में पहुंच जायें । निर्यात से आय कितनी आवश्यक ही क्यों न हो, निर्यात कितना जरूरी क्यों न हो, मैं ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं कर सकता जिसमें माल बहुत ही मामूली दामों पर बेचना पड़े और इस प्रकार संसाधन एक गरीब देश से किसी धनी देश में पहुंच जाये अतः मैंने किसानों और निर्यात के लिए न्यूनतम कीमतें निर्धारित कर दी हैं । अतः मेरी स्थिति कुछ अलाभप्रद सी है परन्तु इसके बावजूद हम पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं, जैसाकि सदस्य जानते हैं, हम पटसन उगाने वाले देशों की एक बैठक बुला रहे हैं, यहां पर कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे हम मिलकर कार्य कर सकें ।

चाय के मामले में माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि हमने कुछ प्रगति की है और हम सही दिशा में कुछ आगे बढ़ गये हैं । दो, तीन बैठकें हो चुकी हैं और आशा है कि कोई न कोई प्रबन्ध हो जायेगा ।

एक बात जिसको ध्यान में रखना पड़ेगा वह यह है कि इन वस्तुओं के उत्पादक बहुत ही कम विकसित देशों में या विकासशील देशों के हैं । अतः कुछ वस्तुओं के मामले में वे बाजी नहीं लगा पाएंगे । अतः एक सामान्य दबाव अपनाना सम्भव नहीं होगा । उदाहरणार्थ, कोई कह रहा था कि चाय के उत्पादन पर नियन्त्रण होना चाहिए । मैं चाय के उत्पादन पर नियन्त्रण रखने की स्थिति में हूं क्योंकि मैं इसकी कमी कुछ अन्य वस्तुओं में पूरी कर सकता हूं । किसी ने कहा कि आप चाय का उत्पादन मत कीजिए, उसका अधिक निर्यात मत कीजिए । मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता । इसी प्रकार कुछ देशों की स्थिति विकास के तथा निर्यात अनुसंधान और विकास की व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर होगी । अतः हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा और ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिनसे बहतर सूझबूझ का विकास हो सकेगा । और हम अपने उत्पाद अधिक अच्छे ढंग से बेच सकेंगे ।

पटसन और चाय के बारे में श्री सुबोध मेन ने कुछ बातें कहीं । मैंने कई बार कहा है कि मैं भारतीय पटसन निगम के कार्य से खुश नहीं हूं । मरे हुए घोड़े को चाबुक मारने का कोई

काजू के बारे में समस्या ऐसी है कि मुझे डर है कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। उद्योग के सामने संकट है। मैंने केरल राज्य निगम से भी कहा है कि यदि आप आयात कर सकते हैं तो आयात करें। ये आयात करने में समर्थ नहीं हैं। मेरा अपना काजू निगम भी आयात करने की स्थिति में नहीं है। निजी पार्टियां आयात करने की स्थिति में हैं। परन्तु जैसाकि माननीय सदस्यगण केरल सरकार तथा ससद सदस्यगण दोनों ही नहीं चाहते हैं कि निजी पार्टियों को आयात करने की इच्छा है कि अनुमति दी जाए। मैंने उन्हें अनुमति नही दी है। जैसाकि मैंने सदन के समक्ष वचन दिया है कि मैं निजी पार्टियों को काजू के आयात की अनुमति नहीं दूगा, मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री प्रणव मुखर्जी : यदि वे पारम्परिक क्षेत्रों अथवा गैर-पारम्परिक क्षेत्रों से अधिग्रहण किये हैं तो हम विचार कर सकते हैं। जैसी अनुमति वे चाहते थे, मैंने दी है। परमिट रखने से कोई फायदा नहीं है। अब तो वे कोई फायदा पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं।

काजू तथा खाद्य तेलों में आत्म निर्भर बनने समय लगेगा। खाद्य तेलों के बारे में मैंने माननीय सदस्यों को सूचित किया था कि योजना दस्तावेज में भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि हम विभिन्न देशों से दस लाख टन खाद्य तेल का आयात नहीं कर सकते और विदेशी मुद्रा खर्च नहीं कर सकते। इसलिए, हमें ऐसी स्थिति पैदा करनी चाहिए जिसमें हम उत्पादन कर सकें। यह हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमारे उत्पादकों तथा किसानों ने यह साबित कर दिया है कि वे उत्पादन करने में समर्थ हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि 1966 से 1977 तक 11 वर्ष की अल्प अवधि मेंहमारा कुल खाद्यान्न का उत्पादन 650 लाख टन से बढ़कर 1270 ल ख टन हो गया —सिर्फ गेहूं और चावल को मिलाकर। मैंने अन्य अनाजों को हिसाब में नहीं लिया है इसलिए, भारतीय उत्पादक तथा किसान उत्पादन करने की स्थिति में हैं। भारत 1970 में भी खाद्यान्नों का सबसे बड़ाआयातकर्ता था। यदि मुझे ठीक-ठीक याद है तो 1974 में भी हमें गेहूं का आयात करना पड़ा था। आज स्थिति यह है कि भारत के खाद्य मंत्री और वाणिज्य मंत्री यह कह सकते हैं कि मैं दस लाख टन चावल अथवा खाद्यान्न का निर्यात करने की स्थिति में हूं। यह सम्भव है। इसलिए, यदि हम खाद्य के संबंध में सफलता कर सकते हैं तो खाद्य तेलों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उचित उपाय किए गए हैं। उचित महत्व दिया गया है और मैं आशा करता हूं कि फली भूत होगा।

कतिपय मुद्दे उठाए गए हैं और आप, महोदय, इस बात से सहमत होंगे कि माननीय सदस्यों ने लगभग पांच घंटे तक अपनी बातें कहीं है और उन सभी मुद्दों का उत्तर मैं नहीं दे सकता परन्तु, इन्हें इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए उनकी बातों पर ध्यान नही दिया जा रहा है। माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं उन पर मैं विचार करूंगा यद्यपि मैं तुरन्त उन पर कार्रवाई करने जा रहा हूं, विशेष रूप से, श्री नैयर जोक मेरे पीछे बैठते हैं और जिन्होंने रबर बोर्ड के कर्मचारियों को बोनस का मामला उठाया है। वस्त बोर्डों के कर्मचारियों के बारे में एक समस्या है। हमें इस प्रश्न पर सर्वांग दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। यही कारण है कि इसमें कुछ समय

लगा है और हमें देखना होगा कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं बहुत सारे मुद्दों का उत्तर नहीं दिया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्ये बुरा नहीं मानेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कटौती प्रस्ताव वापस ले लें और अनुदान की मांगें स्वीकार कर लें।

श्री सुबोध सेना : (जलपाईगुड़ी) क्या माननीय मंत्री महोदय एक प्रश्न का उत्तर देंगे ? चाय व्यापार में बड़े व्यापारियों, जो चाय की नीलामी बिक्री में मूल्यों को कम करने की कोशिश करते हैं जिससे छोटे तथा मझोले उत्पादकों को नुकसान होता है, के मशीनीकरण को रोकने के लिए कतिपय कदम उठाएंगे ?

श्री प्रणव मुखर्जी : हमने टंडन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है और उस पर अमल कर रहे हैं लेकिन यहां मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे अपने राज्य सरकार से अनुरोध करें कि राज्य के वित्त मंत्री चाय पर अनावश्यक शुल्क न लगाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभी सहमत हो तो मैं वाणिज्य मंत्रालय के अनुदान की मांगों से सबंधित सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

माननीय सदस्य : हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा के मतदान के लिए सभी को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है : कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई वाणिज्य मंत्रालय संबंधी मांग संख्या 11 से 13 के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सबंधी नराशियों से अधिक एशिया भारत की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ ।

वाणिज्य मंत्रालय के संबंध में 1981-83 वर्ष की अनुदनों की निम्नलिखित मांगों को लोक सभा द्वारा स्वीकृत किया गया ।

सदन की स्वीकृति के लिए	मांग संख्य प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम		मांग का नाम
1	2		3
वाणिज्य मंत्रालय	राजस्व	पूंजी	
11. वाणिज्य मंत्रालय	12,26,000	...	
12. विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	16,72,60,000	1,000	
13. वस्त्रोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प	1,21,64,000	14,78,50,000	

उपाध्यक्ष महोदय : वाणिज्य मंत्रालय के संबंध में अनुदानों की मांगें पारित हुई ।

सभा कल 11 बजे को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

6.13 म० प० तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 25 मार्च, 1981

4 चैत्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई

सनलाईट प्रिंटिंग प्रेस, फौहारा, दिल्ली-110006